लोक-सभा

वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ४४, १९६०/१८८२ (शाक)

[१ से १२ अगस्त १९६०/ १० से २१ श्रावण १८८२ (शाक)]

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
18-5-01
Fumigated
On 29.11.83
Parliament Library

ग्यारहवां सत्र, १९६०/१८८२ (शाक)

(खण्ड ४४ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय सूची

द्वितीय माला, खण्ड ४४—अंक १ से १०—१ से १२ अगस्त १९६०/१० से २१ श्रावण १८८२ (शक)

अंक १—सोमवार, १ अगस्त, १९६०/१० श्रावण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १ से १० और १२ से १७ . . . १—२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११ और १८ से ३५ . . . २६—३५

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से १३ और १५ से ७७ . . . ३५—६८

निधन सम्बन्धी उल्लेख ६९

स्थगन प्रस्ताव—

१. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की आम हड़ताल . . ६९—७२

२. आसाम में स्थिति . . . . . ७२—७९

३. राष्ट्रपति के राजभाषा सम्बन्धी निदेश की अधिसूचना . . ७९—८१

सभा पटल पर रखे गये पत्र—

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ८५

नागा पहाड़ियां तथा तुएनसांग क्षेत्र के बारे में वक्तव्य . . ८५—९१

महेन्द्र प्रताप सिंह जायदाद (निरसन) विधेयक के बारे में वक्तव्य . ९१

रेलवे दुर्घटनाओं के बारे में वक्तव्य ९२

समितियों के लिये निर्वाचन—

१. राष्ट्रीय सेना छात्र दल की केन्द्रीय मंत्रणा समिति . . ९२

२. नारियल जटा बोर्ड ९२–९३

रबड़ (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित . . . ९३

दिल्ली जोत (अधिकतम सीमा) विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—

खण्ड २ से १० . . . . . ९३—१२१

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १२२—३०

पृष्ठ

अंक २—मंगलवार, २ अगस्त, १९६०/११ श्रावण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६ से ४४ और ४७ से ५० . . . १३१—५३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४५, ४६ और ५१ से ७२ . . . १५३—६५

अतारांकित प्रश्न संख्या ७८ से १४९ . . . . १६५—९८

अतारांकित प्रश्न संख्या १८२२ के उत्तर में शुद्धि . . . १९८

सभा पटल पर रखे गये पत्र १९९—२०१

तारांकित प्रश्न संख्या १३०८ और १८१५ के उत्तरों की शुद्धि २०१

भारत-पाकिस्तान नहरी पानी विवाद के सम्बन्ध में वक्तव्य २०१—०२

सदस्य का निरोध २०२

दिल्ली जोत (अधिकतम सीमा) विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में खण्ड ११ से २८ और १ . . . . २०२—१६

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . २१६

मनीपुर भू-राजस्व तथा भूमि सुधार विधेयक

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव २१६—४६

खण्ड २ से १७० और १ . . . . २४०—४६

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . . २४६

त्रिपुरा-भू-राजस्व तथा भूमि-सुधार विधेयक

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . २४६—५०

दैनिक संक्षेपिका २५१—५७

अंक ३—बुधवार, ३ अगस्त, १९६०/१२ श्रावण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७३ से ८५ . . . २५९—८३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८६ से १२५ . . . २८३—३०३

अतारांकित प्रश्न संख्या १५० से २४२ . . . . ३०३—४४

दिनांक २-४-६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १७०० के उत्तर में शुद्धि ३४४

विषय सूची

	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३४४—५०
कार्य-मन्त्रणा समिति—	
बावनवां प्रतिवेदन	३५०
ग़ैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	
पैंसठवां प्रतिवेदन	३५०
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
वित्त मन्त्री की विदेश यात्रा	३५०—५१
तारांकित प्रश्न संख्या १४८४ के उत्तर की शुद्धि . . .	३५१—५२
त्रिपुरा भू-राजस्व तथा भूमि सुधार विधेयक	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव .	३५२—५९
खण्ड २ से १९९, अनुसूची तथा खण्ड १	३५९—६०
मोटर परिवहन कर्मचारी विधेयक—	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव	३६१—८०
त्रिपुरा नगरपालिका विधि (निरसन) विधेयक—पारित . .	३८१—८२
धार्मिक न्यास विधेयक—	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव	३८२—८५
लोकतन्त्रात्मक विकेन्द्रीकरण के बारे में प्रस्ताव	३८५—४०३
दैनिक संक्षेपिका	४०४—१४

अंक ४—गुरुवार, ४ अगस्त, १९६०/१३ श्रावण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १२६, १५८, १२७ से १३४ और १३६ .	४१५—३७
अल्प सूचना प्रश्न संख्या	४३८—४१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १३५, १३७ से १५७ और १५९ से १६२ .	४४१—५५
अतारांकित प्रश्न संख्या २४३ से २६४ और २६६ से २९५ .	४५५—७५
सभा पटल पर रखे गये पत्र . .	४७५—७७
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
इंग्लैण्ड में श्री फीज़ो द्वारा भारत विरोधी प्रचार . .	४७७—८३

विषय सूची

पृष्ठ

बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित ४८३–८४

कार्य मन्त्रणा समिति—

बावनवां प्रतिवेदन ४८४

धार्मिक न्यास विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . . . ४८४—५१२

बाग़ान श्रमिक (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . . ५१३—१४

दैनिक संक्षेपिका ५१५—२०

अंक ५—शुक्रवार, ५ अगस्त, १९६०/१४ श्रावण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६३ से १७३ और १७५ से १७८ . ५२१—४६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७४ और १७९ से १९९ . . ५४६—५५

अतारांकित प्रश्न संख्या २९६ से ३५९ . . . ५५५—८३

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ५८३—८६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

दिल्ली में विद्यार्थियों को दाखिले से इन्कार . . . ५८६—५८९

तारांकित प्रश्न संख्या ४८९ के उत्तर की शुद्धि . . . ५८९

सभा का कार्य ५८९–९०

समिति के लिये निर्वाचन—

भारतीय लाख उपकर समिति ५९०

समवाय (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन का समय बढ़ाया जाना . ५९०

बाग़ान श्रमिक (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . . ५९१—९४

खंड २ से ८ और १—पारित करने का प्रस्ताव . . . ५९४—९६

रबड़ (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . ५९६—६०५

विषय सूची पृष्ठ

खंड २, ३ और १—
पारित करने का प्रस्ताव ६०५–०६
कपास परिवहन (संशोधन) विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में—पारित ६०७
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . ६०७–०८
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
पैंसठवां प्रतिवेदन ६०८
औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प के पुनरीक्षण के बारे में संकल्प—
अस्वीकृत . . . . . . ६०८—३१
आय की अधिकतम सीमा के बारे में संकल्प . . . ६३१
कपड़े की कीमत में वृद्धि के बारे में चर्चा . . ६३२—३८
दैनिक संक्षेपिका . . . . . . ६३६—४६
अंक ६—सोमवार, ८ अगस्त, १६६०/१७ श्रावण, १८८२ (शक)
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या २०० से २०७ और २०६ से २११ . ६४७—७२
प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या २०८ और २१२ से २३८ . . ७७२—८५
अतारांकित प्रश्न संख्या ३६० से ३६४ और ३६७ से ४३६ . ६८५—७१६
कथित विशेषाधिकार भंग के बारे में ७१६–१७
सभा पटल पर रखे गये पत्र ७१७–१८
लोक लेखा समिति
तीसवां प्रतिवेदन ७१८
दिल्ली प्राथमिक शिक्षा विधेयक
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन ७१८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
जाली नोटों का चलन ७१८
सदस्य द्वारा त्याग पत्र ७१८
अत्यावश्यक सेवायें निर्वहन अध्यादेश के बारे में .
संविहित संकल्प
तथा
केन्द्रीय सरकार के कुछ कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में प्रस्ताव . ७१६—६२

विषय सूची	पृष्ठ
कपड़े की कीमत में वृद्धि के बारे में चर्चा . . .	७६२—७१
दैनिक संक्षेपिका . . .	७७२—७७
अंक ७—मंगलवार, ९ अगस्त, १९६०/१८ श्रावण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २३९ से २४५, २४८, २५० से २५४, २७१ और २५५	७७९—८०३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २४६, २४७, २४९, २५६ से २५९, २६१ से २७०	८०४—१०
अतारांकित प्रश्न संख्या ४३७ से ४९६ . . .	८११—३६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
(१) पलाई सेन्ट्रल बैंक का बन्द होना . . .	८३६—३९
(२) छपुई खास कोयलाखान, रानीगंज में विस्फोट . .	८४१—४२
सभा पटल पर रखे गये पत्र	८४०
अनुदान की अनुपूरक मांग (रेलवे), १९६०-६१ के बारे में विवरण .	८४१
अत्यावश्यक सेवायें निर्वहन अध्यादेश के बारे में संविहित संकल्प	
और	
केन्द्रीय सरकार के कुछ कर्मचारियों की हाल की हड़ताल के बारे में प्रस्ताव	८४२—८२
दैनिक संक्षेपिका	८८३—८७
अंक ८—बुधवार, १० अगस्त, १९६०/१९ श्रावण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २७३, २७४, २७७ और २७९ से २८६ .	८८९—९१२
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २७२, २७५, २७६, २७८ और २८७ से ३१६	९१२—२६

विषय सूची

	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या ४९८ से ५६५	९२७—५६
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	९५६—५८
सभा पटल पर रखे गये पत्र	९५८–५९
वर्ष १९५७-५८ के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों के बारे में विवरण	९५९
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
छियासठवां प्रतिवेदन . . .	९५९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
दिल्ली दुग्ध योजना .	९५९—६१
अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था (स्थिति, उन्मुक्तियां) तथा विशेषाधिकार विधेयक—पुरस्थापित . . .	९६१
कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव .	९६१—७५
अणुशक्ति विभाग के प्रतिवेदन के बारे में . .	९७५
मतविभाजन के परिणाम की शुद्धि	९८७
दैनिक संक्षेपिका . .	९८८—९४
अंक ९—गुरुवार, ११ अगस्त, १९६०/२० श्रावण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३१७ से ३२१, ३२३ से ३२७ और ३२९	९९५—१०१७
अल्प सूचना प्रश्न संख्या २	१०१७—२१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३२२, ३२८ और ३३० से ३४९	१०२१—३०
अतारांकित प्रश्न संख्या ५६६ से ६३७ .	१०३०—६६
स्थगन प्रस्ताव—	
दिल्ली में टिटेनस का फैलना . . .	१०६३—६५
सदस्य द्वारा त्यागपत्र	१०६५
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१०६५—६८
दरभंगा मुज़फ़्फ़रपुर ज़िलों में अकाल की स्थिति के बारे में वक्तव्य	१०६८–६९

विषय सूची

पृष्ठ

कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . १०६६—६४

खंड २ से १३ और १

पारित करने का प्रस्ताव . . १०६४—६८

बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . १०६८—११०५

खंड १ और २

पारित करने का प्रस्ताव . . ११०५

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . ११०५—१२

दैनिक संक्षेपिका . . . . ११११३—२०

अंक १०—शुक्रवार, १२ अगस्त, १९६०/२१ श्रावण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३५० से ३५४ और ३५६ से ३६१ . ११२१—४४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३५५ और ३६२ से ३९१ . . ११४४—५९

अतारांकित प्रश्न संख्या ६३८ से ७१६ . . . ११५९—९२

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . . . ११९३—९५

पलाई सेन्ट्रल बैंक . . . . .

विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में ११९५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ११९५—९६

राज्य सभा से सन्देश . . . ११९६

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विधेयक सभा पटल पर रखे गये—

(१) निष्क्रांत हित (प्रथक्करण) संशोधन विधेयक, १९६० . ११९६

(२) कृषि उत्पाद (श्रेणीकरण और चिह्न लगाना) संशोधन विधेयक, १९६० . . . . . ११९६

(३) औषधि (संशोधन) विधेयक, १९६० . . . ११९६

(४) प्रेस तथा पुस्तकों का पंजीयन (संशोधन) विधेयक . . ११९६

लोक लेखा समिति—

उन्तीसवां प्रतिवेदन . . . ११८७

विषय सूची

पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

हिन्दुस्तान कोयला खान, तालचेर में दुर्घटना . ११९७–९८

सभा का कार्य ११९८

समितियों के लिये निर्वाचन --

(१) काफी बोर्ड . ११९९–१२००

(२) रबड़ बोर्ड . . . १२००

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . १२००--२९

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--

छियासठवां प्रतिवेदन १२२९

विधेयक--पुरस्थापित --

(१) राष्ट्रीय स्मारक आयोग विधेयक (श्री नरसिंहन् का) . १२३०

(२) अन्य धर्मग्राहियों का विवाह विच्छेद विधेयक (श्री प्रकाशवीर शास्त्री का) १२३०

(३) खास तेलों पर (साबुन बनाने के लिये) प्रतिबंध विधेयक (श्री झूलनसिंह का) . १२३०–३१

(४) प्रतिरक्षा सेनायें खाद्य पदार्थ विधेयक (श्री झूलनसिंह का) . १२३१

(५) धार्मिक पूजा स्थानों का प्रत्यावर्तन विधेयक (श्री प्रकाशवीर शास्त्री का) १२३१

(६) भारतीय पुरातत्व संस्था विधेयक (श्री नरसिंहन् का) . १२३१–३२

वेतन की अधिकतम सीमा (गैर-सरकारी क्षेत्र में) विधेयक (श्री अ० मु० तारिक का)--वापस लिया गया--परिचालित करने का प्रस्ताव . १२३२--४९

सामाजिक प्रथायें (व्यय में कटौती) विधेयक--(श्री झूलनसिंह का)--परिचालित करने का प्रस्ताव . . . १२५०

कार्य मंत्रणा समिति --

तिरेपनवां प्रतिवेदन १२५०

दैनिक संक्षेपिका १२५१--५८

नोट :-- मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

सदस्यों की वर्णानुक्रम-सूची

अ

अंजनप्पा, श्री ब० (नेल्लोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अगाड़ी, श्री स० अ० (कोप्पल)

अग्रवाल, श्री मानकभाई (मन्दसौर)

अचम्मम्बा, डा० को (विजयबाड़ा)

अचल सिंह, सेठ (आगरा)

अंचित राम, लाला (पटियाला)

अजित सिंह, श्री (भटिण्डा —रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अणे, डा० माधव श्री हरि (नागपुर)

अनिरुद्ध सिंह, श्री (मधुबनी)

अब्दुर्रहमान, मौलवी (जम्मू तथा काश्मीर)

अब्दुल रशीद, बख्शी (जम्मू तथा काश्मीर)

अब्दुल लतीफ, श्री (बिजनौर)

अब्दुल सत्तार,श्री (त्रिरुचिरापल्ली)

अमजद अली, श्री (धुबरी)

अम्बलम्, श्री सुब्बया (रामनाथपुरम)

अय्यंगार, श्री म० अनन्तशयनम् (चित्तूर)

अय्यर, श्री ईश्वर (त्रिवेन्द्रम)

अय्याकण्णु, श्री (नागपट्टिनम्—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अरुमुगम, श्री रा० सी० (श्री विल्लीपुतुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अरूमुगम्, श्री स० र० (नामक्कल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अवस्थी, श्री जगदीश (बिल्हौर)

अशण्गा, श्री (आदिलाबाद)

अष्ठाना, श्री लीलाधर(उन्नाव)

आ

आचार, श्री क० र० (मंगलौर)

आल्वा, श्री जोकीम (कनारा)

आसर, श्री प्रेमजी र० (रत्नागिरी)

659(Ai)LSD—1

इ

इकबाल सिंह, सरदार (फीरोजपुर)
इलयापेरुमाल, श्री ल० (चिदाम्बर म्—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
इलियास, श्री मोहम्मद (हाबड़ा)

ई

ईयाचरण, श्री व० (पालघाट)

उ

उइके, श्री मं० गा० (मंडला—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
उपाध्याय, पंडित मुनिश्वर दत्त (प्रतापगढ़)
उपाध्याय, श्री शिव दत्त (रीवा)
उमराव सिंह, श्री (घोसी)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नामनिर्देशित—आंग्ल भारतीय)

ओ

ओंकार लाल, श्री (कोटा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
ओझा, श्री घनश्याम लाल (झालावाड़)

क

कटकी, श्री लीलाधर (नौगांव)
कट्टी, श्री द० अ० (चिकोड़ी)
कनकसभै, श्री (चिदाम्बरम्)
कमल सिंह, श्री (बक्सर)
कयाल, श्री परेश नाथ (बसिरहाट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
करमरकर, श्री द० प० (धारवाड़—उत्तर)
कर्णी सिंह जी, श्री (बीकानेर)
कानूनगो, श्री नित्यानन्द (कटक)
कामले, डा० देवराज नामदेवराव (नांदेड़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कामले, श्री बा० चं० (कोपरगांव)
कार, श्री प्रभात (हुगली)
कालिका सिंह, श्री (आजमगढ़)
कासलीवाल, श्री नेमीचन्द्र (कोटा)

क—(क्रमशः)

किलेदार, श्री रघुनाथ सिंह (होशंगाबाद)
किस्तैया, श्री सुरती (बस्तर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
कुन्हन, श्री (पालघाट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कुमारन, श्री मेलकुलन्जरा कन्नन (चिरयिन्कील)
कुम्भार, श्री बनमाली (सम्बलपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कुरील, श्री बैजनाथ (रायबरेली—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कृपालानी, आचार्य (सीतामढ़ी)
कृपालानी, श्रीमती सुचेता (नई दिल्ली)
कृष्ण, श्री मं० रं० (करीमनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कृष्ण चन्द्र, श्री (जलेसर)
कृष्णप्पा, श्री मो० वें० (तमकुर)
कृष्णमाचारी, श्री ति० त० (मद्रास दक्षिण)
कृष्णराव श्री मं० वें० (मसुलीपट्टनम्)
कृष्णस्वामी , डा० (चिगलपट)
कृष्णया, श्री दू० बलराम (गुडिवाडा)
केदरिया, श्री छगनलाल म० (मांडवी—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
केशव, श्री न० (बंगलौर नगर)
केसकर, डा० बा० वि० (मुसाफिरखाना)
केसर कुमारी देवी, श्रीमती (रायपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कोडियान, श्री (क्विलोन—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कोरटकर, श्री विनायकराव (हैदराबाद)
कोट्टुकपल्ली, श्री जार्ज थामस (मवात्तुपुजा)

ख

खां, श्री उस्मान अली (कुरनूल)
खां, श्री शाहनवाज़ (मेरठ)
खां, श्री सादत अली (वारंगल)
खंडिलकर, श्री र० के० (अहमदनगर)
खादीवाला, श्री कन्हैयालाल (इन्दौर)
खीमजी, श्री भवनजी अ० (कच्छ)
खुदाबख्श, श्री मुहम्मद (मुर्शिदाबाद)
खेडकर, श्री गोपाल राव, (अकोला)
ख्वाजा, श्री जमाल (अलीगढ़)

ग

गंगा देवी, श्रीमती (उन्नाव—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
गणपति, श्री (तिरुचिन्दूर)
गणपति राम, श्री (जौनपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
गांधी, श्री फीरोज़ (रायबरेली)
गांधी, श्री मानिकलाल मगनलाल (पंच महल)
गायकवाड़, श्री भाऊराव कृष्णराव (नासिक)
गायकवाड़, श्री फतेहसिंह राव प्रताप सिंह राव (बड़ौदा)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (कलकत्ता—दक्षिण पश्चिम)
गुप्त, श्री छेदा लाल (हरदोई)
गुप्त, श्री रामकृष्ण (महेन्द्रगढ़)
गुप्त, श्री साधन (कलकत्ता—पूर्व)
गुह, श्री अरुण चन्द्र (बारसाट)
गोडसोरा, श्री शम्भूचरण (सिंहभूम—रक्षित —अनुसूचित जातियां)
गोपालन, श्री अ० क० (कासरगोड)
गोरे, श्री नारायण गणेश (पूना)
गोविन्द दास, सेठ (जबलपुर)
गोहोकर, डा० देवराव यशवन्त राव (यवतमाल)
गौंडर, श्री षनमुघ (तिंडीवनम्)
गौंडर, श्री दुरायस्वामी (तिरुपत्तूर)
गौंडर, श्री क० पेरियास्वामी (करूर)
गौतम, श्री (बालाघाट)

(घ)

घोडासर, श्री फतहसिंहजी (कैरा)
घोष, श्री अतुल्य (आसनसोल)
घोष, श्री विमल कुमार (बैरकपुर)
घोष, श्री नलिनी रंजन (कूच बिहार)
घोष, श्री महेन्द्र कुमार (जमशदपुर)
घोष, श्री सुबिमल (बर्दवान)
घोषाल, श्री अरविन्द (उलुबेरिया)
चक्रवर्ती, श्रीमती रेणु (बसिरहाट)
चतुर्वेदी, श्री रोहतलाल (एटा)

च

चन्दा, अनिल कु० (वीरभूम)
चन्द्रशंकर, श्री (भड़ौच)
चन्द्रामणि कालो, श्री (सुन्दरगढ़—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
चावन, श्री दा० रा० (कराड़)
चांडक, श्री बी० ल० (चिन्दवाड़ा)
चावदा, श्री अकबर भाई (बनस्कंठा)
चुनीलाल, श्री (अम्बाला—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
चेट्टियार, श्री रामनाथन् (पुदुकोटै)
चौधरी, श्री चन्द्रामणि लाल (हाजीपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
चौधरी, श्री त्रिदिब कुमार (बरहामपुर)
चौधरी, श्री सु० चं० (दुमका)

ज

जगजीवन राम, श्री (सहसराम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जयपाल सिंह, श्री (रांची-पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
जांगड़े, श्री रेशम लाल (विलासपुर)
जाधव, श्री यादव नारायण (मालेगांव)
जीनवन्द्रन्, श्री (टेल्लीचेरी)
जेधे, श्री गुलाब राव केशव राव (बारामती)
जेना, श्री कान्हुचरण (बालासोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जैन, श्री अजित प्रसाद (सहारनपुर)
जैन, श्री मूल चन्द (कैथल)
जोगेन्द्र सिंह, सरदार (बहराइच)
जोगेन्द्र सेन, श्री (मंडी)
जोशी, श्री आनन्द चन्द्र (शाहडोल)
जोशी, श्री लीलाधर (शाजापुर)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (अम्बाला)
ज्योतिजी, पंडित ज्वाला प्रसाद (सागर)

झ

झुनझुनवाला, श्री बनारसी प्रसाद (भागलपुर)
झूलन सिंह, श्री (सीवन)

ट

टांटिया, श्री रामेश्वर (सीकर)

ठ

ठाकुर, श्री मोतीसिंह बहादुर सिंह (पाटन)

ड

डांगे, श्रीपाद अमृत (बम्बई नगर-मध्य)
डामर, श्री अमर सिंह (झाबुआ—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
डिन्डोड, श्री जाल्जीभाई कोयाभाई (दोहद—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

त

तंगामणि, श्री (मदुरै)
तारिक, श्री अली मोहम्मद (जम्मू तथा काश्मीर)
ताहिर, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
तिम्मय्या, श्री डोडा (कोलार—रक्षित—अनुसूचित जातियां
तिवारी, पंडित द्वारका नाथ (केसरिया)
तिवारी, पंडित बाबूलाल (निमाड़—खंडवा)
तिवारी, श्री द्वारिका नाथ (कचार)
तिवारी, श्री राम सहाय (खजुराहो)
तुलाराम, श्री (इटावा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
तेवर, श्री उ० मथुरमलिंग (श्री विल्लीपुत्तूर)
त्यागी, श्री महाबीर (देहरादून)

थ

थानप, श्री अ० म० (एरणाकुलम)

द

दलजीत सिंह, श्री (कांगड़ा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दातार, श्री ब० ना० (बेलगाम)
दामानी, श्री सू० र० (जालोर)
दास, श्री कमल कृष्ण (बीरभूम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, श्री नयन तारा (मुंगेर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, डा० मन मोहन (आसनसोल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

द---(क्रमशः)

दासगुप्त, श्री विभूति भूषण (पुरुलिया)
दासप्पा, श्री (बंगलौर)
दिघे, श्री शंकरराव खंडेराव (कोल्हापुर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
दिनेश सिंह, श्री (बांदा)
दुबे, श्री मूलचन्द (फर्रुखाबाद)
दुबलिश, श्री विष्णुशरण (सरधना)
देब, श्री दशरथ (त्रिपुरा)
देब, श्री नरसिंह मल्ल (मिदनापुर)
देब, श्री प्र० गं० देब (अंगुल)
देव, श्री प्रताप केसरी (कालाहांडी)
देशमुख, डा० पंजाबराव शा० (अमरावती)
देशमुख, श्री कृ० गु० (रामटेक)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
दोरा, श्री दि० स० (पार्वतीपुरम्)
द्रोहड़, श्री शिवदीन (हरदोई---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
दौलता, श्री प्रताप सिंह (झज्जर)
द्विवेदी, श्री म० ला० (हमीरपुर)
द्विवेदी, श्री सुरेन्द्रनाथ (केन्द्रपाड़ा)

ध

धनगर, श्री बन्शी दास (मैनपुरी)
धर्मलिंगम, श्री (थिरुवन्नामलाई)

न

नंजप्पा, श्री (नीलगिरी)
नयकानी, श्री नरेन्द्रभाई (सोरठ)
नंदा, श्री गुलजारी लाल (सबरकांठा)
नरसिंहन्, श्री च० र० (कृष्णगिरि)
नलदुर्गकर, श्री वैंकटराव श्रीनिवासराव (उस्मानाबाद)
नलराकोया, श्री कोविलाट (नामनिर्देशित---लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप)
नायपाई, श्री (राजापुर)
नादर, श्री थानुलिंगम (नागरकोईल)
नायक, श्री मोहन (गंजम---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

न--(क्रमशः)

नायडू, श्री गोविन्द राजुलू (तिरुवल्लूर)
नायडू, श्री मुत्तुकुमारसामी (कडलूर)
नायर, डा० सुशीला (झांसी)
नायर, श्री कुट्टिकृष्णन् (कोजीकोड)
नायर, श्री च० कृष्णन् (बाह्य दिल्ली)
नायर, श्री वें० प० (त्रिवलोन)
नायर, श्री वासुदेवन (तिरुवल्ला)
नारायणदीन, श्री (शाहजहांपुर---रक्षित---अनुसूचित जातियां
नारायणस्वामी, श्री (पेरियाकुलम्)
नास्कर, श्री पूर्णेंदु शेखर (डायमण्ड हार्बर)
नेगी, श्री नेकराम (महासू---रक्षित---अनुसूचित जातियां
नेसवी, श्री ति० रु० (धारवाड़-दक्षिण)
नेहरू, श्री जवाहरलाल (फूलपुर)
नेहरू, श्रीमती उमा (सीतापुर)

प

पटनायक, श्री उमाचरण (गंजम)
पटेल, श्री नानूभाई निच्छाभाई (बलसार---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)
पटेल, श्री पुरुषोत्तमदास र० (मेहसाना)
पटेल, श्री राजेश्वर (हाजीपुर)
पटेल, सुश्री मणिबेन वल्लभभाई (आनन्द)
पट्टाभिरामन्, श्री चे० रा० (कुम्बकोणम्)
पद्मदेव, श्री (चम्बा)
पन्नालाल, श्री (फैजाबाद---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
परमार, श्री करसन दास उ० (अहमदाबाद---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
परमार, श्री दीनबन्धु (उदयपुर---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)
परुलकर, श्री शामराव विष्णु (थाना)
पलनियाण्डी, श्री (पैरम्बलूर)
पहाड़िया, श्री जगन्नाथ प्रसाद (सवाई माधोपुर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
पांगरकर, श्री नागराव क० (परभणी)
पांडे, श्री काशीनाथ (हाता)
पांडे, श्री च० द० (नैनीताल)

प—(क्रमशः)

पाण्डेय, श्री सरजू (रसरा)

पाटिल, श्री उत्तमराव ल० (धूलिया)

पाटिल, श्री नाना (सतारा)

पाटिल, श्री बाला साहेब (मिराज)

पाटिल, श्री र० ढो० (भीर)

पाटिल, श्री स० का० (बम्बई नगर-दक्षिण)

पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (पुरी)

पादलू, श्री कनकपति वीरन्ना (गोलुगोंडा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

पार्वती कृष्णन्, श्रीमती (कोयम्बटूर)

पालचौधरी, श्रीमती इला (नवद्वीप)

पिल्ले, श्री एन्थनी (मद्रास-उत्तर)

पिल्ले, श्री पे० ति० थानु (तिरुनेलवेली)

पुन्नूस, श्री (अम्बल पुजा)

पोकर साहेब, श्री (मंजेरी)

प्रधान, श्री विजय चन्द्रसिंह (कालाहांडी—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

प्रभाकर, श्री नवल (बाह्य दिल्ली—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

ब

बजाज, श्री कमलनयन (वर्धा)

बदन सिंह, चौ० (बिसौली)

बनर्जी, डा० रामगोति (बांकुरा)

बनर्जी, श्री पुनिल बिहारी (लखनऊ)

बनर्जी, श्री प्रमथ नाथ (कण्टाई)

बनर्जी, श्री सत्येन्द्र मोहन (कानपुर)

बरुआ, श्री प्रफुल्ल चन्द्र (शिवसागर)

बरुआ, श्री हेम (गोहाटी)

बर्मन, श्री उपेन्द्र नाथ (कूच बिहार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

बलदेव सिंह, सरदार (होशियारपुर)

बसु मतारी, श्री धरनीधर (ग्वालपाड़ा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

बहादुर सिंह, श्री (लुधियाना—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

बांगशी ठाकुर, श्री (त्रिपुरा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

बाकलीवाल, श्री मोहनलाल (दुर्ग)

बाबूनाथ सिंह, श्री (सरगुजा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

ब—(क्रमश):

बारूपाल, श्री पन्नालाल (बीकानेर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बालकृष्णन्, श्री स० चि० (डिंडोगल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बाल्मीकि, श्री कन्हैयालाल (बुलन्दशहर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बासप्पा, श्री चि० र० (तिपतुर)
बिदरी, श्री रामप्पा बालप्पा (बीजापुर—दक्षिण)
बिष्ट, श्री जंग बहादुर सिंह (अल्मोड़ा)
बीरबल सिंह, श्री (जौनपुर)
बरु, श्री इगनेस (लोहरदगा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
बेरो, श्री (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय)
ब्रजराज सिंह, श्री (फिरोजाबाद)
'ब्रजश', पंडित ब्रज नारायण (शिवपुरी)
ब्रजेश्वरप्रसाद, श्री (गया)
ब्रह्म प्रकाश, चौ० (दिल्ली सदर)

भ

भंजदेव, श्री लक्ष्मी नारायण (क्योंझर)
भक्त दर्शन, श्री (गढ़वाल)
भगत, श्री ब० रा० (शाहबाद)
भगवती, श्री बि० (दरांग)
भटकर, श्री लक्ष्मण रावजी श्रवन जी (अकोला—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
भट्टाचार्य, श्री चपलकांत (पश्चिम दीनाजपुर)
भदौरिया, श्री अर्जुन सिंह (इटावा)
भरुचा, श्री नौशीर (पूर्व खान देश)
भार्गव, पंडित ठाकुर दास (हिसार)
भार्गव, पंडित मुकट बिहारी लाल (अजमेर)
भोगजी भाई, श्री (बांसवाड़ा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

म

मंजुला देवी, श्रीमती (ग्वालपाड़ा)
मंडल, डा० पशुपति (बांकुरा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मंडल, श्री जियालाल (खगरिया)
मजीठिया, सरदार सुरजीत सिंह (तरनतारन)

म—(क्रमशः)

मणिरंगाडन, श्री मैत्यु (कोट्टयम्)
मतीन, काजी (गिरिडीह)
मतेरा, श्री लक्ष्मण महादु (थाना—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
मनायन, श्री (दार्जिलिंग)
मफीदा अहमद, श्रीमती (जोरहाट)
मलिक, श्री धीरेन्द्र चन्द्र (धनबाद)
मलिक, श्री वैष्णव चरण (केन्द्रपाड़ा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मल्लय्या, श्री उ० श्रीनिवास (उदीपी)
मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत लाल (जम्मू तथा काश्मीर)
मसानी, श्री मी० रु० (रांची—पूर्व)
मसुरिया दीन, श्री (अफूलपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
महन्ती, श्री सुरेन्द्र (ढेंकानाल)
महागांवकर, श्री भाऊसाहेब रावसाहेब (कोल्हापुर)
महादेव प्रसाद, श्री (गोरखपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
महेन्द्र प्रताप, राजा (मथुरा)
माईति, श्री नि० वि० (घाटल)
माझी, श्री रामचन्द्र (मयूरभंज—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
माथुर, श्री मथुरा दास (नागौर)
माथुर, श्री हरिश्चन्द्र (पाली)
माने, श्री गो० का० (बम्बई नगर-मध्य—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मालवीय, पंडित गोविन्द (सुल्तानपुर)
मालवीय, श्री कन्हैयालाल भेरूलाल (शाजापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मालवीय, श्री केशव देव (बस्ती)
मालवीय, श्री मोतीलाल (खजुराहो—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मिनिमाता अगमदास गुरु, श्रीमती (बलोदा बाजार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मिश्र, श्री भगवानदीन (केसरगंज)
मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद (बेगु सराय)
मिश्र, श्री रघुवर दयाल (बुलन्दशहर)
मिश्र, श्री राजा राम (फैजाबाद)
मिश्र, श्री ललित नारायण (सहरसा)
मिश्र, श्री विभूति (बगहा)
मिश्र, श्री श्याम नन्दन (जयनगर)
मुकर्जी, श्री हीरेन्द्र नाथ (कलकत्ता—मध्य)

म—(क्रमशः)

मुत्तुकृष्णन्, श्री मु० (बल्लोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मुनिस्वामी, श्री न० रा० (वैल्लोर)
मुरुमू, श्री पाइका (राजमहल—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
मुरारका, श्री राधेश्याम रामकुमार (झूंझनू)
मुसाफिर, ज्ञानी गुरमुख सिंह (अमृतसर)
मुहम्मद अकबर, शेख (जम्मू तथा काश्मीर)
मुहीउद्दीन, श्री (सिकन्दराबाद)
मूर्ति, श्री ब० सू० (काकिनादा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मूर्ति, श्री मि० सू० (गोलुगोंडा)
मेनन, डा० क० ब० (बडागरा)
मेनन, श्री वें० कृ० कृष्ण (बम्बई नगर-उत्तर)
मेनन, श्री नारायणन् कुट्टि (मुकुन्दपुरम्)
मेलकोटे, डा० (रायचूर)
मेहता, श्री अशोक (मुजफ्फरपुर)
मेहता, श्रीमती कृष्णा (जम्मू तथा काश्मीर)
मेहता, श्री जसवन्त राज (जोधपुर)
मेहता, श्री बलवन्तराय गोपालजी (गोहिलवाड़)
मेहदी, श्री सैं० अहमद (रामपुर)
मोरे, श्री ज० घ० (शोलापुर)
मोहन स्वरूप, श्री (नीलीभीत)
मोहम्मद इमाम, श्री (चितलदुर्ग)
मोहीदीन, श्री गुलाम (डिंडीगल)

य

याज्ञिक, श्री इन्दूलाल कन्हैयालाल (अहमदाबाद)
यादव, श्री राम सेवक (बारांबाकी)

र

रंगा, श्री (तेनाली)
रंगाराव, श्री (करीम नगर)
रघुनाथसिंह जी, श्री (बाड़मेर)
रघुनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
रघुवीर सहाय, श्री (बदायूं)
रघुरामैया, श्री कोता (गुण्टर)
रणवीर सिंह, चौ० (रोहतक)

र—(क्रमशः)

रहमान, श्री मु० हिफ़ज़ुर (अमरोहा)

राउत, श्री भोला (चम्पारन—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

राउत, श्री राजा राम बालकृष्ण (कोलाबा)

राजबहादुर, श्री (भरतपुर)

राजू, श्री द० स० (राजामुंद्री)

राजेन्द्र सिंह, श्री (छपरा)

राज्य लक्ष्मी, श्रीमती ललिता (हजारीबाग)

राधा मोहन, सिंह, श्री (बलिया)

राधा रमण, श्री (चांदनी चौक)

राने, श्री शिवराम गो (बुलडाना)

रामकृष्णन्, श्री पी० रा० (पोल्लाची)

रामगरीब, श्री (बस्ती—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

रामधनीदास, श्री (नवादा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

रामपुरे, श्री महादेवप्पा (गुलबर्गा)

रामम, श्री उद्दाराजू (नरसापुर)

राम सुभग सिंह, डा० (सहसराम)

रामस्वामी, श्री क० स० (गोबी चट्टिपलयम्)

रामस्वामी, श्री पु० (महबूबनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

रामस्वामी, श्री सें० वें० (सैलम)

रामशंकर लाल, श्री (डुमरियागंज)

राम शरण, श्री (मुरादाबाद)

रामानन्द तीर्थ, स्वामी (औरंगाबाद)

रामौल, श्री शिवानन्द (महासू)

राय, श्री खुशवक्त (खेरी)

राय, श्रीमती रेणुका (मालदा)

राय, श्री विश्वनाथ (सलेमपुर)

राय, श्रीमती सहोदरा बाई (सागर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

राव, श्री इ० मधुसूदन (महबूबाबाद)

राव, श्री त० ब० विट्ठल (खम्मम)

राव, श्री तिरुमल (काकिनाडा)

राव, श्री देवुलपल्ली वेंकटेश्वर (नलगोंडा)

राव, श्री रा० जगन्नाथ (कोरापट)

र—(क्रमशः)

राव, श्री बी० राजगोपाल (श्री काकुलम्)

राव, श्री रामेश्वर (महबूबनगर)

राव, श्री हनुमन्त (मेदक)

रूंसुंगग सुइसा, श्री (बाह्य मनीपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

रूप नारायण, श्री (मिर्जापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

रेड्डी, श्री क० च० (कोलार)

रेड्डी, श्री रो० नरपा (ओंगोल)

रेड्डी, श्री नागी (अनन्तपुर)

रेड्डी, श्री बाली (मरकापुर)

रेड्डी, श्री राम कृष्ण (हिन्दूपुर)

रेड्डी, श्री रामी (कड़पा)

रेड्डी, श्री रे० लक्ष्मी नरसा (नेल्लोर)

रेड्डी, श्री विश्वनाथ (राजमपेट)

ल

लक्ष्मणसिंह, श्री (नामनिर्देशित—अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह)

लक्ष्मीबाई, श्रीमती (विकाराबाद)

लच्छीराम, श्री (हमीरपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

लाश्कर, श्री निवारण चन्द्र (कचार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

लाहिरी, श्री जितेन्द्रनाथ (श्रीरामपुर)

व

वर्मा, श्री बि० बि० (चम्बारन)

वर्मा, माणिक्य लाल (उदयपुर)

वर्मा, श्री राम सिंह भाई (निमाड़)

वर्मा, श्री रामजी (देवरिया)

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (बलरामपुर)

वाडीवा, श्री ना० (छिन्दवाड़ा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

वारियर, श्री कृ० की० (त्रिचूर)

वाल्वी, श्री लक्ष्मण वेदू (पश्चिमी खानदेश—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

वासनिक, श्री बालकृष्ण (भंडारा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

विजय आनन्द, महाराजकुमार (विशाखापटनम्)

विजय राजे, कुंवरानी (छतरा)

विल्सन, श्री जान० न० (मिर्जापुर)

व (क्रमशः)

विश्वनाथ प्रसाद, श्री (आजमगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

विश्वास, श्री भोलानाथ (कटिहार)

वीरेन्द्र बहादुर सिंह जी, श्री (रायपुर)

वेद कुमारी, कुमारी मोते (एलुरू)

वेंकटा सुब्बैया, श्री पेन्देकान्ति (अडोनी)

वैरावन, श्री अ० (तंजोर)

बोडयार, श्री क० गु० (शिमोगा)

व्यास, श्री रमेश चन्द्र (भीलवाड़ा)

व्यास, श्री राधेलाल (उज्जैन)

श

शंकर देव, श्री (गुलबर्गा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

शंकरपांडियन, श्री (टंकासी)

शंकरय्या, श्री (मैसूर)

शकुन्तला देवी, श्रीमती (बंका)

शर्मा, पंडित कृष्ण चन्द्र (हापुड़)

शर्मा, श्री दीवान चन्द (गुरदासपुर)

शर्मा, श्री राधा चरण (ग्वालियर)

शर्मा, श्री हरिश्चन्द्र (जयपुर)

शास्त्री, श्री प्रकाशवीर (गुड़गांव)

शास्त्री, श्री लाल बहादुर (इलाहाबाद)

शास्त्री, पंडित हीं० (सवाई माधोपुर)

शास्त्री, स्वामी रामानन्द (बाराबांकी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

शाह, श्री मनुभाई (मध्य सौराष्ट्र)

शाह, श्री मानवेन्द्र (टेहरी गढ़वाल)

शाह, श्रीमती जयाबेन बजुभाई (गिरनार)

शिव, डा० गंगाधर (चित्तूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

शिवनंजप्पा, श्री (मंडया)

शिवराज, श्री (चिंगलपट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

शुक्ल, श्री विद्याचरण (बलौदा बाजार)

शोभा राम, श्री (अलवर)

श्री नारायण दास, श्री (दरभंगा)

स

संगणा, श्री तो० (कोरापट—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
सदंदम्, श्री (नागपट्टिनम)
सक्सेना, श्री शिब्बन लाल (महाराजगंज—उत्तर प्रदेश)
सतीश चन्द्र, श्री (बरेली)
सत्य नारायण, श्री बिद्दिका (पार्वतीपुरम्—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
सत्यभामा देवी, श्रीमती (नवादा)
सम्पत्, श्री (नामक्कल)
सरदार, श्री भोली (सहरसा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सरहदी, श्री अजित सिंह (लुधियाना)
सहगल, सरदार अमर सिंह (जंजगीर)
साधूराम, श्री (जालन्धर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सामन्त, श्री सतीश चन्द्र (तामलुक)
सामन्तसिंहार, डा० न० चं० (भुवनेश्वर)
सालुंके, श्री बाला साहेब (खेड़)
साहू, श्री भगवत (बालासोर)
साहू, श्री रामेश्वर (दरभंगा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सिंह, श्री क० ना० (शहडोल—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
सिंह, श्री चन्डिकेश्वर शरण (सरगूजा)
सिंह, श्री दिग्विजय नारायण (पपरी)
सिंह, श्री दिनेश प्रताप (गोंडा)
सिंह, श्री प्रभु नारायण (चन्दौली)
सिंह, श्री बनारसी प्रसाद (मुंगेर)
सिंह, श्री महेन्द्र नाथ (महाराजगंज बिहार)
सिंह, श्री लैसराम अचौ (आन्तरिक मनीपुर)
सिंह, श्री सत्यनारायण (समस्तीपुर)
सिंह, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद—बिहार)
सिंह, श्री हर प्रसाद (गाजीपुर)
सिंहासन सिंह, श्री (गोरखपुर)
सिदय्या, श्री (मैसूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सिद्धनंजप्पा, श्री (हसन)
सिन्धिया, श्रीमती विजय राजे (गुना)
सिन्हा, श्री कैलाशपति (नालन्दा)

स—(क्रमशः)

सिन्हा, श्री गजेन्द्र प्रसाद (पालामऊ)
सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (बाढ़)
सिन्हा, श्री सारंगधर (पटना)
सुगन्धि, श्री सु० मु० (बीजापुर—उत्तर)
सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सुब्बरायन, डा० प० (तिरूचेंगोड)
सुब्रह्मण्यम्, श्री टेकुर (बेल्लारी)
सुमत प्रसाद, श्री (मुजफ्फर नगर)
सुल्तान, श्रीमती मैमूना (भोपाल)
सूपकार, श्री श्रद्धाकर (सम्बलपुर)
सूर्य प्रसाद, श्री (ग्वालियर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सेठ, श्री बिशन चन्द (शाहजहांपुर)
सेन, श्री अशोक कु० (कलकत्ता—उत्तर-पश्चिम)
सेन, श्री फणि गोपाल (पूर्निया)
सैलकू, श्री मारदी (पश्चिमी दीनाजपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
सैयद महमूद, उ० (गोपाल गंज)
सोनावने, श्री तयप्पा (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सोनुले, श्री हरिहरराव (नांदेड)
सोमानी, श्री ग० घ० (दौसा)
सोरेन, श्री देवी (दुमका—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
स्नातक, श्री नरदेव (अलीगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
स्वर्ण सिंह, सरदार (जालंधर)
स्वामी, श्री (चांदा)

ह

हंसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
हजरतवीस, श्री० रा० म० (भंडारा)
हजारिका, श्री जोगेन्द्र नाथ (डिब्रगढ़)
हरवानी, श्री अन्सार (फतेहपुर)
हाथी, श्री जयसुखलाल लालशंकर (हालर)
हाल्दर, श्री अन्सारी (डायमण्ड हार्बर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
हिनिटा, श्री हूवर (स्वायत जिले—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

ह—(क्रमशः)

हुक्म सिंह, सरदार (भटिंडा)
हेडा, श्री ह० चं० (निजामाबाद)
हेमराज, श्री (कांगड़ा)

लोक-सभा

अध्यक्ष

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार

उपाध्यक्ष

सरदार हुक्म सिंह

सभापति तालिका

पंडित ठाकुर दास भार्गव

डा० सुशीला नायर

श्री मूलचन्द दुबे

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

श्री नारायण गणेश गोरे

श्री जयपाल सिंह

सचिव

श्री महेश्वर नाथ कौल, बैरिस्टर-एट-ला

कार्य-मंत्रणा समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार—सभापति

सरदार हुक्म सिंह

पंडित ठाकुर दास भार्गव

श्री श्रीनारायण दास

श्री प्र० के० देव

श्री म० ला० द्विवेदी

श्री यादव नारायण जाधव

श्री जयपाल सिंह

श्रीमती सुभद्रा जोशी

श्री शिवराम रंगो राने

श्री तिरूमल राव

श्री सिद्धनंजप्पा

श्री लैसराम अचौ सिंह

श्री सत्य नारायण सिंह

श्री तंगामणि

विशेषाधिकार समिति

सरदार हुक्म सिंह—सभापति
श्री हेम बरुआ
श्री च० द० गौतम
श्री फतहसिंहजी घोड़ासर
श्री मी० रु० मसानी
श्री हरिश्चन्द्र माथुर
श्री हीरेन्द्रनाथ मुकर्जी
श्री च० द० पांडे
श्री शिवराम रंगो राने
श्री अशोक कु० सेन
श्रीमती जयाबेन वजूभाई शाह
श्री सारंगधर सिन्हा
श्री सत्य नारायण सिंह
डा० प० सुब्बरायन
श्री श्रद्धाकर सूपकार

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

श्री मूलचन्द दुबे—सभापति
श्री आचार
श्री अय्याकणु
श्री इगनेस बेक
श्री चपलकांत भट्टाचार्य
श्री बी० ल० चांडक
श्री षनमुघ गौंडर
श्री रामकृष्ण गुप्त
श्री सुरती किस्तैया
श्री वै० च० मलिक
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही
श्री राजेश्वर पटेल
श्री हरिश्चन्द्र शर्मा
श्री रुंगसुंग सुइसा
श्री बालकृष्ण वासनिक

प्राक्कलन समिति

श्री दासप्पा—सभापति

श्री प्रेमजी आसर

श्री बासप्पा

श्री चन्द्र शंकर

श्री दिनेश सिंह

श्री शम्भू चरण गोडसोरा

श्री हेडा

श्री यादव नारायण जाधव

श्री द० अ० कट्टी

श्री खुशवक्त राय

श्री भाउसाहेब रावसाहेब महागांवकर

रानी मंजुला देवी

श्री विभूति मिश्र

श्री गु० सि० मुसाफिर

श्री मुत्तुकृष्णन्

श्री कुट्टिकृष्णन् नायर

श्री जगन्नाथ प्रसाद पहाड़िया

श्री थानू पिल्ले

श्री पुन्नूस

श्री रघुनाथ सिंह

श्री नागी रेड्डी

श्री वुतुकुरू रामी रेड्डी

सरदार अमर सिंह सहगल

श्री सतीश चन्द्र सामन्त

श्री कैलाशपति सिन्हा

श्री तय्यपा हरि सोनावने

श्री सुन्दर लाल

श्री अ० मु० तारिक

श्री महावीर त्यागी

श्री मं० गा० उइके

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

पंडित ठाकुर दास भार्गव—सभापति

श्री सुब्बया अम्बलम

श्री बासप्पा

श्री दलजीत सिंह

श्री विभूति भूषण दास गुप्त

श्री गणपति राम

श्री कमल सिंह

श्री मोतीलाल मालवीय

डा० पशुपति मंडल

श्री नवल प्रभाकर

श्री त० ब० विट्ठल राव

श्री विश्वनाथ राय

श्री अनिरुद्ध सिंह

श्री अटल बिहारी वाजपेयी

श्री रामजी वर्मा

याचिका समिति

श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन—सभापति

श्री अब्दुल सलाम

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया

श्री जाल्जीभाई कोयाभाई डिन्डोड

श्री फतहसिंह घोड़ासर

पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी

श्री मं० रं० कृष्ण

श्री रामचन्द्र माझी

श्रीमती कृष्णा मेहता

श्री वासुदेवन नायर

श्रीमती उमा नेहरू

श्री फणिगोपाल सेन

श्री शिवनंजप्पा

श्री शिवराज

पंडित द्वारिका नाथ तिवारी

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

सरदार हुक्म सिंह —सभापति

श्री स० अ० अगाड़ी

श्री देवी सोरेन
श्री रामकृष्ण गुप्त
श्री ईश्वर अय्यर
श्री यादव नारायण जाधव
श्री कालिका सिंह
श्री सुरेन्द्र महन्ती]
डा० पशुपति मंडल]
श्री थानुलिंगम् नादर
श्री बालासाहेब पाटिल
श्री अमर सिंह सहगल]
श्रीमती जयाबेन वजूभाईशाह
श्री झूलन सिंह
श्री सुन्दर लाल

लोक लेखा समिति (१९६०-६१)

श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन—सभापति
श्री फीरोज गांधी]
श्री माणिकलाल मगनलाल गांधी
श्री र० सि० किलेदार]
श्री विनायक राव कोरटकर
श्री मनायन
श्री माने
श्री मतीन
श्री वै० च० मलिक
श्री नेसवी
श्री परुलकर
श्री पु० र० पटेल]
श्री राधा रमण
डा० सामन्त सिंहार
पंडित द्वा० ना० तिवारी

राज्य सभा

श्रीमती शारदा भार्गव
श्री जशौद सिंह विष्ट

श्री सुरेन्द्र माहन घोष

डा० श्रीमती सीता परमानन्द

श्री बी० सी० केशव राव

श्री मुल्क गोविन्द रेड्डी

श्री जसवन्त सिंह

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

सरदार हुक्म सिंह—**सभापति**

श्री बहादुर सिंह

श्री अरविन्द घोषाल

श्री न० रे० घोष

डा० कृष्णस्वामी

श्री क० भे० मालवीय

श्री नारायणन् कुट्टि मेनन

श्री मोहम्मद इमाम

श्री घनश्याम लाल ओझा

श्री करसन दास परमार

श्री रघुवीर सहाय

श्री क० स० रामस्वामी

श्री रामी रेड्डी

श्री अजित सिंह सरहदी

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह

सामान्य प्रयोजन समिति

श्री म० अन्नतशयनम् अय्यंगार—**सभापति**

सरदार हुक्म सिंह

श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन

पंडित ठाकुर दास भार्गव

श्री ब्रज राज सिंह

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

श्री श्री० अ० डांगे

श्री दासप्पा

श्री प्र० के० देव

श्री मूल चन्द दुबे
श्री गोरे
श्री जयपाल सिंह
आचार्य कृपालानी
डा० कृष्णस्वामी
श्री उ० श्री० मल्लय्या
डा० सुशीला नायर
श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्
श्री सत्य नारायण सिंह
श्री शिवराज
श्री याज्ञिक

आवास समिति

श्री उ० श्री० मल्लय्या—सभापति
श्री बैरो
श्री रोहनलाल चतुर्वेदी
श्री माणिकलाल मगनलाल गांधी
श्री खुशवक्त राय
श्रीमती पार्वती कृष्णन्
श्री महागांवकर
श्री राजेश्वर पटेल
श्रीमती सहोदराबाई राय
श्री जगन्नाथ राव
श्री स० चं० सामन्त
श्री राधेलाल व्यास

लाभपद सम्बन्धी संयुक्त समिति

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्—सभापति
डा० मा० श्री० अणे
श्री आसर
डा० क० ज० मेनन
श्री मुरारका
श्री ही० ना० मुकर्जी

श्रीमती उमा नेहरू

श्री राधा चरण शर्मा

श्री सिद्धनंजप्पा

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह

राज्य सभा

दीवान चमन लाल

श्री टी० एस० अविनाशलिंगम चेट्टियार

श्री एम० गोविन्द रेड्डी

डा० राजबहादुर गौड़

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह

संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते सम्बन्धी संयुक्त समिति

श्री सत्य नारायण सिंह—**सभापति**

श्री चपल कांत भट्टाचार्य

श्री लक्ष्मी नारायण भंजदेव

श्री नारायण गणेश गोरे

श्री दुराय स्वामी गौंडर

श्री कन्हैयालाल खादीवाला

श्री कोडियान

श्री उ० श्री० मल्लय्या

श्री रघुवर दयाल मिश्र

श्री दीवान चन्द शर्मा

राज्य सभा

श्री जसपत राय कपूर

श्री टीकाराम पालीवाल

श्री रोहित एम० देव

श्रीमती यशोदा रेड्डी

डा० डब्ल्यु० एस० बारलिंगे

नियम समिति

श्री म० अनन्त शयनम अय्यंगार—**सभापति**

सरदार हुक्म सिंह

श्री अमजद अली

पंडित ठाकुर दास भार्गव

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

श्री मी० रू० मसानी

श्रीमती उमा नेहरू

श्री घनश्याम लाल ओझा

श्री पु० र० पटेल

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्

श्री शंकरय्या

श्री सत्य नारायण सिंह

श्री शिवराज

श्री वाडीवा

श्री बालकृष्ण वासनिक

भारत सरकार

मंत्री-मंडल के सदस्य

प्रधान-मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति विभाग के भारसाधक मंत्री—श्री जवाहरलाल नेहरू

गृह-कार्य मंत्री —श्री गोविन्द बल्लभ पन्त

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री —श्री लाल बहादुर शास्त्री

रेलवे मंत्री—श्री जगजीवन राम

वित्त मंत्री—श्री मोरारजी देसाई

श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री —श्री गुलजारी लाल नन्दा

परिवहन तथा संचार मंत्री—डा० प० सुब्बरायन

विधि मंत्री —श्री अ० कु० सेन

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री —सरदार स्वर्ण सिंह

सिंचाई और विद्युत मंत्री—हाफिज मुहम्मद इब्राहीम

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री —श्री क० च० रेड्डी

खाद्य तथा कृषि मंत्री —श्री स० का० पाटिल

प्रतिरक्षा मंत्री—श्री वे० कृ० कृष्णमेनन

राज्य मंत्री

संसद्-कार्य मंत्री—श्री सत्य नारायण सिंह

सूचना और प्रसारण मंत्री—डा० बा० वि० केसकर

स्वस्थ्य मंत्री —श्री द० प० करमरकर

कृषि मंत्री—डा० पंजाब राव शा० देशमुख

खान और तेल मंत्री—श्री केशव देव मालवीय

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री—श्री मेहर चन्द खन्ना

वाणिज्य मंत्री—श्री नित्यानन्द कानूनगो

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री —श्री राज बहादुर

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री—श्री ब० ना० दातार

उद्योग मंत्री—श्री मनुभाई शाह

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री—श्री सुरेन्द्र कुमार डे

शिक्षा मंत्री—डा० का० ला० श्रीमाली

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री—श्री हुमायून् कबिर

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री—डा० बे० गोपाल रेड्डी

उपमंत्री

प्रतिरक्षा उपमंत्री—सरदार सुरजीत सिंह मजीठिया
श्रम उपमंत्री —श्री आबिद अली
निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री—श्री अनिल कु० चन्दा
कृषि उपमंत्री—श्री मो० वें० कृष्णप्पा
सिंचाई और विद्युत उपमंत्री—श्री जयसुख लाल लालशंकर हाथी
वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री —श्री सतीश चन्द्र
योजना उपमंत्री —श्री श्याम नन्दन मिश्र
वित्त उपमंत्री—श्री ब० रा० भगत
वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री—डा० मनमोहन दास
रेलवे उपमंत्री—श्री शाहनवाज खां
रेलवे उपमंत्री—श्री सें० वें० रामस्वामी
वैदेशिक-कार्य उपमंत्री—श्रीमती लक्ष्मी मेनन
गृह-कार्य उपमंत्री—श्रीमती वायलेट आल्वा
प्रतिरक्षा उपमंत्री—श्री कोत्ता रघुरामैया
असैनिक उड्डयन उपमंत्री —श्री मुहीउद्दीन
खाद्य तथा कृषि उपमंत्री—श्री अ० म० थामस
पुनर्वास उपमंत्री—श्री पू० शे० नास्कर
विधि उपमंत्री—श्री हजरनवीस
वित्त उपमंत्री—श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा
सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री—श्री ब० सू० मूर्ति

सभा-सचिव

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव—श्री सादत अली खां
वैदेशिक -कार्य मंत्री के सभा सचिव —श्री जो० ना० हजारिका
श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा सचिव —श्री ललित नारायण मिश्र
प्रतिरक्षा मंत्री के सभा सचिव—श्री फतेहसिंह राव प्रतापसिंहराव गायकवाड़
सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा सचिव—श्री आ० चं० जोशी
इस्पात, खान और इंधन मंत्री के सभा सचिव—श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा
सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री के सभा सचिव—श्री श्यामधर मिश्र

———

लोक-सभा

सोमवार, १ अगस्त, १९६०

१० श्रावण, १८८२ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता—दक्षिण पश्चिम)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

नेहरू-अयूब वार्ता

+

*१. श्री नरदेव स्नातक :
श्री प्र० गं० देब :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री स० अ० मेहदी :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री चिन्तामणि पाणिग्राही :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री आसर :
श्री सूपकार :
श्री विभूति मिश्र :
श्री कालिका सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने लन्दन में पाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ संयुक्त और प्रतिरक्षा के बारे में बात-चीत की थी ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ;

(ग) क्या बातचीत के दौरान काश्मीर पर भी चर्चा हुई थी; और

(घ) यदि हां, तो क्या निकट भविष्य में उनके बीच और बातचीत होने की सम्भावना है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) से (ग). ४ मई १९६० को लंदन में राष्ट्रपति अयूब खां ने प्रधान मंत्री को मध्याह्न-भोज पर निमंत्रित किया था। कोई लम्बी-चौड़ी बातचीत नहीं हुई और न उस समय सुरक्षा और प्रतिरक्षा या कश्मीर के सवालों पर ही कोई चर्चा हुई ।

(घ) जब कभी कोई समुचित अवसर मिलेगा तो प्रधान मंत्री, राष्ट्रपति अयूब खां से फिर मुलाकात करने के अवसर का स्वागत करेंगे।

श्री नरदेव स्नातक : क्या माननीय प्रधान मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यदि इन दोनों देशों की संयुक्त सुरक्षा और प्रतिरक्षा एक हो जांय तो उससे अपने देश को क्या हानि अथवा क्या लाभ होने की सम्भावना है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : माननीय सदस्य को मैं कहूंगा कि वह जो इस मजमून पर अक्सर लोक-सभा के डिबेट्स में जो चर्चा हुई है उसको पढ़ लें तो वह इस सवाल को समझ जायेंगे।

†**श्री सूपकार** : चर्चा के मुख्य विषय क्या थे ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : श्रीमान् कोई मुख्य विषय न था। केवल सहायक विषय थे ।

†**श्री त्यागी** : पाकिस्तान के साथ बहुत समय से बिगड़े हुए हमारे संबंधों की दृष्टि से क्या वैदेशिक-कार्य मंत्रालय हमारे पारस्परिक मामलों को निपटाने के लिये कोई पहल कर रहा है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : कई मामले हैं। कुछ का सम्बन्ध वित्त, वित्त मंत्रालय से है और वे निरन्तर पत्र व्यवहार कर रहे हैं। एक बड़ा मामला नहरी पानी का है और हम उस पर कार्यवाही कर रहे हैं। पिछले दो तीन महीनों में हमें आशा रही है कि अन्तिम बात-चीत समाप्त हो जायेगी। वास्तव में सारे बड़े मामले निश्चित हो गये थे। फिर, अन्तरिम काल के बारे में कुछ तर्क रखे गये। मेरा विचार था कि वे भी क्रियात्मक रूप में समाप्त हो गये हैं। परन्तु स्पष्ट है कि ये अभी समाप्त नहीं हुए हैं। आशा है कि उनके समाप्त होने पर वह मामला तय हो जायेगा।

डा० राम सुभग सिंह : मूल प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि जब कभी कोई समुचित अवसर मिलेगा तो प्रधान मंत्री राष्ट्रपति अयूब खां से फिर मुलाकात करने के अवसर का स्वागत करेंगे तो क्या मैं जान सकता हूं कि अब तक जितनी बातों पर पाकिस्तान के साथ चर्चा की गई है उन बातों के अलावा क्या कोई ऐसी नई बात प्रधान मंत्री जी या भारत सरकार के दिमाग में आ रही है जिन पर कि बात करना अगली वार्ता में मुनासिब समझा जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह कहना मुश्किल है कि मजमून पर बातचीत होगी । मेरा इरादा यह था कि जिस वक्त यह कैनाल वाटर का मसला हल हो जाय और उसके समझौते पर दस्तखत करने के लिये मैं पाकिस्तान जाऊं तो उस मौके पर और जो भी दूसरी बातें उठें उन पर बातचीत करूं क्योंकि इंकार तो किसी बात को करने के लिये किसी को हो नहीं सकता ।

†**श्री अ० मु० तारिक :** क्या भारत के प्रधान मंत्री और फील्ड मार्शल अयूब खां में इण्डिया आफिस लाइब्रेरी के हस्तान्तरण के प्रश्न पर बातचीत हुई थी ; और यदि हां, तो लाइब्रेरी का हस्तान्तरण किस प्रकार होगा ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** इस बात से मेरे साथी सांस्कृतिक-कार्य मंत्री का सम्बन्ध अधिक है । मैं समझता हूं कि उनसे कुछ बात चीत हुई थी । साधारणतया पाकिस्तान और भारत सरकार का एकसा विचार है और हमने अपना मत ब्रिटिश सरकार को बता दिया है ।

†**श्री प्र० गं० देव :** क्या यह सच है कि पाकिस्तान के प्रेसीडेन्ट ने हाल में इस दृष्टि से हमारे प्रधान मंत्री से मिलने की उत्सुकता घोषित की थी कि भारत के साथ अनिश्चित पड़े मामलों को शीघ्र निपटा दिया जाये ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह सामान्य प्रश्न है । श्री पाणिग्रही ।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्राही :** क्या वह प्रस्ताव जो पाकिस्तान के प्रेसीडेन्ट ने भारत की संयुक्त सुरक्षा के बारे में भेजा था, प्रधान मंत्री ने पूर्णतया अस्वीकार कर दिया है या वह अब भी विचाराधीन है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** हमें प्रस्ताव भेजने का ही कोई प्रश्न न था और इसलिये अस्वीकार करने का भी प्रश्न नहीं है । भाषणों आदि में इस बात का उल्लेख हुआ है । इसी प्रकार अनौपचारिक रूप में बताया गया है कि इसके लिए समान विदेश नीतियों का होना आवश्यक है । स्पष्ट है कि यदि एक देश किसी गुट-विशेष से मिला हुआ है और अन्य नहीं मिले हैं तो इससे विदेश नीति के मामलों में कुछ कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं । भूगोल तथा अन्य दृष्टि से अभी प्रतिरक्षा का यह प्रश्न नहीं उठता है । परन्तु दोनों ये देशों के लिए यह लाभप्रद है कि यदि उनके बीच कोई तनाव हो तो वह मिट जावे ।

†**सरदार अजित सिंह सरहदी :** क्या काश्मीर में जनमत संग्रह की मांग वापस लेने के सम्बन्ध में पाकिस्तान के प्रेसीडेन्ट से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कोई सुझाव आया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** व्यक्तियों के वक्तव्यों के आधार पर पूछे गये प्रश्नों का उत्तर देना कठिन है । इस बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है ।

श्री विभूति मिश्र : यूनाइटेड स्टेट्स हिन्दुस्तान का भी मित्र है और पाकिस्तान का भी मित्र है तो क्या यूनाइटेड स्टेट्स ने हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच काश्मीर के सम्बन्ध में और जाएंट डिफेंस के बारे में कोई समझौता हो जाय इसके लिये हमारे प्रधान मंत्री जी को क्या कोई परामर्श दिया है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी नहीं कोई इसका इशारा नहीं हुआ ।

†**राजा महेन्द्र प्रताप :** छोटी छोटी बातों में वक्त क्यों बर्बाद किया जाये ? क्या देश के दो टुकड़ों को फिर से जोड़ने का विचार बेहतर न होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : श्री स० मो० बनर्जी ।

†श्री स० मो० बनर्जी क्या पाकिस्तानी हवाई अड्डों का अमरीका द्वारा प्रयोग किये जाने के बारे में प्रधान मंत्री ने पाकिस्तान के प्रेसीडेन्ट से कोई अनौपचारिक बातचीत की थी और यदि हां, तो उस पर श्री अयूब खां की क्या प्रतिक्रिया थी ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : इस विषय पर औपचारिक या अनौपचारिक कोई वार्ता नहीं हुई ।

†श्री हेम बरुआ : क्या जून के "फोरिन अफेयर्स क्वार्टरली" में छपे जनरल अयूब खां के उस लेख की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान आकर्षित किया गया है जिसमें उन्होंने भारत के नेताओं पर सत्यवाद और न्याय की भावना से रहित होने का आरोप लगाया है ? यदि हां, तो क्या यह आरोप उस समय भी लगाया था जब हमारे प्रधान मंत्री जनरल अयूब खां से मिले थे और उनके साथ कुछ सहायक विषयों पर चर्चा की थी ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे खेद है कि मैंने यह लेख नहीं पढ़ा है ।

श्री ब्रजराज सिंह : श्रीमान्, क्या प्रधान मंत्री का ध्यान पत्रों में छपे उन समाचारों की तरफ खींचा गया है, जो कि राज्य सभा के एक सदस्य डा० रघुवीर और सर्वोदय नेता, श्री जय प्रकाश नारायण की प्रेज़िडेंट अयूब खां से मुलाकातों के बारे में हैं ? क्या उन्होंने प्रधान मंत्री को भारत-पाकिस्तान की संयुक्त सुरक्षा संधि के सम्बन्ध में अपने कोई विचार या सुझाव पेश किए हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैंने कुछ समाचारपत्रों में इस के बारे में कुछ पढ़ा था । उस के अलावा मेरे पास कोई सूचना नहीं आई है ।

†श्री बा० चं० कामले : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि काश्मीर समस्या कितने समय में निपट जायेगी ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं यह नहीं बता सकता ।

"पीकिंग रिव्यू"

†*२. { +श्री प्र० गं० देब :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ भारतीय समाचारपत्रों में प्रकाशित "पीकिंग रिव्यू" के विज्ञापन देखे हैं ;

(ख) क्या सरकार को ज्ञात है कि इस पत्र में भारत-चीन विवाद से सम्बन्धित ऐसी बातें छापी जाती हैं जो भारत के हितों के विरुद्ध होती हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) तथा (ग). १९५९ के वर्ष में इस पत्रिका के कुछ अंकों में भारत-विरोधी मत प्रकाशित थे थे। नवम्बर, १९५९ में समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन भारत सरकार की अधिसूचना जारी हुई हैं और उससे ऐसी साहित्य, मानचित्रों, आदि का आयात वर्जित हो गया है जिनमें भारत सरकार द्वारा बताई गई सीमा को गलत बताया जाता हो। इसके बाद इस अधिसूचना का उल्लंघन करने वाला पत्रिका कोई भी अंक नहीं आया है।

†**श्री प्र० गं० वेब** : "पीपल्स पब्लिशिंग हाउस' "पीकिंग रिव्यू" की कितनी प्रतियां भारत में मंगाता है ?

†**श्री सादत अली खां** : मुझे कोई जानकारी नहीं है।

†**डा० राम सुभग सिंह** : भारत के कितने अखबारों ने "पीकिंग रिव्यू" का वह विज्ञापन छापा था और क्या उन्होंने भारत सरकार को आश्वासन दिया है कि वे भविष्य में ऐसा कोई विज्ञापन न छापेंगे ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : न्यू एज, स्वाधीनता (बंगला), हिन्दू (अंग्रेजी), मद्रासी; स्टेट्समेंन (अंग्रेजी) कलकत्ता व दिल्ली; टाइम्स आफ इण्डिया, दिल्ली व बम्बई; हिन्दुस्तान टाइम्स, दिल्ली; नव भारत टाइम्स, दिल्ली व बम्बई; नवनीत (हिन्दी), दिल्ली; आर्यवर्त, दिल्ली; हिन्दुस्तान (हिन्दी) दिल्ली; सेवा ग्राम (हिन्दी) दिल्ली; सरिता (हिन्दी), दिल्ली; नई कहानियां (हिन्दी) दिल्ली; बिल्ट्ज बम्बई; इल्लुस्ट्रेटेड वीकली बम्बई, ; धर्मयुग (हिन्दी) बम्बई ; विशालान्ध्र (तेलगू), आन्ध्र; जनयुगम (मलयालम), केरल; फ्री प्रेस जरनल (अंग्रेजी), मद्रास; डेली जागरन (हिन्दी), लखनऊ; नवजीवन (हिन्दी), लखनऊ ; माया (हिन्दी), इलाहाबाद; ज्वाला (हिन्दी), जयपुर ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या सरकार का ध्यान भारत से समाचार भेजने वाले चीनी संवाददाताओं की अवांछनीय कार्यवाही की ओर आकर्षित किया गया है कि वे देश से बाहर झूठी व निराधार खबरें भेजते हैं ?

† **श्री जवाहरलाल नेहरू** : हां, श्रीमन : एक न्यूज़ एजेन्सी द्वारा भारत से बाहर भेजी गई खबरों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है। हमें ये खबरें सर्वथा झूठ और कभी एकदम निराधार प्रतीत होती हैं। इसी कारण सरकार ने इस मामले में यह कार्यवाही की कि प्रवेश पत्र की अवधि समाप्त होने पर उसे और नहीं बढ़ाया।

सेठ गोविन्द दास : क्या माननीय प्रधान मंत्री जी को मालूम है कि पीकिंग रीव्यू के विज्ञापनों के सिवा भी कुछ पत्र, विशेषकर साम्यवादी पत्र, इस प्रकार की सामग्री छापते हैं, जो कि भारत के विरुद्ध और चीन के पत्र में परिस्थिति उत्पन्न करे ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी हां, उनका पेशा यही है।

सेठ गोविन्द दास : तो क्या इस पेशे के बाबत कुछ विचार किया जा रहा है कि उस के बारे में क्या किया जा सकता है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : विचार तो बहुत होता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि अब भी देश में ज़हर उगलने वाली पत्रिकायें आदि आती हैं और यदि हां, तो सरकार ने उन्हें आने तथा इनका परिचालन से रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : विभिन्न कार्यवाही की गई है।

†श्री वाजपेयी : क्या सरकार ने विदेशी एजेंसियों के भारतीय प्रेस में छपने वाले विज्ञापनों के संबंध में कोई निश्चित नीति बनाई है और क्या इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग रोकने के लिए कोई कार्यवाही की जायेगी ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : वास्तव में मेरा ख्याल है कि इस मामले से मेरे जिन साथी का संबंध है उन्होंने इस प्रश्न पर कभी भी विशेष ध्यान नहीं दिया है। अभी मैं यह नहीं बता सकता कि इसमें क्या कार्यवाही की जा सकती है। विज्ञापनों के अतिरिक्त छपाई के बड़े ठेके देना और सामान्य लागत से कहीं अधिक भुगतान करना भी एक तरीका है। यदि कोई किसी की सहायता करना चाहे तो उसके अनेकों तरीके हैं।

†श्री आसर : क्या सरकार को विदित है कि कुछ राज्य सरकारों ने 'पीकिंग रिव्यू' के आने पर रोक लगा दी है ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे यह ज्ञात नहीं है।

†श्री प्र० गं० देब : क्या यह सच है कि 'पीकिंग रिव्यू' ने हाल में ही नेपाल के साम्यवादी दल द्वारा किये वक्तव्य तथा मानचित्र छापे थे ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू मैं नहीं जानता।

बेरोजगारों की सहायता के लिये निधि

\+

†*३. श्री अ० मु० तारिक :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री १७ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १९९ के उत्तर के सबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ते बेरोजगारों की सहायता के लिये केन्द्र तथा राज्यों में एक निधि बनाने के प्रस्ताव की जांच कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) तथा (ख). कारखानों इत्यादि के बंद होने से बेकारी को रोकने एवम् इस प्रकार बेकार होने वाले व्यक्तियों को पुनः काम दिलाने में सहायता देने के लिए निधि बनाने का सुझाव अभी विचाराधीन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी :** १७ फरवरी, १९६० को भी यही उत्तर दिया गया था। क्या इस मामले में कोई प्रगति हुई है या मामला जहां का तहां है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि निधि बनाई जाये आगे क्या कार्यवाही की गई है?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा) :** हां, श्रीमान। कुछ समय पहिले भारतीय श्रम सम्मेलन के एक सत्र में यह विचार रखा गया था और यह माना गया था कि इस पर विचार किया जाय। संबंधित मंत्रालयों से परामर्श किया जा रहा है।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या यह निधि केवल उन व्यक्तियों के लिए होगी जो छंटनी में निकाल दिया जाते हैं या जिनकी नौकरी कारखानों को बन्द होने के कारण समाप्त कर दी जाती या उनके लिए होगी जिनके नाम काम दिलाऊ दफ्तरों में लिखे हुए हैं?

†**श्री नन्दा :** नहीं, श्रीमान। यह बेकार व्यक्तियों के अकर्म वेतन के स्थान पर नहीं होगी। इसका उद्देश्य एकदम भिन्न है और यह है कि हमें कारखानों में तालाबन्दी रोकने और टाली जा सकने वाली बेकारी को रोकना चाहिये। परेशानियों में फंसी ऐसे यूनिटों को, जो बिन सहायता के बंद होने वाली हों, समय पर सहायता देने के लिए, कारखानों को अपने हाथ में लेने तथा चलाने एवं ऐसे बेकार व्यक्तियों को पुनः काम देने के लिए किया जायेगा जो अन्यथा उस उद्योग में न रखे जा सकें।

†**श्री तंगामणि :** क्या सरकार को विदित है कि केन्द्र में कुछ प्रस्ताव बनाये गये थे और विभिन्न राज्य सरकारों से प्रार्थना की गई थी कि तालाबन्दी के परिणामस्वरूप या अन्य किसी प्रकार से बेकार हो गये कर्मचारियों को बसों में यात्रा करने की सुविधा दी जाय? क्या किसी राज्य सरकार ने इसका पालन किया है?

†**श्री नन्दा :** यह प्रश्न इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री दासप्पा :** क्या किसी पूर्वी या पश्चिमी देश में ऐसी योजना है?

†**श्री नन्दा :** हां, श्रीमान। अनेक देशों ने यह ढंग अपनाया है।

†**श्री सोनावाने :** इस निधि के बनाने में कितना समय लगेगा और क्या यह योजना धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू की जायेगी जहां से खतिहर मज़दूरों को कोई रोजगार नहीं मिलता?

†**श्री नन्दा :** प्रश्न के प्रथम भाग के बार में उत्तर यह है कि हम इस पर यथा शीघ्र निश्चय करने का प्रयत्न कर रहे हैं परन्तु मैं यह नहीं कह सकता कि इसमें कितना समय लगेगा। ग्रामीण समस्याओं पर भिन्न आधार पर विचार किया जाता है।

†**श्री सरजू पाण्डेय :** अभी माननीय मंत्री जी ने बताया है कि यह प्रस्ताव विचाराधीन है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से उनकी इस विषय में सम्मतियां मांगी हैं या नहीं मांगी हैं और अगर मागीं हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि किन-किन राज्यों सरकारों ने अपनी सम्मितियां भेजी हैं और वे क्या हैं?

†**श्री नन्दा :** हां, श्रीमान। हमने राज्यों का मत मांगा है और कुछ राज्यों ने अपने विचार भेज दिये हैं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

श्री सरजू पाण्डेय : किन-किन राज्यों सरकारों ने अपनी सम्मतियां भेजी हैं ?

†**श्री नन्दा** : कान्फ्रेंस में भी जिसमें सभी राज्यों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं परामर्श हुए थे। अतः मैं तत्काल यह नहीं बता सकता कि प्रत्येक राज्य का उत्तर क्या था ?

†**श्री साधन गुप्त** : यह निधि कैसे बनाई जायेगी और इसे बनाने के कितने विभिन्न प्रस्ताव हैं ?

†**श्री नन्दा** : एक प्रस्ताव यह होगा कि यह निधि अंशदायी हो, अर्थात उद्योग, कर्मचारी और सरकार थोड़ा थोड़ा अंश दें। अभी हमने निधि में अंश देने का ठीक ढंग निश्चित नहीं किया है।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि फंड के द्वारा स्टेट्स में कितने आदमियों को काम मिलेगा और सेंटर में कितने आदमियों को काम मिलेगा और इससे किस हद तक अन-एम्पलायमेंट हल होगी ?

†**श्री नन्दा** : मैं अभी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता क्योंकि हम अभी इसके सिद्धान्तों पर विचार कर रहे हैं।

श्री राम सिंह भाई वर्मा : क्या यह सही है कि नैनीताल इंडियन लेबर कान्फ्रेंस में इस विषय के ऊपर चर्चा हुई है और उसके बाद इस पर कोई विचार नहीं किया गया ?

श्री नन्दा : मैंने इसका उत्तर दे दिया है कि इस पर विचार हुआ है और हो रहा है।

पाकिस्तान द्वारा जम्मू तथा काश्मीर की सम्पत्ति की नीलामी

+

†*४. { **श्री अ० मु० तारिक** :
सरदार इक़बाल सिंह :
श्री राम कृष्ण गुप्त : }

क्या **प्रधान मंत्री** १६ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १५१८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तान सरकार द्वारा पाकिस्तान में जम्मू तथा काश्मीर राज्य की कुछ सम्पत्ति की नीलामी के बारे में आगे जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान सरकार द्वारा पाकिस्तान में ऐसी किसी सम्पत्ति की नीलामी की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस विषय में भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) तथा (ख). आगे और पूछताछ की गई थी और सरकार का विचार है कि पाकिस्तान में स्थित जम्मू तथा काश्मीर राज्य की कोई सम्पत्ति अब तक नीलाम नहीं की गई है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री अ० मु० तारिक : क्या तथाकथित आजाद काश्मीर सरकार ने काश्मीर सरकार की कोई सम्पत्ति नीलाम की थी और यदि हां तो, हमारी सरकार ने क्या कार्यवाही की थी?

†श्री सादत अली खां : नहीं, श्रीमान? हमें कोई जानकारी नहीं है।

प्रधान मंत्री की गाजा यात्रा

+

†*५.
- श्री अ० मु० तारिक :
- श्री राम कृष्ण गुप्त :
- श्री नवल प्रभाकर :
- श्री स० मो० बनर्जी :
- श्री रामेश्वर टांटिया :
- श्री पहाड़िया :
- श्री अजित सिंह सरहदी :
- श्री रघुनाथ सिंह :
- श्री प्र० के० देव :
- श्री विभूति मिश्र :
- श्री रामी रेड्डी :
- श्रीमती मफीदा अहमद :
- श्री बाल कृष्ण वासनिक :
- श्री पुन्नूस :
- श्री मोहम्मद इलियास :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वायुयान में जब वह गाजा की यात्रा पर थे तब उनके वायुयान के ऊपर तीन इजरायली जेट विमानों ने उड़ान की थी; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

†वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) तथा (ख). प्रधान मंत्री संयुक्त राष्ट्र संघ के जिस वायुयान में गाजा जा रहे थे उसके पास इजरायल के लड़ाकू वायुयानों उड़ान तो की थी। यह कार्य एकदम अनुचित प्रतीत होता है परन्तु सरकार का विचार है कि इस पर कार्यवाही करनी संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्य है। इस घटना के लिये संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने प्रधान मंत्री से खेद प्रकट किया है और अब यह मामला हमारे लिए समाप्त हो गया है।

†श्री अ० मु० तारिक : क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के महासिचिव ने इज़रायल की सरकार को लिखा था और इस कार्य का विरोध किया था और क्या उन्हें इज़रायल की सरकार का कोई उत्तर मिला था?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : हां, श्रीमान। संयुक्त राष्ट्र संघ के महा सचिव ने इज़रायल की सरकार से इस बारे में पत्र व्यवहार किया था और उन्हें उसका उत्तर भी प्राप्त हुआ था।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री रघुनाथ सिंह : उड़ान का क्या उद्देश्य था ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं लोगों की दिल की बात के बारे में कैसे बता सकता हूं।

कागज की कमी

+

†*६. श्री वितामणि पाणिग्राही :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री राम गरीब :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई के प्रथम सप्ताह में दिल्ली में कागज उद्योग और व्यापार प्रतिनिधियों का जो सम्मेलन हुआ था, उसने कागज की कमी तथा उसके अव्यवस्थित वितरण की शिकायतों को दूर करने के मार्गोपायों के बारे में सुझाव दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किये गये हैं ; और

(ग) अब तक वे निर्णय कहां तक कार्यान्वित किये गये हैं ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

कागज़ की कीमतों, उत्पादन और वितरण सम्बन्धी समस्याओं पर चर्चा करने के लिये कागज उद्योग, कागज़ के व्यापारियों और उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन ३ मई, १९६० को बुलाया गया था। सम्मेलन में इस बात पर बल दिया गया कि कागज और पेपर बोर्ड की कीमतों को प्रशुल्क आयोग द्वारा सिफारिश किये गये और सरकार द्वारा स्वीकृत स्तर तक बनाये रखने आवश्यक है। उद्योग से भी अनुरोध किया गया कि वे अपने उत्पादों के स्तर को कायम रखते हुए उत्पादन में वृद्धि करें और कागज के, जो कि जीवन की मुख्य आवश्यकताओं में से एक है, वितरण की प्रणाली का पुनर्गठन इस प्रकार करें कि कागज देश के प्रत्येग भाग में उचित मूल्यों पर प्राप्त हो सके। सुझाव मांगे जाने पर कागज के उत्पादन और उसके वितरण के सम्बन्ध में दो उपसमितियों का गठन किया गया। इन उप-समितियों की बैठक दो बार हो चुकी है।

कागज़ के उत्पादन में वृद्धि हो रही है और उचित मूल्य पर कागज़ का वितरण सामूहिक रूप से संतोषजनक ढंग से हो रहा है।

†श्री वितामणि पाणिग्राही : क्या मैं जान सकता हूं कि वितरण करने की वर्तमान व्यवस्था कायम रखी गयी है अथवा उसमें कुछ सुधार किया गया है ?

†श्री मनुभाई शाह : इस व्यवस्था में निरन्तर बहुत से सुधार किये जा रहे हैं। उत्पादन और अनुज्ञप्ति क्षमता में काफी वृद्धि हुई है और इसी प्रकार वितरण की क्षमता भी बढ़ गयी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : दो समितियां बनायी गयी हैं जिनमें से एक कागज के वितरण के लिये है। क्या मैं जान सकता हूं कि कागज का वितरण करने सम्बन्धी समितियों में किन किन लोगों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है ?

†श्री मनुभाई शाह : इसमें दो प्रतिनिधि निर्माताओं के हैं और दो प्रतिनिधि कागज का वितरण करने वालों के। समिति के सभापति मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव हैं।

†श्री तंगामणि : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या कागज के वितरण सम्बन्धी उप-समिति की किसी बैठक में स्कूलों को आगे से अधिक कागज देने के प्रश्न पर विचार किया गया था ; और यदि हां, तो वर्ष १९६०-६१ में उन्हें कितना अधिक कागज दिया जा रहा है ?

†श्री मनुभाई शाह : सभा को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि प्रयत्नों के फलस्वरूप, जिनमें इस समिति की कोशिशें भी शामिल हैं, चालू वर्ष में कागज के उत्पादन में ६०,००० टन वृद्धि हुई है अर्थात २९०,००० टन से बढ़ कर ३५०,००० टन हो गया है। इसी प्रकार प्रशुल्क आयोग की रिपोर्ट के परिणामस्वरूप वितरण की व्यवस्था में भी पर्याप्त सुधार हुआ है।

†श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या मैं जान सकता हूं कि विभिन्न राज्यों में हाल ही के कुछ महीनों में छपाई के सफेद कागज़ के मिलने में कठिनाई होने के सम्बन्ध में सम्बन्धित राज्य सरकारों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

†श्री मनुभाई शाह : कुछ महीने पहले ऐसा था किन्तु हाल ही में ऐसी कोई बात नहीं थी।

†श्री बालार : कागज की किस खास किस्म की कमी है और चालू वर्ष में कितनी अनुज्ञप्तियां दी गयी हैं ?

†श्री मनुभाई शाह : वास्तविक कमी तो छपाई के सफेद कागज की है और अब तक तीसरी योजना में १९६५-६६ के लक्ष्य से अधिक की अनुज्ञप्तियां दी जा चुकी हैं।

†श्री महावीर त्यागी : क्या सरकार को यह पता है कि देहरादून की वन गवेषणा संस्था में जो कागज बनाने का संयंत्र लगाया गया है, वह कई वर्षों से बिल्कुल बेकार पड़ा है ?

†श्री मनुभाई शाह : अभी हाल ही में माननीय सदस्य महोदय और मैं उस संस्था में गये थे और हमने उस संयंत्र को देखा था। हमने संस्था के अधिकारियों से उस संयंत्र को अधिक से अधिक चलाने के लिये कहा था। किन्तु उस संयंत्र का मुख्य कार्य नियमित रूप से व्यापारिक आधार पर कागज का उत्पादन करना नहीं बल्कि देश में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के "सैलुलोसिक" रेशों पर अनुसन्धान करना है।

†श्री आसार : क्या मैं जान सकता हूं कि वितरण समिति के कार्य का क्या स्वरूप है और वितरण कार्य के सम्बन्ध में उन्हें क्या अधिकार प्राप्त हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मनुभाई शाह : उनका कार्य विवतरण को विनियमित करना और यदि किसी राज्य अथवा स्थानीय क्षेत्र से कोई शिकायत आये तो निर्माताओं और वितरकों से सम्पर्क स्थापित करके मामले को सुलझाना है।

सेठ गोविन्द दास : यह कब तक आशा की जा सकती है कि हमारे यहां जो कागज की कमी है वह पूरी हो जाएगी ? हर वर्ष कितना उत्पादन बढ़ता जाएगा, कोई इसकी योजना सरकार के सामने है ?

श्री मनुभाई शाह : मैंने पहले बताया है कि साढ़े तीन लाख टन दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्यांक था, उसको हम सात लाख टन तक फिजिकल प्राडक्शन को ले जा रहे हैं। और हिस्सों में तीसरे प्लान के अन्दर कहीं रेट आफ डिवेलेपमेंट १० परसेंट रखा गया है, कहीं १५ परसेंट रखा गया है लेकिन कागज चूंकि रोजाना काम की चीज है और यह एक जरूरी चीज है, उसमें २० परसेंट रखा गया है और प्राडक्शन डबल करने की बात हम ने सोची है।

†श्रीमती इला पाल चौधरी : मंत्री महोदय के उत्तर को देखते हुए कि कागज के उत्पादन में वृद्धि हुई है, क्या मैं जान सकती हूं कि क्या हम अखबारी कागज के सम्बन्ध में आत्म-निर्भर हो चुके हैं; और यदि नहीं, तो अभी तक हम कितने अखबारी कागज का आयात करते हैं ?

†श्री मनुभाई शाह : यह एक सर्वथा पृथक प्रश्न है। इसका सम्बन्ध छपाई के सफेद कागज से था। अखबारी कागज की अभी तक हमारे यहां बहुत अधिक कमी है। हमें १२०,००० टन अखबारी कागज की आवश्यकता होती है और उत्पादन केवल ३०,००० टन है।

†श्री दासप्पा : क्या मैं जान सकता हूं कि कागज के गूदे के निर्माण के लिये आवश्यक कच्चे पदार्थों का अधिक उत्पादन करने के लिये या कार्यवाही की जा रही हैं ?

†श्री मनुभाई शाह : कागज के और कागज रूपान्तरण के सभी संयंत्र पूर्ण रूप से एकीकृत संयंत्र हैं जिनमें गूदे का निर्माण भी होता है।

पाकिस्तान को चाय का निर्यात

\+

*†७. { श्री अ० क० गोपालन :
श्री वासुदेवन् नायर :
श्री वारियर :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, १९६० से पाकिस्तान द्वारा चाय पर उत्पादन-शुल्क ६ आने प्रति पौंड से बढ़ा कर १० आने प्रति पौंड किये जाने के फलस्वरूप उस देश को जाय के निर्यात में कितनी कमी आई है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : पाकिस्तान में उत्पादन-शुल्क के बढ़ाये जाने से हमारे देश से पाकिस्तान के चाय के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री रघुनाथ सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या पाकिस्तान ने उत्पादन-शुल्क में वृद्धि केवल भारत के सम्बन्ध में की है अथवा पाकिस्तान को चाय का निर्यात करने वाले अन्य देशों के सम्बन्ध में भी ?

†श्री सतीश चन्द्र : उत्पादन-शुल्क निर्यात पर बिल्कुल नहीं, बल्कि उत्पादन पर है ।

†श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता था कि क्या इसका संबंध सभी निर्यात करने वाले देशों से है अथवा भारत से ?

†श्री सतीश चन्द्र : पाकिस्तान ने उत्पादन-शुल्क सम्भवत: अन्दरूनी लागत को कम करने के लिये लगाया है ताकि अन्य देशों का निर्यात करने के लिये अधिक चाय उपलब्ध हो सके।

†श्री वासुदेवन नायर : उत्पादन-शुल्क में वृद्धि केवल अप्रैल, १९६० से की गयी थी इसलिये हो सकता है कि उससे हमारे निर्यात पर प्रभाव न पड़ा हो, किन्तु मैं जानना चाहता चाहता हूं कि भारत सरकार का भविष्य के सम्बन्ध में क्या अनुमान है? क्या इसका हमारे निर्यात पर कोई प्रभाव पड़ेगा अथवा नहीं ; यदि और हां, तो सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†श्री सतीश चन्द्र : पाकिस्तान के उत्पादन-शुल्क का भारत से पाकिस्तान को अथवा किसी अन्य देश को होने वाले निर्यात से कोई सीधा सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता। इन दोनों के बीच कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है। उत्पादन शुल्क में वृद्धि करने का उद्देश्य पूर्णतया भिन्न होता है।

† श्री अ० क० गोपालन : इस वर्ष १ जनवरी से ३१ मार्च तक १ अप्रैव से ३० जून तक चाय का क्रमश: कितना निर्यात किया गया ?

† श्री सतीश चन्द्र : पाकिस्तान को :

† श्री अ० क० गोपालन : जी, हां।

† श्री सतीश चन्द्र : पाकिस्तान को हमारा निर्यात बड़ा सन्तोषजनक रहा है। १९५९ में, जिसके आंकड़े मेरे पास हैं, हमने पाकिस्तान को ७०,००० पौंड "क्वालिटी' चाय का निर्यात किया है किन्तु इस वर्ष के पहले पांच महीनों में ही हम ५७,००० पौंड का निर्यात कर चुके हैं।

† श्री साधनगुप्त : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उनके द्वारा केवल उत्पादन शुल्क लगाया गया है अथवा आयात प्रति शुल्क भी लगाया गया है ?

†श्री सतीश चन्द्र : मैं प्रश्न को समझ नही सका।

†अध्यक्ष महोदय : सदस्य महोदय यह जानना चाहते हैं कि क्या उत्पादन शुल्क के अतिरिक्त आयात प्रति शुल्क[1] भी लगाया गया है।

† श्री सतीश चन्द्र : जी नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Countervailing Import Duty.

भारत में अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह

+

†*८. श्री वासुदेवन् नायर :
श्री वारियर :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री १६ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १५२८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन करने के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ है ?

†सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा-सचिव (श्री आ० चं० जोशी) : (क) और (ख) भारत में अक्तूबर–नवम्बर, १९६१ में एक अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के आयोजन का प्रस्ताव विचाराधीन है ?

†श्री वासुदेवन नायर : क्या सरकार ने किन्ही अन्य देशों से इस विषय में वार्ता की है और यदि हां, तो इस फिल्म समारोह में कौन कौन से देश भाग ले रहे हैं।

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : प्रस्ताव अब भी विचाराधीन है और जब तक हम अपने प्रस्ताव को अन्तिम रूप न दे दें तब तक हम अन्य देशों से इस विषय में कुछ नहीं कहेंगे।

†श्री अन्सार हरवानी : क्या सरकार को यह मालूम है कि इस देश के कुछ फिल्म निर्माता भारत सरकार की उपेक्षा कर विभिन्न फिल्म समारोहों में सम्मिलित होते हैं और यदि हां, तो इस संम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है ?

†डा० केसकर : यह और बात है किन्तु माननीय सदस्य को मैं यह बता दूं कि यह यह जरूरी नहीं है कि सभी फिल्म समारोह सरकार द्वारा आयोजित हों। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि विभिन्न देशों की आपसी सम्बन्ध सरकारी स्तर पर ही नहीं होते कई फिल्म समारोह होते हैं और व्यापारी वर्ग के अपने मित्र-परिचित होते हैं और वहां फिल्म निर्माता अपनी निजी हैसियत में जा सकते हैं।

बम्बई में गैर-भारतीय गोआ निवासी

†*९. श्री आलवे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि बम्बई में कई गैर-भारतीय गोवा निवासी रह रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी स्थिति क्या है ?

†वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) और (ख). भारत में निवास, व्यवसायों में नौकरी और सरकारी सेवाओं में नियुक्ति जैसे सभी व्यवहारिक प्रयोजनों के लिये

---

†मूल अंग्रेजी में

गोवा निवासियों को भारतीय समझा जाता है। संविधान अथवा नागरिकता अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत वे भारतीय नागरिकता के लिये अर्ह हैं। भारत में गोवा निवासियों के लिये किसी प्रकार का पंजीयन आवश्यक नहीं है और इस कारण ऐसे गोवा निवासियों का कोई ब्योरा उपलब्ध नहीं है जो कानूनन पुर्तगाली नागरिक हों किन्तु सरकार उस बात को विशेष महत्व प्रदान नहीं करती।

†श्री आसर : क्या यह सच है कि सरकार को इस आशय के समाचार प्राप्त हुए हैं कि अभारतीय गोवा निवासी पंचमस्तम्भी कार्य करते हैं और यदि हां, तो इस कार्य को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : इस सम्बन्ध में हमें कोई जानकारी नहीं है।

समुद्र सम्बन्धी विधियां

†१०. श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री आसर :
श्री बी० दास गुप्त :
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समुद्र सम्बन्धी विधियों के बारे में हुए जिस सम्मेलन में भारत ने भाग लिया था उसका क्या परिणाम निकला ; और

(ख) क्या सरकार एक पक्षीय रूप से यह घोषणा करने की संभावना पर विचार कर रही है कि भारत के जल प्रांगण की सीमा[1] पट से बारह मील तक है?

†वैदेशिक कार्य-उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) इस सम्मेलन में जल-प्रांगण और उससे सम्बन्धित मछलियां पकड़ने के क्षेत्र की सीमा का निर्धारण नहीं हो सका।

(ख) भारत सरकार इससे उत्पन्न स्थिति पर विचार कर रही है किन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं किया गया कि कौन सी कार्यवाही करनी आवश्यक है।

†श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने भारत के जल-प्रांगण की सीमा को तट से १२ मील तक एक पक्षीय रूप से घोषित करने के प्रश्न पर विचार किया है?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) : हमने पूरे प्रश्न पर विचार किया है किन्तु जो सुझाव माननीय सदस्य दे रहे हैं उसे क्रियान्वित करना हम आवश्यक नहीं समझते।

†श्री ल० रा० मुदिराजी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्षेत्रीय जल-प्रांगण का उल्लंघन होने से उत्पन्न झगड़ों को तय करने के लिये इस सम्मेलन में कोई व्यवस्था की गयी है, और यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] International water limit.

†श्री जवाहरलाल नेहरू : ये झगड़े सम्भवतः अन्तर्राष्ट्रीय किस्म के होते हैं और अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने की जो व्यवस्था आज उपलब्ध है, सम्भवतः उसका आश्रय लिया जायेगा।

†श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या मैं जान सकता हूं कि आजकल भारत के जल-प्रांगण की सीमा कहां तक है, और क्या संसार के अन्य देशों की समान जल-प्रांगण सीमा का निर्धारण करने के लिये भविष्य में कोई अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने का विचार है।

†श्री जवाहर लाल नेहरू : कुछ समय पहले अर्थात कुछ वर्ष पहले हमने अपने जल-प्रांगण की सीमा ६ मील घोषित की थी।

†श्री तंगामणि : जल-प्रांगण की सीमा निश्चित करने के लिये दो सम्मेलन पहले से ही हो चुके हैं लेकिन अभी तक किसी अन्तिम निर्णय पर नहीं पहुंचा गया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई उप-समिति अथवा समिति इस विषय की जांच करेगी अथवा इसे अन्तिम रूप देने के लिये कोई अन्य सम्मेलन होगा, क्योंकि पहले दोनों सम्मेलनों में कोई निर्णय नहीं हो सका।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : माननीय सदस्य क्या उस सम्मेलन की उप-समिति का उल्लेख कर रहे है? वह एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अन्तर्राष्ट्रीय उप-समिति है। माननीय सदस्य किस उप-समिति का उल्लेख कर रहे हैं ? क्या भारत सरकार की उप-समिति का ?

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्योंकि मामला अभी तक तय नहीं हुआ इसलिये इसका निर्णय एक और सम्मेलन बुला कर किया जायेगा अथवा इस सम्मेलन ने इस पर विचार करने और विस्तृत विवरण तैयार करने के लिये कोई उप-समिति नियुक्त की है?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : जहां तक मुझे पता है, किसी उप-समिति की नियुक्ति नहीं की गयी। सम्भवतः इस प्रश्न पर विचार करने के लिये फिर कभी सम्मेलन होगा।

†श्री आसर : क्या मैं जान सकता हूं कि वह प्रस्ताव किसने पेश किया था, जिसका समर्थन हमारे प्रतिनिधि मंडल ने किया था और १२ मील की सीमा का समर्थन करने में क्या आपत्ति थी।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं प्रश्न को समझ नहीं सका।

†श्री आसर : हमारी ओर से किसने प्रस्ताव पेश किया था?

†श्री जवाहरलाल नेहरू: सम्मेलन में कई प्रस्ताव पेश किये जाते हैं, वापस लिये जाते हैं अथवा संशोधित होते हैं। मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य का संकेत किस प्रस्ताव की ओर है?

†श्री रघुनाथ सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भारत ने अमरीका के ६ मील वाले प्रस्ताव का विरोध किया था; और यदि हां, तो उसका क्या कारण था?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मेरा अनुमान है कि माननीय सदस्य का अभिप्राय अमरीका-कैनाडा प्रस्ताव से है। जहां तक हमारा सम्बन्ध है हम सीमा को इतना अधिक महत्व नहीं दे रहे थे। हम मुख्यतः इस बात पर बल दे रहे थे कि सीमा चाहे कुछ भी हो किन्तु सम्बन्धित सरकार

---

†मूल अंग्रेजी में।

की अनुमति के बिना किसी जंगी जहाज को उस सीमा के अन्दर नहीं जाना चाहिये। हमने इसी बात पर जोर दिया और इसी बात पर अन्ततः समझौता नहीं हो सका।

कारखानों के कर्मचारियों की आय

†*१२. श्री त० ब० विट्ठल राव : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २०० रुपये प्रति मास से कम कमाने वाले कारखाने के कर्मचारियों की नकद आमदनी[1] में १९५७ के मुकाबले १९५८ में कमी आई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली): (क) जी नहीं ; कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों की नकद आमदनी १९५७ में १२४८ रू० से बढ़ कर १९५८ में १२८३ रु० हो गई है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : श्रम कार्यालय के निदेशक द्वारा जो आंकड़े बनाये गये हैं उससे पता चलता है कि यदि १९३९ के देशनांक को १०० मान लें तो नकद आदमनी में कमी हुई है ।

†श्री आबिद अली : जी नहीं, यह आंकड़े १९५१ के १०० को आधार मान कर बनाये गये हैं; और जो आंकड़े मैंने दिये हैं वे बिल्कुल सही हैं ।

†श्री स० मो० बनर्जी : मैं जानना चाहता हूं कि यह सर्वेक्षण कब किया गया था और क्या सभी उद्योगों और सभी कर्मचारियों का किया गया था अथवा यह जानने के लिये कि क्या मजूरी में कमी आयी है अथवा नहीं केवल किसी खास उद्योग को चुना गया था ?

†श्री आबिद अली : मुख्य प्रश्न कारखानों के उन कर्मचारियों के सम्बन्ध में है जिनकी आय २०० रु० से कम है ।

†श्री स० मो० बनर्जी : यह ठीक है। किन्तु कारखाने तो कई उद्योगों में हो सकते हैं; कारखाने का अभिप्राय किसी खास उद्योग में किसी खास कारखाने से नहीं ।

†श्री आबिद अली : मैं कारखानों में काम करने वाले उन कर्मचारियों का उल्लेख कर रहा हूं जिनकी आय २०० रु० से कम है ।

†श्री स० मो० बनर्जी : माननीय मंत्री महोदय मेरे प्रश्न को नहीं समझे हैं और या वह समझना नहीं चाहते। देश में बहुत से कारखाने हैं और ऐसे लाखों कर्मचारी हैं जिनकी मासिक आय २०० रु० से कम है। मैं पूछ रहा हूं कि किस उद्योग के किस कारखाने का सर्वेक्षण किया गया था, क्या सभी उद्योग और सभी कारखानों का सर्वेक्षण किया गया था और क्या केवल किसी एक खास कारखाने को चुना गया था। मैं यह जानना चाहता हूं कि वह इस परिणाम पर किस तरह पहुंचे हैं ?

†श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा) : जहां तक कारखानों का सम्बन्ध है यह जानकारी पूरी है। यह सभी कारखानों के बारे में है ।

---

[1]Nominal earnings.

†मूल अंग्रेजी में ।

भारत में चाय उद्योग

†*१३. श्री विभूति मिश्र : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में चाय उद्योग में कितने विदेशी समवाय लगे हुये हैं; और

(ख) १९५९-६० में उनके द्वारा लाभ की कितनी राशि बाहर भेजी गई ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) ऐसी विदेशी कम्पनियों की, जो ब्रिटेन में निगमित है और चाय की खेती और उसे तैयार करने का कार्य करती और जिसके लिये उन्होंने भारत में व्यापारिक कार्यालय स्थापित कर रखे हैं, कुल संख्या १२८ है।

(ख) १९५९ में कुल ४·९ करोड़ रुपये (अन्तरिम) चाय कम्पनियों में लगी विदेशी पूंजी पर लाभ और लाभांश के रूप में भारत से बाहर भेजे गये। इसमें विदेशियों द्वारा नियंत्रित चाय-कम्पनियों द्वारा अन्तरित ४·५ करोड़ की आमदनी और भारत में रुपया—चाय—कम्पनियों में पदासीन विदेशी विनियोजकों द्वारा अर्जित लाभांश ०.४ करोड़ रुपये की राशि भी शामिल है।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार टी गार्डन्स को ने शनलाइज करने का कोई इरादा रखती है ?

श्री कानूनगो : जी नहीं।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि यह लोग जो इतना मनाफा करते हैं इस पर क्या सरकार अपने डेवेलपमेंट के लिये कोई विशेष इनकमटैक्स लगाना चाहती है ?

श्री कानूनगो : जी हां, इनकम टैक्स और दूसरे दूसरे टैक्स लगाये जाते हैं।

†श्री भा० कृ० गायकवाड़ : क्या मैं जान सकता हूं कि चाय उद्योग में कितनी भारतीय कम्पनियां लगी हुई हैं और उन्होंने पिछले वर्ष कितना लाभ उठाया है ?

†श्री कानूनगो : यह बताना कठिन है कि उन्हें कितना लाभ हुआ। भारत में चाय बागान की कुल संख्या ८००० है।

†श्री साधन गुप्त : इस बात को देखते हुये कि अब चाय बागानों की उत्पादन-क्षमता कम हो रही है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या विदेशी कम्पनियां इस भारी लाभ के एक अंश को पुनः इस पर लगा रही हैं अथवा क्या सरकार ने इस बात का कोई यत्न किया है कि वे इस लाभ के एक भाग को इन चाय बागानों के विकास और उनमें फिर नये पौदे लगाने पर व्यय करें ताकि हमारा चाय उद्योग उन्नति कर सके।

†श्री कानूनगो : जिन चाय बागान का प्रबन्ध कुशलता पूर्वक होता है, वे सामान्यतः अच्छी दशा में हैं। जहां तक विकास का सम्बन्ध है हम स्थिति का सर्वेक्षण कर रहेहैं और इसके लिये हमने लगभग एक वर्ष पूर्व चाय बोर्ड में विकास विभाग का गठन किया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्नातकों के रोजगार के बारे में सर्वेक्षण

+

†*१४. श्री रामी रेड्डी :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री राम शरण :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्नातकों के रोजगार के बारे में सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) इस के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई गई है; और

(ग) इस विषय में क्या प्रगति हुई है ?

† श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र): (क) जी, हां ।

(ख) इस सर्वेक्षण के अधीन तीन विश्वविद्यालयों के वर्ष १९५० के ग्रेजुएटों के अतिरिक्त उनत्तीस विश्वविद्यालयों के वर्ष १९५४ के ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट आते हैं।

(ग) लगभग १६,००० ग्रेजुएटों को प्रश्नावलियां जारी की जा चुकी हैं। अभी तक लगभग ५,००० के उत्तर आ पाये हैं।

†श्री रामी रेड्डी : इस सर्वेक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है ?

† श्री ल० ना० मिश्र : इस सर्वेक्षण का प्रमुख उद्देश्य यह है : स्नातकों के रोजगार, उनकी आय, रोजगार और उन विषयों के बीच सम्बन्ध, जिनका उन्होंने अध्ययन किया, के बारे में और उनके स्नातकोत्तर कार्य से सम्बन्धित अन्य मामलों के बारे में जानकारी एकत्र करना ।

†श्री रामी रेड्डी : क्या इन शिक्षित बेरोजगार स्नातकों को रोजगार दिलाने के बारे में सरकार की कोई योजना है ?

†श्री ल० ना० मिश्र : काम दिलाना इस सर्वेक्षण का उद्देश्य नहीं है।

†श्री काशीनाथ पांडे : जिन स्नातकों ने प्रश्नावली का उत्तर दे दिया है, उनको कोई रोजगार मिल गया है या वे अभी बेरोजगार हैं ?

†श्री ल० ना० मिश्र : यह बताना कठिन है। इन उत्तरों का परिनिरीक्षण किया जा रहा है। कुछ को रोजगार मिल गया है और कुछ बेरोजगार भी हैं।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि ग्रेजुएट्स के सर्वे के बाद उनके एम्प्लायमेंट के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या व्यवस्था की जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री ल० ना० मिश्र : तीसरी योजना में जहां तक एम्प्लायमेंट का सवाल है, वह एक स्वतंत्र प्रश्न है । यह सर्वे इस उद्देश्य से नहीं किया जा रहा है कि नौकरी दी जाएगी। लेकिन यह तो यह जानने के लिए है कि वह किस तरह से काम कर रहे हैं।

श्री म० ला० त्रिवेदी : मेरा ख्याल है कि इसका अन्तिम लक्ष्य यही है कि इन लोगों को नौकरी दी जाय। मैं जानना चाहता हूं कि क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में उनको नौकरी या कोई दूसरा रोजगार देने की व्यवस्था करने का विचार है ?

श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा) : यह सर्वे तो यह मालूम करने के लिए किया जा रहा है कि किस किस्म की एजूकेशन यानी कौनसे सबजेक्ट्स एम्प्लायमेंट के साथ ज्यादा रिलेटेड हैं और कौन ग्रेजुएट ज्यादा अनएम्प्लायड हैं और उनकी क्या बैकग्राउंड हैं। यह जानकारी प्राप्त होने से एजूकेशन के सिस्टम में स्टेडीज़ के बारे में ज्यादा फायदा हो सकेगा।

सेठ गोविन्द दास : क्या यह बात सही नहीं है कि इन स्नातकों की जो बेकारी है उसके लिए बहुत दूर तक हमारी शिक्षा पद्धति ही जिम्मेदार है ? अभी माननीय मंत्री ने शिक्षा के सम्बन्ध में कहा। और क्या यह बात सही नहीं है कि इस सम्बन्ध में कई प्रस्ताव शिक्षा पद्धति के परिवर्तन के विषय में सरकार के सामने आए हैं और उन पर अमल नहीं किया जा रहा है । क्या इस सम्बन्ध में कुछ प्रयत्न किया जाएगा कि जितने सुझाव इस सम्बन्ध में सरकार के पास अब तक आए हैं और उनको कार्यरूप में परिणत किया जाए ?

श्री नन्दा : यह अलाहिदा सवाल है। शिक्षा पद्धति के बारे में भी कमीशन का एक पैनल विचार करेगा। मैं समझता हूं कि यह सवाल भी उसके सामने होगा।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : इस सर्वेक्षण पर अभी तक कुल कितना धन व्यय किया गया है और यह कार्य शिक्षा मंत्रालय की बजाय श्रम मंत्रालय क्यों कर रहा है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : इस कार्य के लिये ६५,००० रुपये का आवेटन किया गया है। यह बताना कठिन है कि अभी तक इसमें से कितना धन खर्च किया जा चुका है। जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, यह कार्य पुनर्वास तथा रोजगार महानिदेशालय कर रहा है जो कि श्रम मंत्रालय के अधीन है। वास्तव में इस कार्य के लिये एक समिति बनी हुई है जिसमें गृह मंत्रालय, योजना आयोग, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिनिधि हैं।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के शुरू होने के बाद से बेरोजगार स्नातकों की संख्या में वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो इसमें कितनी वृद्धि हुई है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : यह आंकड़ों का प्रश्न है। परन्तु यह सच है कि "चालू" रजिस्टर में संख्या में वृद्धि हो रही है।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड** : ऐसे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के स्नातकों की क्या संख्या है जो रोजगार पर लगे हुए हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

‡Live Register.

†अध्यक्ष महोदय : क्या आंकड़े पृथक-पृथक हैं ?

†श्री ल० ना० मिश्र : जी, नहीं। इस समय हमारे पास पृथक-पृथक आंकड़े नहीं हैं।

†राजा महेन्द्र प्रताप : क्या बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार दिलाने का सारा कार्य, नगर पालिकाओं, कस्बों और गांवों पर छोड़ने की कोई योजना है ?

†श्री ल० ना० मिश्र : हम सर्वेक्षण कर रहे हैं। ऐसी कोई योजना नहीं है।

†श्रीमती इला पालचौधरी : जब इतना बड़ा सर्वेक्षण हो रहा है तो इसके साथ इस जांच को किस प्रकार सम्बद्ध किया जायेगा कि विद्यार्थियों द्वारा अपने विषय चुने जाने से पहिले किस प्रकार की नौकरियां उपलब्ध हो सकेंगी ताकि शिक्षा मंत्रालय को यह पता लग सके कि लोग किस प्रकार के रोजगार में खप सकेंगे।

†श्री नन्दा : वास्तव में इस सर्वेक्षण से इसी जानकारी का पता चलेगा। अतः इससे वही उद्देश्य सिद्ध होगा जिसका माननीय सदस्या ने अभी जिक्र किया है।

कच्चे पटसन का मूल्य

+

†*१५. श्री अरविन्द घोषाल :
श्री बि० दास गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कच्चे पटसन का मूल्य बढ़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो कितना और उसका पटसन उद्योग तथा विदेशी मंडियों पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). पिछले मौसम में पटसन के उत्पादन में कमी के कारण और संभरण में कमी के भय से 'आसाम बोटम' नामक किस्म के पटसन का मूल्य ३० जुलाई, १९५९ को २१.५० रुपये प्रति मन से बढ़ कर १० मई, १९६० को ५६ रुपये प्रति मन हो गया था। तब से उसमें कमी होती रही है और वह अब २३ जुलाई, १९६० को घटकर ३७.५० रुपये प्रतिमन हो गया। 'फाटूबर' की कमी के कारण कुल मिलों में अस्थायी तौर पर स्वेच्छा से कमी करनी पड़ी। मूल्यों के बढ़ जाने से निर्यात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

†श्री अरविन्द घोषाल : क्या पटसन के मूल्य में वृद्धि इसके अधिक 'सट्टा' किये जाने के कारण हुई है ?

†श्री कानूनगो : एक विशेष प्रक्रम पर, इस बात की भी आशंका थी ; परन्तु पटसन एक्सचेंज ने काफी प्रतिबन्ध लगा दिये थे और इस पर नियंत्रण कर लिया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री अरविन्द घोषाल : क्या कच्चे पटसन के अभाव के कारण पश्चिमी बंगाल की पटसन मिलों में पटसन करघों को बन्द कर दिया गया है ?

†श्री कानूनगो : जी हां।

†श्री रामेश्वर टांटिया : क्या यह सच है कि वायदा बाजार में केवल क्रेताओं को काफ़ी 'मार्जिन' देना पड़ता है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

†श्री कानूनगो : इस बात का निश्चय बोर्ड करेगा।

†श्री रघुनाथ सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान के जूट की क़ीमत में और हिन्दुस्तान के जूट की कीमत में क्या अन्तर है ? क्या दोनों की कीमतें बढ़ी हैं या केवल हिन्दुस्तान के जूट की कीमतें बढ़ी हैं ?

†श्री कानूनगो : केवल भारत में ही मूल्य बढ़े हैं।

†श्री रामेश्वर टांटिया : पाकिस्तान की कतरनों के आयात के विरुद्ध, जिसका कि हमारे कच्चे पटसन के मूल्य से आधे मूल्य पर आयात किया जा सकता है, कच्चे पटसन के निर्यात के बारे में सरकार की क्या नीति होगी ?

†श्री कानूनगो : हम इस मामले का बराबर पुनर्विलोकन करते रहते हैं और इसका भेद नहीं खोलते।

†श्री फ० गो० सेन : क्या यह सच है कि कुछ क्रेताओं ने सारा माल खरीद लिया और इसके फलस्वरूप पटसन के मूल्य में वृद्धि हुई और कृषक इस बारे में कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उन के पास इसका कोई स्टाक नहीं था ?

†श्री कानूनगो : वास्तव में मूल्य में अधिकतम वृद्धि तभी हुई जब कि सारा स्टाक खेतों से व्यापारियों अथवा मिलों को चला गया। जहां तक सारा माल उठाने का सम्बन्ध है, हमें इस बारे में जानकारी नहीं है। सम्भवतः ऐसा नहीं हुआ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि जूट की प्राइस में जो अप एंड डाउन होता है तो उस को रोकने के लिए क्या सरकार कोई मिनिमम प्राइस फिक्स करना चाहती है जिससे किसानों को मिनिमम प्राइस मिल सके ?

श्री कानूनगो : अभी तो मैक्सिमम है मिनिमम का सवाल कहां है।

श्री विभूति मिश्र : यह जो प्राइस कभी कम होती है और कभी ज्यादा होती है जैसे कि कौटेन का प्राइस है, शुगरकेन का प्राइस है तो मैं शास्त्री जी से जो कि किसानों का हित सदैव अपने सामने रखते हैं उनसे मैं जानना चाहता हूं कि किसानों को मिनिमम प्राइस मिलने के लिए वे क्या कर रहे हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : यह सवाल माननीय सदस्य ने कई बार उठाया है और उनको मालूम है कि पिछले दो साल में हम लोगों ने ऐसा प्रबन्ध किया जिससे जूट ग्रोअर्स को नुक्सान नहीं पहुंचा है। अब जहां तक ट्रेड की बात है तो उसमें घटती बढ़ती होती रहे तो कुछ हद तक बाजार भाव के अनुसार वहां कुछ काम चलता है और उसको मानना ही पड़ेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या सरकार को यह पता है कि भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति के समाचार के अनुसार, हाल ही में जो पटसन के मूल्यों में वृद्धि हुई है वह कच्चे पटसन बाजार में अधिक सट्टा होने के कारण है ; और यदि हां, तो सरकार समय पर इस सट्टे पर नियंत्रण करने के लिये पर्याप्त कार्यवाही क्यों न कर सकी ?

†श्री कानूनगो : जी, नहीं। फसल के बारे में भविष्यवाणी गलत निकली और इसीलिये इसमें कमी हुई।

†श्री रघुनाथ सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि पटसन बैंक स्थापित करने के प्रस्ताव का क्या हुआ ताकि एक वर्ष का फालतू स्टाक अन्य वर्षों के लिये रखा जा सके ?

†श्री कानूनगो : फ़ालतू स्टाक हीं नहीं है।

†श्री रघुनाथ सिंह : पटसन बैंक स्थापित करने के प्रस्ताव का क्या हुआ ?

†अध्यक्ष महोदय : फालतू स्टाक ही नहीं है और इसलिये इस बारे में कोई प्रस्ताव नहीं हो सकता।

सिक्किम और भूटान को भारतीय संसदीय शिष्टमण्डल

*१६. श्री भक्त दर्शन :
श्री आसर :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार को एक निमंत्रण मिलने पर भारत के संसद् सदस्यों का एक दल हाल ही में सिक्किम और भूटान गया था ;

(ख) यदि हां, तो उस दल में कौन-कौन संसद्-सदस्य गये थे ;

(ग) उस दल ने कौन-कौन से स्थान और संस्थायें देखीं और किन-किन प्रमुख व्यक्तियों के साथ भेंट की ; और

(घ) इस यात्रा के फलस्वरूप अपने अनुभव के आधार पर इस दल ने भारत सरकार को क्या रिपोर्ट दी है ?

†वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी, हां।

(ख) १. डाक्टर राम सुभग सिंह, नेता
२. श्री यादव नारायण जाधव
३. श्री टी० मनायन
४. श्री नेक राम नेगी
५. श्री आर० एस० पंजहजारी

(ग) इस शिष्टमंडल ने १२ मई, १९६० से सिक्किम में दो दिन और भूटान में १७ दिन बिताए। सिक्किम में रह कर, वे सिक्किम के महाराज, महाराजकुमार और दीवान से मिले।

---

†मूल अंग्रेजी में

वे स्थानीय अस्पताल, फल रक्षण (फ्रूट प्रिज़रवेशन) फैक्टरी, रोंगनी छ हाइडल स्टेशन, सरकारी फार्म, टेक्निकल इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट आफ टिबेटोलाजी को भी देखने गए।

भूटान में वे महाराजा, प्रधान मंत्री और भूटानी विधानसभा के सदस्यों से मिले। उन्होंने फल रक्षण (फ्रूट प्रिज़रवेशन) फैक्टरी, अस्पतालों, स्कूलों और मठों को देखा और वे पारो को जाने वाली उस सड़क को भी देखने गए जो भारत की सहायता से बनाई जा रही है।

(घ) इस शिष्ट मंडल को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करने को नहीं कहा गया था, लेकिन इसके नेता ने अनौपचारिक रूप से सरकार को सदस्यों के सामान्य विचारों की जानकारी दे दी है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन् क्या यह सत्य है कि इस प्रतिनिधिमंडल के सिक्किम और भूटान जाने से इन दोनों देशों और भारत के पिछले सम्बन्ध पहले से अच्छे हुए हैं और इसलिए क्या यह विचार किया जा रहा है कि सिक्किम और भूटान से कोई इस तरह का प्रतिनिधिमंडल भी भारत में आये?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : हमारे सम्बन्ध भूटान से तो बहुत ही अच्छे रहे हैं और इस प्रतिनिधिमंडल के जाने से शायद और भी उसमें अच्छाई पैदा होवे। अब वहां से लोग तो आते जाते हैं और अभी पार साल वहां से कुछ लोग आये थे और वहां से यदि और लोग आवें तो उनका हम जरूर स्वागत करेंगे।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, पिछले कुछ वर्षों से हम अर्थात् भारत सरकार सिक्किम और और भूटान को वहां के विकास कार्यों में सहायता देते रहे हैं तो क्या उस प्रतिनिधिमंडल की सिफारिशों के फलस्वरूप उस सहायता के परिमाण में कुछ वृद्धि की जा रही है, और क्या यह सच है कि इस प्रतिनिधिमंडल के नेता ने यह सिफारिश की है कि वहां जो अनुदान दिये जा रहे हैं उन के लिए कोई औडिट की व्यवस्था की जाय? क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की जा रही है?

श्री जवाहरलाल नेहरू : इस की निस्बत मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरे सामने उसकी सिफारिशें नहीं है, यूं मैंने उनको देखा है लेकिन उसकी तफसील मेरे सामने नहीं है।

†श्री हो० ना० मुकर्जी : संसद्-सदस्यों के इस दल का चुनाव किस प्रकार किया गया? यह आपने किया या अन्य किसी सरकारी तरीके से किया गया? यदि यह किसी सरकारी तरीके से किया गया तो अध्यक्ष महोदय द्वारा नाम मनोनीत किये जाने की सामान्य प्रक्रिया को कैसे छोड़ दिया गया?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : इसको संसदीय शिष्टमंडल नहीं कहना चाहिये। और बिना जांच किये मैं स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह सकता कि यह चुनाव कैसे हुआ।

†श्री आसर : क्या यह सच है कि भूटान की सरकार ने इस शिष्टमण्डल से जलधाका योजना की धीमी प्रगति के बारे में शिकायत की है? यदि हां, तो बिलम्ब के क्या कारण हैं और इसकी गति तीव्र करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : किसी विशेष परियोजना के बारे में प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सकता।

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : ये सामान्य दौरे हैं।

†श्री आसर : भूटान की सरकार ने इस परियोजना की धीमी गति के बारे में शिकायत की है.....

†अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है।

†श्री बा० चं० कामले : यह शिष्टमंडल वहां क्यों गया था?

†अध्यक्ष महोदय : आपका तात्पर्य इस शिष्टमंडल के दौरे के प्रयोजन से है?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मित्रता और सद्भावना।

†श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि भूटान के प्रधान मंत्री और असेम्बली के सदस्यों ने हमारे संसदीय शिष्टमंडल के साथ दो विषयों—भारत के साथ भूटान की सीमा का भारतीय नक्शों में दिखाया जाना और १९४९ की भारत भूटान सन्धि की भूटान सरकार का वैदेशिक-कार्य के मामले में पद-प्रदर्शन करने से सम्बन्धित धारा—पर विचार किया? यदि हां, तो बातचीत का क्या रुख रहा?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : माननीय सदस्य कुछ असंगत बातें पूछ रहे हैं जिनका इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है। मुझे खेद है कि मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता।

इस दल के चुनाव के बारे में एक बात बता दूं। वास्तव में मुझे पता नहीं था परन्तु जब यह मामला मेरे सम्मुख आया तो मैंने यह कहा कि जो भी व्यक्ति चुना जाये उसे पहाड़ पर चढ़ने का कुछ अनुभव हो, वह १४००० अथवा १५००० की ऊंचाई पर आराम से रह सके और सांस ले सके और घोड़े या याक पर चढ़ सके।

†श्री हेम बरुआ : व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के हेतु मैं कुछ कहना चाहता हूं। माननीय प्रधान मंत्री ने अभी कहा कि यह प्रश्न असंगत है। वास्तव में दो प्रमुख विषय थे, एक भूटानी सीमा और दूसरे संधि। यह बात समाचार पत्रों में आयी थी।

†अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यक्तिगत स्पष्टीकरण का कोई प्रश्न नहीं है।

†डा० राम सुभग सिंह : उन्होंने किसी मामले में कोई शिकायत नहीं की। न महाराजा और न प्रधान मंत्री या भूटान के कोई जिम्मेदार अधिकारी ही हमसे इन बातों पर विचार करना चाहते थे।

सरकारी क्षेत्र के उद्योग

\+

†*१७. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री बि० दास गुप्त :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने एक ऐसी योजना बनाने के लिये समिति बनाई है जिसके अन्तर्गत सरकारी क्षेत्रों के उद्योगों में लोग सीधे अपना धन लगा सकें; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो वह समिति क्या क्या काम करेगी तथा उसके कार्य का क्षेत्र क्या है ?

†श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा सचिव (श्री ल० ना० मिश्र): (क) और (ख). सरकारी उद्योगों में जनता द्वारा धन लगाये जाने के प्रश्न की जांच करने के लिये योजना आयोग ने पदाधिकारियों का एक अध्ययन दल नियुक्त किया है। अध्ययन दल को कोई औपचारिक निदेश-पद नहीं दिये गये हैं परन्तु इससे कहा यह आशा की जाती है कि यह इस प्रश्न के सब पहलुओं की जांच करेगा।

†श्री रामेश्वर टांटिया : क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि जो नई कम्पनियां स्टर्ट हो रही हैं उनके सम्बन्ध में साधारण आदमियों की शेयर्स खरीदने की बहुत अधिक दरख्वास्तें आ रहीं हैं तो क्या सरकार ऐसे साधारण आदमियों को चांस देगी कि वह जो सरकार के पब्लिक सैक्टर के कारखाने हैं उनमें छोटे छोटे शेयर्स खरीद सकें ?

†श्री ल० ना० मिश्र : यह जो कमेटी बनाई गई है और स्टडी ग्रुप बनाया गया है उसका मंशा यही है कि वह इस बात का पता लगाये कि लोग कितना अपना शेयर कैपिटल सरकारी काम में लगा सकते हैं।

†श्री दामानी : इस विनियोजन की इजाजत वर्तमान समवायों में दी जायेगी या नये समवायों में ?

†श्री ल० ना० मिश्र : सारी बातों का अध्ययन हो रहा है और हमें आशा है कि प्रतिवेदन अगस्त के अन्त तक मिल जायेगा।

†श्री त्यागी : जैसा कि हमने आज के समाचार पत्रों में पढ़ा है, आचार्य विनोबा भावे की यह राय है कि वह बिना कोई कर लगाये सरकार चला सकते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या योजना आयोग ने इस समस्या पर भी विचार किया था।

†श्री ल० ना० मिश्र : इस प्रश्न का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

†श्री साधन गुप्त : प्रस्ताव में सार्वजनिक विनियोजन के किस हद तक किये जाने का प्रस्ताव है ?

†अध्यक्ष महोदय : सार्वजनिक विनियोजन कितना होगा ? क्या प्रश्न यह है ? प्रश्न क्या है ?

†श्री साधन गुप्त : मैं यह जानना चाहता था कि जनता को पूंजी के कितने अनुपात में धन लगाने दिया जायेगा।

†श्री ल० ना० मिश्र : इन प्रश्नों की जांच हो रही है और अभी कुछ कहना कठिन है।

†अध्यक्ष महोदय : सामान्य जनता पूंजी का कितना प्रतिशत धन लगा सकेगी ?

†प्रधान मंत्री तथा वदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): प्रतिशतता-निर्धारित नहीं की जाती और नही की जा सकती।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तिब्बत में रोके गये भारतीय

†*११. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** ६ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि चीनी अधिकारियों ने जिन लगभग तेईस भारतीय नागरिकों अथवा भारत द्वारा संरक्षित व्यक्तियों को अभी तक तिब्बत में रोक रखा है, उनको छुड़ाने में कितनी सफलता मिली है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** हमारी जानकारी के अनुसार उन २३ व्यक्तियों में से १९ व्यक्ति अभी तक उनकी हिरासत में हैं। हो सकता है कि उन में से कुछ और व्यक्ति भी छोड़ दिये गये हों, परन्तु इस बारे में अभी तक प्रामाणिक सूचना प्राप्त नहीं हुई है। उसके बाद ११ और भारतीय राष्ट्रजनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। उनमें से ९ काश्मीरी मुसलमान और दो भारतीय संरक्षित व्यक्ति हैं। काश्मीरी मुसलमानों में से २ व्यक्तियों को १५ वर्षों का कारावास दिया गया है और एक को ११ वर्ष का।

योजना आयोग के सदस्यों की आचार्य विनोबा भावे से भेंट

†*१८. **श्री हेम बरुआ :** क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंगलवार, १२ अप्रैल, १९६० को मेरठ में योजना आयोग के कुछ सदस्य आचार्य विनोबा भावे से मिले थे ; और

(ख) यदि हां, तो उन्होंने आचार्य विनोबा भावे से किन विषयों पर बातचीत की थी ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र):** (क) जी, हां।

(ख) उन्होंने आचार्य विनोबा भावे से विकास सम्बन्धी कुछ एक विषयों पर विशेषतया बेरोजगारी की समस्या को हल करने की दिशा में प्रगति, खादी का महत्व, काश्तकार मजदूरों की हालत, भूमि सुधार कार्यक्रम की कार्यान्विति, ग्रामोद्योग, शिक्षा तथा खुराक सम्बन्धी आत्म निर्भरता के विषयों पर विचार विमर्श किया था।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी

†*१९. **श्री नारायणन्कुट्टि मेनन :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के संघ के प्रतिनिधियों ने उनके पास कोई अभ्यावेदन भेजा था ;

(ख) यदि हां, तो यह अभ्यावेदन क्या था ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) उस विषय में उन्होंने क्या कार्यवाही की है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) जी हां, कुछ एक संघों, जिनमें केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी संघों का महासंघ भी सम्मिलित है, की ओर से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था ।

(ख) उस अभ्यावेदन में यह प्रार्थना की गई थी कि वेतन आयोग की सिफारिशों के पुनरीक्षण सम्बन्धी कुछ एक मांगों के सम्बन्ध में बातचीत करने के लिये कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को भेंट करने की अनुमति दी जाये ।

(ग) उसका उत्तर दे दिया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ यह कहा गया था कि सरकार का यह मत है कि उच्चाधिकार प्राप्त आयोग ने पर्याप्त समय तक सोच विचार करने के उपरान्त जो उपयुक्त सिफारिशें की हैं, वे लगभग एक पंचनिर्णय के समान हैं और सरकार ने उन सभी सिफारिशों को लगभग उसी रूप में स्वीकार कर लिया है। इसलिये सरकार आयोग की सिफारिशों और उस सम्बन्ध में किये गये अपने निर्णयों की पुनरीक्षण के बारे में चर्चा नहीं कर सकती ।

मिकिर पहाड़ियों से शरणार्थियों का निकाला जाना

†*२०. **श्री च० का० भट्टाचार्य :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्रीमती रेणुका राय :
श्री प्र० चं० बरुआ ।
श्री हाल्दर :
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान आसाम की मिकिर पहाड़ियों से पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों के निकाले जाने और कलकत्ते की सड़कों पर उनकी भीड़भाड़ की ओर आकृष्ट किया गया है ;

(ख) क्या इस मामले में पश्चिमी बंगाल सरकार का कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ग) भविष्य में शरणार्थियों के इस प्रकार निकाले जाने को रोकने और निकाले गये लोगों को फिर से बसाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नस्कर)**: (क) और (ख). ६ मई, १९६० को पश्चिमी बंगाल की सरकार ने केन्द्रीय पुनर्वास मंत्रालय का ध्यान उस बात की ओर आकृष्ट किया था कि मिकिर पहाड़ियों (आसाम) से कुछ एक निष्क्रान्त व्यक्ति कलकत्ते आ गये हैं ।

(ग) केन्द्रीय पुनर्वास मंत्रालय वास्तविक विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वास सम्बन्धी सहायता देने के लिये सदा तैयार हैं, जो व्यक्ति आसाम से पश्चिमी बंगाल चले गये हैं उन्हें परामर्श दिया गया है कि वे आसाम वापिस चले जायें और वहां की सरकार उन्हें उपयुक्त सहा-

†मूल अंग्रेजी में

यता देगी। आसाम के अन्य क्षेत्रों से विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिये कुछ एक योजनाएं मंजूर की जा चुकी हैं और कुछ एक योजनायें अभी बनायी जा रही हैं।

साइकिलों का उत्पादन

†*२१. **श्री प्रमथ नाथ बनर्जी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष १९६०-६१ के लिये साइकिलों के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो साइकिलों की कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) १९६०-६१ के लिये साइकिलों के उत्पादन के सम्बन्ध में १२.५ लाख साइकिलों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और वह लक्ष्य केवल पूरा ही नहीं हो रहा, अपितु लक्ष्य से भी अधिक साइकिलों का उत्पादन हो रहा है।

(ख) साइकिलों की कीमतों को निर्धारित कर देना आवश्यक नहीं समझा गया है क्योंकि उनका उत्पादन संतोषजनक गति से बढ़ रहा है।

काश्मीर

*२२. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान दिनांक १६ जून, १९६० के दिल्ली के समाचार पत्रों में प्रकाशित पाकिस्तान के विदेश मंत्री श्री मंजूर कादिर के उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिस में उन्होंने यह कहा था कि काश्मीर विवाद को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को सौंपने में भारत का राष्ट्रमण्डल का सदस्य होना एक बड़ी भारी बाधा है क्योंकि भारत ऐसा करने के पक्ष में नहीं है ; और

(ख) क्या पाकिस्तान ने इस सम्बन्ध में भारत से कभी कुछ कहा था ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) सरकार ने इस विषय में अखबारी रिपोर्ट तो देख ली है।

(ख) जी नहीं।

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटड

†*२३. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री नेक राम नेगी :
श्री रा० च० माझी :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २५ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १६७९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के विस्तार का प्रस्ताव इस समय किस प्रक्रम पर है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : निम्नलिखित वस्तुओं के निर्माण के लिये फैक्टरी के विस्तार के लिये विस्तृत योजनाओं पर विचार किया गया है :—

(१) कई पारियों में प्रतिवर्ष २००० मील ड्राइकोर केबल ।

(२) प्लास्टिक इन्सुलेटिड स्विचबोर्ड केबल, और

(३) दोहरी पारी के आधार पर १५०० टन तांबे की तार के निर्माण के लिये तार खींचने का एक संयंत्र लगाना ।

इन सुझावों को तृतीय पंच वर्षीय योजना काल में कार्यान्विति के लिये सम्मिलित किया जा रहा है ।

दिल्ली दूकान तथा संस्थापन अधिनियम

†*२४. **श्री तंगामणि** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दूकान तथा संस्थापन अधिनियम का नियोजकों द्वारा अनेक प्रकार से उलंघन किया जा रहा है ;

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कुछ शिकायतें मिली हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). जी, नहीं ; किये गये उल्लंघनों की संख्या दूकानों तथा संस्थापनों और उनमें काम करने वाले व्यक्तियों की तुलना में बहुत कम है ।

(ग) अपराधियों के विरुद्ध मुकदमें दायर किये गये ।

राजस्थान में पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति

†*२५. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :**
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री हाल्दर :
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या **पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी पाकिस्तान के जो विस्थापित व्यक्ति पुनर्वास के लिये राजस्थान भेजे गये थे उनमें से अब तक कितने परिवार अपना पुनर्वास-स्थान छोड़ कर पश्चिमी बंगाल वापस लौट आये हैं ;

(ख) कुल कितने शरणार्थी राजस्थान भेजे गये थे और कितने वहां रह गये हैं और राजस्थान के प्रत्येक पुनर्वास केन्द्र में इनकी अलग अलग संख्या कितनी है ; और

(ग) क्या छोड़कर चले आने वालों के किसी शिष्टमण्डल ने जून के महीने में कलकत्ते में उनसे अथवा उनके अधिकारियों से मिलना चाहा था और क्या सरकार ने इन लोगों से यह पता चलाने की कोशिश की है कि वे राजस्थान में अपने पुनर्वास स्थानों को क्यों छोड़ कर चले आये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) और (ख). पूर्वी पाकिस्तान से आये हुये विस्थापित व्यक्तियों के २६६ परिवारों को कोटा (राजस्थान) भेजा गया था। ज्ञात हुआ है कि २०७ परिवार वहां से किन्हीं अन्य स्थानों पर चले गये हैं।

(ग) जी, हां, २६ जुलाई, १९६० को।

राजस्थान सरकार से इस बारे में पूछताछ की गई। ज्ञात हुआ है कि ये परिवार राज्य सरकार को सूचित किये बिना ही अपनी मरजी से कहीं चले गये थे। प्रतीत होता है कि वे राजस्थान की अपेक्षा पश्चिमी बंगाल में पुनः बसने के लिये अधिक उत्सुक हैं।

पुनर्वास मन्त्रालय में छंटनी

†*२६. { **श्री प्र० गं० देव :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री केशव :
श्री अजित सिंह सरहदी : }

क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनर्वास मन्त्रालय में से छंटनी किये गये कर्मचारियों में से अब तक कितने कर्मचारियों को दूसरे विभागों में फिर से रख लिया गया है; और

(ख) कितनों को अब भी नौकरी मिलना बाकी है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) ६३५।

(ख) ८९०; उनमें से कुछ एक व्यक्तियों ने स्वयं अपने यत्नों से कहीं और नौकरी प्राप्त कर ली है, परन्तु ऐसे लोगों की संख्या अभी तक ज्ञात नहीं हो सकी है।

ग्रेफाइट

†*२७. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री पांगरकर : }

क्या प्रधान मंत्री १७ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९२६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि रिएक्टर ग्रेड का और वाणिज्यिक ग्रेड का ग्रेफाइट तैयार करने का कारखाना लगाने की योजना इस समय किस प्रक्रम पर है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां)** : रिएक्टर तथा वाणिज्यिक ग्रेड के ग्रेफाइट को तैयार करने के उद्देश्य से कारखाना लगाने की योजना अभी तक विचाराधीन है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये मूल्य नीति

†*२८. सरदार इकबाल सिंह :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री रामी रेड्डी :
श्री सूपकार :
श्री बि० दास गुप्त :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री रा० च० माझी :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये मूल्य-नीति पर विचार करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा नियुक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उन पर विचार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) से (घ). मूल्य नीति सम्बन्धी प्रश्नों पर विचार करने के लिये राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा नियुक्त की गयी समिति ने अभी तक अपना कार्य पूरा नहीं किया है। आशा है कि उस समिति की आगामी बैठक निकट भविष्य में होगी।

हीराकुद का अल्युमीनियम गलाने का कारखाना

†२९. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हीराकुद का अल्युमीनियम के पिण्ड तैयार करने वाला अल्युमीनियम गलाने का कारखाना अपना उत्पादन बढ़ाने वाला है;

(ख) यदि हां, तो कितना;

(ग) क्या यह सच है कि भारत में अल्युमीनियम की उत्पादन लागत ३० से ४० प्रतिशत तक अधिक है ; और

(घ) क्या इस अधिक उत्पादन लागत को कम करने के प्रयास किये जा रहे हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां।

(ख) प्रतिवर्ष १०,००० से २०,००० टन अल्युमीनियम के पिण्ड।

(ग) भारत में तैयार किये जाने वाले अल्युमीनियम की धातु की लागत आयात की जाने वाली धातु की 'लागत-बीमा-भाड़ा' कीमत से २० या २५ प्रतिशत अधिक है।

(घ) जी, हां। अधिक क्षमता के कारखाने लगाने से।

---

† मुल अंग्रेजी में

कनाडा-भारत की आणविक भट्टी

†*३०. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री नवल प्रभाकर :
श्री सूपकार :
श्री प्र० के० देव :

क्या **प्रधान मन्त्री** १२ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९७ के उत्तर के **सम्बन्ध में** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा-भारत की आणविक भट्टी चालू हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो फिलहाल इस भट्टी का उपयोग किस प्रयोजन के लिये किया जा रहा है ?

†**प्रधान मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी हां । १० जुलाई, १९६० को भट्टी (रिएक्टर) 'काष्ठा ताप'[1] स्तर तक पहुंच चुकी थी ।

(ख) इस समय विभिन्न सर्किटों का परीक्षण किया जा रहा है और 'स्टार्ट अप' प्रयोग भी किये जा रहे हैं । भट्टी की शक्ति को धीरे धीरे बढ़ा कर ४०,००० किलोवाट की अधिकतम क्षमता तक पहुंचाया जा रहा है । जब भट्टी में पूरे जोर से काम प्रारम्भ हो जायेगा, उस समय उसमें 'न्यूट्रन' भौतिकी और इंजीनियरिंग सम्बन्धी गवेषणा की जायेगी। और कृषि, उद्योग, चिकित्सा और गवेषणा के लिये आइसोटोप का उत्पादन प्रारम्भ कर दिया जायेगा ।

तीस्ता घाटी में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

†*३१. **श्री अरविन्द घोषाल :**
श्री बि० दास गुप्त :

क्या **पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीस्ता घाटी में शरणार्थियों का पुनर्वास करने की किसी योजना को अन्तिम रूप प्रदान किया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) और (ख), अप्रैल, १९५९ में पश्चिमी बंगाल की तीस्ता चार भूमि में ३,१२५ एकड़ भूमि पर ७५० विस्थापित काश्तकार परिवारों के पुनर्वास के लिये एक योजना मंजूर की थी जिस पर १७,७१,३०० रुपयों का खर्च आना था । उस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक परिवार को ४ एकड़ भूमि एलाट करने की व्यवस्था की गयी थी । भूमि बेचने वालों को भी उस योजना में कृषि तथा मकान निर्माण सम्बन्धी ऋण तथा गुजारा अनुदान देने के सम्बन्ध में व्यवस्था की गयी थी । परन्तु इस प्रयोजन के लिये उपयुक्त ऊंची भूमि की कमी होने के कारण यह योजना कार्यान्वित न की जा सकी । राज्य सरकार ने उस क्षेत्र में केवल २५० व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये एक और योजना तैयार की है । और वह इस समय विचाराधीन है ।

हीराकुद और राउरकेला के छंटनी किये गये श्रमिक

†*३२. **श्री हेम बरुआ** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हीराकुद बांध और राउरकेला के इस्पात कारखाने से श्रमिकों की बड़ी संख्या में छंटनी की गई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Crticality.

(ख) यदि हां, तो उनकी कुल संख्या कितनी है; और

(ग) इन छंटनी किये गये श्रमिकों को रोज़गार दिलाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क)

हीराकुद . . . जी, हां।

राउरकेला इस्पात कारखाना . . जी, नहीं।

(ख) दिसम्बर, १९५९ तक ६४७२

(ग) ५७३४ व्यक्तियों ने इस सम्बन्ध में कोई सहायता नहीं मांगी। ७२४ व्यक्तियों को वैकल्पिक रोजगार दिलाने में सहायता दी गयी है और १४ व्यक्तियों के नाम प्रतीक्षा-सूची पर हैं।

बम्बई में गैस की टंकी का विस्फोट

†*३३. **श्री आसर :**
श्री प्र० के० देव :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ८ जुलाई, १९६० को बम्बई की बम्बई गैस कम्पनी की गैस की टंकी का विस्फोट हो जाने के फलस्वरूप १०० व्यक्ति घायल हो गये थे ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने विस्फोट के कारणों की कोई जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: (क) से (घ). यह विषय राज्य के क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, इसलिये इसके बारे मे हमारे पास कोई अधिकृत जानकारी नहीं है।

जम्मू और कश्मीर में कागज का कारखाना

†*३४. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री अ० मु० तारिक :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री पांगरकर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५०७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर राज्य में कागज के कारखाने के बारे में खाद्य तथा कृषि संगठन के विशेषज्ञ का प्रतिवेदन इस बीच सरकार को मिल गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो विशेषज्ञ की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) सरकार ने उन पर क्या निर्णय किया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (ग). खाद्य तथा कृषि संगठन के विशेषज्ञ से अभी तक अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है । परन्तु विशेषज्ञ द्वारा जो प्रारम्भिक रिपोर्ट पेश की गयी थी, उससे यह प्रकट होता है कि बड़े पैमाने पर निर्माण की सम्भावनाएं कम ही हैं ।

श्रमिकों द्वारा प्रबन्ध में भाग लिया जाना

†*३५. { **श्री हेम बरुआ :**
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे कौन-कौन से उद्योग हैं जिनमें श्रमिकों द्वारा प्रबन्ध में भाग लिये जाने की योजना क्रियान्वित कर दी गई है ;

(ख) उसके कार्यकरण के क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या यह सच है कि योजना को क्रियान्वित करने में प्रबन्धकों के सहयोग का अभाव रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस योजना को और अधिक उद्योगों पर लागू करने में विलम्ब क्यों हो रहा है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) यह योजना केवल कुछ एक उद्योगों, जैसे कि इंजीनियरिंग, परिवहन, औषधि निर्माण, कोयला खानों, चीनी, ऐल्युमीनियम, वस्त्र, पटसन, चाय आदि के कारखानों में प्रारम्भ की गयी है ।

(ख) अभी तक प्राप्त रिपोर्टों के अनसार जहां पर भी यह योजना लागू की गयी है, उनमें से अधिकांश उपक्रमों में संयुक्त प्रबन्ध परिषदें सन्तोषजनक ढंग से काम कर रही हैं । इस सम्बन्ध में फिर भी इतनी जल्दी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता ।

(ग) और (घ). क्योंकि यह योजना केवल मात्र स्वेच्छा पर ही चलायी जा रही है, इसलिये इसे और अधिक यूनिटों में लागू करना इस बात पर निर्भर करता है कि औद्योगिक उपक्रमों के कर्मचारियों और मालिकों में कितना पारस्परिक सहयोग है । फिर भी यह कोशिश की जा रही है कि उसे अन्य यूनिटों में भी लागू कर दिया जाये ।

व्यापार प्रबन्ध[1] में प्रशिक्षण

†**१. श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ से १९५९ तक आन्ध्र प्रदेश की लघु उद्योग सेवा संस्थाओं में व्यापार प्रबन्ध में कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया था; और

(ख) उन पर कुल कितना खर्च आया था ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Business Management.

विवरण

(क) १९५८ और १९५९ में १०२ व्यक्तियों को। उसका सर्वप्रथम कोर्स १९५८ में ही आरम्भ किया गया था।

(ख) यह प्रशिक्षण कार्य हैदराबाद की लघु उद्योग सेवा संस्था के कर्मचारियों द्वारा किया गया था, इसलिये इस पर कोई अतिरिक्त खर्च नहीं आया था, केवल अतिथि वक्ताओं (गेस्ट स्पीकर्स) को मानदेय (आनरेरियम) के रूप में ३४५ रुपये अदा किये गये थे।

जापानी हस्तशिल्प विशेषज्ञ की रिपोर्ट

†२. **श्री इ० मधुसूदन राव :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २५ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २५१० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ महीने पहले भारत आने वाले जापानी हस्तशिल्प विशेषज्ञ की औपचारिक रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उस रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १]** रिपोर्ट की प्रतियां सभा के पुस्तकालय में भी रख दी गयी हैं।

वियतनाम में पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय आयोग

†३. **श्री इ० मधुसूदन राव :**
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या **प्रधान मंत्री** २५ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २४९१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वियतनाम में पर्यवेक्षण तथा नियन्त्रण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय आयोग की दिसम्बर, १९५९ से मार्च, १९६० तक की अवधि की रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गयी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : वियतनाम में पर्यवेक्षण तथा नियन्त्रण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय आयोग की दसवीं अन्तरिम रिपोर्ट, जिसमें १ फरवरी, १९५९ से ३१ जनवरी, १९६० तक की अवधि आ जाती है, सार्वजनिक जानकारी के लिये प्रकाशित कर दी गयी है और वह इस समय छप रही है। इसकी छपायी का काम पूरा हो जाने पर इसकी एक प्रति सभा

†मूल अंग्रेजी में

पटल पर भी रख दी जायेगी। आशा है कि १ फरवरी, १९६० के बाद की रिपोर्ट यथासमय उपलब्ध हो जायेगी।

कागज का आयात

†४. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २८ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १७८० के उत्तर के सम्बन्ध मे यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य व्यापार निगम के द्वारा लिखायी तथा छपाई के कागज के आयात के सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में और कितनी कीमत का कागज़ मंगवाया जायेगा; और

(ग) किन-किन देशों से यह कागज़ मंगवाया जायेगा ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) से (ग). मामला अभी तक विचाराधीन है और आशा है कि इस सम्बन्ध में शीघ्र ही निर्णय कर लिया जायेगा।

काफी के काश्तकारों को ऋण

†५. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६०–६१ में काफी विकास योजना के अधीन पंजीबद्ध काफी काश्तकारों को ऋण के रूप में देने के लिये कुल कितनी राशि निर्धारित की गयी है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: १९६०–६१ के लिये आय-व्ययक में इसके लिये ३,५०,००० रुपये निर्धारित किये गये हैं।

छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये निगम

†६. **श्री पांगरकर :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ९ मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ९०४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक राज्य में छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये एक निगम स्थापित करने की दिशा में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: मैसूर और उत्तर प्रदेश में लघु उद्योग निगम स्थापित कर दिये गये हैं।

बिहार और पश्चिमी बंगाल सरकारों ने निगम स्थापित करने का निर्णय कर लिया है। ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं। बम्बई, राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और मद्रास सरकार इस बारे में अभी तक विचार कर रही हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में अम्बर चर्खा केन्द्र

†७. **श्री हेम राज** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ में पंजाब राज्य में कितने अम्बर चर्खा केन्द्र स्थापित किये गये थे ;

(ख) इस वर्ष कितने व्यक्तियों (पुरुष और स्त्रियों) को प्रशिक्षण दिया गया था;

(ग) उन प्रशिक्षणार्थियों को कितने अम्बर चर्खे दिये गये थे ;

(घ) कितने अम्बर चर्खे इस्तेमाल किये जा रहे हैं; और

(ङ) कितने अम्बर चर्खे अभी तक बेकार पड़े हुए हैं ।

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) २२४।

(ख) ७,८५७

(ग) ७,७७१

(घ) और (ङ). अनुमान है कि बांटे गये चर्खों में से ४० प्रतिशत चर्खों से कुछ एक घण्टों के लिये काम लिया जा रहा है ।

भूटान के रास्ते से आने वाले तिब्बती शरणार्थी

†८. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही :**
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूटान सरकार ने भारत सरकार से यह निवेदन किया है कि भूटान के रास्ते से आने वाले सभी तिब्बती शरणार्थियों को भारत में दाखिल होने की अनुमति दे दी जाये;

(ख) क्या भारत सरकार ने इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है;

(ग) इसका क्या कारण है कि भूटान सरकार उन शरणार्थियों को भूटान में ही बसाने के लिये तैयार नहीं है; और

(घ) क्या उस सरकार ने इस सम्बन्ध में भारत सरकार को सरकारी तौर पर कुछ लिखा है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) से (घ). भूटान सरकार ने हमारे राजनीतिक पदाधिकारी के द्वारा हमें यह सूचित किया है कि क्योंकि उनके संसाधन बहुत कम हैं इसलिये वहां पर अधिक संख्या मे तिब्बती शरणार्थियों को बसाना बहुत कठिन है । फिर भी वे लगभग ३,००० शरणार्थियों को सड़क निर्माण के कार्य में लगा सकेंगे और इस काम में कई वर्ष लग जायेंगे । जिन शरणार्थियों को भूटान में काम न मिल सका उन्हें भारत में बसा दिया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

साइकिलों का निर्यात

श्री नागी रेड्डी :
†९. श्री पांगरकर :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९ और १९६० में अभी तक कुल कितनी साइकलों का निर्यात किया गया है;

(ख) उससे कितनी विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हुई है; और

(ग) १९५९ और १९६० में अभी तक साइकिलों के पुर्जों या सम्पूर्ण साइकिलों के आयात पर कुल कितनी राशि खर्च की गयी है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख).

अवधि	निर्यात की गई साइकिलें	विदेशी मुद्रा की प्राप्ति
१९५९	७,१५९	९८७,००० रुपये
१९६० (जनवरी—अप्रैल)*	५४६	६६,००० रुपये

(ग)

अवधि	साइकिलों के पुर्जों या साइकिलों के आयात पर होने वाला खर्च	
	साइकिलें	साइकिलों के पुर्जे **
१९५९	१०७,००० रुपये	७,३६८,००० रु०
१९६० (जनवरी—अप्रैल)* . . .	५३,००० रुपये	२,९४४,००० रु०

*अप्रैल, १९६० के बाद के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

**टायरों व 'इलेक्ट्रिक पार्ट्स' को छोड़ कर।

पंजाब में बेरोजगारी

श्री दी० चं० शर्मा :
†१०. श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री दलजीत सिंह :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में गत ६ महीनों में कितने बेरोजगार व्यक्तियों ने अपने नाम दर्ज कराये हैं; और

(ख) उक्त अवधि में कितने बेरोजगार स्नातकों, इण्टर पास और मैट्रिक पास व्यक्तियों ने अपने नाम दर्ज कराये थे ?

†मूल अंग्रेजी में

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क)

मास	पंजीबद्ध व्यक्तियों की संख्या
१९६०—जनवरी	१४,३९७
फरवरी	१६,००३
मार्च	१८,५००
अप्रैल	१५,३७५
मई	१६,३३१
जून	१६,४३७

शिक्षित व्यक्तियों के सम्बन्ध में केवल त्रैमासिक आंकड़े ही उपलब्ध हैं। वे निम्नलिखित हैं :—

कोटि	त्रैमासिक आंकड़े	
	मार्च १९६० को समाप्त होने वाली तिमाही	जून १९६० को समाप्त होने वाली तिमाही
स्नातक .	१,०२८	१,१४६
एफ० ए० पास .	८७७	१,१९२
मैट्रिक पास	१०,४८०	११,९२५
कुल	१२,३८५	१४,२६३

तिब्बती शरणार्थी

†११. **श्री वी० चं० शर्मा :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री पद्म देव :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री प्र० के० देव :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री हेम राज :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री रामेश्वर टांटिया :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री सूपकार :
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ फरवरी, १९६० के बाद कितने तिब्बती शरणार्थी भारत आये हैं;

(ख) वे उत्तरी सीमा के किस किस दर्रे से दाखिल हुए हैं;

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इनमें से प्रत्येक दर्रे से कितने व्यक्ति दाखिल हुए हैं ;

(घ) उन्हें किस किस स्थान पर बसाया गया है; और

(ङ) सरकार द्वारा गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा उन्हें सहायता देने पर कुल कितनी राशि खर्च की गयी है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) १ फरवरी, १९६० से मई, १९६० तक की अवधि में भारत में दाखिल होने वाले तिब्बती शरणार्थियों के सम्बन्ध में आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

दाखिल होने का स्थान	फरवरी	मार्च	अप्रल	मई
नेफा .	६८	३८६	५८७	५६३
उत्तर प्रदेश .	—	—	२४	१३
लद्दाख . . .	२	१३	१७८	२६
सिक्किम	१८९	१२४	२	११५
हिमाचल प्रदेश	—	—	—	१४५

(ख) ये व्यक्ति निम्नलिखित दर्रों से दाखिल हुए हैं :—

नेफा . . कारपोटसंग, ल्हाला, तुलुंग, नीलकला

उत्तर प्रदेश . लिपुलेख, लिम्पिया, नेलंग ।

लद्दाख . जरला, चारडिंगल, चंगल ।

सिक्किम . . नाथुला, जेलेपला, कांगराला, डागंक्याला, थेंकरला ।

हिमाचल प्रदेश . . . शिपकिला, नेसंग ।

(ग) प्रत्येक दर्रे से आने वाले शरणार्थियों की संख्या बतानी सम्भव नहीं है ।

(घ) स्थानीय प्राधिकारियों से निवेदन किया गया है कि वे अपने क्षेत्रों में इन शरणार्थियों के लिये रोजगार की तलाश करें और यदि कोई प्रबन्ध नहीं होता तो उस समय तक उन्हें ट्रांजिट कैम्पों में रखा जाये ।

(ङ) १९५९–६० में इन शरणार्थियों के कल्याण तथा पुनर्वास पर सरकार द्वारा कुल ४१,५९,६१४ रुपये खर्च किये गये हैं । गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा दी गयी सहायता सम्बन्धी आंकड़े ज्ञात नहीं हो सके हैं ।

अखबारी कागज का निर्माण

†१२. **श्री प्र० के० देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन अनुसन्धान संस्था, देहरादून में किये गये अनुसन्धान के अनुसार पपीता (Broussonetia Papyrifera) और शहतूत (Sterculia Companulate) से अखबारी कागज तैयार किया जा सकता है ;

(ख) क्या सरकार देश के उस क्षेत्र में अखबारी कागज बनाने का एक कारखाना स्थापित करने का विचार रखती है जहां अधिक संख्या में पपीते और शहतूत के पेड़ पाये जाते हैं; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). वाणिज्यिक अथवा अर्ध वाणिज्यिक आधार पर अभी तक सफल परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं। इसलिये बड़े पैमाने पर निर्माण करना संभव न हो सकेगा।

कपूर

†**१३. श्री प्र० के० देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रतिवर्ष कितना कपूर आयात किया जाता है और उस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की जाती है ;

(ख) कपूर किस देश से मंगवाया जाता है ;

(ग) क्या वन अनुसंधान संस्था, देहरादून में किये गये अनुसंधान के परिणामस्वरूप (Ocimum Kilimandscharicum) पौधे से कपूर देश में तैयार किया जा सकता है ;

(घ) ये पौधे अधिक मात्रा में कहां पर पाये जाते हैं ;

(ङ) क्या सरकार वाणिज्यिक आधार पर कपूर तैयार करने का कोई विचार रखती है ; और

(च) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है जिसमें बताया गया है कि १९५७, १९५८, १९५९ और १९६० (जनवरी-अप्रैल, ६०) में किस-किस देश ने कितना कपूर मंगवाया गया था। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या २]**

(ग) जी, हां परन्तु उत्पादन लाभप्रद सिद्ध नहीं हुआ है।

(घ) हमारे देश में कहीं पर भी संगठित रूप से बड़े पैमाने पर (Ocimum Kilimandscharicum) नहीं उगाया जाता। संभव है कि इस वस्तु के वाणिज्यिक उत्पादन को ध्यान में रखते हुए इन पौधों का विकास प्रारम्भ हो जाये।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

वस्त्र उद्योग

†**१५. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० में वस्त्र उद्योग की स्थिति अब तक कैसी रही है ;

(ख) क्या सभा पटल पर एक विवरण रखा जायेगा जिसमें यह बताया गया हो कि निम्नलिखित प्रकार के कपड़े का उत्पादन कितना हुआ है :–

(१) मोटा (कोर्स) कपड़ा

(२) दरम्याना (मीडियम) कपड़ा

(३) महीन (फाइन) तथा

(४) बहुत महीन (सुपर फाइन) ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) उक्त प्रकार के कपड़ों का पिछले वर्ष की उसी अवधि की तुलना में कितना निर्यात किया गया है ; और

(घ) १ जून, १९६० को मिलों में कुल कितना स्टाक पड़ा आ था ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) वस्त्र मिल उद्योग में कपड़े का उत्पादन गत वर्ष की तुलना में कुछ बढ़ गया है। इस वर्ष मोटे कपड़े की अपेक्षा महीन किस्म के कपड़ों का उत्पादन अधिक हो रहा है। जहां तक सूत का सम्बन्ध है, उसका उत्पादन लगभग इतना ही है।

(ख) और (ग). इस सम्बन्ध में दो विवरण सम्बद्ध हैं। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३]**

(घ) २ लाख ७५ हज़ार गांठें (१ लाख ३० हजार गांठें अविक्रीत और १ लाख ४५ हज़ार गांठें विक्रीत, परन्तु जो अभी तक खरीदारों के पास भेजी नहीं गयी थीं)।

पंजाब के ऐतिहासिक स्थानों के संबंध में प्रलेखीय चलचित्र

†**१६. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पंजाब के सभी ऐतिहासिक स्थानों के सम्बन्ध में प्रलेखीय चलचित्र तैयार करने के बारे में कोई योजना है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : फिल्म डिवीजन 'पंजाब' के सम्बन्ध में एक प्रलेखीय चलचित्र तैयार कर रहा है जिसमें उस राज्य के ऐतिहासिक स्मारक जैसे कि कुरुक्षेत्र, थानेसर और रूपड़ के खंडहर, जलियांवाला बाग, बह्मोर के लकड़ी के मन्दिर, चतराही और मार्कुला—उदयपुर, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, और आनन्दपुर साहिब, फतेहगढ़ साहब आदि के गुरुद्वारे भी सम्मिलित होंगे।

१९५७ में फिल्मस डिवीज़न ने 'पिल्ग्रिमेज टु फ्रीडम' नामक एक और चलचित्र तैयार किया था, उसमें भी जलियां वाला बाग़ का उल्लेख सम्मिलित है।

पंजाब के सभी ऐतिहासिक स्थानों के सम्बन्ध में प्रलेखीय चलचित्र तैयार करने की कोई योजना नहीं है। फिर भी उन्हें उपयुक्त अवसरों और स्थानों पर सम्मिलित करने का अवश्य विचार है।

उत्तर प्रदेश में रोजगार

†**१७. श्री सरजू पांडेय** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५९ में उत्तर प्रदेश में रोजगार की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है ;

(ख) उक्त अवधि में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में कितने रिक्त स्थान अधिसूचित किये गये थे ;

(ग) उक्त अवधि में कितने औद्योगिक यूनिट बन्द किये गये थे ;

(घ) यूनिटों के बन्द हो जाने से कितने व्यक्तियों को अतिरिक्त घोषित किया गया या उन्हें छंटनी में निकाल दिया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी, नहीं ।

(ख) १९५९ में काम दिलाऊ दफ्तरों में जिन रिक्त स्थानों की सूचना मिली थी, उनकी संख्या निम्न प्रकार से है :—

सरकारी क्षेत्र . .	५३,२२२
गैर-सरकारी क्षेत्र . . .	१८,८५१
कुल .	७२,०७३

(ग) से (ङ). पूरी जानकारी उपलब्ध नही है ।

उत्तर प्रदेश में लघु सहकारी हथकरघा उद्योग

†१८. **श्री सरजू पांडेय** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में अभी तक उत्तर प्रदेश में कितने लघु सहकारी हथ करघा उद्योग प्रारम्भ किये गये हैं ; और

(ख) उक्त अवधि में प्रत्येक उद्योग को ऋण या अनुदानों के रूप में कितनी राशि दी गयी है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** :

(क)

वित्तीय वर्ष	पंजीबद्ध हथकरघा सहकारी संस्थाओं की संख्या
१९५६–५७ . . .	५७
१९५७–५८ .	७७
१९५८–५९ . .	३७
१९५९–६० . . .	३५
१९६०–६१ (३०-६-६० तक) .	१५

(ख)

वित्तीय वर्ष	ऋण (लाखों रुपये में)	अनुदान (लाखों रुपयों में)
१९५६–५७ . . .	४२·०२	२९·७९
१९५७–५८ . . .	१·४८	३३·४१
१९५८–५९ .	३·९८	५२·८९
१९५९–६० . .	१·४५	२८·८०
१९६०–६१	२·२६	२५·१८

(उद्योगवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं)

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रपति निलयम, हैदराबाद में सरकारी सम्पत्ति

†१९. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रपति निलयम, हैदराबाद में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अनुभाग अधिकारी (सेक्शन आफिसर) तथा अन्य कर्मचारियों द्वारा सरकारी सम्पत्ति के सम्बन्ध में किये जा रहे कदाचारों तथा गड़बड़ी के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन आरोपों के सम्बन्ध में कोई जाँच की गयी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**नि ण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). विशेष पुलिस संस्थापन द्वारा इसकी विस्तृत जांच की जा रही है।

महात्मा गांधी का संकलित साहित्य

†२०. **श्री प्र० गं० देव** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महात्मा गांधी के साहित्य की कितनी जिल्दें अब तक प्रकाशित की जा चुकी हैं; और

(ख) उसके प्रकाशन तथा नियुक्त किये गये कर्मचारियों पर अब तक कुल कितना खर्च किया जा चुका है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा   सकर)**: (क) अंग्रेज़ी और हिन्दी की तीन तीन जिल्दें।

(ख) १९५६–५७ से १९५९–६० तक ७,०५,६२३ रुपये।

हिन्दुस्तान समाचार सहकारी समिति

†२१. { **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्री अ० मु० तारिक :
सरदार इकबाल सिंह : }

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री १ मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ५७४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान समाचार सहकारी समिति की इस प्रार्थना के सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लिया है कि उसे प्रेस सूचना कार्यालय के टेलीप्रिंटर सर्किटों के खाली होने पर उसका प्रयोग करने की अनुमति दी जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) और (ख). लाइन का प्रेस सूचना कार्यालय के अतिरिक्त अन्य किसी के प्रयोजन के लिये इस्तेमाल करने की अनुमति देना संभव नहीं दिखाई दिया है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

कार्य कुशलता संहिता

†२२. श्री राम कृष्ण गुप्त :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री सरजू पांडेय :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री १७ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २०१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्य कुशलता संहिता सम्बन्धी उद्देश्यों की पूर्ति के लिये उपाय सोचने के लिये नियुक्त की गयी समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) और (ख). समिति ने उपक्रम के स्तर पर मजदूरों और मालिकों में सहयोग के लिये मार्ग दर्शक सिद्धान्तों के सम्बन्ध में एक प्रश्नावली तैयार की है। आवश्यक आंकड़े इकट्ठे करने के लिये इस प्रश्नावली को परिचालित किया जा रहा है ताकि इन आंकड़ों के आधार पर और अधिक चर्चा के लिये सामग्री तैयार की जा सके।

भविष्य निधि योजना

†२३. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री अ० मु० तारिक :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री पद्म देव :
श्री पांगरकर :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री १२ फरवरी, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ९१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी अध्ययन मण्डल द्वारा की गयी इस सिफ़ारिश पर विचार कर लिया है कि भविष्य निधि योजना को वृद्धावस्था और/अथवा उत्तरजीविता पेंशन (विधवा तथा बच्चों के लिये) में बदल दिया जाये, और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) और (ख). अधिकांश सम्बन्धित हितों से उस सिफ़ारिश के सम्बन्ध में टिप्पण प्राप्त हो गये हैं और उन पर विचार किया जा रहा है। अन्तिम निर्णय करने से पहले एक त्रिदलीय सम्मेलन में इस मामले पर चर्चा करने का विचार है।

---

†सब अंग्रेजी में

द्वितीय अखिल भारतीय कृषि श्रम जांच

†२४. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री अ० मु० तारिक :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री १२ फरवरी, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १०५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय अखिल भारतीय कृषि श्रम जाँच के कार्य में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) उसकी क्या उपपत्तियां हैं ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) और (ख). द्वितीय अखिल भारतीय श्रम जांच की रिपोर्ट शीघ्र ही प्रकाशित कर दी जायेगी ।

लघु उद्योगों को सहायता

†२५. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री अ० मु० तारिक :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री पांगरकर :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री १ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ४९६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लघु उद्योगपतियों को समन्याय पूंजी के रूप में वित्तीय सहायता देने के सम्बन्ध में लघु उद्योग बोर्ड की उपसमिति से रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है; और

(ख) यदि हां, तो उसमें मुख्य मुख्य सिफ़ारिशें क्या हैं ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

लघु उद्योग बोर्ड की उपसमिति ते अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है । मुख्य सिफ़ारिशें ये हैं :—

(१) पब्लिक अथवा प्राइवेट लिमिटिड कम्पनियोंके रूप में अथवा सीमित दायित्व की सहकारी सस्थाओं के रूप में पंजीबद्ध छोटी औद्योगिक फर्मों की अंश पूंजी में भी सरकार द्वारा भाग लिया जाये । हिस्सेदारी अथवा माल कीमत की कम्पनियों में भाग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है ।

(२) तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में विशेष रूप से अर्ध विकसित छेत्रों में लगभग १००० यूनिट चुने जायें ।

(३) सरकार किसी भी कम्पनी की अंश पूंजी में ५० प्रतिशत तक परन्तु अधिक से अधिक १ लाख रुपयों तक योग दान दे सकती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(४) कुछ एक ऐसी कम्पनियों में जो कि प्रविधिक दृष्टि से अर्हता प्राप्त व्यक्तियों द्वारा चलायी गयी है, सरकार प्रचलित ऋण नियमों के अधीन अंश पूंजी की २० प्रतिशत राशि तक अंश पूंजी ऋण के रूप में सकती है ।

(५) सरकार द्वारा दी जाने वाली अंश पूंजी मोच्य असंचयी अधिमान प्राप्त अंशों के रूप में होगी जिसके लाभांश की दर ५ प्रतिशत से अधिक नहीं होगी और उसमें मत देने का निदेशक नियुक्त करने का अधिकार होगा ।

(६) योजना राज्य उद्योग निदेशालय द्वारा चलाई जा सकती है ।

अनिवार्य निर्यात योजना

†२६. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री अ० मु० तारिक :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २५ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ४०४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनिवार्य निर्यात योजना को अन्तिम रूप से तय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). जैसा कि इस विषय पर पूछे गये पहले प्रश्नों के उत्तर में बताया जा चुका है, यदि किसी और प्रकार से निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य को पूरा किया जा सके तो संभव है कि अनिवर्यता लागू करने की कोई आवश्यकता ही नहीं । प्रतीत होता है कि इस समय निर्यात में वृद्धि हो रही है ।

औद्योगिक डिजाइन संस्था

†२७. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १६ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १५२६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक औद्योगिक डिजाइन संस्था सम्बन्धी योजना को तय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). जी, नहीं । फोर्ड फाउंडेशन के द्वारा जिन विदेशी परामर्शदाताओं की सेवायें प्राप्त की गयी थीं, उन्होंने डिजाइन सम्बन्धी संस्था की स्थापना के सम्बन्ध में अभी अभी अपने सुझाव प्रस्तुत किये हैं । उन पर विचार किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बम्बई और कानपुर के लिये मजूरी नक्शे

†२८. श्री राम कृष्ण गुप्त :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री पांगरकर :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री १ मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ५७६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बम्बई और कानपुर के लिये प्रयोगात्मक मजूरी नक्शे तैयार करने के कार्य में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: मजूरी गणना के दौरान में इकट्ठे किये गये आकड़ों का विश्लेषण और वर्गीकरण का काम किया जा रहा है। १० उद्योगों के सम्बन्ध में उद्योगवार आंकड़ों के वर्गीकरण का काम पूरा हो गया है और आशा है कि शेष कार्य इस वर्ष के समाप्त होने तक पूरा हो जायेगा। उसके बाद फिर बम्बई और कानपुर के लिये मजूरी नक्शे बनाने का प्रश्न लिया जायेगा।

तरल स्वर्ण[1] का निर्माण

†२९. श्री राम कृष्ण गुप्त :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री नेक राम नेगी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २८ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २८०५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला, हैदराबाद में तरल स्वर्ण के निर्माण के लिये निकाले गये तरीके का वाणिज्यक दृष्टि से उपयोग करने की संभावनाओं की खोज करने में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : राष्ट्रीय धातुविज्ञान प्रयोगशाला, जमशेदपुर में तरल स्वर्ण के निर्माण के लिये निकाले गये तरीके का वाणिज्यिक दृष्टि से उपयोग करने की दृष्टि से भारत के राष्ट्रीय अनुसन्धान विकास निगम द्वारा सभी सम्बन्धित पार्टियों को एक गैर-प्रविधिक नोट परिचालित किया गया था। यह तरीका दो तीन फर्मों को पट्टे पर दिया गया है। यह कुछ मात्रा में रायल्टी और १४ वर्षों की अवधि के लिये एक निश्चित राशि पर दिया गया है।

निर्यात में वृद्धि के लिय योजना

†३०. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २५ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १६८० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि निर्यात में वृद्धि करने के लिये एक पंचवर्षीय योजना बनाने में क्या प्रगति हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीशचद्र)** : निर्यात में वृद्धि करने के लिये कोई दीर्घ कालीन योजना बनाने के लिये, तृतीय पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिये जाने तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अधिकतम निर्यात करने के लिये सब सम्भव प्रयत्न किये जायेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Liquid gold.

निर्यात गृह[1]

†३१. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्रीमती सफीदा अहमद :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री अगाड़ी :
श्री सुगन्धि :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २५ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १६८९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि निर्यात व्यापार को बढ़ाने के लिये निर्यात गृहों की स्थापना करने में कहां तक प्रगति हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : निर्यात गृहों की स्थापना करने के लिये कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए थे परन्तु अभी तक अन्तिम रूप से कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

दिल्ली के काम दिलाऊ दफ्तर के लिये भवन

३२. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार दरियागंज (दिल्ली) के काम दिलाऊ दफ्तर के लिये एक बड़ा भवन बनाने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उस पर कितना खर्च होने का अनुमान है ; और

(ग) यह भवन कब तक बन जायेगा ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) दूसरी पंचवर्षीय योजना में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग). इसका सवाल ही नहीं उठता ।

उदयपुर की जावर की खानों में श्रमिक करार

३३. **श्री म० ला० द्विवेदी : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या हाल ही में उदयपुर की जावर की खानों के प्रबन्धकों और श्रमिकों के बीच कोई करार हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त करार की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी, हां, ८ अप्रैल, १९६० ।

(ख) जावर की खानों और उदयपुर में स्थापित होने वाले खनिज साफ़ करने के कारखाने के मज़दूरों की तरफ से प्रबंधकों से बातचीत करने के लिये जावर खान मज़दूर संघ को एक मात्र प्रतिनिधि संस्था मान लिया गया है । उत्पादन बढ़ाने और प्रबंधकों और मज़दूरों के आपसी सबंधों को मधुर बनाने इत्यादि के लिये कई एक मिलीजुली सलाहकार समितियां बनाई जायगी । शिकायतों को दूर करने, वेतन संशोधन, निश्चित दरों पर लाभांश देने, अनुशासन नियमों के अमल और पंच फैसलों से मामलों को तय करने की भी इस समझौते में व्यवस्था है । अस्पताल, मकान, शिक्षा इत्यादि की सुविधायें भी बढ़ा दी गई हैं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में
[1]Export Houses.

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय में सतर्कता कार्य

३४. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री अपने मंत्रालय की १९५९–६० की वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ ७ पर प्रशासन सतर्कता विभाग सम्बन्धी अन्तिम पैराग्राफ के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १८ शिकायतों में से कितनी शिकायतों को निबटाया गया ; और

(ख) इन में से कितने मामलों में पदाधिकारियों का दण्ड दिया गया ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : (क) सब शिकायतों को निपटाया जा चुका है ।

(ख) ४ मामलों में दोषी पाये गये ५ पदाधिकारियों को समुचित दंड दिया गया । एक और मामले में दो पदाधिकारियों को मुअत्तल कर दिया गया है और उन पर न्यायालय में मुकदमा चलाया जा रहा है ।

सिगरेट का उत्पादन

३५. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष देश में तैयार किये गये कितने प्रतिशत सिगरेट की बिक्री हुई ; और

(ख) क्या यह सच है कि विदेशी बाजारों में भारतीय सिगरेटों की मांग बढ़ रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) १०० प्रतिशत ।

(ख) कोई खास नहीं ।

सरकारी क्वार्टरों का दिया जाना

†**३६. श्री अ० मु० तारिक :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री १६ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १५३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों के उन ६३ लम्बित मामलों के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है जिनके दिल्ली/नई दिल्ली में या तो खुद अपने मकान हैं या जिनकी माता तथा पिता के मकान हैं और जोकि सरकारी क्वार्टरों में रह रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) :** (क) और (ख). ३० मामलों में निर्णय कर लिया गया है । किये गये निर्णय निम्न प्रकार हैं :—

(१) सामान्य किराया देकर सरकारी क्वार्टरों में रहने के लिये पात्र घोषित किये गये	१७
(२) सामान्य किराया देकर १ महीने से ६ महीने तक की अवधि के लिये ठहरने की अनुमति दी गयी . .	२
(३) बढ़ा हुआ किराया देकर रहने के पात्र घोषित किये गये	१
(४) अपात्र घोषित किये गये—परन्तु उनको बढ़ा हुआ किराया देकर सरकारी क्वार्टरों में रहने के लिये कुछ समय दिया गया	१०
कुल	३०

†मूल अंग्रेजी में

दलाई लामा और तिब्बती शरणार्थियों पर व्यय

†३७. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दलाई लामा और उनके दल पर अब तक भारत में कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी है; और

(ख) भारत में विभिन्न कैम्पों में तिब्बती शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये अब तक कितनी धनराशि व्यय की गयी है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) और (ख). अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार, दलाई लामा और उनके दल पर ५,२८,४१६ रुपये ९६ नये पैसे और तिब्बती शरणार्थियों की सहायता और पुनर्वास पर ४१,५६,६१४ रुपये ५० नये पैसे व्यय किये गये हैं।

पटसन मिलों का पुनर्नवीकरण[1]

†३८. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटसन मिलों का पुनर्नवीकरण करने के लिये अब तक क्या प्रगति की गयी है ;

(ख) क्या इससे श्रमिकों की छंटनी हुई है; और

(ग) यदि हां, तो उनकी क्या संख्या है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) ३१ मार्च, १९६० तक आधुनिक प्रकार के २६४,९२८ चांदी के तकुवे लगाये जा चुके थे और वे ८२ पटसन मिलों में से ५८ में काम कर रहे थे। इसका मतलब है कि प्रतिष्ठापित करघों में से ६६ प्रतिशत में चांदी के तकुवे लगे हैं।

(ख) और (ग). पटसन मिलों के आधुनिकीकरण की योजना इस प्रकार बनायी गयी है ताकि श्रमिकों की कोई छंटनी न हो।

अन्तर्राष्ट्रीय उद्योग प्रदर्शनी

३९. { **श्री नवल प्रभाकर :**
श्री पहाड़िया :
श्री आसर : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवम्बर, १९६१ में दिल्ली में एक अन्तर्राष्ट्रीय उद्योग प्रदर्शनी होगी; और

(ख) यदि हां, तो इस म कौन-कौन से देश भाग लेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में
[1]Renovation.

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जी, हां ।

(ख) फैडरेशन आफ इण्डियन चेम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री इस प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है और उसने उन समस्त देशों को भाग लेने के लिये निमन्त्रण दिये हैं जिनके साथ भारत के व्यापार-सम्बन्ध हैं । चूंकि यह प्रदर्शनी नवम्बर, १९६१ में होगी, इसलिये अभी से यह नहीं कहा जा सकता कि कौन-कौन से देश निमन्त्रण स्वीकार कर इसमें भाग लेंगे ।

अलवाय में डी० डी० टी० कारखाना

†४०. **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अल्वाय में डी० डी० टी० कारखाने में वर्ष १९५८-५९ में लक्ष्य से बहुत अधिक उत्पादन हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो यह कितना अधिक हुआ है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). जी हां, कुछ महीनों में ।

भारतीय राजदूतों और उच्च आयुक्तों के रिक्त पद

†४१. **श्री आसर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ देशों में राजदूतों और उच्चा आयुक्तों के पद काफ़ी समय से खाली पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे पदों की क्या संख्या है और उन देशों के क्या नाम हैं जहां ये पद खाली पड़े हैं; और

(ग) इन पदों को खाली रखने के क्या कारण हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) से (ग). केवल बर्मा और इथोपिया में भारत के राजदूतों और मलाया में भारत के उच्च आयुक्त के पद क्रमशः ७-७-६०, ४-२-६० और २७-१०-५९ से खाली पड़े हैं । इन सभी पदों के लिये पदाधिकारियों का चुनाव कर लिया गया है और वे शीघ्र ही कार्यभार सम्भाल लेंगे ।

पदों को भरने में जो कभी विलम्ब होता है, वह इस कारण है कि जब किसी मिशन का मुखिया अपने पद का कार्य छोड़ता है और नया पद ग्रहण करता है तो वह अक्सर अपने घर जाने की छुट्टी चाहता है । बाज़ दफ़ा अत्यावश्यक व्यक्तिगत समस्यायें होती हैं जिससे किसी पदाधिकारी को अपना नया पद संभालने में विलम्ब हो जाता है । तथापि, पद की रिक्तता के समय को न्यूनतम करने के लिये निरन्तर प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिमाचल प्रदेश में रेडियो का वितरण

४२. **श्री पद्म देव** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक ज़िले में १९५८-५९ और १९५९-६० में कितने सामुदायिक रेडियो सेट बांटे गये ;

(ख) इन में से कितने रेडियो सेट चालू हैं; और

(ग) खराब रेडियो सेटों की मरम्मत के लिये सरकार क्या कर रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) एक विवरण सभा की मेज़ पर रखा जाता है ।

विवरण

ज़िले का नाम	१९५८-५९ में प्रदत्त सामुदायिक सेटों की संख्या	१९५९-६० में प्रदत्त सामुदायिक सेटों की संख्या
महासु	४४	४४
मन्डी	४२	४२
चम्बा	२२	२२
सिरमर	२३	२३
बिलासपुर	१९	१९
कुल संख्या	१५०	१५०

(ख) और (ग). सभी सेट चालू हैं ।

हिमाचल प्रदेश में रेशम उद्योग

४३. **श्री पद्म देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में रेशम उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार किन-किन योजनाओं पर विचार कर रही है; और

(ख) इस दिशा में गत पांच वर्षों में क्या-क्या काम किया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) चालू वित्तीय वर्ष में हिमाचल प्रदेश में रेशम के कीड़े पालने की तीन विकास योजनाएं चलाई जा रही हैं । ये इस प्रकार हैं :—

१. मण्डी का सेण्ट्रल डिमांस्ट्रेशन फार्म तथा रेशम के कीड़ों का बीज भण्डार ।

२. धौलाकुआं में सेण्ट्रल डिमांस्ट्रेशन फार्म संगठन ।

†मूल अंग्रेजी में

३. मण्डी में रेशम के तार को लपेटने के प्रदर्शन तथा उत्पादन केन्द्र की स्थापना ।

(ख) पिछले पांच सालों में इस प्रदेश में रेशम के कीड़े पालने का प्रचार करने की कोशिश की गई है । इन सालों में हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने जो काम किया उसमें ये भी शामिल हैं :—

१. शहतूत से रेशम तैयार करने वाले प्रदर्शन फार्मों की स्थापना करना;

२. रेशम के कीड़े पालने वालों को शहतूत के पौधे देने के लिये शहतूत की नर्सरियां खोलना;

३. बीज के काम में लाने के लिये रोगमुक्त रेशम के कीड़े देना;

४. रेशम का तार लपेटने के काम का कारीगरों को प्रशिक्षण देना; और

५. शिवरात्रि और नलवाड़ी के मेलों में रेशम के कीड़े पालने के बारे में प्रदर्शनियां करना ।

नेपा मिल

†४४. **श्री वाडीवा** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेशनल न्यूजप्रिन्ट एंड पेपर मिल्स लिमिटेड, नेपानगर अभी तक १०० टन अखबारी कागज़ प्रति दिन बनाने की अपनी अधिष्ठापित क्षमता पर नहीं पहुंच पाया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). जी, हां । प्रमुख कारण विद्युत और ईंधन के संभरण में कमी है । उत्पादन को प्रतिदिन १०० टन तक बढाने के लिये उपकरण लगाये जा रहे हैं और यह आशा की जाती है कि यदि इस प्रबन्ध के लिये पर्याप्त विद्युत मिलती रही तो मिल के लिये अपनी अधिष्ठापित क्षमता में वृद्धि करना सम्भव हो सकेगा ।

पारपत्र और यात्रा संबंधी कागजात

†४५. **श्री न० रा० मुनिस्वामी :**
श्री सूपकार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५८, १९५९ और १९६० में अब तक पारपत्रों और यात्रा सम्बन्धी अन्य कागज़ातों के लिये कितना शुल्क वसूल अथवा इकट्ठा किया गया है;

(ख) क्या इस शुल्क में कोई परिवर्तन हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) पारपत्रों और यात्रा सम्बन्धी अन्य कागज़ातों के लिये निम्नलिखित शुल्क इकट्ठा किया गया :

	१९५८ रुपये	१९५९ रुपये	१९६० रुपये
पत्र	९०५,४६६	९८४,९६०	५६१,२३५
ा सम्बन्धी अन्य कागज़ात . .	३४,७२७	४०,७८७	१९,३९४

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) और (ग). जी, हां । पारपत्र और यात्रा सम्बन्धी अन्य कागजात के जारी करने के शुल्क में १ जून, १९६० से परिवर्तन कर दिया गया है । इस तिथि से पूर्व जो शुल्क लिया जाता था, वह युद्ध से पूर्व निर्धारित किया गया था और तब से उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया यद्यपि पारपत्र सस्थान, छपाई और अन्य मदों पर यह खर्चा कई गुना बढ़ गया है ।

घड़ियों का निर्माण

†४६. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विभूति मिश्र :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ९ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में घड़ियों के निर्माण के लिये अन्य योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). गैर-सरकारी क्षेत्र में भारत-फ्रांस सहयोग योजना के अतिरिक्त, सरकारी क्षेत्र में जापानी फर्म के सहयोग से घड़ियां बनाने की योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है । गैर-सरकारी क्षेत्र में एक इटली की फर्म और दूसरी पश्चिमी जर्मनी की फर्म के सहयोग से अन्य दो योजनाओं को भी अस्थायी तौर पर स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है ।

महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित घटनाओं के रिकार्ड तैयार करना

†४७. श्री दी० चं० शर्मा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री १२ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महात्मा गांधी के जीवन से सम्बन्धित घटनाओं का आकाशवाणी द्वारा रिकार्ड तैयार करने की योजना को कार्यान्वित करने के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है;

(ख) क्या उन्होंने खेडा सत्याग्रह के बारे में रिकार्ड तैयार किये हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) महात्मा गांधी के जीवन से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं के बारे में चार रेडियो डाक्युमेंटरियां प्रसारित की गयी हैं और इसी प्रकार की अन्य डाक्युमेंटरियां तैयार करने के लिये प्रमाणिक सामग्री एकत्रित की जा रही है ।

(ख) और (ग). क्योंकि खेडा सत्याग्रह प्रमुख रूप से सरदार पटेल से सम्बन्धित है, इस घटना के बारे में डाक्युमेंटरी का आकाशवाणी, अहमदाबाद द्वारा सरदार पटेल की ८५वीं वर्षगांठ पर प्रसारण किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्रमजीवी पत्रकार मजूरी समिति

†४८. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री १२ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १०८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रमजीवी पत्रकार मजूरी समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने की दिशा में इस बीच क्या प्रगति हुई है; और

(ख) क्या इस बारे में स्थिति को बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जावेगा ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). समझा जाता है कि अधिकांश संस्थानों द्वारा समिति के निर्णयों को कार्यान्वित किया जा रहा है। जहां कहीं से कोई शिकायत प्राप्त होती है, उचित कार्यवाही की जाती है।

सरकारी इमारतें

४९. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भविष्य में सरकारी इमारतें बनाने के बारे में केन्द्रीय सरकार ने नई नीति बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : (क) और (ख). भवनों के निर्माण के बारे में अभी तक कोई नई नीति नहीं बनाई गई। फिर भी, भवनों की कार्य-उपयोगिता को बनाये रखते हुए निर्माण की लागत में अधिक से अधिक कमखर्ची करने के लिए निरन्तर प्रयत्न किया जा रहा है। इस उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए, दुर्लभ आवश्यक पदार्थों, जैसे इस्पात, सीमेंट आदि का प्रयोग कम से कम किया जा रहा है और विदेशी मुद्रा की बचत करने के लिए यथासम्भव स्वदेशी सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। यह भी प्रस्ताव है कि कार्यालय भवनों में कर्मचारियों के लिए, जहां तक काम चल सके, अलग अलग कमरों के बजाय बड़े ब हाल बनाये जायें।

सरकारी क्वार्टरों में सफाई

†५०. श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :
श्री बहादुर सिंह :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री १६ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २१८६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि देवनगर में सरकारी क्वार्टरों में पा ी से सफ़ाई करने की सहूलियतें[1] उपलब्ध करने की दिशा में और क्या प्रगति हुई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : देव नगर में 'ई' टाइप के क्वाटरों में पानी से सफ़ाई करने की सहूलियतें उपलब्ध करने के कार्य को मंजूरी दे दी गयी है

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Water-borne sanitation.

और केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग ने इस काम को पूरा करने के लिये आरम्भिक कार्यवाही शुरू कर दी है ।

ईरान में भूकम्प पीड़ितों को भारतीय सहायता

†५१. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, १९६० में ईरान में भूकम्प से पीड़ित व्यक्तियों को भारत द्वारा क्या सहायता दी गयी है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : अप्रैल, १९६० में दक्षिणी ईरान में भूकम्प से पीड़ित व्यक्तियों को सरकार द्वारा लगभग ८,५०० रुपये के मूल्य की चाय, कपड़े और ऊनी कम्बल उपहार के रूप में दिये गये । इसके अतिरिक्त लगभग २,००० पये के मूल्य की चाय कलकत्ता में र-सरकारी फ़र्मों द्वारा भी दी गयी । यह सामान इंडियन एयर-लाईन्स कारपोरेशन द्वारा कराची तक निःशुल्क पहुंचाया गया और वहां से ईरानी सरकार द्वारा अपनी व्यवस्था की गयी ।

ग्रीष्मकालीन नाटक समारोह

†५२. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री कुन्हन :
श्री वारियर :
श्री पुन्नूस :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संगीत और नाटक विभाग द्वारा संगठित अप्रैल-मई १९६० में ग्रीष्मकालीन नाटक समारोह के अवसर पर कितने नाटक खेले गये;

(ख) इस समारोह में कौन कौन सी भाषाओं के नाटक खेले गये;

(ग) क्या यह सच है कि इस अवसर पर मलयालम भाषा का कोई नाटक नहीं खेला गया; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) १२ नाटक और पांच प्रचार रूपक ।

(ख) हिन्दी, बंगाली, तमिल, असामी, मराठी, कन्नड़ और संस्कृत ।

(ग) जी, हां ।

(घ) विभिन्न भाषाओं में नाटक खेलने के लिये राज्य सरकारों से नाटक-मंडली भेजने और समारोह में सहयोग करने को कहा गया था । केरल सरकार ने कोई मंडली नहीं भेजी. इसलिये मलयालम नाटक नहीं खेला जा सका ।

काफी हाउसों का बन्द किया जाना

†५३. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री कुन्हन :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काफ़ी बोर्ड द्वारा वर्ष १९५७ के बाद से कितने काफ़ी हाउस बन्द किये गये;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस समय काफ़ी बोर्ड द्वारा कितने काफ़ी हाउस स्वयं चलाये जा रहे हैं और वे किन स्थानों पर चलाये जा रहे हैं;

(ग) १९५७ से कितने कर्मचारियों की छंटनी की गयी; और

(घ) अब बोर्ड द्वारा कितने कर्मचारी काम पर लगाये गये ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) ३४

(ख) ३; दिल्ली, श्रीनगर और कलकत्ता

(ग) ६५२

(घ) १९४

चलचित्रों पर प्रतिबन्ध

†**५४. श्री सै० अ० मेहदी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री ९ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीरिया सरकार द्वारा जुलाई १९६० तक विदेशी चलचित्रों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाये जाने से कितने भारतीय चलचित्रों पर इस का प्रभाव पड़ा ; और

(ख) इस मामले में यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) और (ख). सरकार को इस बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है कि सीरियाई प्रदेश के संस्कृति और राष्ट्रीय मार्गदर्शन मंत्रालय द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों से भारतीय चलचित्रों पर कोई प्रभाव पड़ा है ।

अभ्रक निर्यात संवर्द्धन परिषद्

†**५५.** { **श्री अरविन्द घोषाल :**
श्री बि० दास गुप्त :
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभ्रक निर्यात संवर्द्धन परिषद् ने अपनी मई, १९६० में कलकत्ता में हुई बैठक में निर्यात में सुधार करने के लिये कोई पग उठाये जान की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सिफारिश की है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). ९ मई, १९६० को कलकत्ता में हुई परिषद् की तृतीय वार्षिक सामान्य बैठक में इन मामलों के बारे में सुझाव दिये गये : निर्यातकों के लिये एक व्यवहार प्रक्रिया बनाना, एक स्टेण्डर्ड संविदा फ़ार्म तैयार करना, विवादों को मध्यस्थ-निर्णय द्वारा निपटाने के लिये नियम बनाना, निर्यातकों का पंजीयन, कच्चे सामान और मशीनों आदि के संभरण के लिये व्यवस्था करना । कई सुझावों में ऐसी बातें हैं जिन पर पहले ही विचार किया जा रहा है । बैठक में विचार के फलस्वरूप कोई औपचारिक सिफ़ारिशें नहीं की गयीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड

†५६. श्री अ० मु० तारिक :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के अधीन विभिन्न श्रेणियों में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ; और

(ख) (श्रेणी-वार) उन की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के अधीन विभिन्न श्रेणी में काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या निम्न प्रकार है :

कर्मचारियों की श्रेणी	कर्मचारियों की संख्या
प्रथम श्रेणी के पदाधिकारी	४६
द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारी	२४
तृतीय श्रेणी के पदाधिकारी	३९६
चतुर्थ श्रेणी के पदाधिकारी	११९
कुल	५८५

(ख) प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के पदों पर संघ लोक सेवा आयोग की सिफ़ारिश पर नियुक्ति की जाती है । कार्य की आवश्यकता को देखते हुए यदि आवश्यक हो तो तदर्थ आधार पर तब तक के लिये अस्थायी नियुक्तियां की जाती हैं जब तक कि संघ लोक सेवा आयोग उपयुक्त व्यक्तियों का चुनाव नहीं कर देता ।

तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्तियां ऐसी नियुक्तियों के लिये निर्धारित नियमों के अनुसार पुनर्वास तथा रोज़गार महानिदेशक तथा काम दिलाऊ दफ्तरों द्वारा सिफ़ारिश किये गये व्यक्तियों में से की जाती हैं । यदि पुनर्वास तथा रोज़गार महानिदेशक उपयुक्त व्यक्तियों की सिफ़ारिश नहीं कर पाता तो तृतीय श्रेणी के पदों पर, मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों आदि जैसे अन्य साधनों से नियुक्तियां की जाती हैं ।

आन्ध्र प्रदेश में लघु उद्योग निगम

†५७. श्री इ० मधुसूदन राव : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री २० अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १६१३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने आन्ध्र प्रदेश में एक लघु उद्योग निगम स्थापित करने के लिये प्रस्ताव भेज दिया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस का क्या ब्यौरा है ; और

(ग) उस पर क्या फैसला किया गया है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) से (ग). इस मामले पर अभी राज्य सरकार विचार कर रही है ।

राष्ट्रीय संग्रहालय के निकट दुर्घटना

†५८. { श्री अमजद अली :
श्री प० ला० बारूपाल :

क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १७ अप्रैल, १९६० को राष्ट्रीय संग्रहालय की इमारत के स्थान पर नई दिल्ली में एक श्रमिक मारा गया और दो अन्य श्रमिक घायल हो गये ;

(ख) क्या ठेकेदार ने श्रमिकों को कोई मुआवजा दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में ठेकेदार ने मुआवजे के रूप में कितनी धनराशि दी है ?

†निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : (क) जी, हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) मुआवजे की रकम का निर्णय श्रम आयुक्त करेंगे । जैसा कि कामगार प्रतिकर अधिनियम में अपेक्षित है, घायल श्रमिकों और मृतक के सम्बन्धियों से श्रम आयुक्त के समक्ष अपने दावे पेश करने के लिये कहा गया है ।

आकाशवाणी, कटक की कार्यक्रम मंत्रणा समिति

†५९. श्री संगण्णा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री कटक में आकाशवाणी केन्द्र के सम्बन्ध में १२ फरवरी, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ८५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्यक्रम मंत्रणा समिति में एक आदिवासी सदस्य को लिया गया है ; और

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो इस के क्या कारण हैं ?

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) और (ख). जी, हां । इस समय समिति में एक आदिवासी सदस्य नियुक्त किया गया है ।

भारत में पाकिस्तानी राष्ट्रजन

†६०. श्री दलजीत सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९६० से ३१ जुलाई, १९६० तक पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान से पृथक पृथक कितने पाकिस्तानी राष्ट्रजन भारत यात्रा पर आये ; और

(ख) इसी काल में कितने कितने भारतीय राष्ट्रजन पूर्वी व पश्चिमी पाकिस्तान की यात्रा को गये ?

---

†भूल अंग्रेजी में]

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) १ जनवरी और ३० जून १९६० के बीच १,७४,२११ पाकिस्तानी राष्ट्रजन पूर्वी और ९५,६७५ पश्चिमी पाकिस्तान से यात्रा को आये ।

(ख) इसी काल में ७६,०१२ भारतीय राष्ट्रजन पूर्वी पाकिस्तान और ४८,३५० पश्चिमी पाकिस्तान की यात्रा पर गये ।

नोट : उपरोक्त आंकड़ों में महाराष्ट्र राज्य के बारे में १५-३-१९६० से बाद के, पश्चिमी बंगाल राज्य के बारे में १५-६-६० के बाद के और आसाम राज्य के बारे में ३१-३-१९६० के बाद के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं ।

साइकिलों का निर्माण

†६१. श्री दलजीत सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में १ अप्रैल, १९६० से ३१ जुलाई, १९६० तक (राज्यवार) कितनी साइकिलों का निर्माण हुआ ;

(ख) इन में से कितनी साइकिलें देश में बेची गईं ; और

(ग) उपरोक्त काल में कितनी साइकिलें (देशवार) निर्यात की गईं ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४]

अल्प आय वर्ग गृह-निर्माण योजना

†६२. श्री दलजीत सिंह : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में १९६०-६१ में अब तक कितने व्यक्तियों को अल्प आय वर्ग गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत ऋण दिया गया है ; और

(ख) कुल कितना ऋण दिया गया है ?

†निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) तथा (ख). अपेक्षित जानकारी हिमाचल प्रदेश प्रशासन से मांगी गई है और आने पर पटल पर रख दी जायेगी ।

पंजाब का खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

†६३. श्री दलजीत सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने पंजाब के खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को १९६०-६१ में कितना धन दिया है या देगी ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): अनुदान स्वरूप १३,२५,३४५ रु० (तेरह लाख पच्चीस हज़ार तीन सौ पैंतालीस रुपये) और २७,२६,७९० रु० (सत्ताईस लाख छब्बीस हज़ार सात सौ नब्बे रुपये) ऋण रूप में १९६०-६१ में पंजाब के खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को अस्थायी रूप में आवंटित किये गये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

चंडीगढ़ में रिलेइंग स्टेशन

†६४. श्री दलजीत सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंडीगढ़ में आकाशवाणी का रिलेइंग स्टेशन बनाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) तथा (ख). तृतीय पंचवर्षीय योजना में देश के विभिन्न भागों में मीडियम वेव के कई ट्रांसमिटर लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन है । ठीक स्थान चुनते समय चण्डीगढ़ की उपयुक्तता का भी ध्यान रखा जायेगा जोकि टेक्निकल तथा अन्य बातों पर निर्भर होगी ।

पाकिस्तानियों का युद्ध विराम रेखा के पार आना

†६५. पंडित दा० ना० तिवारी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई १९६० से पाकिस्तानियों ने काश्मीर में युद्ध विराम रेखा को कितनी बार पार किया है ;

(ख) क्या कोई व्यक्ति बन्दी बनाया गया है और उस पर अभियोग चलाया गया है ; और

(ग) कितने व्यक्ति युद्ध विराम रेखा पार करने के बाद भाग गये ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) मई १९६० और जून १९६० में पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर वासियों ने ११ विभिन्न अवसरों पर युद्धविराम रेखा पार की ।

(ख) तथा (ग). ११ अवसरों में से ३ अवसरों पर हमारी टुकड़ियों ने आने वालों का सामना किया । दो बार में दो प्रवेशकर्ता मारे गये । इन में एक तोड़ फोड़ करने वाला भी था । तीसरे मामले में दो व्यक्ति पकड़े गये थे जिन पर वैधिक कार्यवाही की जा रही है ।

चाय का निर्यात

†६६. श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंहजी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निम्न क्षेत्रों में १९५९-६० में चाय का कुल कितना उत्पादन हुआ और कितनी चाय निर्यात की गई :

(१) आसाम (२) पश्चिमी बंगाल (३) त्रिपुरा (४) उत्तर प्रदेश (५) बिहार (६) पंजाब (कांगड़ा) (७) हिमाचल प्रदेश (८) मद्रास (९) मैसूर (१०) केरल ; और

(ख) १९५८ और १९५९ में उत्तरी भारत व दक्षिणी भारत के चाय उगाने वाले जिलों में कितने एकड़ भूमि में और कितनी चाय का उत्पादन हुआ ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो): (क) तथा (ख). एक विवरण जिस में (१) ३१-३-५९ को चाय-एकड़ों (२) उत्तरी व दक्षिणी भारत के चाय उगाने वाले जिलों में चाय के उत्पादन और

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) १९५८ और १९५९ में राज्यवार उत्पादन का उल्लेख है, नत्थी है। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५]

१९५९ के जिलावार उत्पादन के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

प्रत्येक राज्य से चाय के निर्यात के आंकड़े बताना संभव नहीं है क्योंकि अधिकतर चाय कलकत्ता और कोचीन बन्दरगाहों से निर्यात की जाती है और ऐसा कोई भेद नहीं रखा जाता कि वह किस राज्य में की है। १९५९-६० में कुल ४,७६५ लाख पौंड चाय का निर्यात हुआ जिस का मूल्य १२९.५ करोड़ रु० था।

साइकिलों के पुर्जों का आयात

†६७. श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० चं० माझी :
श्री नेक राम नेगी :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब भी साइकिलों के पुर्जों का आयात होता है ;

(ख) यदि हां, तो कौन कौन पुर्जे आयात किये जाते हैं ;

(ग) क्या इन पुर्जों को देश में बनाने की संभावना है ; और

(घ) यदि हां तो पुर्जों के निर्माण के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) तथा (ख). सुप्रसिद्ध आयातकर्ता अपने कोटे के २½ प्रतिशत साइकिलों के निम्न पुर्जे आयात कर सकते हैं परन्तु उन का मूल्य न्यूनतम ५०० रु० होना चाहिये :

(१) फ्री व्हील

(२) चेन

(३) बी० बी० एक्सिल, बी० बी० कप तथा बी० बी० के मुद्राकार ताले।

(४) फ्रोर्क हैड फिटिंग।

साइकिलों के उन निर्माणकर्ताओं/एकत्रितकर्ताओं के वास्तविक प्रयोगकर्ता प्रार्थनापत्रों पर जिन की योजनायें सरकार ने बड़े पैमाने के उद्योगों के लिये स्वीकृत की हैं, उपरोक्त पुर्जे आयात करने की अनुमति दी जाती है परन्तु इन का पैक मूल्य प्रति निर्मित/एकत्रित[1] साईकिल में ५ रु० होना चाहिये।

छोटे पैमाने के उद्योगों में स्वीकृत एकत्रितकर्ताओं को हब, फ्री व्हील और चेन आयात करने की अनुमति है परन्तु इन का पैक मूल्य प्रति एकत्रित साईकिल में ८ रु० होना चाहिये।

(ग) और (घ) सरकार ने बड़े पैमाने और छोटे पैमाने के उद्योगों में इन पुर्जों के निर्माण के लिये अनेक योजनायें स्वीकार की है। आशा है कि १९६१ के अन्त तक देश में मांग की स्वदेशीय निर्माण से पूर्ण पूर्ति हो जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Assembled.

अखबारी कागज का उत्पादन

†६८. श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० चं० झाझी :
श्री नेक राम नेगी :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आजकल देश में कुल कितना अखबारी कागज बनता है और मुख्यकर उत्पादन कहां होता है ;

(ख) स्वदेशीय उत्पादन से १९५९-६० में कुल कितनी विदेशी मुद्रा की बचत हुई ; और

(ग) अखबारी कागज के उत्पादन में हमारा देश कब स्वावलम्बी होगा ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) १९५९-६०—२२,४११ टन ।

देश में केवल एक कारखाना है, अर्थात्, नेशनल न्यूज प्रिन्ट एण्ड पेपर मिल्स लि०, नापानगर ।

(ख) लगभग १९६ लाख रु० ।

(ग) अखबारी कागज का स्वदेशीय उत्पादन बढ़ाने और देश को इस मामले में स्वावलम्बी बनाने का प्रयास किया जा रहा है । फिर भी अभी कोई निश्चित समय नहीं बतलाया जा सकता ।

कोयला खान मजदूरों के लिये मकान

†६९. श्री सुबिमल घोष :
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान मजदूरों के लिये दो कमरे वाले एक लाख मकान कोयला खान कल्याण निधि में से बनाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां तो निर्माण कब आरम्भ होगा और कब समाप्त होगा ;

(ग) राज्य वार कितने मकान बनाये जायेंगे ; और

(घ) इस का ब्यौरा क्या है ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आरिफ बेग): (क) से (घ) प्रति वर्ष दो कमरों के २०,००० सस्ते मकान बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है । योजना के अधीन खान मालिकों को १००० रु० प्रति मकान अनुदान दिया जायेगा ताकि वे अपेक्षित इमारती सामान खरीद सकें ।

श्रीनिवासपुरी (दिल्ली) में बिजली

†७०. श्री राम गरीब : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री २० अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २३४३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली की श्री निवासपुरी के सरकारी क्वार्टरों में बिजली लग गई है ; और

(ख) यदि नहीं तो इस का क्या कारण है और यह अनिवार्य सुविधा वहां रहने वालों को कब तक मिल जायेगी ?

---

†हिन्दी में

†निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : (क) तथा (ख). बस्ती की सड़कों पर बिजली लग गई है। मीटरों के मिलने में कठिनाई होने के कारण दिल्ली विद्युत् संभरण उपक्रम अभी तक इन क्वार्टरों में बिजली नहीं लगा सका है। मकानों में कनेक्शन लगाने का काम अधिकतर क्वार्टरों में पूरा हो गया है और शेष क्वार्टरों में हो रहा है। पहिले क्वार्टरों के निवासियों को आवश्यक औपचारिक बातें पूरा होते ही बिजली मिल सकती है। उनसे कहा जा चुका है कि उपक्रम से पूछ-ताछ करें। शेष कार्य शीघ्र ही पूरा हो जायेगा।

सरकारी क्वार्टरों को किराये पर उठाना

†७१. श्री राम गरीब : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९ में दिल्ली में सरकारी क्वार्टर किराये पर देने के कितने मामले पकड़े गये ;

(ख) कितने व्यक्तियों को दण्ड दिया गया ; और

(ग) कितने मामले झूठे थे।

†निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : (क) जनरल पूल के ६७८ क्वार्टरों के बारे में जांच की गई थी।

(ख) २५४ मामलों में दण्ड दिया गया।

(ग) ४२४ मामलों में किराये पर उठाने का अपराध सिद्ध न हो सका।

सरकारी क्वार्टरों पर अप्राधिकृत कब्जा

†७२. श्री राम गरीब : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक मकान अप्राधिकृत कब्ज़े में हैं और वैधानिक कार्यवाही करने पर भी खाली नहीं किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली/नई दिल्ली में कितने सरकारी क्वार्टर ऐसे कब्ज़े में हैं ?

†निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : (क) और (ख). वैधानिक कार्यवाही करने के बाद भी ४ क्वार्टर अनाधिकार कब्ज़े में हैं। १९७ मामलों में खाली कराने की कार्यवाही हो रही है।

किराया-खरीद योजना के अन्तर्गत चाय मशीनों का क्रय

†७३. श्री र० चं० बरुआ : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक चाय बोर्ड को विभिन्न चाय बागानों से किराया-खरीद योजना के अन्तर्गत चाय मशीनें खरीदने के लिए कितने आवेदन पत्र मिले हैं ;

(ख) उपरोक्त योजना के अन्तर्गत कितने चाय बागानों को मशीनें दी जा चुकी हैं; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इसके क्या कारण हैं ?

---

† मूल अंग्रेजी में

†वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) (क) १६ । योजना के अन्तर्गत आवेदनपत्र देने की अन्तिम तारीख ३१ अगस्त, १९६० निर्धारित है। उस तारीख तक और आवेदनपत्र आने की आशा है।

(ख) कोई नहीं।

(ग) अब तक प्राप्त आवेदनपत्रों की चाय बोर्ड जांच कर रहा है।

सिगरेटों और सिगारों का उत्पादन

†७४. श्री रामेश्वर टांटिया : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिगरेटों और सिगारों का उत्पादन तथा उपभोग निरन्तर बढ़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो १९५६, १९५७, १९५८, १९५९ और जनवरी से मार्च १९६० तक उनके उत्पादन व उपभोग का ब्यौरा क्या है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). सिगार उद्योग सम्बन्धी जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय पटल पर रख दी जायेगी। सिगरेट उद्योग सम्बन्धी जानकारी संलग्न विवरण में दी ह।

विवरण

(क) हां, श्रीमान।

(ख) देश में बनी प्रायः सभी सिगरेटें प्रयोग में आ जाती हैं। केवल बहुत थोड़ी मात्रा में सिगरेटों का निर्यात होता है। उत्पादन (तथा उपभोग) के आंकड़े निम्न हैं :

वर्ष	उत्पादन तथा उपभोग लाखों में
१९५६	२,६३,०००
१९५७	२,८७,०००
१९५८	२,९८,४००
१९५९	३,२१,६६०
१९६० (जनवरी से मार्च)	८८,६००

पश्चिमी जर्मनी को निर्यात

†७५. श्री अगाड़ी :
श्री सुगन्धि :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से पश्चिमी जमनी को निर्यात का कोटा पश्चिमी जर्मनी की सरकार ने निर्धारित किया है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां तो, निर्यात की वस्तुयें, उनकी मात्रा और समय क्या है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) तथा (ख). एक विवरण रखी है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६]

भारत-पाकिस्तान सीमा घटनायें

†७६. श्री दलजीत सिंह :
श्री नरदेव स्नातक :
श्री विभूति मिश्र :
श्री सुबिमन घोष :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, मई और जून, १९६० में हुई भारत-पाकिस्तान सीमा घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें जान व माल की कितनी हानि हुई; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) से (ग). अप्रैल-जून, १९६० के काल में भारत पाकिस्तान सीमा पर हुई घटनाओं का ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण पटल पर रखा जाता है ।

इन सीमा घटनाओं को रोकने के लिए विवरण के कालम ५ में उल्लिखित कार्यवाही करने के अतिरिक्त घटनाओं पर जिला अधिकारियों तथा क्षेत्र कमाण्डरों की मासिक बैठकों में वार्ता की गई जैसी कि "ग्राउण्ड नियमों" में व्यवस्था है ।

विदित होगा कि घटनायें "ग्राउण्ड नियम" बनने से पहिले की घटनाओं की भान्ति गम्भीर नहीं है । ये नियम अक्टूबर, १९५९ और जनवरी, १९६० की भारत-पाकिस्तान कान्फ्रेंसों में बनाये गये थे ।

नेशनल न्यूज़ प्रिन्ट एण्ड पेपर मिल्स लि०

†७७. श्रीमती पार्वती कृष्णन् :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल न्यूज प्रिन्ट एण्ड पेपर मिल्स, लिमिटेड नेपानगर के लेखापरीक्षित लाभ व हानि खाता तथा सन्तुलन विवरण में ३१ मार्च, १९६० को समाप्त हुए वर्ष में हानि दिखाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो वास्तविक हानि की राशि क्या है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख). नेशनल न्यूज़प्रिन्ट एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड का लाभ व हानि खाता तथा सन्तुलन विवरण अभी अन्तिम रूप से तैयार नहीं हुआ है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

निधन संबंधी उल्लेख

†अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को चौधरी परागी लाल, श्री देवनपल्ली राजय्या, श्री पी० बी० गोले, श्रीमती राधाभाई सुब्बरायन, श्री सी० पी० मात्तन और श्री ए० धर्मदास के दुखद निधन की सूचना देनी है।

चौधरी परागी लाल उत्तर प्रदेश के सीतापुर---रक्षित---अनुसूचित जातियां निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित लोक सभा सदस्य थे। वह संविधान सभा, अन्तःकालीन संसद और प्रथम लोक-सभा के सदस्य भी रहे थे। उनका १८ मई, १९६० को सीतापुर में ६२ वर्ष की अवस्था में स्वर्गवास हो गया।

श्री देवनपल्ली राजय्या भी वर्तमान लोक सभा के सदस्य थे और आन्ध्र प्रदेश के नलगोंडा---रक्षित---अनुसूचित जातियां निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। उनका ९ जुलाई, १९६० को ५६ वर्ष की अवस्था में हैदराबाद में देहान्त हो गया।

श्री बी० पी० गोले १९४५---४७ में भूतपूर्व केन्द्रीय विधान-सभा के सदस्य रहे थे। उनका २१ मई, १९६० को अकोला में ७५ वष की अवस्था में स्वर्गवास हो गया।

श्रीमती राधाबाई सुब्बरायन भी १९३८---४५ में भूतपूर्व केन्द्रीय विधान-सभा की सदस्या रही थीं। उनका २ जून, १९६० को नई दिल्ली में ६८ वर्ष की अवस्था में देहान्त हो गया।

श्री सी० पी० मात्तन प्रथम लोक सभा के सदस्य रहे थे। उनका २ जून, १९६० को पेरिस में ७० वष की अवस्था म स्वर्गवास हो गया।

श्री ए० धर्मदास १९४६---५० में भारत की विधान सभा के सदस्य रहे थे। उनका २७ जुलाई, १९६० को नई दिल्ली में ७३ वर्ष की अवस्था में देहान्त हो गया।

हमें इन मित्रों के निधन का हार्दिक दुख है और हम उनके परिवारों के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हैं। सदस्यगण दुख प्रकट करने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होकर एक मिनट का मौन धारण करें।

इसके पश्चात् सदस्य एक मिनट तक मौन खड़े रहे।

स्थगन प्रस्ताव

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की आम हड़ताल

†अध्यक्ष महोदय : मुझे कई स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें मिली हैं। इनमें से एक श्री स० मो० बनर्जी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्यों की ओर से मिली है जिसका आशय केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हाल की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति पर विचार करना है।

माननीय सदस्यों को यह समझना चाहिए कि स्थगन प्रस्ताव केवल अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ही उपस्थित किये जा सकते हैं। लोक महत्व का होने के अतिरिक्त वह विषय अविलम्बनीय भी होना चाहिए और उसकी अविलम्बनीयता बनी रहनी चाहिये। मैं समझता हूं कि इस विषय के सम्बन्ध में अब स्थिति उतनी गंभीर नहीं रह गई है इसलिए इस पर अन्य प्रकार से चर्चा की जा सकती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० क० गोपालन** (कासरगोड) : मैंने कुछ निर्दिष्ट बातों की चर्चा करने के उद्देश्य से ही इस स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जो आजकल भी घटित हो रही है । कल अर्थात ३१, जुलाई, १९६० को पटना में असैनिक उड्डयन विभाग के १७ कर्मचारी अध्यादेश के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये हैं । उनकी जमानत भी नहीं हो सकती है । इसके अतिरिक्त कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है । उदाहरण के लिए उनसे कुर्सी पर खड़े होकर माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है । इस प्रकार की चीजें अभी जारी रहेंगी । इसलिए उनके सम्बन्ध में चर्चा करना आवश्यक है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय गृह मंत्री ने एक प्रस्ताव उपस्थित करने की सूचना दी है जिसका आशय कर्मचारियों की हड़ताल और सरकार द्वारा की गई कार्यवाही से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार करना है । यह अत्यन्त व्यापक प्रस्ताव है और श्री गोलन तथा अन्य सदस्य जो कुछ भी कहना चाहते हैं वह उस प्रस्ताव पर चर्चा के समय कह सकते हैं । यह विषय इतना व्यापक है कि स्थगन प्रस्ताव द्वारा उसके सम्बन्ध में चर्चा नहीं की जा सकती है ।

†**श्री अ० क० गोपालन** : कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जिनकी ओर सरकार का ध्यान तुरन्त आकर्षित करना आवश्यक है । विभागाध्यक्षों द्वारा कमचारियों के साथ की जा रही ज्यादतियों को तुरन्त रोका जाना चाहिए । यह ठीक है कि इस विषय के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा की जानी चाहिए परन्तु वह चर्चा तुरन्त होनी चाहिए, उसे आगे के लिए नहीं टाला जा सकता है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मेरा निवेदन है कि यह विषय आज भी उतना ही आवश्यक है जितना पहले था । हमें अनेक तार मिले हैं जिनमें वर्तमान स्थिति की सूचना दी गई है । हमारी सूचना के अनुसार लगभग १६००० व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे । उनमें से कुछ तो मुक्त कर दिए गए हैं परन्तु शेष अभी तक जेलों में बन्द हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस समय मैं किसी भी व्यक्ति को विस्तृत वक्तव्य देने की अनुमति नहीं दे सकता । माननीय सदस्य कहते हैं कि हमें तुरन्त विचार करना चाहिए और माननीय मंत्री कहते हैं कि हम आगे चल कर उसके सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे । अब हमें निर्णय करना है कि हम क्या करें ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** (बरहामपुर) : मैंने अपने स्थगन प्रस्ताव में सरकार के कर्मचारियों के संगठनों की मान्यता खत्म कर देने के निर्णय से उत्पन्न स्थिति का संकेत किया है । यह निर्णय ठीक नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस विषय को स्थगन प्रस्ताव द्वारा नहीं निपटाया जा सकता है । यदि सभा की कार्यवाही स्थगित कर भी दी जाय तो भी हमें बहुत थोड़ा सा समय इस मामले पर विचार करने के लिये मिलेगा । इसलिए मैं इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए यथाशीघ्र कोई दिन निर्धारित करने का प्रयत्न करूंगा ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सूचना प्राप्त करने के अन्य तरीके भी हैं जैसे अल्प सूचना प्रश्न आदि । स्थगन प्रस्ताव ही इसका एकमात्र तरीका नहीं है । वह मेरा या गृह-कार्य मंत्री का ध्यान किसी भी विषय की ओर आकर्षित कर सकते हैं ।

†**श्री वाजपेयी** (बलरामपुर) : क्या माननीय गृह मंत्री यह आश्वासन दे सकते हैं कि जब तक इस प्रकार की चर्चा नहीं होती तब तक कर्मचारियों के विरुद्ध कोई प्रतिशोधात्मक कार्यवाही नहीं की जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री क० उ० परमार** (अहमदाबाद--रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मेरा निवेदन है कि इस अध्यादेश की आड़ में गुजरात में पुलिस राज्य का बोलबाला हो रहा है और सत्ता प्राप्त दल ने समस्त राजनैतिक दलों को कुचल देने का भरसक प्रयत्न किया है। गुजरात में पांच व्यक्तियों की जाने भी गई हैं, इसलिए इस स्थगन प्रस्ताव को अनुमति प्रदान की जानी चाहिए।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय गृह मंत्री।

†**गृह कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : मैं इस विषय के सम्बन्ध में कोई विस्तृत वक्तव्य देना आवश्यक नहीं समझता हूं। मैंने अपने प्रस्ताव की सूचना इसलिए दी है कि इस विषय से सम्बन्धित विभिन्न प्रश्नों पर माननीय सदस्य और सरकार दोनों अपने दृष्टिकोण उपस्थित कर सकें। इस प्रकार की बातें कहना ठीक नहीं है कि केन्द्रीय सरकार ने हड़तालियों को मारने का आदेश जारी किया था। यदि माननीय सदस्य किसी विभाग से सम्बन्धित किसी मामले की ओर मेरा अथवा अन्य मंत्रियों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं तो वे वैसा कर सकते हैं परन्तु जहां तक इन स्थगन प्रस्तावों का सम्बन्ध है इन्हें ग्राह्य नहीं माना जा सकता। वैसे इस विषय के महत्व को देखते हुए मैं उस पर चर्चा किये जाने के लिए तैयार हूं। श्री भरूचा ने अत्यावश्यक सेवायें संधारण अध्यादेश के निरसन हेतु जो संकल्प प्रस्तुत किया है उसके लिए संभवतः ८ तारीख निर्धारित की गई है। दोनों प्रश्न एक दूसरे से सम्बन्धित हैं और उन्हें अलग करना कठिन होगा। इसलिए इन दो प्रस्तावों पर एक साथ विचार किया जाना चाहिए।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : मैं एक औचित्य प्रश्न उठाना चाहता हूं। यदि किसी माननीय सदस्य ने संविधान के अनुच्छेद १२३ के अन्तर्गत किसी अध्यादेश के प्रति असहमति प्रकट करने के आशय का संकल्प उपस्थित किया हो तो उस संकल्प पर ही पहले विचार किया जाना चाहिए। उसे अन्य संकल्पों की अपेक्षा अधिमान्यता दी जानी चाहिए।

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति। मैं आपकी बात समझ गया हूं। यह किसने कहा कि पहले आपका संकल्प नहीं लिया जायेगा ? माननीय मंत्री के कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि इस विषय पर दो चर्चायें नहीं होनी चाहिए। मैंने इसके लिए ८ तारीख निश्चित की है। उस दिन पहले मैं श्री भरूचा को मौका दूंगा और फिर माननीय मंत्री को। तत्पश्चात् दोनों मामलों पर एक साथ चर्चा होगी परन्तु मतदान पथक पृथक लिया जायेगा।

†**श्री नौशीर भरूचा** : इस चर्चा के लिए कितने दिन दिये जायेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : एक दिन काफी है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम्) : दो दिन मिलने चाहिएं।

†**श्री अशोक मेहता** (मुजफ्फरपुर) : चूंकि यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए इस चर्चा के लिए कम से कम दो दिन तो मिलने ही चाहिएं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : हम लोगों ने भी यह मांग की है कि इस चर्चा के लिए कम से कम दो दिन दिये जाने चाहिएं।

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरा विचार है कि वेतन आयोग की सिफारिशों पर हम भली प्रकार चर्चा कर चुके हैं। अब यदि कुछ लोग उनसे सहमत नहीं हैं और हड़ताल करते हैं तो उसके सम्बन्ध में फिर से चर्चा नहीं की जा सकती। फिर भी मैं डेढ़ दिन का समय इसके लिए देता हूं। ८ तारीख

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

को पूरे दिन और ९ तारीख को दोपहर तक यह चर्चा होगी । यदि कुछ और समय की आवश्यकता हुई तो माननीय मंत्री बाद में उत्तर दे सकेंगे ।

†**श्री जयपाल सिंह** (रांची पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : इतना समय पर्याप्त नहीं होगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : बहुत अच्छा, ९ तारीख को भी पूरे दिन यह चर्चा जारी रहेगी । अस्तु मैं इस स्थगन प्रस्ताव पर अपनी अनुमति देना आवश्यक नहीं समझता हूं ।

†**श्री अ० क० गोपालन** : क्या ८ और ९ के बजाय कोई पहले के दिन नहीं दिये जा सकते ताकि जो ज्यादतियां की जा रही हैं वे शीघ्र बन्द की जा सकें ?

†**अध्यक्ष महोदय** : जैसा कि माननीय मंत्री ने अभी कहा यह कहना निरर्थक है कि किसी मंत्री अथवा जिम्मेदार अधिकारी ने वैसा करने का आदेश दिया है । ऐसी परिस्थिति में यदि माननीय सदस्य प्रधान मंत्री और गृहमंत्री को उनकी सूचना दें तो वे उनके निराकरण का प्रयत्न करेंगे ।

†**श्री नाथपाई** (राजापुट) : यह ठीक है कि इस प्रकार के आदेश स्वयं गृह मंत्री ने जारी नहीं किये हैं । परन्तु अधिकारियों को जो व्यापक शक्तियां देने का निर्णय किया गया है उसी के परिणाम-स्वरूप ये ज्यादतियां हो रही हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य ऐसे उदाहरणों की सूचना माननीय गृह मंत्री को भेज सकते हैं ।

†**श्री हो० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता मध्य) : समाचार पत्रों में इस प्रकार के अनेक उदाहरण प्रकाशित हो चुके हैं । मैं चाहता हूं कि सरकार हमें यह आश्वासन दे कि भविष्य में उनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं माननीय सदस्यों को यह बता देना चाहता हूं कि सरकार यथासम्भव कोई भी अनुचित कार्यवाही नहीं होने देगी, पदाधिकारियों द्वारा या उन लोगों द्वारा जो बराबर उनकी मुखालिफ़त करते हैं ।

आसाम की स्थिति

†**अध्यक्ष महोदय** : आसाम की स्थिति के बारे में कुछ स्थगन प्रस्ताव आये हैं जिनमें एक श्री त्रिदिब कुमार चौधरी का है जो इस प्रकार है :

> "संविधान के अनुच्छेद ३५५ के अधीन, आसाम में रहने वाले बंगाली भाषी तथा अन्य गैर आसामी भाषी लोगों को जो मूलभूत अधिकार मिले हैं उनको बनाये रखने तथा आसाम में विधि तथा व्यवस्था को बनाये रखने में वहां की सरकार असफल रही है ।"

मेरा विचार है कि माननीय गृह मंत्री इस सम्बन्ध में आज सभा में एक वक्तव्य देने वाले हैं अतः मैं यह मालूम करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य वस्तुतः चाहते क्या हैं ?

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : मेरा यही निवेदन है कि आसाम में होने वाले इन झगड़ों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को उसके खुफिया विभाग द्वारा पहले से ही पता चल गया था । आसाम में असैनिक उड्डयन विभाग की सेवाओं में हुए विघ्न के बारे में पहले से ही जानकारी हो गई थी । इस विभाग के

---

†मूल अंग्रेजी में

कर्मचारियों पर किये गये आक्रमणों के सम्बन्ध में सरकार को वहां के पदाधिकारी ने अवगत करा दिया था। रेलों में हुई गड़बड़ी का पता सरकार को लग गया था। वहां विधि और व्यवस्था अव्यवस्थित हो गई थी। वहां के ४०,००० लोग बेघरबार हो गये थे और १०,००० व्यक्ति आसाम राज्य को छोड़ कर अन्यत्र चले गये थे। ऐसी परिस्थिति में केन्द्रीय सरकार ने क्या किया, बस यही मैं जानना चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय:** माननीय सदस्य का कहना है कि आसाम में आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो गई थी अथवा वहां सांविधान का उल्लंघन किया गया था अतः संसद् को इस पर विचार करना चाहिये। इस बारे में दो बातें हैं। एक तो यह है कि क्या यह विचार करना संसद् के क्षेत्राधिकार में आता है। दूसरी बात यह है कि इस प्रकार की बातों को संसद में विचारार्थ लाने के लिये स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करना ठीक है अथवा नहीं। माननीय सदस्य ने स्थिति का विस्तृत वर्णन किया है अतः अब हमें माननीय मंत्री महोदय की बात सुननी चाहिये।

†**श्री फ्रेंक एन्थनी** (नाम निर्देशित–आंग्ल भारतीय) : यदि सरकार इस पर वाद-विवाद की अनुमति देती है तो मुझे आपका निर्णय मान्य है। यह मामला अकेले बंगालियों का ही नहीं है बल्कि सभी भारतीयों का इससे व्यापक सम्बन्ध है। साथ ही मैं यह बात मानने के लिये तैयार हूं कि इस प्रकार की चर्चा करने के लिये स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करना उपयुक्त नहीं है। लेकिन मेरा निवेदन है कि इसकी चर्चा के लिये सरकार कम से कम दो दिन का समय दे।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : चूंकि यह मामला अखिल भारतीय स्तर पर महत्व का है अतः हमने स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करके इस प्रश्न को उठाया है। हमारा ऐसा विचार है कि केन्द्रीय सरकार ने राजनीतिक विचारधाराओं के आधार पर इन दंगों को नहीं रोका। यह मामला अल्पसंख्यकों का है। पहली बार अन्तर प्रान्तीय आधार पर ऐसे झगड़े हुए हैं। समस्त भारतीय इसके बारे में चिंतित हैं। यह एक बहुत गम्भीर मसला है जिससे सम्पूर्ण भारत में तथा भारत की एकता के लिये भ्रान्ति उत्पन्न हो सकती है। वहां अल्पसंख्यक लोग सुरक्षा अनभव नहीं करते। प्रधान मंत्री भले ही कुछ क्यों न कह लेकिन हमारा कहना है कि केन्द्रीय सरकार अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकी। इसलिये केन्द्रीय सरकार की तानाशाही, और आसाम सरकार की जातीय नीति के विरुद्ध हमने यह स्थगन प्रस्ताव रखा है।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : मेरा निवेदन है कि जब इसकी चर्चा की जाये तो कम से कम यह चर्चा कुछ दिनों तक चले ताकि वहां की वस्तु स्थिति का सही अन्दाजा लगाया जा सके। यह स्थिति वहां के तानाशाही पदाधिकारियों ने ही उत्पन्न नहीं की है बल्कि कुछ स्वार्थी लोगों ने भी इसमें साथ दिया है। आसाम निवासियों की बहुत ही गम्भीर शिकायतें हैं। अतः वस्तु स्थिति का सही और विस्तृत रूप से विश्लेषण किया जाना चाहिये।

†**श्री जयपाल सिंह** : मेरा निवेदन है कि भाषण से काम नहीं बनेगा और न इससे किसी को सन्तोष ही होगा। अतः दूसरा सुझाव यह है कि या तो आप इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार कर लें अथवा आप एक दो दिन इस पर चर्चा करने के लिये नियत करें। अतः इस समय आप इतना ही निर्णय करें कि क्या इस विषय पर चर्चा हो अथवा नहीं क्योंकि केवल भाषण देने से काम नहीं चलेगा।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : केवल विरोधी सदस्य ही इस घटना के बारे में चिंतित नहीं है बल्कि हम भी परेशान हैं : हम भी चाहते हैं कि इस बारे में वाद-विवाद हो। क्योंकि यह मामला सारे राष्ट्र से सम्बन्ध रखता है। मेरा विचार है कि यह वाद-विवाद गुप्त रीति से हो ताकि हम इस पर अच्छी तरह से विचार कर सकें।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री गो० ब० पंत** : मेरा वक्तव्य किसी स्थगन प्रस्ताव के बारे में नहीं है। मैं स्थिति का वास्तविक वर्णन करना चाहता हूं ताकि सदस्यों को इसके बारे में पूरी पूरी जानकारी हो जाये। इस बारे मे किसी पक्षपात की कोई बात नहीं है। अब तो मेरा केवल यह विचार है कि इसमें केन्द्र सम्बन्धी कुछ उच्च उद्देश्य हैं जिनको प्राप्त करना और उन पर ध्यान देना है। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं उस वक्तव्य को पढ़ूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह माननीय मंत्री महोदय पर ही छोड़ता हूं कि वह इस प्रतिवेदन को यहां पढ़ें अथवा सभा पटल पर रखें और बाद को इसका सार माननीय सदस्यों के समक्ष प्रकट कर दें।

जहां तक इस स्थगन प्रस्ताव की बात है मैं कहूंगा कि आसाम राज्य में जो कुछ हुआ सामान्यतः तो वह हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं आता। लेकिन इस बारे में कुछ विशेष परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है। ऐसी परिस्थिति में प्रश्न यह है कि क्या वहां ऐसी गम्भीर परिस्थिति है और केन्द्र का हस्तक्षेप करना आवश्यक है और क्या इसकी यहां चर्चा की जानी चाहिये अतः क्या उसके लिये यह स्थगन प्रस्ताव उपयुक्त साधन है। अतः मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री महोदय इन दोनों बातों पर प्रकाश डालें।

†**श्री गो० ब० पंत** : जहां तक कि पहिला प्रश्न है विश्वस्त सूत्रों से हमें ज्ञात हुआ है कि अब वहां स्थिति सामान्य हैं। निष्क्रान्त तथा वे व्यक्ति जो अपने मकान आदि छोड़कर चले गये थे अब वे वापस आ रहे हैं लगभग १९,००० से २०,००० अपने घरों को वापस आ गये हैं ताकि लोगों को इस बात का आश्वासन हो जाये कि अब वह स्थिति नहीं है और जो लोग भयग्रस्त हैं उनको विश्वास हो जाये कि अब वैसी स्थिति नहीं है। अतः सामान्य स्थिति के लिये सभी कुछ किया जा रहा है। इन सभी लोगों को साथ साथ रहना है और इसके लिये यह आवश्यक है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न की जानी चाहिये ताकि सभी लोग मातृभाव से रह सकें। चूंकि वे देश के सह नागरिक हैं और उनको अपना नित्यप्रति का काय सब के साथ रहकर करना है। इसलिये केन्द्रीय सरकार ने उनकी यथासंभव सहायता की। ४ जुलाई से ही विभिन्न स्थानों पर सेना कार्य कर रही है। यह गम्भीर स्थिति एक सप्ताह अर्थात ४ से ११ जुलाई तक रही और उसके बाद से स्थिति सामान्य हो गई है। स्थिति में काफी सुधार हुआ है, प्रधान मंत्री के दौरे के बाद से वातावरण में परिवर्तन आ गया है अतः हमें आशा है तथा हमारा विश्वास है कि स्थिति ऐसी ही रही जैसी कि अब है तो जो लोग वहां से चले गये हैं वे वापस आ जायेंगे और वहां पूर्ण सुरक्षा हो जायेगी तथा वहां के लोगों को किसीं भी प्रकार का कोई डर नहीं रहेगा। अतः अब वहां स्थिति ऐसी है कि उसमें किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। और केन्द्र सरकार राज्य सरकार की उन क्षेत्रों में रोकथाम करती है जहां कि वह कर सकती है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ४ जुलाई को वस्तुतः वहां स्थिति बत खराब हो गई थी और उसी शाम से विभिन्न स्थानों पर सेना तैनात कर दी गई दी। आसाम राइफल्स भी उनकी सहायता कर रही है। इसके अतिरिक्त ये लोग विभिन्न स्थानों पर जा रहे हैं और इस बात का पता कर रहे हैं कि लोगों में कहीं भी अविश्वास एंव डर की भावना नहीं है। इस काय में काफी सफलता भी मिली है और मेरा विचार है कि यह ही महान कार्य है जो आज किया जाना चाहिये। इसलिये यह सोचना ठीक नहीं है कि सरकार विफल रही है और न सभा के समक्ष इस प्रकार का स्थगन प्रस्ताव लाने की आवश्यकता ही है। निश्चय ही वहां अति दुखद घटनाएं हुई हैं जिनके लिये हमें बहुत दुख है और इनसे पीड़ित व्यक्तियों के प्रति हमारी हार्दिक सहानुभूति है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

अत : मेरा निवेदन है कि इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करने का कोई आधार नहीं है । केरल मे जब ऐसी ही विषम स्थिति उत्पन्न हुई थी तब भी ऐसी ही बातें कही गईं थी, इसी प्रकार के भाषण दिये गये थे । कई सप्ताह तक वहां ऐसी स्थिति रही लेकिन राज्य सरकार से सत्ता लेकर केन्द्र के हाथ में सत्ता आ जाने तक उस बारे में सभा में चर्चा करने की अनुमति हमने नहीं दी। किन्तु संविधान के अनुसार राज्य सरकारें अपने यहां विधि और व्यवस्था बनाने की उत्तरदायी हैं और हमने यथासंभव उनकी सहायता की है ।

जहां तक मुझे सूचना मिली है और वर्तमान स्थिति के बारे में जितनी जानकारी मैंने एकत्रित की है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि अब वहां कहीं भी किसी प्रकार का कोई डर नहीं है । बहुत से व्यक्ति अपने गांवों को वापस जा रहे हैं और अब उनको वहां पूर्णत: बसा दिया गया है । राज्य सरकार ने उनके कल्याण और पुनर्वास के लिये पर्याप्त प्रबन्ध किया है । यदि और सहायता की आवश्यकता पड़ी तो वह भी उनको दी जायेगी । अत: मेरा निवेदन है कि किसी स्थगन प्रस्ताव की कोई आवश्यकता नहीं है ।

इसके बारे मे वाद विवाद किया जाये या नहीं यह एक वैधानिक प्रश्न है जिसके बारे में आपको निर्णय करना है । बस मेरा तो एक निवेदन है कि यदि इसके बारे में वाद-विवाद करना है तो वह वाद-विवाद इस समय नहीं होना चाहिये क्योंकि अब स्थिति ठीक होती जा रही है । स्थगन प्रस्ताव के बारे में अभी जो बातें हो रही थीं तब जिस प्रकार की भावना यहां व्यक्त हो रही थी उसको देखकर मैं कह सकता हूं कि यह इस मामले में कोई सहायता नहीं कर सकती । हम चाहते हैं कि वहां शांति हो और जो कुछ भी भला हो सके वह किया जाये । देश तथा प्रत्येक नागरिक के प्रति हमें महान काय करना है । किसी विवरण के आधार पर हमें अपने पैरों पर कुठाराघात नहीं करना चाहिये । वहां दुखद घटनाएं हुई हैं हम सभी उनकी भत्सना करते हैं । हम सभी को उसका खेद है । यदि आप यह कहें कि हमें इसका खेद है तो भावाभि व्यक्ति सरल है । अगर आप यह चाहते हैं कि इस पर वाद विवाद हो, तो इस समय नहीं । जब स्थिति ठीक हो जाये तभी होना चाहिये । सामान्य स्थिति लान की स्थिति में देरी करने का अवसर नहीं देना चाहिये, अथवा सम्बन्धित दलों अयवा व्यक्तियों को निकट आने के मामले में हमें यहां कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिये ताकि उसमें कोई बाधा आवे । सभा का यही कत्तव्य है जो उसे वहां के निवासियों एवं देश के प्रति करना है ।

कहना तो मैं इसके बारे में बहुत कुछ चाहता हूं लेकिन मैं इसकी चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि मुझे डर है कि कहीं कोई गलतफहमी न हो जाये । हमें यह देखना है कि भविष्य में इसकी क्या प्रतिक्रिया होती है । लेकिन मेरा इतना निवेदन है कि आप यदि वाद-विवाद करना चाहते हैं तो यह वाद-विवाद इस समय न किया जाये । क्यों कि कहीं कोई ऐसी बात न हो जाये जो घाव भरने के बजाय लोगों में अच्छी भावना लाने में ही बाधक बन जाये । असली बात तो यह है । मुझे इस बात से खुशी होगी कि अगर बंगाल और आसाम तथा अन्य प्रतिनिधि नेता प्रधान मंत्री से मिलकर वर्तमान स्थिति के बारे में चर्चा कर लें । और इस बात का निश्चय करें कि अब क्या होना चाहिये और कस प्रकार इस कठिनाई को दूर किया जा सके और किस प्रकार इस कठिनाई को शीघ्रता से दूर किया जा सकता है । क्योंकि जब मामला महत्वपूर्ण होता है तो कभी कभी चर्चा और वाद-विवाद काफी नहीं होते । समस्या का समाधान करने के लिये और भी बहुत से साधन हैं । अत: माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि जो कुछ मैंने कहा है वे उस पर थोड़ा विचार करें ।

मुझ से पूछा गया है कि क्या श्री भट्टाचार्य का तार मुझे मिला था । मेरा ध्यान है कि यह तार ५ तारीख को मिला था । ४ जुलाई को गोहाटी में सेना तैनात कर दी गई थी और इसके

[श्री गो० ब० पंत]

बाद ही शिलांग में भी कुछ सैनिक कम्पनियां लगा दी गई थीं। इसके पश्चात् अन्य स्थानों पर भी सेना तैनात कर दी गई थी। मुझे जो तार मिला था उसके आधार पर मैंने कार्यवाही की। मुझे दूसरे लोगों से भी तार मिले हैं। मैंने मंत्रालय को इनके बारे में जानकारी दी तथा अपने विचारों से भी अवगत कराया, हम सभी लोग इन घटनाओं से दुखित हुए, हमने इस बात पर विचार किया कि यथा संभव सहायता देना कितना आवश्यक है और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या किया जा सकता है। अतः मैं सोचता हूं कि यह एक व्यक्तिगत प्रश्न था जो मुझ से पूछा गया था। और मैंने उसका उत्तर दे दिया है।

क्या इन परिस्थितियों में मुझे अपने वक्तव्य को पढ़ना आवश्यक है जो कि काफ़ी लम्बा है और सम्भवतः उसमें उन बातों पर प्रकाश भी नहीं डाला गया है जो यहां उठाई गई हैं।

†**श्री मोहम्मद इलियास** (हावड़ा) : माननीय मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है वह बिल्कुल गलत है। अब भी हजारों की संख्या में शरणार्थी आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि स्थिति सामान्य है जो बिल्कुल गलत है। मालूम नहीं कि केन्द्रीय सरकार का यह रवैया किसी प्रकार इस स्थिति को हल करेगा।

†**श्री अ० क० गोपालन** : समस्या से सम्बन्धित दो बातों को जो एक दूसरे से विभिन्न हैं मिला दिया गया है। पहली बात तो यह है कि अल्पसंख्यकों के हृदय में किस प्रकार विश्वास प्राप्त किया जा सकता है। माननीय मंत्री महोदय ने स्वयं स्वीकार किया है कि वहां असुरक्षा की भावना है। जनता आसाम राज्य को छोड़ रही थी। अतः केन्द्रीय सरकार वहां विधि और व्यवस्था को बनाने के मामले में संविधान के अनुसार हस्तक्षेप कर सकती थी। जो उसने नहीं किया और इस प्रकार अल्पसंख्यकों में विश्वास की भावना उत्पन्न नहीं कर सकी। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो वाद विवाद हम कर रहे हैं उससे यह प्रश्न बिल्कुल ही अलग है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हमें सरकार की इस विफलता की चर्चा करनी है क्योंकि यह अल्पसंख्यकों का प्रश्न आसाम तथा बंगाल का ही नहीं है बल्कि समूचे भारत और उसकी एकता का है। यह भी एक बात है जिसकी चर्चा हम कर सकते हैं। अतः इन दोनों बातों को मिलाना नहीं चाहिये। इस स्थगन प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से यह बात कही गई है कि सरकार विफल रही है।

माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा है कि हम जो कुछ कर सकते थे वह हमने किया। केरल के मामले में केन्द्रीय सरकार ने हस्तक्षेप किया था। अगर केन्द्रीय सरकार ने यहां कुछ किया होता तो आज वह स्थिति न आती जो आयी है। लोग वहां से अपने घरों को छोड़ कर भाग रहे हैं और वापस जाना नहीं चाहते। अतः मेरा निवेदन है कि इस पर चर्चा करने के लिये इस सत्र में एक दिन नियत किया जाय।

यह निर्णय करना अब आपके हाथ में है कि क्या केन्द्रीय सरकार ने अपना कार्य किया है, और क्या यह कहना कि जो कुछ सरकार कर सकती थी वह उसने किया ठीक है। क्या सरकार असफल रही है अथवा नहीं।

†**आचार्य कृपालानी** (सीतामढ़ी) : माननीय गृहमंत्री ने आश्वासन दिया है कि आसाम में सामान्य स्थिति आ गई है। लेकिन हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि आसाम में साम्प्रदायिक दंगों का का यह अवसर पहिला नहीं है। आसाम के सदस्यों का कहना है कि इन झगड़ों की जड़ गहरी है। अतः संसद् अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा इनकी जांच करना नितान्त आवश्यक है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : ४ से ११ जुलाई के बीच आसाम में जो दुर्घटनाएं हुई हैं वास्तव में वे बहुत ही दुखद हैं। यह एक ऐसा मामला है जिसके लिये समस्त देश दुःखी है। अब प्रश्न यह है कि हमें यह देखना चाहिये कि वहां शीघ्रता से सामान्य स्थिति लाई जाय।

जहां तक कि इन घटनाओं की बात है निश्चय ही इस स्थिति के बारे में चर्चा करने के लिये मैं अवसर दूंगा। हम नहीं चाहते कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति फिर कहीं हो। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। हम इनके मूल कारणों की जांच करेंगे और शान्ति वातावरण में उनको दूर करने का उपाय ढूंढ़ेगे। मैं इसकी चर्चा करने के लिये अवसर दूंगा। ताकि सरकार को दूसरों की बात सुनने का अवसर मिल सके और वह यह प्रयत्न कर सके कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न हों।

साथ ही माननीय सदस्यों को यह समझना चाहिये कि हम राज्यों के मामलों पर चर्चा का अवसर नहीं देते; किसी राज्य की स्वायत्तता में हम हस्तक्षेप नहीं करते। विधि और व्यवस्था बनाये रखने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है। लेकिन राज्य सरकार की विफलता पर इस सभा को भी कार्यवाही करनी पड़ती है। माननीय सदस्यों का आरोप है कि सरकार को सूचना मिल जाने पर भी सरकार ने कुछ नहीं किया लेकिन माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि सूचना मिलते ही उन्होंने कार्यवाही की थी।

मैं इस पर वाद-विवाद करने के लिये अवसर दूंगा लेकिन आज नहीं। स्थगन प्रस्ताव इसके लिये उपयुक्त साधन नहीं है। अतः स्थगन प्रस्ताव रद्द किये जाते हैं।

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** : मेरा निवेदन है कि बंगाल के साथ यह संसद् न्याय करे अब आगे की कार्यवाही में भाग लेने का कोई लाभ नहीं है अतः मैं सभा से बाहर जा रहा हूं।

(इसके पश्चात् श्री त्रिदिव कुमार चौधरी और श्री अरविन्द घोषाल सभा से उठ कर बाहर चले गए)

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं अगस्त के अन्तिम सप्ताह में इस मामले पर चर्चा करने के लिये एक दिन नियत करूंगा।

†**श्री प्रभात कार (हुगली)** : प्रधान मन्त्री वहां हेलीकॉप्टर पर गये थे। उन्होंने वहां के लोगों से कोई बातचीत तक नहीं की।

†**श्री तंगामणि (मदुरै)** : प्रधान मंत्री को शरणार्थियों के शिविरों में जाना चाहिये था।

†**श्री जवाहर लाल नहरू** (: श्रीमान्, जैसा आपने कहा, वास्तव में यह एक बहुत गम्भीर मामला है। माननीय सदस्य इस बात पर उत्तेजित हैं कि मैं हैलीकॉप्टर में वहां गया था—जैसे यह भी कोई अपराध था। मैं समझता हूं कि इस मामले में मुझे विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों की अपेक्षा कहीं अधिक जानकारी है। हो सकता है कि मेरा यह दावा गलत हो लेकिन मैं यह समझता हूं कि इन दुखद घटनाओं के बारे में विरोधी पक्ष के किसी भी सदस्य से अधिक जानकारी रखता हूं।

मैं इस मामले को नर्मी, व शान्ति से हल करने का प्रयत्न कर रहा हूं। हमारा मुख्य प्रयोजन क्या है। कई तरह के सुझाव दिये गये हैं। आचार्य कृपालानी ने सुझाव दिया है कि हमें इसके कारणों का पता लगाना चाहिये। मैं उनकी बात से सहमत हूं। यद्यपि जहां गम्भीर कारण हों, वहां केवल ऊपरी छानबीन करने से कुछ लाभ नहीं होगा, फिर भी हमें कारणों का पता लगाना चाहिये और समस्या को हल करने का प्रयत्न करना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

दूसरा सुझाव यह था जैसा कि श्री ही० ना० मुकर्जी ने कहा कि हमें वहां सुरक्षा तथा भाई-चारे की भावना पुनः स्थापित करनी चाहिये । मैं समझता हूं कि इस सभा के प्रत्येक सदस्य की ऐसी इच्छा है। स्पष्ट है कि मुख्य काम यही है। ऐसी भावना स्थापित किये बिना वहां कारणों का पता भी सफलता पूर्वक नहीं लगाया जा सकता। पर सभा के सामने सवाल यह है कि इस काम को कैसे किया जाय ?

अतः जैसा कि मैंने कहा, हमें इस मामले के कारणों का पता लगाना चाहिये। पर कुछ भी करने से पहले जरूरी है कि वहां सामान्य स्थिति स्थापित की जाय । माननीय सदस्यों ने कहा है कि वहां सामान्य स्थिति नहीं है; वहां स्थिति और भी खराब हो रही है । वैसे तो "सामा य स्थिति" का एक बहुत व्यापक अर्थ होता है। पर इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वाह्य रूप से वहां की स्थिति सामान्य है । वहां कोई घटनायें नहीं हो रही हैं। पर यदि आप मुझ से पूछेंगे कि क्या वहां की जनता के मन में भी शान्ति स्थापित हो चुकी है, तो मैं कहूंगा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है पर स्थिति पहले से अच्छी जरूर है। जब तक लोगों में भय समाया हुआ है, उनके मन में शान्ति नहीं आ सकती। अतः जब यह कहा जाता है कि वहां स्थिति सामान्य हो गयी है, तो उसका मतलब यही है कि पिछले कुछ दिनों से वहां—कुछ छोटी मोटी बातों को छोड़ कर—कोई घटनायें नहीं हुई हैं।

जो दुःखद घटनायें हुई थीं वे तो ४ जुलाई से १२ या १३ जुलाई तक ही हुई थीं। मई व जून में तो छोटी-मोटी घटनायें ही होती रहीं । हम वहां की स्थिति के सम्पर्क में पूरी तरह रहे। २७ और २८ जून को आसाम के राज्यपाल यहीं थे । हमने उनसे स्थिति के सम्बन्ध में बातचीत की थी । उनका कहना था कि वहां पर अशान्ति थी पर अब वह कम हो गयी है और आशा है कि आगे कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। अब आप कह सकते हैं कि राज्यपाल का अनुमान गलत था। यह बात तो दूसरी है।

दुर्भाग्य से ४ तारीख को वहां स्थिति खराब हो गयी। लगभग ८ दिन स्थिति बहुत खराब रही। हम यह भी मानते हैं कि आसाम के कुछ हिस्सों में दो-तीन दिन तक प्रशासन का स्थिति पर पूर्ण नियंत्रण नहीं रहा था। आसाम के कुछ हिस्सों में—ब्रह्मपुत्र की घाटी में भी—स्थिति पर प्रशासन का पूरा नियंत्रण था और उसने वहां पर कोई गड़बड़ी नहीं होने दी । अतः दुखद घटनायें जो हुईं, उनमें बहुत से लोग शरणार्थी बन गये, बहुत-सी जगहों पर आग लगाई गई और कुछ जानें भी गईं। जो भी कुछ हुआ, यह बहुत बुरा था ।

हमने देखा कि दुखद घटनाओं को भी अखबारों आदि में बहुत बढ़ा-चढ़ा कर मोटी लाइनों में प्रकाशित किया गया। जो कुछ हुआ वह बहुत बुरा था और उसको बढ़ा चढ़ा कर प्रकाशित करने की कोई बात ही नहीं थी; फिर भी ऐसा हुआ। बाद में अखबारों के एक कोने में उन बातों का खण्डन किया गया। आज के आधुनिक साधनों से किसी बुरी बात को और भी बुरा बनाया जा सकता है और इसकी प्रतिक्रिया होने से स्थिति और भी खराब हो जाती है। मैं किसी पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं बल्कि तथ्य उपस्थित कर रहा हूं। वर्तमान स्थिति यह है कि परसों तक आसाम के शिविरों से १९,००० व्यक्ति अपने घरों को वापस लौट चुके थे। मैं बंगाल की बात नहीं कह रहा। बंगाल के शिविरों में लोग अभी वही है । मैं आसाम की बात कर रहा हूं जहां १९,००० लोग लौट चुके हैं और बाकी लोग भी वापस जा रहे हैं। यह एक अच्छा लक्षण है और इस बात का लक्षण है कि वहां सामान्य स्थिति पुनः स्थापित हो रही है। मैं चाहता हूं कि जो लोग बंगाल के शिविरों में हैं, वे लोग भी अपने घरों को वापस लौट जायें। मुझे आशा है कि वे भी धीरे-धीरे लौटना शुरू कर देंगे ।

ठीक है, हम इसके कारणों की छानबीन करेंगे और हम इस विषय पर चर्चा भी कर सकते हैं पर इस नाजुक समय पर नहीं। उदाहरण के लिये मैं एक बात बताना चाहता हूं आसाम के कुछ उत्साही नवयवकों ने घोषणा की है कि ४ अगस्त को वे 'मांग दिवस' या ऐसा ही कोई दिवस मनायेंगे । ऐसी

स्थिति में ऐसी किसी भी घोषणा को हम बेवकूफी के सिवाय और क्या कह सकते हैं कि वहां किसी प्रकार के दिवस मनाये जायें जिससे लोगों को उत्तेजित किया जाये या उन्हें भयभीत किया जाये । मेरा ख्याल है कि वहां के किसी विद्यार्थी संगठन ने ऐसी घोषणा की है । ऐसी घोषणा से शिविर के शरणार्थियों में फिर भय पैदा होगा और वे सोचेंगे कि उस दिन पता नहीं क्या हो और फिर वे अपने घरों को वापस नहीं जायेंगे ।

तो इस समय ऐसी गम्भीर व नाजुक स्थिति है, जो कि अब धीरे-धीरे सामान्य होती जा रही है। अनेक प्रकार के भय व शंकायें भी फैली हुई हैं, अतः हमें सावधानी के साथ स्थिति का सामना करना है। यह अच्छा नहीं होगा कि हम यहां सभा में परस्पर एक-दूसरे पर दोषारोपण करें व एक-दूसरे पर लांछन लगायें । यह बातें कुछ ऐसी थीं जिनके लिए भारतीय होने के नाते हम सभी लज्जित हैं । हमें इस घाव को भरना है और ऐसा उपाय करना है, जिससे इसकी पुनरावृत्ति न हो ।

ऐसी स्थिति है और इसीलिये मैं कहता हूं कि आपने जो कहा है, वह ठीक ही है—यानी हमें इस मामले पर चर्चा करनी चाहिये पर अच्छा होगा कि चर्चा तब हो, जब वहां स्थिति सुधर जाय और हम लोगों का दिमाग भी कुछ ठण्डा हो जाये ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : हम इस विषय पर शीघ्र ही वाद-विवाद इसलिये चाहते हैं कि अभी २९ तारीख को ८८ शरणार्थी परिवार कलकत्ते आये हैं । यदि इसी प्रकार प्रतिदिन ८८ या ५० परिवार आते रहेंगे, तो इससे तो और भी भय फैलेगा । अतः सवाल यह है कि वहां सामान्य स्थिति पैदा करने के लिये क्या उपाय किया जाना आवश्यक है । अतः इस गलतफहमी में रहना व्यर्थ है कि वहां सुरक्षा वह शान्ति की भावना पैदा हो गई है । इसीलिये आवश्यक है कि इस विषय पर शीघ्र ही वाद-विवाद किया जाये । मैं समझती हूं कि इसे स्थगित करने से कोई लाभ नहीं होगा । हम जानना चाहते हैं कि किस तारीख को यह चर्चा होगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूं कि वहां की स्थिति सामान्य होने के बाद हम इस विषय पर वाद-विवाद करें । अगस्त के अन्तिम सप्ताह में किसी दिन वाद-विवाद के लिये निश्चित हो जायेगा । इस बीच माननीय सदस्य वहां की स्थिति सुधारने के लिये माननीय मंत्री को सुझाव दे सकते हैं और उनसे बातचीत कर सकते हैं । मैं स्थिति को देखता रहूंगा और सामान्य हालात होते ही यथाशीघ्र कोई तारीख निश्चित कर दूंगा ।

राष्ट्रपति के राज भाषा सम्बन्धी निदेश की अधिसूचना

†**अध्यक्ष महोदय** : अंग्रेजी भाषा के प्रयोग के बारे में श्री फ्रैंक एन्थनी ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है । क्या इस विषय पर किसी और रूप में चर्चा नहीं की जा सकती ?

†**श्री फ्रैंक एंथनी** : अन्य किसी भी रूप में ऐसा नहीं हो सकता । पता चला है कि दक्षिण भारत में इस मामले के विरुद्ध भारी आन्दोलन होने जा रहा है । अतः माननीय गृह मंत्री को वक्तव्य देना चाहिये ।

†**श्री गो० बं० पंत** : यदि आप ऐसा चाहते हैं तो मैं वक्तव्य देने के लिये तैयार हूं ।

†**श्री फ्रैंक एंथनी** : प्रधान मंत्री ने दो आश्वासन दिये थे; पहला आश्वासन यह था कि सरकारी नौकरी में लिये जाने के लिये अहिन्दी भाषियों को हिन्दी की परीक्षा पास नहीं करनी पड़ेगी और दूसरे यह कि अंग्रेजी को भी हिन्दी के साथ साथ राज भाषा रखा जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्रीमती रेणुचक्र र्ती : क्या आप इस समय आसाम सम्बन्धी हमारा स्थगन प्रस्ताव नहीं ले सकते और उसको नहीं निपटा सकते ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इसके बारे में निर्णय दे चुका हूं और उसे खत्म कर चुका हूं।

†**श्रीमती रेणुचक्र र्ती** : क्या आपने केन्द्रीय सरकार के उत्तरदायित्व को भी खत्म कर दिया है ? तो इस स्थिति में हम सभा से बाहर जाते हैं।

(इसके पश्चात कुछ माननीय सदस्य सभा से उठकर बाहर चले गये)

†**श्री फ्रैंक एंथनी** : श्रीमान्, हिन्दी का मामला बड़ा महत्वपूर्ण है। जब से यह पता चला है कि सरकार प्रधान मंत्री के आश्वासनों की अवहेलना करके इस अधिसूचना में दी गई नीति को कार्यान्वित करने जा रही है तभी से दक्षिण भारत में हिन्दी विरोधी आन्दोलन चलाने की चर्चा हो रही है।

†**श्री गो० ब० पंत** : जहां तक दक्षिण भारत में हिन्दी विरोधी आन्दोलन का सम्बन्ध है, मुझे बड़ा खेद है कि वहां की एक ऐसी संस्था ने इस प्रश्न को उठाया है जिसने भारत की मूलभूत एकता का ही विरोध किया है। परन्तु मद्रास राज्य की सरकार पूर्ण रूप से सन्तुष्ट है कि ऐसे आन्दोलन चलाने का कोई आधार नहीं है।

मैं श्री फ्रैंक एन्थनी को बताना चाहता हूं कि सरकार प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासनों की अवहेलना कदापि नहीं करना चाहती। निदेशी ही में लिखा गया है कि सरकार का आशय प्रधान मन्त्री ने भली भांति व्यक्त कर दिया था।

जो दो बातें उन्होंने उठायी हैं, उनमें से पहली के बारे में, मैं यह बताना चाहता हूं कि हमने यह निर्णय स्पष्ट रूप से कर लिया है कि १९६५ के बाद भी अंग्रेजी को रखा जायगा; संविधान के उपबन्धों के अनुसार इस विषय के बारे में एक विधेयक इस सभा में १९६५ से पहले पहले लाया जायगा और उस विधेयक में भाषा सम्बन्धी नीति का विस्तृत उल्लेख होगा।

दूसरी बात यह है कि हिन्दी को अनिवार्य नहीं बनाया गया है। संसदीय समिति ने यह सिफारिश अवश्य की थी कि कुछ समय बाद सरकारी नौकरी लेने के लिये हिन्दी का ज्ञान आवश्यक कर देना चाहिये। किन्तु हमने इस बात को नहीं माना।

इसके बाद प्रादेशिक भाषाओं के बारे में भी सुझाव था। प्रादेशिक या अधीनस्थ सेवाओं की भर्ती केन्द्र में ही की जाती है। आयोग ने भी यही सुझाव दिया और समिति ने भी इस बात को मान लिया था कि अधीनस्थ सेवाओं की भर्ती प्रादेशिक आधार पर की जाय और उन सेवाओं के लिये भर्ती किये जाने वाले लोगों को प्रादेशिक भाषा का ज्ञान अवश्य होना चाहिये। इसी सिफारिश के दूसरे भाग में यह भी कहा गया था कि उन लोगों को हिन्दी भी आनी चाहिये। हमने उस भाग को भी अनिवार्य नहीं बनाया बल्कि यह निश्चय किया है कि यह शर्त केवल हिन्दी भाषी राज्यों पर ही लागू होनी चाहिये, अहिन्दी भाषियों पर नहीं। यह सब बातें सभा में व्यक्त किये गये विचारों के अनुकूल हैं।

सरकार ने अपना वचन भंग नहीं किया। हम जो बात कहते हैं उस पर स्थिर रहते हैं।

†**श्री फ्रैंक एंथनी** : मैं केवल एक और बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं। दिल्ली में जो कि हिन्दी भाषी स्थान हैं, अनेक अहिन्दी भाषी लोग रहते हैं। क्या उनके बच्चों पर भी यही शर्त लागू होगी कि सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिये उन्हें हिन्दी की परीक्षा पास करनी होगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री गो० ब० पंत** : मैं नहीं समझता कि यह चीज़ दिल्ली के लिए है। यहां तो हम केवल शुरूआत कर रहे हैं इसलिये यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। पता नहीं आगे चल कर श्री एन्थनी स्वयं भी हिन्दी के समर्थक हो जायं।

†**श्री ब्रज राज सिंह** (फिरोजाबाद) : मैं मनीपुर सम्बन्धी अपने स्थगन प्रस्ताव के बारे में एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। आपने लिखा है कि आन्दोलन का विषय सामान्य विधि एवं व्यवस्था से सम्बन्धित है; परन्तु वहां निर्वाचित विधान सभा के लिये भारी हलचल है। मनीपुर के प्रशासन के लिये केन्द्र ज़िम्मेदार है और यदि हम लोग ही इस मामले पर ध्यान नहीं देंगे तो वहां पर भारी आन्दोलन उठ खड़ा होगा। हालत ऐसी हो रही है .....

†**अध्यक्ष महोदय** : आप मेरी बात सुनिये; यदि मनीपुर में विधान सभा हो तो भी वहां के अध्यक्ष विधि एवं व्यवस्था के छोटे से मामले को सभा में उठाने की अनुमति नहीं देंगे। हम मनीपुर की स्थिति पर विचार करने के अधिकारी हैं पर इसका यह मतलब नहीं कि हम हर एक छोटी मोटी चीज़ को लेकर सभा का समय व्यर्थ गंवायें। मनीपुर आदि के बारे में कुछ विधेयक भी यहां चर्चा के लिये आने वाले हैं।

†**श्री ब्रज राज सिंह** : वे तो भूमि की अधिकतम सीमा के बारे में हैं। आसाम के बारे में हमने पूरा एक घण्टा लगाया।

†**अध्यक्ष महोदय** : स्थगन प्रस्ताव की अनुमति न देकर मेरा यह उद्देश्य नहीं कि इस विषय पर चर्चा ही न हो। चर्चा करने के दूसरे तरीके भी हैं। सरकार का ध्यान दिलाने के लिये वक्तव्यों की मांग की जा सकती है।

क्या गृह मन्त्री आसाम के बारे में सभा पटल पर कोई पत्र रखेंगे ?

श्री गो० ब० पंत : जी नहीं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : मैं संविधान के अनुच्छेद १२३(२) (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा ८ जुलाई, १९६० को प्रख्यापित अत्यावश्यक सेवायें संधारण अध्यादेश, १९६० (१९६० की संख्या १) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल टी—२१६७/६०]

†**श्री अजराज सिंह** (फिरोजाबाद) : मेरा एक औचित्य प्रश्न है। हम यह समझ रहे थे कि माननीय गृह-मंत्री ने आसाम की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रख दिया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मालूम होता है सभा में जो कुछ हो रहा है माननीय सदस्य उस की ओर पूरा ध्यान नहीं दे रहे हैं मैं ने उन से इस बारे में दो प्रश्न पूछे थे। एक तो सभा के क्षेत्राधिकार के बारे में था और दूसरे यह था कि क्या स्थगन प्रस्ताव के रूप में इस पर सभा में चर्चा हो सकती है ? इस के बाद मैं ने माननीय गृह-मंत्री से यह पूछा कि क्या वह इस के बारे में कोई वक्तव्य देना चाहते हैं। माननीय गृह-मंत्री ने बताया था कि उस वक्तव्य का इन प्रश्नों से कोई सम्बन्ध नहीं है। और यदि सभा

---

†मूल अंग्रेजी में

की यह इच्छा हो कि इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दिया जाये तो वह निश्चित रूप से उत्तर देने को तैयार हैं। उन्हों ने उस समय यह भी बताया था कि वह वक्तव्य एक लम्बा वक्तव्य है। मैं ने लम्बा वक्तव्य होने के कारण उन से पूछा था कि वह उस को सभा पटल पर रखना चाहते हैं अथवा सभा में पढ़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि स्थगन प्रस्तावों से जो बातें अब उटी हैं, वे बिल्कुल अलग हैं। फिर उन्होंने कहा कि आसाम में जल्दी से जल्दी सामान्य स्थिति हो जाये, इस उद्देश्य से इस समय कोई वक्तव्य देना आवश्यक नहीं। वक्तव्य देना या न देना उन पर निर्भर करता है।

तीसरी पंचवर्षीय योजना—रूप रेखा का प्रारूप

†श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा) : मैं 'तीसरी पंचवर्षीय योजना—रूपरेखा का प्रारूप' की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल टी—२१६८/६०]

अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

†निर्माण, आवास और पुनर्वास मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : मैं अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, १९५२ की धारा २२ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण और अर्जन नियम, १९५३ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(क) दिनांक २६ मार्च, १९६० की जी० एस० आर० ३५९।

(ख) दिनांक २१ मार्च, १९६० की जी० एस० आर० ६९३।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल टी—२१६९/६०]

मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(क) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९५८-५९ के लिये हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उस पर नियंत्रक महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ख) उक्त फैक्टरी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल टी—२१७०/६०]

चाय अधिनियम, अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, समवाय अधिनियम, रबड़ अधिनियम, कॉफी अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें और एसीटेट धागे के संशोधित मूल्य के बारे में संकल्प

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : मैं सभा पटल पर निम्न पत्र रखता हूं :—

(१) चाय अधिनियम, १९५३ की धारा ४९ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत चाय नियम, १९५४ में और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :—

(क) दिनांक ७ मई, १९६० की जी० एस० आर० संख्या ५१८।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल टी—२१७१/६०]

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) दिनांक २५ जून, १९६० की जी० एस० आर० संख्या ७१३ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी--२१७२/६०]

(२) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत २१ मई, १९६० की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १३३८ में प्रकाशित सूती वस्त्र (हथकरघे का उत्पादन) नियंत्रण संशोधन आदेश, १९६० की एक प्रति, व्याख्यात्मक टिप्पण सहित ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी--२१७३/६०]

(३) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६४२ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत समवाय (केन्द्रीय सरकार की) सामान्य नियम तथा प्रपत्र, १९५६ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक, २८ मई, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५९५ की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी --२१७४/६०]

(४) रबड़ अधिनियम, १९४७ की धारा २५ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत रबड़ नियम, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १८ जून, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६७२ की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी--२१७५/६०]

(५) काफ़ी अधिनियम, १९४२ की धारा ४८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत कहवा नियम, १९५५ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २८ मई, १९६० की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १३३५ की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी--२१७६/६०]

(६) एसीटेट धागे के संशोधित मूल्य बताने वाले दिनांक २८ मई, १९६० के संकल्प संख्या २६ (१०५) टेक्स-डी/५७ की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी--२१७७/६०]

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम खादी तथा ग्रामोद्योग अधिनियम तथा केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें ; नमक उद्योग सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन और ब्लीचिंग पाउडर के मूल्य के बारे में संकल्प

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह))** : मैं सभा पटल पर निम्न पत्र रखता हूं :—

(१) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ की धारा ३० की उप-धारा (४) के अन्तर्गत विकास परिषदें (प्रक्रिया सम्बन्धी) नियम, १९५२ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २३ जुलाई, १९६० की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १८०८ की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी—२१७८/६०]

(२) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, १९५६ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २० अप्रैल, १९६० की एस० ओ० संख्या १०३१ ।

(ख) दिनांक २८ मई, १९६० की एस० ओ० संख्या १३४२ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी--२१७९/६०]

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, १९५६ की धारा २६ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत खादी तथा ग्रामोद्योग नियम, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २ जुलाई १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७४१ की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी--२१८०/६०]

(४) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, १९४८ की धारा १३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत केन्द्रीय रेशम बोर्ड नियम १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २१ मई, १९६० की अधि-सूचना संख्या जी० एस० आर० ५५७ की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी--२१८१/६०]

(५) नमक उद्योग के विकास सम्बन्धी कुछ विषय पर विचार करने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त समिति का प्रतिवेदन (१९५८) की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी--२१८२/६०]

(६) ब्लीचिंग पाउडर का मूल्य निर्धारित करने के सम्बन्ध में दिनांक १ जून, १९६० के संकल्प संख्या सी० एच०--३१ (४४)/५९ की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी--२१८३/६०]

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें तथा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में स्वीकृत सिफारिशें तथा प्रथायें

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : मैं निम्न पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ४ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :—

(क) दिनांक ४ जून, १९६० की जी० एस० आर० संख्या ६३२ ।

(ख) दिनांक १८ जून, १९६० की जी० एस० आर० संख्या ६८३ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी--२१८४/६०]

(२) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम १९५२ की धारा ७ की उपधारा (२) के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि योजना, १९५२ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २ जुलाई, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७४८ की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी--२१८५/६०]

(३) (क) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा जून, १९५९ के सम्मेलन के तैंतालीसवें अधिवेशन में स्वीकृत प्रथाओं तथा सिफारिशों की एक प्रति ।

(ख) उपरोक्त प्रथाओं और सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई अथवा की जाने वाली कार्यवाही बताने वाले विवरण की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी--२१८६/६०]

---

†मूल अंग्रेजी में

संसदीय समितियां—कार्यवाही का सारांश

†सचिव : मैं लोक-सभा के दसवें सत्र से सम्बन्धित "संसदीय-समितियां—कार्यवाही का सारांश" की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

†सचिव : मैं गत सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा २९ अप्रैल, १९६० को लोक-सभा में दी गई अन्तिम सूचना के बाद राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित विधेयकों को सभा पटल पर रखता हूं :—

१. वित्त विधेयक, १९६०

२. भारत का रिज़र्व बैंक (संशोधन) विधेयक, १९६०

३. विनियोग (रेलवे) संख्या ३ विधेयक, १९६०

४. सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक, १९६०

५. उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, १९६०

६. भारतीय बायलर्स (संशोधन) विधेयक, १९६०

७. हिन्दू विवाह (कार्यवाही का मान्यीकरण) विधेयक, १९६०

श्रीमान्, मैं गत सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा २९ अप्रैल, १९६० को लोक-सभा में दी गई अन्तिम सूचना के बाद राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित विधेयकों की प्रतियां, राज्य-सभा के सचिव द्वारा विधिवत् प्रमाणित रूप में, सभा पटल पर रखता हूं :—

१. बम्बई पुनर्गठन विधेयक, १९६०

२. लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, १९६०

नागा पहाड़ियों तथा तुएनसांग क्षेत्र के बारे में वक्तव्य

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : अध्यक्ष महोदय, मैं इससे पहले भी कई बार नागा-समस्या का जिक्र कर चुका हूं । माननीय सदस्य जानते हैं कि नागा लोक जिस क्षेत्र में रहते हैं उसे, बल्कि कहना चाहिये कि भारत भर में जहां-जहां दूसरी-दूसरी आदिम जातियों के लोग रहते हैं, उन सभी क्षेत्रों को हमने हमेशा ही स्वतंत्र भारत का हिस्सा माना है । हमारे संविधान में यही परिभाषा की गई है स्वतंत्र भारत की । आदिम जातियों के इन सब लोगों को हमने स्वतंत्र भारत के नागरिक समझा है, और स्वतंत्र भारत के नागरिक होने के सारे विशेषाधिकार और नागरिकता के सारे दायित्व उनके रहे हैं ।

नागा लोग बड़े मेहनती और अनुशिष्ट होते हैं । उनकी ज़िन्दगी के तरीके में ऐसा बहुत कुछ है जिससे दूसरे सबक ले सकते हैं । भारतीय सेना में कई साल तक नागा लोग रहे हैं और वे काफ़ी अच्छे दर्जे के सैनिक साबित हुए हैं । हमारी नीति हमेशा यही रही है कि नागा लोगों को अधिक से अधिक स्वायत्तता, खुद मुख्तारी दी जाये, उनको अपना विकास करने का पूरा मौका दिया जाये, और उनके अन्दरुनी मामलों में, जिन्दगी के उनके अपने तरीके में कोई दखलअन्दाज़ी न की जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

दुर्भाग्य से उनको स्वायत्तशासी बनाने का काम अमली तौर पर पूरा नहीं किया जा सका था; इसलिये कि नागाओं में से ही कुछ लोग गड़बड़ी मचाने लगे और उन्होंने विरोधी कार्यवाहियां शुरू कर दी थीं। ये विरोधी नागा चाहते थे कि नागा क्षेत्र को सारे भारत से अलग एक स्वतंत्र क्षेत्र बना दिया जाये। वह एक ऐसी मांग थी जिसे कोई भी भारत सरकार कभी भी नहीं मान सकती है। उसका नतीजा यह हुआ कि उन विद्रोही नागाओं ने मारकाट और हिंसा का रास्ता अपनाया। जाहिर है कि हमें तब उन गैर कानूनी कार्यवाहियों को रोकने के लिये कुछ कदम उठाने पड़े। वे लोग लूट खसोट करने लगे, गांवों और बस्तियों में आग लगाने लगे, और दूसरे नागा लोगों से जबरन रुपया पैसा छीनने लगे। उन्होंने कई नागाओं को बेरहमी से क़त्ल भी कर दिया था। इसलिये इन क्षेत्रों के दूसरे नागाओं की रक्षा करना हमारा कर्त्तव्य हो गया हमने वहां विधि और व्यवस्था बनाये रखने के लिये, आम नागाओं को बचाने के लिये कई कदम उठाये थे। हमने अपनी सेना और आसाम राइफिल्स की मदद इसके लिये ली। इन झगड़ों का नतीजा यह हुआ कि उस इलाके के लोगों को बड़ी-बड़ी मुसीबतें झेलनी पड़ीं। उनमें से ज्यादातर लोग चाहते हैं कि उस इलाके में शांति स्थापित हो जिससे कि वे अपनी रोजी-रोटी के लिये ठीक से काम कर सकें। इस तरह पिछले पांच-छै: साल के अर्से में वहां काफ़ी गड़बड़ी रही, हालत बड़ी अफसोसनाक रही। लेकिन फिर धीरे-धीरे हालत सुधरने लगी। नागा जिलों के बड़े-बड़े इलाक़ों में शान्ति स्थापित होने लगी। एक बड़ी अच्छी चीज़ यह रही कि हमने उन इलाकों में अपना विकास-कार्य फैला दिया वहां स्कूल और अस्पताल खोले गये और डाक-तार की सुविधायें जुटाई गईं। लेकिन इतना सारा सुधार होने के बाद भी, कुछ कदर विरोधी नागा लोग अपनी मार-काट और लूटपाट जारी रखे रहे। हालांकि उनको पहाड़ी इलाके के बहुत अन्दर घने जंगलों तक खदेड़ दिया गया था फिर भी उनकी हिंसात्मक कार्यवाही जारी रहीं।

नागा पहाड़ियों के क्षेत्र की जनता को इस गड़बड़ी से और विद्रोही नागाओं की मारधाड़-लूटपाट से काफी मुसीबतों के दिन देखने पड़े थे। इसलिये उस क्षेत्र की सभी आदिम जातियों के नेताओं, उनकी नुमाइंदगी करने वालों ने उस झगड़े का ख़ात्मा करने का फैसला किया। उन्होंने नागा जनता के नुमाइंदों का एक कन्वेन्शन, एक बड़ा सम्मेलन किया। उस कन्वेशन में उस समय के आसाम के नागा पहाड़ी जिले और नेफा के तुएनसांग फ्रंटियर डिवीज़न के हर इलाके और उसमें बसने वाली हर आदिम जाति के नुमाइंदों को बुलाया गया। वह कन्वेन्शन १९५७ में २२ से २५ अगस्त तक कोहिमा में हुआ था। सम्मेलन के अपने शब्दों में उसका उद्देश्य था - जनता के अपार कष्टों और रक्तपात का अन्त करना। उस सम्मेलन में कई प्रस्ताव पास किये गये थे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण वह था जिसमें भारत सरकार से अनुरोध किया गया था कि भारत सरकार के वैदेशिक विभाग के अधीन एक प्रशासकीय यूनिट बनाई जाये, जिसमें आसाम के नागा पहाड़ी जिले और नेफा का तुएनसांग फ्रंटियर डिवीजन शामिल हो। प्रस्ताव के मुताबिक उस यूनिट का प्रशासन आसाम के राज्यपाल को, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि की हैसियत से करना था, वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के अधीन रह कर :

उस कन्वेन्शन द्वारा चुने हुए नेताओं का एक प्रतिनिधि-मंडल १९५७ में २५ और २६ सितम्बर को भुझ से मिलने आया था। अलग से एक प्रशासकीय यूनिट बनाने की नागाओं की बात को हमने ठीक समझा। उस प्रस्ताव को अमली रूप देने के लिये ही वह सवाल संसद् के सामने पेश किया था और संसद् ने नागा पहाड़ियों तुएनसांग क्षेत्र अधिनियम, १९५७ पारित किया था। इस तरह इस क्षेत्र की एक अलग प्रशासकीय यूनिट बनाई गई थी और राष्ट्रपति ने इस नयी यूनिट के प्रशासन की ब्यौरेवार व्यवस्था करने के लिये आवश्यक विनियमन प्रख्यापित किया था। तब से आसाम

के राज्यपाल, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि की हैसियत से वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधीन रहकर इस यूनिट का प्रशासन करते आ रहे हैं।

नागा जनता को आशा थी कि नयी यूनिट बनने से उनको अपनी जरूरत के मुताबिक अपने-अपने क्षेत्रों का विकास करने का अवसर मिल जायेगा। उन्होंने कुछ तरक्की की भी थी, लेकिन विद्रोही नागाओं की कार्यवाहियों के कारण विकास का काम ठीक से आगे नहीं बढ़ पाया।

इसीलिये मई १९५८ में नागा पहाड़ी-तुएनसांग क्षेत्र के मोकोक्चुंग ज़िले के उंगमा स्थान में एक दूसरा कन्वेन्शन बुलाया गया था। उस कन्वेन्शन ने छिपाचोरी काम करने वाले नागाओं से सम्पर्क करने के लिये एक सम्पर्क समिति नियुक्त की थी, जिससे कि विद्रोही नागाओं को भी कन्वेन्शन की नीति का हामी बनाया जा सके और उस क्षेत्र के लिये अधिकतम स्वायत्तता हासिल की जा सके और नागाओं का भविष्य सुनिश्चित बनाया जा सके। कुछ मुट्ठी भर विद्रोही नागाओं ने तो इसे पसंद किया था, लेकिन कुल मिलाकर उन लोगों ने इसे ज्यादा पसंद नहीं किया था।

इसके बाद, नागा जन कन्वेन्शन के नेताओं ने खुद अपनी तरफ से कुछ प्रस्ताव तैयार करके उनको भारत सरकार के सामने रखने का फैसला किया। अक्टूबर १९५९ में तीसरा नागा जन-कन्वेन्शन मोकोक्चुंग में हुआ और उसमें सरकार के सामने पेश किये जाने के लिये सोलह सूत्रों का एक मसविदा तैयार किया गया। इस तीसरे कन्वेन्शन में नागाओं ने अपनी सबसे मुख्य मांग यह रखी थी कि भारत संघ में ही एक अलग राज्य बनाया जाये 'नांगा लैण्ड', जो वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधीन रहे। उसका अलग से एक राज्यपाल हो और एक प्रशासकीय सचिवालय भी। उसमें नागा राज्य की अलग से एक मंत्रिपरिषद् और विधान सभा की भी मांग की गई थी। उसमें विभिन्न आदिम जातियों और क्षेत्रों के मामलों के निबटारे के लिये गांव परिषद् 'रेंज' परिषद् और आदिम जाति परिषद् की व्यवस्था की बात भी कही गई थी। इन परिषदों को ही परम्परागत विधियों और प्रथाओं के उल्लंघन के मामलों तथा विवादों का निबटारा करना था।

नागा जन-कन्वेन्शन की ओर से, नागा-नेताओं के प्रतिनिधि-मंडल ने इसी साल अप्रैल में आसाम के राज्यपाल के सामने यह सोलह-सूत्री मसविदा पेश किया था। प्रतिनिधि-मंडल ने प्रधान मंत्री से मिलने की इच्छा भी जाहिर की थी। प्रधान मंत्री ने उनसे कहलवा दिया था कि वह बड़ी खशी से मिलेंगे लेकिन चूंकि वह राष्ट्रमंडलीय प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन में शामिल होने के लिये इंग्लैण्ड जा रहे हैं, इसलिए वहां से लौटने पर ही मुलाकात हो सकेगी।

उसके बाद पन्द्रह नागा नेताओं का प्रतिनिधि-मंडल २६ जुलाई, १९६० को प्रधान मंत्री से मिला। प्रतिनिधि-मंडल के नेता, नागा जन-कन्वेन्शन के सभापति डा० इम्कोन्गलिबा एओ थे। प्रतिनिधि मंडल ने वही सोलह सूत्री मसविदा पेश किया, जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूं। मसविदे के सभी प्रस्तावों पर पूरी तरह से विचार किया गया। प्रधान मंत्री ने सरकार की यह नीति उनके सामने रखी कि सरकार हमेशा से इसी पक्ष में रही है कि नागाओं को उनके अन्दरुनी मामलों में अधिक से अधिक स्वायत्तता दी जाये। प्रधान मंत्री ने नागा नेताओं का यह अनुरोध तो मान लिया कि नागा पहाड़ी-तुएनसांग क्षेत्र को भारतीय संघ में एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाये, लेकिन उन्होंने नागा नेताओं को यह भी बता दिया कि इस नये राज्य के क्षेत्र, उसकी जन संख्या और उसके वित्तीय संसाधनों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि नया राज्य एक भारी प्रशासनिक ढांचे के भार को खुद अकेले वहन नहीं कर पायेगा। इसके बारे में नागा नेताओं के साथ काफी ब्योरेवार चर्चा हुई और मोटे तौर पर एक समझौता हो गया है। समझौते की मुख्य बातें ये हैं।

भारतीय संघ में एक नया राज्य स्थापित किया जायेगा जिसके क्षेत्र में वर्तमान नागा पहाड़ियां और तुएनसांग क्षेत्र का प्रदेश सम्मिलित होगा। उसे 'नागालैण्ड' कहा जायेगा। आसाम

[श्री जवाहर लाल नेहरू]

और "नागा लैण्ड" का राज्यपाल एक ही व्यक्ति रहेगा। नये राज्य को आसाम उच्च न्यायालय के वर्तमान क्षेत्राधिकार में ही रखा जायेगा। नये राज्य के पूरी तौर से स्वायत्त बनने के लिये संक्रमण काल की एक अवधि निर्धारित की जायेगी। उस अवधि के दौरान में नागा लैण्ड के प्रशासन के मामले में राज्यपाल को परामर्श देने और उसकी सहायता करने के लिये प्रत्येक नागा आदिम जाति के प्रतिनिधियों की एक अन्तरिम समिति गठित की जायेगी। इस संक्रमण-काल के दौरान में विधि तथा व्यवस्था बनाये रखने का विशेष दायित्व राज्यपाल को सौंपा जायेगा। यह विशेष दायित्व तब तक रहेगा जब तक कि बिद्रोही नागाओं की विरोधी कार्यवाहियों के कारण विधि तथा व्यवस्था की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती। और चूंकि इस नये राज्य के अपने वित्तीय संसाधन बहुत ही सीमित होंगे, और केन्द्रीय सरकार को विकास योजनाओं के लिये ही नहीं बल्कि प्रशासन को सुचारु रूप से चलाने के लिये भी बड़ी-बड़ी राशियां अनुदान के रूप में मंजूर करनी पड़ेंगी, इसलिये राज्यपाल का एक सामान्य दायित्व यह भी रहेगा कि वह देखे कि भारत सरकार द्वारा जुटाई गई निधियां उन कामों पर ही खर्च की जायें जिनके लिये वे दी गई हों।

नये राज्य की अपनी विधान सभा होगी और मंत्रि परिषद् उसके प्रति उत्तरदायी होगी। संविधान की वर्तमान छठी अनुसूची में जिस प्रकार की व्यवस्था की गई है, उसी प्रकार के कुछ परिवर्तनों की व्यवस्था नागाओं की सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं, उनकी परम्परागत विधियों और प्रक्रिया तथा भूमि के स्वामित्व तथा हस्तांतरण के मामलों के लिये की जायेगी। वैसे, अन्य मामलों पर दीवानी और फौजदारी से सम्बंधित वर्तमान विधियां ही वहां लागू रहेंगी। आसाम उच्च-न्यायालय का क्षेत्राधिकार भी बना रहेगा। तुएनसांग जिले के प्रशासन के लिये उस क्षेत्र के निवासियों की राय से, एक विशेष व्यवस्था की जायेगी। कुछ और भी छोटे-छोटे विषय हैं, जिनके बारे में भी नागा नेताओं और भारत सरकार के बीच समझौता हो गया है। इसलिए आशा है कि अब आगे से भारत सरकार के मंशा के बारे में कोई भी ग़लत फहमी पैदा नहीं होगी। अभी हाल में जो समझौता हुआ है उसे अमल में लाने के लिये भारत सरकार कितना कुछ करना चाहती है, इसके बारे में भी ग़लतफहमी की कोई गुंजाइश नहीं रह जायेगी।

भारत सरकार अब यह चाहती है कि नागा नेताओं के साथ जो ये समझौता हुआ है उसे अमल में लाने में देर न की जाये। इसके लिये संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। संशोधन के लिये संसद् का अनुमोदन आवश्यक है, जिसे प्राप्त करने के लिए यथा समय एक विधेयक रखा जायेगा।

नागा नेताओं के साथ यह जो समझौता हुआ है, हमें उससे संतोष है। हमने तो हमेशा ही नागाओं को भारत का पूरा-पूरा नागरिक माना है। मैं यह बात नागा जनता से पहले भी कई बार कह चुका हूं कि नागाओं की स्वतंत्रता के सवाल जैसा तो कोई सवाल ही नहीं है। भारत ने आज से तेरह साल पहले स्वतंत्रता हासिल की थी और नागा लोग भी भारत में उतने ही स्वतंत्र हैं जितने कि भारत के अन्य नागरिक हैं। नागाओं के ज़िन्दगी के अपने तरीके में, उनके जातीय रीति-रिवाजों और प्रथाओं में थोड़ी भी कोई दखलन्दाज़ी करने का हमारा कतई मंशा नहीं है। नागा लोग चाहते थे कि भारतीय संघ में ही उनका एक अलग राज्य बना दिया जाये। उसके बारे में अब समझौता हो चुका है, इसलिये आशा है कि अब उन्हें अपने ढंग से काम करने का पूरा-पूरा मौका मिल सकेगा। हमारी दिली ख़्वाहिश है कि इस नये राज्य के बनने से अब वहां बहुत जल्द सामान्य परिस्थिति बन जायेगी। यहां, इस सिलसिले में, मैं यह भी साफ़ कह देना चाहता हूं कि दुनिया की कोई भी सरकार यह बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसके इलाके में विद्रोहात्मक कार्यवाहियां चलती रहें और वह हाथ पर हाथ धरे उनको देखती रहे। यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसीलिये हम जहां एक तरफ हाल के इस समझौते को अमली रूप देने में हाथ बंटाने वालों का पूरा-पूरा

समर्थन करने के लिये तैयार हैं, वहीं दूसरी तरफ हम विद्रोहियों की कार्यवाहियों को सख्ती से दबा देने, खत्म कर देने की भी पूरी कोशिश करते रहेंगे । हमें ऐसी सख्ती करना पसन्द नहीं है, लेकिन वह जरूरी हो गई है । मुझे पूरा भरोसा है कि नागा जनता के नेता अपने क्षेत्र में कुछ मुट्ठी भर नागाओं द्वारा की जाने वाली गैरकानूनी कार्यवाहियों को खत्म करने में हमारा हाथ बटायेंगे ।

†**श्री ब्रज राज सिंह** (फ़िरोज़ाबाद) : प्रधान मंत्री ने विद्रोही नागाओं के साथ सख्ती से पेश आने की बात कही है । उनके नेता डा० फिज़ो आजकल इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने का विचार कर रहे है । इस सम्बन्ध में भारत सरकार क्या करने की सोच रही है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** (सहसराम) : मैं इस समझौते का समर्थन करता हूं । पर इस नये राज्य का नाम 'नागा लैण्ड' उचित नहीं है, नागा प्रदेश या नागा राज्य होना चाहिये ।

†**श्री जवाहर लाल नहरू** : बात तो ठीक है, लेकिन नागा नेता इसे यही नाम देना चाहते थे, इसीलिये उनके जोर देने पर ही हमने यह नाम मान लिया है ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** (बलोदा बाज़ार) : समाचारपत्रों में कहा गया है कि 'नागा लैण्ड' के प्रशासन और देखभाल का भार वैदेशिक कार्य मंत्रालय पर रहेगा; गृह-कार्य मंत्रालय पर नहीं, जैसा कि आम तौर से होता रहा है । 'नागालैण्ड' के लिये यह विशेष व्यवस्था क्यों की जा रही है ? यह नयी प्रक्रिया क्यों अपनाई जा रही है ?

†**श्री जवाहर लाल नेहरू** : यह संवैधानिक विषय नहीं है । किसी क्षेत्र के प्रशासन का भार कौन मंत्रालय संभाले—यह संविधान के संशोधन का विषय नहीं है । सभी क्षेत्रों का प्रशासन भारत सरकार करती है । भारत सरकार उनकी देखभाल करती है । मंत्रालयों के बीच काम का बटवारा क्या हो इसका निर्णय करना राष्ट्रपति का काम है । राष्ट्रपति अपने प्रधान मंत्री के जरिये यह निर्णय करते हैं । मैंने अभी बताया है कि आज से दो साल पहले, १९५७ में नागाओं के इस कन्वेन्शन ने अनुरोध किया था कि चूंकि नेफा क्षेत्र की देखभाल का काम आमतौर से वैदेशिक कार्य मंत्रालय ही तब तक करता रहा था, इसलिये आगे भी यही व्यवस्था रखी जानी चाहिये । चूंकि उनका अनुरोध था और चूंकि हमारा वैदेशिक-कार्य मंत्रालय उस समय भी 'नेफा' की देखभाल कर ही रहा था, इसीलिये हम उसे जारी रखने के लिये तैयार हो गये थे । हमने उनका अनुरोध मान लिया है । इस व्यवस्था का उल्लेख संविधान में करना जरूरी नहीं है, इसका निर्णय तो हमारे ऊपर ही है । नागा नेताओं की यही इच्छा थी, इसीलिये हमने इसका यहां उल्लेख किया है ।

†**श्री त्यागी** (देहरादून): क्या यह भी समझौते में शामिल है कि 'नागा लैण्ड' को कभी भी गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन नहीं रखा जायेगा ?

†**श्री अशोक मेहता** (मुजफ्फरपुर) : वैदेशिक कार्य मंत्रालय का काम तो विदेशों से सम्बन्धित मामलों की देखभाल करना है, जबकि नागाओं का प्रश्न देश का आन्तरिक मामला है ; फिर हम ने ऐसा समझौता क्यों किया ? प्रधान मंत्री की हैसियत से आप उसकी देखभाल करें, वह तो माना जा सकता है लेकिन वैदेशिक-कार्य मंत्रालय से उसका क्या वास्ता ?

†**श्री जवाहर लाल नेहरू** : मैंने आपको इसके ऐतिहासिक कारण बताने की कोशिश की है । नेफा का इलाका शुरू से वैदेशिक कार्य मंत्रालय से सीधा सम्बन्धित रहा है । नेफा भी, अन्य क्षेत्रों की भांति, भारत का ही भाग है । सभा को जानकारी है कि वैदेशिक कार्य मंत्रालय से सम्बन्धित आयव्ययक प्राक्कलनों में अभी तक आसाम राइफिल्स के लिये काफी बड़ी राशियों की व्यवस्था

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

की जाती है। यह इसीलिये कि 'नेफा' को एक ऐसा विशेष प्रदेश माना गया है जिसकी ओर विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। मैं इसकी सफाई नहीं दे रहा हूं। मैं तो आपके सामने इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रख रहा हूं।

बाद में इसके लिये एक विशेष सेवा भी चालू की गई थी, जो अन्य सभी सेवाओं से भिन्न थी। 'राजनीतिक सेवा' को भी वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के अधीन रखा गया था। इन सेवाओं में लोगों को विशेष अनुभव और विशेष क्षमता, देखकर भर्ती किया गया था। ऐसे लोग भर्ती किये गये थे जो सामान्य जीवन की सुख-सुविधाओं के बिना, आम जिन्दगी से अलग रहने की क्षमता रखते हों। ऐसे लोग सेना में से, असैनिक सेवाओं में से और बाहर से भी भर्ती किये गये थे। इसी तरह इसका सम्बन्ध वैदेशिक कार्य मंत्रालय से हो गया था। फिर, १९५७ में नागा जन कन्वेन्शन ने अनुरोध भी किया था कि इस नये राज्य का भार वैदेशिक कार्य मंत्रालय ही सम्भाले। पहले तो हमने उनसे स्पष्ट कह दिया था कि कौन सा मंत्रालय भार सम्भालेगा इसका फैसला करना हमारा अपना काम है। लेकिन फिर नागा नेताओं के जोर देने पर हमने इसे मान लिया। इसे संवैधानिक विषय नहीं कहा जा सकता। बाद में, आपसी समझौता करके हम इसे बदल सकते हैं। अभी फिलहाल इसे ऐसा ही रहने दिया जायेगा। अभी इस वक्त यह नयी यूनिट वैदेशिक कार्य मंत्रालय के ही अधीन है, इसलिये बात केवल वर्तमान व्यवस्था को जारी रखने की ही है। हां, एक परिवर्तन यह किया गया है कि वहां काम करने वाले अधिकारी वगैरह उस राजनीतिक सेवा के ही रहेंगे, जिनकी भर्ती वहां के लिये खास तौर पर की गई थी।

†श्री त्यागी : क्या यह समझौता औपचारिक है और इसे संविधान में शामिल किया जायेगा, या यह एक गैर सरकारी निकाय के साथ प्रधान मंत्री की एक अनौपचारिक वार्ता ही थी, जिससे कुछ निष्कर्ष निकले हैं ? इसके फलस्वरूप संविधान में जो परिवर्तन करने पड़ेंगे, उनके बारे में संसद् को अपनी राय देने का मौका दिया जायेगा या नहीं ? इस समझौते को वैधानिक दस्तावेज़ माना जायेगा, या यह एक प्रकार की संधि है ?

†श्री अशोक मेहता : मैं तो यही समझा हूं कि भारतीय संघ में अब सोलहवां राज्य बनने जा रहा है। यदि इस नये राज्य का दर्जा भी अन्य पन्द्रह राज्यों के समान ही है, तो फिर इसका भार वैदेशिक कार्य मंत्रालय को क्यों सौंपा जा रहा है ? क्या यह सोलहवां राज्य न होकर कुछ और है ?

†श्री जवाहर लाल नेहरू : यह सोलहवां राज्य ही होगा, हां उसके लिये कुछ अस्थायी व्यवस्थायें की जा रही हैं। अस्थायी व्यवस्थाओं की ठीक-ठीक अवधि इसलिये निर्धारित नहीं की गई है कि वह बहुत हद तक दूसरी कुछ बातों पर, विधि तथा व्यवस्था, इत्यादि पर निर्भर करती है। होगा तो यह सोलहवां राज्य ही, लेकिन इसका आकार कुछ ऐसा है कि अन्य राज्यों की तरह एक बड़ी पेचीदा प्रशासकीय व्यवस्था की शायद इसे जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी मुझे उम्मीद है।

यह समझौता भारत सरकार और नागा जन कन्वेन्शन के प्रतिनिधियों के बीच हुआ है। इसे वैधानिक और संवैधानिक रूप देना होगा। वैसे यह समझौता अपने आप में तो वैधानिक दस्तावेज़ नहीं है, फिर भी उपयुक्त ढंग से इसका प्रारूप तैयार करना पड़ेगा। इसकी खास-खास बातों को विधेयक में शामिल किया जायेगा। इसकी बुनियादी चीज़ को तो शामिल किया ही

†मूल अंग्रेजी में

जायेगा, और भारत सरकार को उम्मीद है कि उसे यह सभा स्वीकृति भी दे देगी। छोटी-मोटी बातों की ऐसी कोई अहमियत नहीं है।

†**डा० मा० श्री अणे** (नागपुर) : इस समझौते में कभी कोई परिवर्तन करने के लिये क्या नागा नेताओं से फिर दूसरा समझौता करना पड़ेगा ? या संसद् स्वयं वह परिवर्तन कर सकेगी ?

†**श्री त्यागी** : सरकार अपने देश की जनता के ही साथ कोई समझौता कैसे कर सकती है ? यह बड़ी अजीब सी बात है। भारत सरकार उत्तर प्रदेश या पंजाब की जनता के साथ तो कोई समझौता नहीं कर सकती ! यह समझौता कैसे कहा जायेगा ?

†**श्री जवाहर लाल नेहरू** : समझौते में दो पक्ष होते हैं, और यह जरूरी नहीं कि उनमें से कोई दूसरे के अधीन न हो। हमें शब्दों से नहीं उलझना चाहिये। यदि सभा इसका अनुमोदन कर देगी तो यह समझौता वैधानिक रूप से हमारे संविधान का अंग बन जायेगा, इस समझौते की बुनियादी बात हमारे संविधान का अंग बन जायेगी। बुनियादी बात यही है कि एक नया राज्य बनाया जा रहा है। जाहिर है कि यह तभी होगा जब कि सभा इसका अनुमोदन कर दे। यदि सभा अनुमोदन कर देती है, तो यह संविधान का एक अंग बन जायेगा, और संविधान का अंग बनने के बाद यह समझौता नहीं कहा जायेगा। लेकिन उससे पहले तो सरकार इसे संसद् के सामने रख कर इसका अनुमोदन कराने की कोशिश करेगी ही।

†**श्री तिरूमल राव** (काकिनाडा) : नया महाराष्ट्र राज्य बनाने के समय, उसे समझौता नहीं कहा गया था। उस नये राज्य को यह विशेष दर्जा नहीं दिया गया था। इसके लिये 'समझौता' शब्द का प्रयोग करके नागा जनता को कुछ ऐसे अधिकार दिये जा रहे हैं जिसके वे अधिकारी नहीं हैं। इसलिए इस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** (मथुरा) : मैं 'नागा लैण्ड' की स्थापना का समर्थन करता हूं। सोवियत रूस की भांति हमारे यहां भी यदि ७०—८० राज्य रहें तो कोई बुराई नहीं।

महेन्द्र प्रताप सिंह जायदाद (निरसन) विधेयक के बारे में वक्तव्य

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : सभा ने १८ मार्च, १९६० को श्री पु० र० पटेल का यह प्रस्ताव स्वीकृत किया था कि राजा महेन्द्र प्रताप सिंह जायदाद (निरसन) विधेयक पर अगले सत्र के प्रथम दिन तक के लिये विचार करना स्थगित किया जाये। सरकार ने इस विधेयक के संवैधानिक पहलुओं पर विचार कर लिया है। सरकार को परामर्श दिया गया है कि संसद् को न तो वैधानिक सूचियों की प्रविष्टियों के अन्तर्गत और न उसकी अवशिष्ट शक्तियों के अन्तर्गत ही ऐसी कोई क्षमता प्राप्त है कि वह अमृत प्रताप सिंह के स्वामित्व से उसकी अचल संपत्तियों को लेकर राजा महेन्द्र प्रताप सिंह को दे दे। संसद् केवल इतना कर सकती है कि महेन्द्र प्रताप सिंह सम्पदा अधिनियम, १९२३ को निरसित करने के लिए एक अधिनियम बना दे। सरकार इस विधेयक के उद्देश्यों से तो पूरी तरह सहमत है कि ऐसा एक आपत्तिजनक विधान संविधि पुस्तक में नहीं रहने दिया जाना चाहिए। लेकिन संवैधानिक दृष्टि से, विधेयक का वर्तमान स्वरूप विधि-अनुकूल नहीं है। इसलिये सरकार जल्द ही एक विधेयक सभा में रखेगी कि १९२३ के विधेयक को निरसित कर दिया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे दुर्घटनाओं के बारे में वक्तव्य

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खाँ)**: श्रीमान, मैं बड़ी रेलवे दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में एक वक्तव्य सभा-पटल पर रखता हूं। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८]**

समितियों के लिए निर्वाचन

राष्ट्रीय सेना-छात्र दल की केन्द्रीय मंत्रणा समिति

†**प्रतिरक्षा मंत्री के सभा सचिव (श्री फतेहसिंह राव गायकवाड़)**: मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राष्ट्रीय सेना-छात्र दल (संशोधन) अधिनियम, १९५२ द्वारा संशोधित रूप में राष्ट्रीय सेना-छात्र दल अधिनियम, १९४८ की धारा १२ की उप-धारा (१) के खण्ड (झ) के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा अध्यक्ष निदेश दें, राष्ट्रीय सेना-छात्र दल की केन्द्रीय मंत्रणा समिति में, १८ अगस्त, १९६० से आरम्भ होने वाले एक वर्ष की अवधि के लिए, उक्त अधिनियम और राष्ट्रीय सेना-छात्र दल नियम, १९४८ के अन्य उपबन्धों के अधीन, सदस्यों के रूप में काम करने के लिय अपने में से दो सदस्य चुनें।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय सेना-छा दल (संशोधन) अधिनियम, १९५२ द्वारा संशोधित रूप में राष्ट्रीय सेना-छात्र दल अधिनियम, १९४८ की धारा १२ की उप-धारा (१) के खण्ड (झ) के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा अध्यक्ष निदेश दें, राष्ट्रीय सेना-छात्र दल की केन्द्रीय मंत्रणा समिति में, १८ अगस्त, १९६० से आरम्भ होने वाले एक वर्ष की अवधि के लिये, उक्त अधिनियम और राष्ट्रीय सेना-छात्र दल नियम, १९४८ के अन्य उपबन्धों के अधीन सदस्यों के रूप में काम करने के लिये, अपने में से दो सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

नारियल जटा बोर्ड

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दिनांक १२ दिसम्बर, १९५७ के एस० आर० ओ० ३९८३ द्वारा संशोधित नारियल जटा उद्योग नियम, १९५४ के नियम ४ के उप-नियम (१)(ङ) के अनुसरण में लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा अध्यक्ष निदेश दें, सरकार द्वारा नियत की जाने वाली अवधि के लिए नारियल जटा बोर्ड में काम करने के लिए अपने में से दो सदस्य चुनें।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि दिनांक १२ दिसम्बर, १९५७ के एस० आर० ओ० ३९८३ द्वारा संशोधित नारियल जटा उद्योग नियम, १९५४ के नियम ४ के उप-नियम (१) (ङ) के अनुसरण में लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा अध्यक्ष निदेश दें, सरकार द्वारा नियत की जाने वाली अवधि के लिये नारियल जटा बोर्ड में काम करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

रबड़ (संशोधन) विधेयक

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि रबड़ अधिनियम, १९४७ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि रबड़ अधिनियम, १९४७ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

दिल्ली जोत (अधिकतम सीमा) विधेयक—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा दिल्ली जोत (अधिकतम) सीमा विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, खण्डवार विचार आरम्भ करेगी।

क्या खण्ड २ पर कोई संशोधन है ?

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : मैं अपना संशोधन संख्या ५० प्रस्तुत करता हूं।

अपने संशोधन द्वारा मैं कहना चाहता हूं कि परिवार की परिभाषा में माता-पिता को भी अवश्य सम्मिलित कर लिया जाना चाहिये जैसा कि मनीपुर में किया गया है क्योंकि बुढ़ापे में माता-पिता कृषि का कार्य नहीं कर सकेंगे।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (हिसार) : मैं अपना संशोधन संख्या ५ प्रस्तुत करता हूं।

मेरे माननीय मित्र ने कहा कि माता-पिता को भी परिवार में सम्मिलित कर लिया जाना चाहिते। पर वास्तव में ऐसा करना उचित नहीं होगा।

[श्री मूलचन्द दुबे पीठासीन हुए]

माता-पिता को परिवार में सम्मिलित करने से जटिलता और भी बढ़ जायेगी। यदि वर्तमान परिभाषा रहेगी, तो भी जटिलता उत्पन्न होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

परिवार की परिभाषा वह हो ी चाहि , जो मैंने अपने संशोधन संख्या ५ में कही है । अर्थात् उसमें पति-पत्नी व बच्चे सम्मिलित हों । पर किसी अविवाहित को भी पूर्ण परिवार मानना उचित न होगा । विधेयक की परिभाषा के अनुसार पत्नी व बच्चों की भूमि भी परिवार के मुखिया के हाथों में चली जायेगी और स प्रकार पत्नी व बच्चों की भूमि मारी जायेगी । इस प्रकार पत्नी व बच्चों को भूमि पर कोई अधिकार नहीं होगा । पिता सारी भूमि का स्वामी बन जायेगा । और पत्नी व बच्चों को कोई हक नहीं होगा, उस भूमि पर । अतः प्रति व्यक्ति ३० कड़ का मतलब होगा पति-पत्नी मिला कर ६० कड़ व प्रति बच्चा १५ एकड़ के हिसाब से ।

५ एकड़ में तो कोई व्यक्ति अपने भरण-पोषण का प्रबन्ध नहीं कर सकता । यही नहीं यदि आप ५ एकड़ देंगे, तो उस व्यक्ति को उस की खेती में कोई रुचि भी नहीं रहेगी । अतः मेरा निवेदन है कि अधिकतम सीमा ३० एकड़ से ६० एकड़ तक प्रति परिवार हो और प्रति बच्चा १५ एकड़ के हिसाब से हो ।

परिवार के लिये जो ३० एकड़ भूमि आप रख रहे हैं, उसमें पत्नी व बच्चों का भी कुछ भाग होना चाहि । यह न्याय ही होगा । पत ी व बच्चों को अनुपात से भूमि मिलनी चाहिये । जहां तक मआवजे का सवाल है आपको चाहिये कि आप मुआवजा अवश्य दें और जिसकी भूमि आप ले रहे हैं, उसे मुआवजा दें—यह नहीं कि केवल परिवार के मुखिया को सारा मुआवजा दे दिया जाये । अतः माननीय मंत्री से मेरा निवेदन है कि वह इस दृष्टिकोण से विधेयक को देखें ।

इसके अतिरिक्त मुआवजा बाजार मूल्य के ७५ प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिये और जिन-जिन सदस्यों की भूमि ली जाये, उन सब को मुआवजा दिया जाये, न कि सिर्फ परिवार के मुखिया को । ऐसा करना गलत होगा । अतः मेरा निवेदन है कि विधेयक में परिवार की जो परिभाषा है, उसे हटा दिया जाना चाहि और उसके स्थान पर वह परिभाषा रखी जानी चाहिये, जो मैंने दी है ।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : सभापति महोदय, दो माननीय सदस्यों के दो संशोधन हैं । एक संशोधन में परिवार की परिभाषा में कुछ व्यक्तियों को शामिल करने व दूसरे में कुछ व्यक्तियों को निकाल देने की बात कही गई है । मेरा निवेदन है कि योजना आयोग ने सारी बातों पर विचार कर के यह परिभाषा बनाई है । हम परिवार की परिभाषा को समझें क्योंकि यहां हम परिवार के भरण-पोषण के लिये अधिकतम भूमि की मात्रा निर्धारित करने जा रहे हैं ।

इस सम्बन्ध में हम परिवार की परिभाषा वह न लें जो हिन्दू विधि में है या जो सामान्य रूप से समझी जाती है ।

भूमि सुधार सम्बन्धी समिति ने अपने प्रतिवेदन के पृष्ठ १०२ और १०३ पर कहा है :

> "हम ने विचार किया है कि परिवार के लिये अधिकतम सीमा निर्धारित करने में परिवार के सभी सदस्यों की कुल भूमि का योग ध्यान में रखा जाये या परिवार के सभी सदस्यों की भूमि को अलग-अलग माना जाये ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

समिति ने आगे कहा है :—

"हमारी राय है कि भूमि व्यवस्था की ही भांति भूमि स्वामित्व के मामले में परिवार ही सक्रिय एकक है। अतः हम सिफारिश करते हैं कि भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने में परिवार के सभी सदस्यों की भूमि के योग को ध्यान में रखा जाना चाहिये । इस प्रयोजन के लिये परिवार का अर्थ पति-पत्नी और आश्रित पुत्र व पुत्रियां और पौत्र सहित माना जायेगा ।"

यदि आश्रितों के पास अपनी अलग और स्वतंत्र भूमि हो, तो उन के लिये एक अलग उपबन्ध है :-

"यदि माता-पिता की मृत्यु के बाद भूमि दो या दो से अधिक उत्तराधिकारियों को मिल चुकी हो, तो विवाहित पुत्रियों व कमाने वाले पुत्रों की भूमि सम्मिलित नहीं की जानी चाहिये ; यदि सम्पत्ति उन के बीच अविभाजित ही हो, तो प्रत्येक उत्तराधिकारी के अंश को एक अलग जोत माना जायेगा ।"

अतः श्री त्यागी ने जो कठिनाई बताई वह नहीं पैदा होगी। मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि मनीपुर विधेयक में व्यक्तिगत कृषि के लिये माता-पिता को सम्मिलित किया गया था अधिकतम सीमा निर्धारण के सम्बन्ध में नहीं। लगभग सम्पूर्ण भारत में परिवार की परिभाषा एकसी व सामान्य है अतः उन के अधिकारों की रक्षा की दृष्टि से 'आश्रित सदस्य" शब्द इस्तेमाल किये गये हैं ।

†**श्री त्यागी :** यदि तीन वयस्क पुत्र संयुक्त रूप से एक संयुक्त भूमि पर कृषि करते हों, क्या उन में से प्रत्येक अलग-अलग अधिकतम भूमि की मांग करेगा क्योंकि उनमें से सभी के पत्नियां हैं ?

†**श्री दातार :** यदि वे अपने बाप के साथ आश्रित सदस्य की भांति होंगे, तो उन का ध्यान रखा जायेगा । वैसे वे स्वतंत्र भी हो सकते हैं ।

मैं समझता हूं कि पंडित ठाकुर दास भार्गव चाहते हैं कि अधिकतम सीमा बढ़ा दी जाये । मेरा कहना है कि विधेयक में जो अधिकतम सीमा रखी गई है, वह उचित ही है । चूंकि माता-पिता व आश्रित बच्चे ही वास्तव में भूमि पर काम करते हैं, अतः उन्हें ही परिवार की परिभाषा में रखा गया है ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** आश्रितों के अधिकार का भविष्य में क्या रूप होगा ?

†**श्री दातार :** मैं बता चुका हूं कि विवाहित पुत्रियों व कमाने वाले पुत्रों की भूमि को उस में सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

†**श्री प्र० सिं० दौलता** (झज्जर) : माननीय मंत्री ने कहा कि वयस्क पुत्र अलग अपना परिवार बना सकता है। पर मेरा ख्याल है कि विधेयक का अभिप्राय यह नहीं है । कहा गया कि एक नियत तिथि के बाद कोई बंटवारा या हस्तान्तरण आदि को मान्यता नहीं दी जायेगी । अतः जिस के नाम में भूमि है, वही परिवार का स्वामी होगा और वयस्क पुत्र अलग अपना परिवार नहीं बना सकता ।

†**श्री दातार :** ये सब कठिनाइयां इस कारण हैं कि हम परिवार की परिभाषा हिन्दू विधि के अनुसार मान कर चलते हैं । हमें "आश्रित बच्चों" शब्दों का ध्यान रखना चाहिये । यदि बच्चे कमाने वाले हैं, तो कोई कठिनाई ही नहीं होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी** : मान लीजिये एक परिवार के पास १८० एकड़ भूमि है, परिवार में पति-पत्नी व तीन वयस्क विवाहित पुत्र हैं। सब मिल कर १८० एकड़ भूमि पर काम करते हैं। क्या अधिकतम सीमा निर्धारित करते समय माता-पिता के हिस्से व वयस्क पुत्रों के हिस्सों का ध्यान रखा जायेगा ?

†**श्री दातार** : हम ने यह तय किया है कि परिवार को ३० एकड़ दिये जायेंगे। यदि सदस्यों की संख्या अधिक होगी, तो अधिकतम सीमा ६० एकड़ होगी।

†**श्री त्यागी** : मैं अपने संशोधन पर आग्रह नहीं करता।

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ५ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया।

नया खण्ड २ क

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैं संशोधन संख्या ६ प्रस्तुत करता हूं। इस संशोधन का आशय यह है कि यह विधेयक उन परिवारों पर लागू नहीं हो जिन के पास ७५ पक्के एकड़ से कम जमीन है अथवा जो लोग खेती करने के अयोग्य हैं। खेती करने के अयोग्य व्यक्तियों के अधीन वे सभी व्यक्ति आ जाने चाहियें जोकि खंड २ में उल्लिखित परिभाषा के अन्तर्गत आते हैं।

विधेयक की वर्तमान परिभाषा के अनुसार नाम मात्र का प्रतिकर दे कर जमीन ली जा सकेगी और वर्तमान तथा आगामी पीढ़ियों को आवश्यक भूमि से वंचित कर दिया जायेगा। फल यह होगा कि उन का जीवन स्तर और अधिक गिर जायेगा और उन्हें आधुनिक युग में वे सुविधायें प्राप्त नहीं हो सकेंगी जोकि नागरिकों को प्राप्त हैं।

यह कहा गया है कि इस से बहुत कम लोगों पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि केवल ५ प्रतिशत व्यक्तियों के पास ३० एकड़ से अधिक जमीन है। यह तर्क बिल्कुल निराधार है। क्योंकि संविधान के अधीन यदि एक व्यक्ति के प्रति भी अन्याय होता है तो उस की रक्षा की जानी चाहिये।

यह विधेयक बहुत कठोर है, क्योंकि इस के द्वारा न केवल किसानों से उन की पुश्तैनी भूमि छीनी जा रही है, बल्कि उन के पसीने की कमाई से खरीदी भूमि ले ली जा रही है। इस भूमि के लिये जो प्रतिकर दिया जा रहा रहा है वह बहुत कम है। आप केवल ३ प्रतिशत प्रतिकर दे रहे हैं, जबकि पंजाब में वहां की राज्य सरकार ने ७५ प्रतिशत प्रतिकर दिया था यह कहना कि हम किसानों द्वारा दिये जाने वाले राजस्व का ४० गुना उन्हें प्रतिकर के रूप में दे रहे हैं जबकि उन से इस भूमि की लागत के रूप में केवल राजस्व का २० गुना लिया जायेगा, बिल्कुल गलत है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मेरे कथन का सारांश यह है कि सरकार को इस मामले में सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाना चाहिये और जिन व्यक्तियों के पास ७५ पक्के एकड़ से कम भूमि हो तथा विधवाओं, भारतीय सेना में काम करने वाले व्यक्तियों या ऐसे व्यक्ति, जो किसी कारण से खेती करने के अयोग्य हों ऐसे लोगों पर यह विधेयक लागू नहीं होना चाहिये ।

†**श्री प्र० सिं० दौलता** (झज्जर) : मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं । मेरा अनुरोध है कि भूमि की अधिकतम सीमा को ३० एकड़ से बढ़ा कर ७५ एकड़ कर दिया जाय । मेरे विचार से एक परिवार के जीवन निर्वाह तथा अपना स्तर बनाये रखने के लिये कम से कम ७५ एकड़ भूमि आवश्यक है ।

चौधरी रणदीर सिंह (रोहतक): सभापति महोदय इस बिल की तहत हम इंटरमीडियरीज के साथ डील नहीं कर रहे हैं । यह जो अमेंडमेंट पंडित ठाकुर दास भार्गव ने दिया है वह उन्होंने बहुत सोच विचार के बाद रक्खा है, यह जानते और समझते हुए कि किन हालात में हम चल रहे हैं । हम ने राजाओं के रजवाड़े छीने, हर साल हम राजाओं को इस सिलसिले में चार या साढ़े चार करोड़ रुपया देते हैं । हम ने देश के अन्दर ६३४ करोड़, ९८ लाख रु० इंटरमीडियरीज को देना स्वीकार किया और उस में से १५५ करोड़, ७२ लाख रुपया या तो हम नकद की या बान्ड्स की शक्ल में दे भी चुके हैं । तो जिन के बारे में सीलिंग का जिक्र आता है, वे कोई दूसरे ही लोग नहीं हैं, वे खुदकाश्त नहीं करते थे । यह एक तरह से समाज के अन्दर एक नई सी बात है कि जमीन के ऊपर जो खुद काश्त करते हैं और जो किसी तरह से समाज की व्याख्या में एक्स्प्लायटर नहीं हैं उन के साथ हम दूसरा बर्ताव करने जा रहे हैं । ऐसी हालत में प्लैनिंग कमिशन और हमारी सरकार के वे भाई, जो ढ़ाई और तीन हजार रु० महीना तन्ख्वाह लेते हैं और जो हमारे ऊपर सीलिंग रखना चाहते हैं, अपने ऊपर भी कोई सीलिंग मानने को तैयार हैं? हमें इस बात से कोई ऐतराज नहीं है कि आप सीलिंग कम कर दें । अगर आप ७५ के बजाय ५ एकड़ की सीलिंग भी कर दें तो हमारे मजदूर ५ एकड़ में भी कमा खायेंगे, लेकिन कम से कम सरकार को तो यह सोचना चाहिये कि हो सकता है कि आज की हालात में उतना दबाव न पड़े, लेकिन आगे वह दबाव पड़ने वाला है और यह चीज समाज के ऊपर रिक्वायल करेगी? तो क्या हम इसके लिये तैयार हैं आज जिस सरकार ने नीति बनाई है वही मुआवजा नहीं देती तो हम क्यों इस बात से घबरायें कि हमें देना होगा? आखिर हम एक बहुत बड़ी नीति कायम करने जा रहे हैं । इस नीति की तहत ढ़ाई सौ करोड़ रुपये के करीब जो भाई उधर से आये हैं उन को कम्पेन्सेशन की शक्ल में या दूसरी मदद के लिये काफी रुपया हिन्दुस्तान की सरकार देगी, तो जो लोग यहां पर थे दिल्ली के आस पास, जहां पता नहीं कितनी सल्तनतें आई और गईं और जहां पर लोगों के अपने रहन सहन का तरीका अलाहदा रक्खा गया उन को हम सिर्फ इसलिये सजा दें कि वे अच्छे ढ़ंग से कायम रह सकें? यह कोई समझ की बात नहीं है । मुझे इस बात से ऐतराज नहीं है कि आप ३० स्टैन्डर्ड एकड़ की सीलिंग रक्खें, लेकिन उस को रखते हुए हमें कोई न कोई प्रिंसिपल निर्धारित करना चाहिये, एक तो कम्पेन्सेशन के बारे में और दूसरे सीलिंग के बारे में ।

†**श्री दातार** : पंडित ठाकुर दास भार्गव ने अपने संशोधन पर बोलते हुए इस विधेयक के उपबंधों के विरुद्ध कई सामान्य तर्क दिये हैं । मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि दिल्ली क्षेत्र के लिये भूमि की अधिकतम सीमा ३० पक्के एकड़ निर्धारित की गई है । "पक्का" शब्द इस प्रयोजन से जानबूझ कर रखा गया है कि सभी व्यक्तियों को बराबर आय, जीविकोपार्जन के साधन व फसल प्राप्त हो सकें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दातार]

कुछ मामलों में ३० एकड़, ४० या ५० एकड़ के लगभग हो सकता है यह बात भूमि की किस्म पर निर्भर है। जहां तक 'पक्के' शब्द की परिभाषा का संबंध है, इसकी परिभाष दिल्ली राज्य के भूमि सुधार विधेयक के संबंध में बनाये गये नियमों में की जा चुकी है। इस विधेयक में यह कहा गया है कि पहिले अधिनियम की परिभाषा इस विधेयक के प्रयोजन के लिये भी लागू होगी। पहिली चर्चा के दौरान भी मैं इस संबंध में पूरी जानकारी दे चुका हूं।

मेरे माननीय मित्र ने पंजाब का जिक्र किया है वहां भी भूमि की अधिकतम सीमा ३० एकड़ निश्चित की गई है। राजस्थान में भी लगभग यही सीमा निश्चित की गई है। यह बात भूमि की किस्म के ऊपर निर्भर करती है। हमें इस प्रश्न पर केवल निजी स्वार्थों की दृष्टि से नहीं सोचना चाहिये, अपितु व्यापक दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये, क्योंकि ये जमीनें उन लोगों को दी जायेंगी। जिनके पास कोई जमीन नहीं है।

माननीय मित्र को यह ज्ञात होना चाहिये कि हमने परिवार की इकाई के लिये काफी भूमि छोड़ी है। हमने केवल अतिरिक्त भूमि ली है। यह अतिरिक्त भूमि भी सामान्यतः समाज के और विशेषतः भूमिहीन लोगों के हित में किया जा रहा है। हमें इन दरिद्र भूमिहीन लोगों के हितों पर भी विचार करना चाहिये।

प्रतिकर के संबंध में सरकार ने दिल्ली के एक माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत संशोधन को स्वीकार कर लिया है। इससे प्रतिकर की राशि में वद्धि हो जायेगी। मेरा विश्वास है कि इस संबंध में उचित व्यवस्था की जा चुकी है अतः माननीय सदस्य का संशोधन अनावश्यक है।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ६ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

खंड ३—(जोतों की अधिकतम सीमा)

†पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं संशोधन संख्या ७, ८, ९, १०, ११ और १२ प्रस्तुत करता हूं।

संशोधन संख्या ११ के संबंध में मैं मंत्री महोदय को यह याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने श्री त्यागी जी के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि वे हिन्दू विधि पर किसी प्रकार का आघात नहीं करेंगे तथापि अब वह इस आश्वासन की उपेक्षा कर रहे हैं।

संशोधन संख्या १२ के संबंध में मेरा यह निवेदन है कि माननीय मंत्री महोदय को अधिकतम सीमा के संबंध में पुनः विचार करना चाहिये और संयुक्त हिन्दू परिवार में, जहां परिवार के प्रत्येक सदस्य को जन्मजात अधिकार प्राप्त होता है उसे पृथक इकाई मानना चाहिये। वर्तमान विधेयक के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के पास २०० एकड़ भूमि है और उस के चार पुत्र हैं तो उस के पास केवल ३० एकड़ जमीन रह जायेगी और अवशेष भूमि सरकार के पास चली जायेगी फल यह होगा कि इस से उस के पुत्रों के जन्मजात अधिकारों पर कुठाराघात होगा और उन्हें केवल ७ १/२ एकड़ जमीन मिलेगी। इस खंड का परिणाम यह होगा कि जिन व्यक्तियों को हिन्दू विधि के अधीन स्वतंत्र जन्मजात अधिकार मिले हैं वे छिन जायेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब की स्थिति के साथ साथ हम इस विधेयक की तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि पंजाब में ३० एकड़ से अधिक भूमि होने से अतिरिक्त भूमि छीनी नहीं जाती अपितु दूसरे व्यक्ति के लिये खेती करने को दी जा सकती है, उसकी फस्ल का एक तिहाई जमींदार को लेने का अधिकार होता है । इस अतिरिक्त भूमि का मुआवजा भी उसे ७५% मिलता है । अतः पंजाब से यहां की तुलना नहीं हो सकती । मैं चाहता हूं कि संशोधन अथवा नियमों में यह स्पष्ट कर दिया जाय कि जिन व्यक्तियों को हिन्दू विधि के अधीन जन्म-जात अधिकार प्राप्त होंगे, उनके अधिकारों पर आघात नहीं किया जायेगा।

संशोधन संख्या ९ के संबंध में मुझे यह कहना है कि 'पांच' के स्थान पर "पन्द्रह" कर दिया जाय । संशोधन संख्या ७, ८ और १० के संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है क्योंकि माननीय मंत्री ने कहा है कि इन के संबंध में पर्याप्त चर्चा हो चुकी है ।

†श्री त्यागी : मैं संशोधन संख्या ५१ प्रस्तुत करता हूं । मेरे कथन का आशय यह है कि खंड ३ में दी गई व्याख्या के अन्तर्गत 'सहकारी समितियाँ' भी आ सकती हैं क्योंकि यह व्याख्या अस्पस्ट है अतः मेरा, संशोधन है कि उस व्याख्या में "सहकारी समिति को छोड़ कर" शब्द और जोड़ दिये जांय, जिस से ३० एकड़ की अधिकतम सीमा सहकारी समिति पर लागू न हो सके।

श्री दातार : पंडित ठाकुर दास भार्गव ने मुख्यतः खंड ३ की व्याख्या के संबंध में ही कहा है । संयुक्त हिन्दू परिवार के मामले इस खंड के अन्तर्गत नहीं आते हैं । इस खंड के अधीन केवल 'समवाय' और 'संघ' के मामले आते हैं इनकी परिभाषा विधि के अधीन की जा चुकी है । अतः संयुक्त हिन्दू परिवार इसके अन्तर्गत नहीं आता है । जब दो भाई एक जमीन को संयुक्त रूप से कमा रहे हैं तो उनका मामला खंड ४ के परन्तुक के अधीन आयेगा । प्रत्येक भाई को पृथक रूप से अधिकतम सीमा तक भूमि रखने का अधिकार होगा । अतः इस संबंध में कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होगी ।

सहकारी समितियों के संबंध में मैं माननीय मंत्री का ध्यान खंड २६ (१) (ग) की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । उस खंड के अधीन सहकारी समिति की जमीनों को इस विधेयक से छूट दी गई है । अतः इस संबंध में पृथक संशोधन की आवश्यकता नहीं है ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ११ और १२ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ७, ८, ९, १० और ५१ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभापति महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि खंड ३ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ४—(विवरणों का दिया जाना)

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** मैं संशोधन संख्या १३ और १४ प्रस्तुत करता हूं। सभा वस्तुतः पहिले ही मेरे संशोधनों की नीति विरुद्ध निर्णय कर चुकी है। इनका संबंध अनिवार्यतः मेरे पहिले संशोधनों से है, जिन्हें सभा अस्वीकार कर चुकी है, अतः मैं इन पर आग्रह नहीं करता ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या १३ और १४ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड ४ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ४ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ५ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ६—(अतिरिक्त भूमि का निश्चय करने के लिये प्रक्रिया)

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** मैं संशोधन संख्या १५, १६, और ४५ प्रस्तुत करता हूं । मेरे संशोधनों का तात्पर्य यह है कि यदि सरकार ३० एकड़ से अधिक जमीन ले, तो उसे अपने अभिलेख में परिवार के उन व्यक्तियों के नामों का उल्लेख भी करना चाहिये जिन से जमीन ली गई है । यह आवश्यक नहीं है कि एक परिवार की समस्त भूमि उसके मुखिया की ही हो, उसकी पत्नी या अवयस्क बालकों के नाम भी पृथक भूमि हो सकती है, अभिलेखों में उन के नामों का पृथक उल्लेख होना चाहिये जिससे मुआवजा देते समय उनको पृथक मुआवजा मिल सके ।

†**श्री दातार :** माननीय मित्र का प्रयोजन स्पष्ट नहीं हुआ है । उन के संशोधन से यह प्रतीत होता है कि वह यह शब्द जोड़ना चाहते हैं "आधिक्य भूमि की वह राशि जो किसी स्त्री, आश्रित पुत्र या पौत्र की हो और जो सरकार को सौंपी जाय" तथापि इन शब्दों से उनका आशय पूरा नहीं होगा । सरकार केवल भूमि की अधिकतम सीमा निश्चित करेगी । सरकार किसी परिवार के विभिन्न सदस्यों के अधिकारों का पृथक निर्धारण नहीं करेगी । इसका निश्चय उस विधि के अधीन होगा जिस के अन्तर्गत वह परिवार आता है । अतः हम ने यह निश्चय किया है कि भूमि की अधिकतम सीमा का निर्धारण करते समय परिवार के सभी सदस्यों की भूमि के औसत का हिसाब लगाया जाय । इन में से प्रत्येक सदस्य का कितना अंश होता है, इस पर सरकार ने विचार करना नहीं है । इस प्रकार परिवार

---

†मूल अंग्रेजी में

की किसी स्त्री सदस्या, अथवा किसी अन्य सदस्य के अधिकार के अपहरण का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है । यदि माननीय सदस्य को इस संबंध में कुछ भ्रांति होने की संभावना हो तो हम उन के सुझावों पर इस अधिनियम के अन्तर्गत नियम बनाते समय विचार करेंगे । जिस से स्थिति अधिक स्पष्ट हो जाय ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"खंड ६ विधेयक का अंग बने "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ६ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**सभापति महोदय :** अब मैं नया खंड ६क को लेता हूं।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** मैं संशोधन संख्या ४६ प्रस्तुत करता हूं। मेरे संशोधन का आशय यह है कि सरकार सम्पत्ति लेते समय इस प्रकार की व्यवस्था करे कि परिवार की स्त्री सदस्या और आश्रित सदस्य उसी प्रकार सम्पत्ति के मालिक बने रहें। यदि इस प्रकार की व्यवस्था नियमों में की जा सकेगी तो भी मेरा अभिप्राय पूरा हो जायेगा ।

†**श्री दातार :** इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन हम नियमों में आवश्यक स्पष्टीकरण करने को तैयार हैं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ४६ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

(खण्ड ७—कुछ हस्तान्तरणों के मामले में
अतिरिक्त भूमि का प्रवरण)

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** मैं अपना संशोधन संख्या १७ प्रस्तुत करता हूं ।

यदि सरकार हस्तान्तरणों को रोकना चाहती है तो उसे शोध विलम्बकाल की सूचना जारी करनी चाहिए ताकि लोगों को उस की जानकारी हो सके। परन्तु यहां कुछ उपबन्धों को भूतलक्षी प्रभाव दिया जा रहा है । इस संबंध में मद्रास उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि सरकार द्वारा प्रतिरोध आदेश जारी किए जाने तक कोई भी व्यक्ति अपनी संपति हस्तान्तरित कर सकता है । मैं नहीं समझता कि सरकार इन हस्तान्तरणों को प्रवैध क्यों बनाने जा रही है ? वास्तव में गलती सरकार की है क्योंकि उस ने समय पर आदेश नहीं जारी किया । अब इन हस्तान्तरणों को अवैध बताना सर्वथा अनुचित है । मेरे विचार से सरकार को उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय का सम्मान करना चाहिए। इस के अतिरिक्त यह एक सामान्य कानूनी सिद्धांत है कि इस प्रकार के उपबन्ध को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जाना चाहिए। अतः जो हस्तान्तरण हो चुके हैं उन में दखल नहीं किया जाना चाहिए। मेरे विचार से यदि किसी व्यक्ति के पास कोई सम्पति है तो उसे यह अधिकार है कि वह उसका अपनी सन्तान में विभाजन कर सके। इस अधिनियम के पारित किए जाने के पूर्व किए गए सम्पति के विभाजन सर्वथा वैद्य हैं । उन्हें अवैध कहना संविधान के मूलभूत अधिकारों की अवज्ञा करना है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री प्र० सिं० दौलता : मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव के संशोधन का समर्थन करता हूं । मेरे विचार से भूमि के हस्तान्तरण में कोई अनुचित बात नहीं है वरन् उससे विधेयक के उद्देश्य की पूर्ति होती है क्योंकि विधेयक का उद्देश्य भूमि का वितरण करना है । कानूनी और नैतिक दोनों ही दृष्टियों से भूमि का हस्तान्तरण सर्वथा ठीक है ।

†श्री दातार : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य की बात ठीक नहीं है । किसी कानून के पारित किए जाने के लिए कुछ अवधि आवश्यक होती है और जब किसी महत्वपूर्ण कानून के विधान मण्डल में पेश किए जाने की घोषणा की जाती है तो यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या लोगों को उस कानून के प्रयोजन को पराजित करने दिया जाय ? माननीय मित्र ने इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार नहीं किया ।

इस मामले में हम ने दो तारीखें दी हैं । माननीय सदस्य कहते हैं कि इस प्रकार के हस्तान्तरणों से सरकार के उद्देश्य की पूर्ति होती है । यह विचित्र तर्क है । वास्तव में ऐसी कार्यवाही से अधिकतर सीमा के कानून को ठेस पहुंचती है । हमारा उद्देश्य केवल भूमि का एक व्यक्ति से दूसरे को हस्तान्तरण करना नहीं है वरन् हम यह भी चाहते हैं कि सरकार के हाथ में जो अतिरिक्त भूमि आये वह एक खास श्रेणी के लोगों को मिले । माननीय सदस्य इसे अनैतिक कहते हैं । वास्तव में हमारी कार्यवाही अनैतिक नहीं है वरन् हस्तान्तरक की कार्यवाही अनैतिक है क्योंकि हमारा प्रयोजन तो सराहनीय है । हमारा उद्देश्य यह है कि उस के पास उतनी ही भूमि रहे जिस से उसका जीवनयापन हो सके और शेष भूमि उन लोगों के लिये ले ली जाये जिन के पास बिल्कुल भी भूमि नहीं है । इसलिये जब तक यह विधेयक पारित होता है उस के बीच के समय में यदि इस प्रकार की कार्यवाही की जाती है तो वह बदनीयत कही जाएगी ।

हमने एक समन्याय्य सिद्धांत का अनुसरण करने का प्रयत्न किया है । जो कार्यवाही इस विधेयक के प्रयोजनों की पूर्ति में सहायक है वह सर्वथा क्षम्य है । परन्तु इस प्रकार के हस्तान्तरण विधेयक के प्रयोजनों की पूर्ति नहीं करते । इसी कारण पहले की तारीखें निश्चित की गई हैं । माननीय सदस्य ने जो सिद्धांत उपस्थित किया है वह अत्यन्त खतरनाक है । यदि हम पहले की तारीख से कुछ प्रतिबन्ध नहीं लगायेंगे तो भावी विधान का प्रयोजन पूर्णतः असफल रहेगा । इसीलिए सर्वोच्च सत्ता प्राप्त व्यवस्थापिका को वे तारीखें निश्चित करनी चाहिएं जिन के बाद के लेन देन पारित किए जाने वाले कानून द्वारा नियंत्रित होंगे ।

अतः मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता ।

†सभापति महोदय : अब मैं संशोधन पर मतदान लूंगा ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या १७ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ७ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड ७ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ८—(अतिरिक्त भूमि का सरकार में निहित होना)

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं अपना संशोधन संख्या १८ प्रस्तुत करता हूं ।

जो यह मेरा अमेंडमेंट है यह बड़ा ही सिम्पल है, बड़ा ही रीजनेबल है और अगर वह रीजनेबल न भी हो तो भी मैं समझता हूं कि वह माने जाने के काबिल है । मैंने अपने इस अमेंडमेंट में क्या कहा है ? मैंने यही कहा है कि अगर आप मेरी ज़मीन लेना चाहें तो आप कानून बना सकते हैं, कानून के आप मालिक हैं, आप ज़मीन ले सकते हैं, फिर चाहे जो परपज़ है, वह खराब हो या अच्छा हो । लेकिन मेहरबानी करके जो कुछ मुझे आपको देना है वह दे तो दीजिये । यह एक ऐसी चीज है जिस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं हो सकता है—

चौ० रणवीर सिंह : सही भी है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यह सही भी है । लेकिन आप कैसा कानून बनाने जा रहे हैं । अगर आप इस तरह का कानून बिड़ला की जायदाद या डालमिया की जायदाद लेते वक्त बनाते और कहते कि छः महीने में, आठ महीने में या साल में मुआवज़ा दिया जाएगा, तो बात मेरी समझ में आ सकती थी । जिन लोगों ने १८५७ की रिबैलियन में पुरानी सरकार की मदद की और उस को दबाया और उस के लिये उनको जो ज़मीनें मिलीं उनको आप लेते और उस के लिये इंस्टालमेंट में रुपया देते तो भी बात मेरी समझ में आ सकती थी । अगर आप उस तरह की ज़मीन को मुफ्त भी ले लेते तो भी मैं आपके साथ होता । मगर यहां कौन लोग हैं ? ये वही लोग हैं जिन में और जो लोएस्ट रंग में हैं, उन में कोई भी किसी किस्म का फर्क नहीं है ।

आप मुआवज़ा क्या देने जा रहे हैं, इसको हम आगे देखेंगे । लेकिन मैं चाहता हूं कि जब तक उनको मुआवज़ा न दे दिया जाए उस वक्त तक सरकार के अन्दर उनकी जायदाद वैस्ट न करे, उस वक्त तक सरकार उसको अपने कब्जे में न ले । यहां पर यह कहा गया है "फुल कम्पेंसेशन टू दी पार्टीज़ एंटाइटल्ड टू इट" । यहां पर फुल कम्पेंसेशन का मतलब यह नहीं है कि जो सरकार पास कर दे वही फुल कम्पेंसेशन होगी । यह नहीं हो सकता है कि सरकार उसको बगैर मुआवजा दिए उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर ले । आपने यहां पर बांड्स और इंस्टालमेंट्स की बातें कही हैं । क्या आप यह बात उन गरीब लोगों के लिए कहते हैं जिनको कि हमारे मिनिस्टर साहब बखूबी जानते हैं, और जिन के लिए उन के दिल में दर्द है ?

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोज़ाबाद) : क्या वाकई में है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

पंडित ठाकुर दास भार्गव : बिला शक-व-शुभा दर्द है और अगर उन के दिल में इन लोगों के वास्ते दर्द न होता तो जो बहस है वह दूसरी तरह की होती। चूंकि वह कम्पेंसेशन दे रहे हैं इस से पता चलता है कि उन के दिल में दर्द है लेकिन वह थोड़ा सा मिसप्लेस्ड है और उस के बारे में मैं आगे चल कर अर्ज़ करूंगा। यह सब जानते हैं कि सीलिंग लगा कर जो ज़मीन मिलेगी सरकार उस पर कब्जा नहीं करेगी, वह उस की मालिक नहीं बनेगी, उसको नीलाम नहीं करेगी या जो इस से पैसा बचेगा उस से वह एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं चलायेगी। तो जहां तक मोटिव्ज़ का ताल्लुक है, उन पर कोई डाउट नहीं करता है। जो सीलिंग लगाई जा रही है, वह कितनी हो, उस पर एतराज़ हो सकता है, राय में फर्क हो सकता है लेकिन लैंडलैस लेबर को जब कभी भी ज़मीन देने का सवाल उठता है, उस में सभी एक राय के हैं। इस में मेरा एतराज़ इतना ही है कि उनको काफी ज़मीन दी जाए ताकि उनका गुज़ारा हो सके। मैं इसके साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूं कि जिस से ज़मीन ली जाए उनको भी वैसे ही शहरी समझा जाए जैसे दूसरे शहरी हैं और उन के लिए भी आपके दिल में उतना ही दर्द होना चाहिए जितना दूसरों के लिए है। अगर उनकी ज़मीन को आपको लेना है तो ले लो लेकिन उनको दे तो दो कुछ। उन लोगों के वास्ते आगे मैंने कहा है, जनाब वाला देखेंगे अमेंडमेंट नं० १ में, कि इसे जल्दी नाफिज न करो। उनको अपनी हालत रिऐडजस्ट करने दो। जो लोग अपने लड़कों को पढ़ा नहीं सकते, उन्हें उन को कालेज से वापस बुला लेने दो, जो मकान नहीं बना सकते, उन को उसे बन्द करने दो, वह अपनी प्राग्रेस के सब काम बन्द कर सकें। उन की लाइफ रिऐडजस्ट हो जाय। जिन लोगों के पास तीन, चार बीघा ज्यादा जमीन थी, अगर वह उन से छीनी जाय तो वह तो अपने लड़के को किसी इंडस्ट्री में तो लगा दे। एक कंट्रेक्ट के अन्दर अगर आप उस से कुछ लेते हैं तो उस को कुछ दीजिये भी तो सही। यहां आपको कोई ज्यादा देना भी नहीं है, अगर यह कोई बड़ी रकम होती तो मैं गवर्नमेंट की डिफिकल्टी रिअलाइज करता। लेकिन आप ने जो फिगर्स दिये हैं वह इतने छोटे हैं कि इन्स्टालमेंट की बात करने में भी शर्म आती है। अगर आप उस के लिये कहें कि इन्स्टालमेंट में देंगे तो यह बात ठीक नहीं है। कुल १ लाख, १० हजार रु० की मांग है और १७०० एकड़ जमीन है। इस में कहां सवाल आता है बांड्स का ? अगर सिर्फ १ लाख, १० हजार रु० का सवाल था तो इस को ज्वायेंट कमेटी में भेजने का सवाल ही क्या था ? इस को यहीं के हुक्म से उन लोगों को दिया जाता।

इस छोटे से मामल में आप का किन लोगों से वास्ता पड़ा ? आप देखेंगे जो मुआवजा दिया जायेगा वह बहुत से केसेज में मार्केट वैल्यू का ३ परसेंट के हिसाब से १०० रु० तक ही होगा। जैसा एक साहब ने कहा १०० रु० लेने के वास्ते उन को ५० रु० खर्च करना पड़ेगा आने और उसके लेने में। इसलिये इस बारे में खास इंत्जाम किया जाना चाहिये। आप मुआवजा घर में ही दे दीजिये। आउट आफ वे जाकर आप जिन लोगों से जमीन लेते हैं, उन के लिये इतना तो कर दीजिये कि मुआवजा फौरन दीजिये, बान्ड्स की शक्ल में न दीजिये, इन्सस्टालमेंट न कीजिये और घर में दे दीजिये, जिस तरह से आप तकाबी उन के घर पर बांटा करते हैं। इन लोगों के साथ यह मत कीजिये कि आप कहें कि छः महीने बाद रुपया मिलेगा। मेरी गुजारिश यह है कि गवर्नमेंट को किसी भी जमीन का कब्जा नहीं लेना चाहिये जब तक वह उस का मुआवजा न दे। गवर्नमेंट मस्ट पे बिफोर इट टेक्स। मैं जानता हूं कि जिस तरह से गवर्नमेंट मुआवजा देती है। २०, २० साल तक मुआवजा नहीं मिलता। तिलपट का मामला अभी तक पड़ा हुआ था, गड़गांव का मामला पड़ा हुआ था। यहां पर बहुत दफा सवाल आया कम्पेन्सेशन

के झगड़े को लेकर कि गवर्नमेंट मुआवजा नहीं देती। लेकिन आज गवर्नमेंट का यह हाल नहीं है, गवर्नमेंट ऐन्क्शस है पैसा देने के लिये। पहले बरसों तक पेन्शन तय नहीं हुआ करती थी। अब वह आदमी के रिटायर होने से पहले ही तय हो जाती है। पहले कंट्रेक्टर्स को रुपया नहीं मिला करता था और निहायत ज्यादा करप्शन था। मिनिस्ट्री ने हुक्म कर दिया कि कंट्रेक्टर्स को फौरन रुपया दो। तो जब आप सब को रुपये का पेमेन्ट करते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि नहीं देंगे तो करप्शन बढ़ेगा, तो इस के लिये अमेंडमेंट एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है कि जमीन को लेने से पहले आप मुआवजा दे दें। कम से कम इतनी चीज़ तो मानें। मेरी आप से यह दरख्वास्त है कि यह एक ऐसी चीज है जो कि आप की पालिसी के मुताबिक है। सिर्फ आप अपनी जबान से कहना नहीं चाहते, पर अमल कर रहे हैं। हर मुहकमे में आप कर रहे हैं। इसलिये यहां पर भी आप यह क्यों नहीं करते कि जो कुछ देना है, उस को फौरन पे कर दें ताकि लोगों को तसल्ली हो कि जमीन गई तो गई, लेकिन जो मिलना था वह मिल गया।

†श्री १० सि दौलता: मैं चाहता हूं कि इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाय। अन्यथा सरकार जो कुछ प्रतिकर दे रही है वह भी वकीलों कलर्कों आदि में बंट जाएगा। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यदि किसी व्यक्ति के पास अतिरिक्त भूमि है तो वह सरकार न ले वरन् उस व्यक्ति के परिवार के किसी भूमिहीन व्यक्ति को ही मिले। यदि किसी के पास अतिरिक्त भूमि है तो उसके परिवार वालों को ही उसका लाभ मिलना चाहिए। वह भूमि उनके पुरखों की थी इसलिए वह उसके पाने के हकदार भी हैं। यदि सरकार वह अतिरिक्त भूमि लेकर किसी वर्ग विशेष को लाभ पहुंचाना चाहती है तो यह बहुत आपत्तिजनक है। इसलिये मेरा निवेदन है कि खण्ड ८ को बदलकर ऐसा बनाया जाय कि अतिरिक्त भूमि उसी परिवार के भूमिहीन व्यक्तियों को या उनको, जिनके पास ३० प्रतिमन एकड़ से कम भूमि हो, मिले।

चौ० रणबीर सिंह: सभापति महोदय, जहां तक दिल्ली की सेंट्रली ऐडमिनिस्टर्ड एरिया का ताल्लुक है, इस के कम्पेन्सेशन के बारे में गौर करते वक्त हमें कई बातों पर विचार करना चाहिये। इस देश के अन्दर बहुत सारे इलाके थे जहां पहले रियासतें थीं, जो कि देश के $^1/_5$ हिस्से में थीं। वहां की जो जमीन थी उस की मिल्कियत वहां के रजवाड़ेशाही के ऊपर मुन्हसर हो जाती थी कि वह जिस को चाहे उस को उसे दे दे और जिस से चाहे छीन ले। वहां पर जमीन की होल्डिंग का सिलसिला कुछ मुख्तलिफ है, और दूसरे प्रदेशों में जहां जागीरदारी सिस्टम था वहां पर भी कुछ ऐसा ही है जिस को जब अंग्रेज़ यहां आये तब उन्होंने उन लोगों को दिया जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की। लेकिन दिल्ली के आस पास जो आदमी बसते थे उन की जमीनों के साथ मुख्तलिफ बात थी। मैं मानता हूं, जैसा कि दौलता साहब ने कहा, कि हिन्दुस्तान के एकानमिस्ट्स ने इस इलाके के लोगों को जो पेजेन्ट प्रोप्राइटर हैं, इस को समझ नहीं पाये इसलिये कि जहां तक उन के दृष्टिकोण का ताल्लुक है, जो कायदे कानून हम बनाते हैं उन से ऐसा टपकता है कि हमारे कायदे कानून बनाने वालों की उन किसानों से दुश्मनी है। यहां की हमारी जो हालत है वह बाकी प्रदेशों की पालिसी की तरह है जहां पर हम ने जमीनदारी को हटाया, जागीरदारी को हटाया और एक तरह से पेजेन्ट प्रोप्राइटरी

†मूल अंग्रेजी में

[चौ० रणवीर सिंह]

क्लास को बनाया । एक जगह तो उन जैसे भाई पैदा करते हैं और दूसरी जगह जहां पर पहले से ऐसे लोग थे, हम ऐसा व्यावहार करना चाहते हैं जिस से मालूम होता है कि उन के साथ दुश्मनी का व्यवहार हो रहा है । जैसा मैं ने पहले कोट किया, सारे देश के जमीदारों को जो कम्पेन्सेशन हम देगें उस का टोटल, प्लैनिंग कमिशन की रिपोर्ट के हवाले से मैं कहता हूं, ६३४ करोड़, ९८ लाख रुपया होगा । जो हम अब तक कैश या बांड की शक्ल में दे चुके हैं उन जमीनदारों को वह १५५ करोड़, ७२ लाख रु० है । इसी तरह से रजवाड़े को हम जो कम्पेन्सेशन देते हैं वह चार या साढ़े चार करोढ़ रु० सालाना होता है । तो हम ने अपने देश के अन्दर जब मिक्स्ड एकानमी की बात को माना था तो बहुत सोच समझ कर माना था । हमारे देश के अन्दर जिस तरह के हालात थे, जो सिस्टम था, उस के नुक्ते निगाह से माना था, तो फिर आज दिल्ली के ऊपर जिस में कि पंजाब का ही सिस्टम था, उसे लागू क्यों नहीं करते ? दिल्ली का मुकाबिला हम पंजाब के सिवा किसी दूसरे प्रदेश से नहीं कर सकते । पेप्सू से भी नहीं कर सकते क्योंकि वह भी रजवाड़ेशाही इलाका था और वहां पर जमीनों की मिल-कीयत उठाने का वह तरीका नहीं था जैसे कि पंजाब में था क्योंकि पंजाब के अन्दर तो आदमियों ने जमीनों को खरीदा था और उन को खरीदने के लिये उन के बाप दादों ने खासी बड़ी रकम दी थी । इसी तरह से दिल्ली वालों की बात है । लेकिन राजस्थान में आप देखिये और पंजाब को देखिये । पंजाब का जहां तक वास्ता है, पंजाब में जमीन की कीमत के लिहाज से कम्पेन्सेशन रक्खा जाता है । आप जमीन लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, इसमें कोई बात नहीं है । लेकिन उसका रिश्ता मारकेट वैल्यू से होना चाहिए । हमने जब यहां कायदे कानून बनाए हैं तो इस चीज को देखा है । जब इम्पीरियल बैंक को स्टेट बैंक बनाया गया तो उसके हिस्सेदारों को शेयरों की फेस वैल्यू का पांच गुना मुआवजा दिया गया । लेकिन यहां अजीब हालत है कि आप कोई मारकेट वैल्यू मानते ही नहीं और उसका मारकेट वैल्यू से २० फीसदी का, ३० फीसदी का, ४० फीसदी का या ५० फीसदी का कोई रिश्ता कायम नहीं करना चाहते । पता नहीं आप किस ढ़ंग से चलना चाहते हैं । यह एक बड़ा भारी उसूल है जिस पर आपको सोचना होगा ।

मैंने बताया कि पंजाब के अन्दर मारकेट वैल्यू का रिश्ता है और केरल में भी है । केरल में जो १५००० मारकेट वैल्यू की जमीन है उसका ६० फीसदी मिलेगा और जो १५ हजार के ऊपर की है उसका ५५ फीसदी मिलेगा और फिर आगे ५० और ४५ फीसदी मिलेगा । इसी तरह राजस्थान में किया गया जब कि वहां सीलिंग के सिलसिले में कम्पेन्सेशन रखने लगे । राजस्थान की जमीन का तरीका दूसरा था । रजवाड़ों की जिस पर रहम की लहर हो गयी उसको जमींदारी या जागीरदारी दे दी और उसको बना दिया । लेकिन वहां भी रेंट का तीस गुना रखा गया है । मंत्री महोदय ने राजस्थान का जिक्र किया । वहां भी रेंट का ३० गुना रख गया है । यहां पर हम ने अमेंडमेंट देखा है .....

†श्री दातार : माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं उसका इस खण्ड से कोई संबंध नहीं है । अभी हम खण्ड ८ पर हैं तथा यह बात खण्ड १० पर लागू होती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†पंडित ठाकुर दास भार्गव : खण्ड ८ के संबंध में भी यह बात संगत है क्योंकि वह प्रतिकर के विषय से संबंधित है जिसका भुगतान भूमि लेने के पहले ही किया जाना चाहिये ।

सभापति महोदय : प्रश्न पहले या बाद के भुगतान का नहीं है । यहां यह बात कहने का मौका नहीं है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : छोटा तो एमाउंट है । देने में क्या दिक्कत है ।

सभापति महोदय : छोटे बड़े की बात नहीं है । इस दफा के सिलसिले में यह बात नहीं कही जा सकती ।

चौ० रणवीर सिंह : मैं इस सिलसिले पर आपको ले जाकर दूसरी तरफ ले जाना चाहता था ।

सभापति महोदय : तो दफा १० पर ही आप यह कहते ।

चौ० रणवीर सिंह : यह कहना चाहता हूं कि यहां कम्पेन्सेशन जो दे रहे हैं वह कम है और उसको भी बांड्स में देना चाहते हैं, यह कोई समझदारी की बात नहीं है । मैं राजस्थान की बात तो आप से भूमिका के तौर पर कह रहा था कि राजस्थान में भी जो कम्पेन्सेशन का सिस्टम है वह यहां के मुकाबले में ज्यादा आसान है और यहां उस के मुकाबले में सख्त है । लेकिन यहां क्या जरूरत पड़ गयी हिन्दुस्तान की सरकार को कम्पेन्सेशन बांड्स की शक्ल में देने की । यह तो एक सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड एरिया है और यहां का कुल कम्पेन्सेशन चार पांच लाख बनेगा । यहां बांड्स में देने की क्या आवश्यकता है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : एक लाख दस हजार ।

चौ० रणवीर सिंह : फिर यहां बांड रखने की क्या आवश्यकता है । इसलिए मैं चाहता हूं कि सारा मुआवजा कैश में दिया जाए व जमीन लेते ही दिया जाए ।

†श्री दातार : जहां तक प्रतिकर के प्रश्न का सम्बन्ध है उसके सम्बन्ध में मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि वह खण्ड १० से सम्बन्धित है । उस खण्ड में हम कुछ संशोधन स्वीकार करने का विचार कर रहे हैं । संभव है उन से माननीय सदस्य को कुछ संतोष हो जाएगा ।

†पंडित ठाकुर दास भार्गव : मेरे पास उन संशोधनों की प्रति नहीं हैं । वे परिचालित नहीं की गई हैं ।

†श्री दातार : मैं उन्हें अपनी प्रति दे दूंगा ।

जहां तक भूमि के हस्तान्तरण के पूर्व प्रतिकर के भुगतान का प्रश्न है यह बात सामान्य विधि के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है । मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव को यह बता देना चाहता हूं कि सामान्य विधि के अनुसार हस्तान्तरण के समय उस राशि का वास्तविक भुगतान आवश्यक नहीं है । परन्तु वह कहते हैं कि जब तक सरकार प्रतिकर का भुगतान नहीं करती

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दातार]

तब तक वह भमि पर कब्जा करने को हकदार नहीं होगी । जहां तक प्रतिकर के भुगतान का प्रश्न है संयुक्त समिति ने यह कहा था कि यदि भूमिदार अथवा आसामी को देय प्रतिकर की राशि थोड़ी हो तो वह एक मुश्त में भुगतान की जानी चाहिए । यह बात तो तर्क संगत मालूम होती है परन्तु यह नहीं कि जब तक भुगतान नहीं होता तब तक सरकार का उस भूमि पर कब्जा नहीं हो सकेगा। हमें यह समझना चाहिए कि सरकार यह सम्पत्ति किस प्रयोजन के लिए ले रही है । यह भूमि सरकार अपने लिए नहीं ले रही है वरन् भूमिहीन व्यक्तियों और सहकारी समितियों को दे रही है । इसलिए सरकार को बीच में डालना ठीक नहीं है । वह तो भूमि सुधार की दृष्टि से अतिरिक्त भूमि लेकर भूमिहीनों को दे रही है । ऐसी स्थिति में उससे तुरन्त भुगतान करने के लिए कहना अनुचित होगा। यह कहना ठीक नहीं है कि सरकार के पास करोड़ों रुपए हैं और उसे तुरन्त भुगतान करना चाहिए ।

इसलिए यदि भूमि सरकार के हाथ में रहनी है तो उसका स्वामित्व अथवा कानून की भाषा में हित भी उसमें निहित होना चाहिए और फलस्वरुप कब्जा भी । सरकार भुगतान करने के लिए तो तैयार है परन्तु वह तुरन्त नहीं किया जा सकता । यह केवल कुछ लाख रुपए का प्रश्न नहीं है । जो विधेयक हम पारित कर रहे हैं उसे समस्त राज्य सरकारों द्वारा आदर्श स्वरूप समझा जाएगा, इस बात का ध्यान भी हमें रखना चाहिए। यह विधेयक भूमि सुधार के कुछ सिद्धान्तों पर आधारित है । इसलिए हम जो कुछ भी करें वह ऐसा होना चाहिए जिस का समस्त राज्य सरकारें यथाशीघ्र भूमिसुधार करने में लाभ उठा सकें ।

†उपसभापति महोदय: अब मैं संशोधन संख्या १८ पर मतदान लूंगा ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या १८ मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

†उपसभापति महोदय: प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ८ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ८ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ९

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं अपने संशोधन संख्या १९, २१ व २२ प्रस्तुत करता हूं ।

जनाब चेयरमैन , क्लाज ९ पर जो मैं ने अपने १९, २१ और २२ नम्बर के अमेंडमेंट्स मूव किये हैं उन के बारे में बहुत मुख्तसर में अर्ज करना चाहूंगा।

जहां तक कि अमेंडमेंट नम्बर १९ का सवाल है जनाब मुलाहिजा फरमायेंगे कि इसके अन्दर जो मियाद दो गई है वह तीस दिन की दी गई है और इसके मुताबिक

---

†मूल अंग्रेजी में

आफिशिएल गजट में पबलिकेशन के तीस दिन के भीतर वह डिप्टी कमिश्नर के सामने अपने ऐतराजात फाइल कर सकता है । मेरी गुजारिश यह है कि इस मियाद को तीस दिन बजाय बढ़ाकर ६० दिन कर दिया जाय । मैं एक एकड़ की ऐक्सिस नहीं चाहता बल्कि औबजेक्शन फाइल करने की मियाद में जरूर बढ़ोत्री चाहता हूं ताकि ऐसे शख्स से जिसके कि पास से पुश्तैनी जमीन निकलने वाली है और वह अपने ऐतराजात किसी खास वजह से ३० दिन के अन्दर न दे सके तो वह इसी बिना पर अपनी जमीन से हाथ न धो बैठे बल्कि उसको इसके वास्ते ३० की जगह ६० दिन की मियाद दी जाय । आप जानते हैं कि ऐसा तो है नहीं कि आज हम यहां यह कानून पास कर लें और कल उनको इसके बारे में सब कुछ पता लग जायगा । हमारे देश में चूंकि इल्लिट्रेसी बहुत ज्यादा है इसलिए हम यहां पार्लियामेंट में जो ढेर से कानून पास किया करते हैं उनके बारे में बहुत से आदमियों को पता नहीं रहता है और इसलिए मैं चाहता हूं कि यह औबजेक्शन फाइल करने की मियाद ३० के बजाय ६० दिन कर दी जाय ।

जनाब मुलाहिजा फरमायेंगे कि मेरे २१ और २२ नम्बर के अमेंडमेंट्स में प्रिंसिपल का क्वैश्चन है । जहां तक इन जमीनों का सवाल ह, जमीनों के अन्दर राइट्स का सवाल है और जमीनों में और दूसरे सवाल हैं राइटस एंड लाज वगैरह के हैं उन सबका इस देश में कानून के मुताबिक सिविल कोर्ट्स फैसला करते हैं । ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक वक्त में इन सिविल कोर्ट्स के अखत्यारात को कम कर दिया क्योंकि रेवेन्यू वाले कोर्ट्स में मामले जल्द तय हो जाते थे लेकिन इसके साथ ही यह नहीं भूलना चाहिए कि सिविल कोर्टस के अन्दर जुडिशिएल फैसले होते हैं तो वहां पर आरबिट्रेरी फैसले नहीं होते हैं और रेवेन्यू कोर्ट्स की तरह वहां पर रेन्वेयू आफिसर्स के आरबिट्रेरी फैसले नहीं होते हैं और यह हकीकत है कि सिविल कोर्ट्स जो फैसला करते हैं वह ज्यादा तसल्ली देता है । अब डेमोक्रेसी के अन्दर कोर्ट्स लास्ट वर्ड होता है या लेजिस्लेचर होता है लेकिन लास्ट वर्ड गवर्नमेंट की एक्जीक्यूटिव नहीं होती है । अब इस बिल की दफा ९ की रू से गवर्नमेंट ने इन कोर्ट्स की पावर को लेकर सबकी सब पावर्स डिप्टी कमिश्नर को दे दी हैं । डिप्टी कमिश्नर को इस के लिए कौम्पीटेंट एथारिटी बना दिया है जो कि औबजेक्शंस को कंसिडर करके और औबजेक्टर को सुनकर लिस्ट को एप्रूव या मौडीफाई कर देगा और वह लिस्ट गजट में छपने के बाद फाइनल होगी । अब मेरा कहना यह है कि जमीन के जो राइट्स हैं और सिविल राइट्स का फैसला मुनासिब यही होगा कि सिविल कोर्ट्स ही करें । मैं चाहता हूं कि सबसैक्शन ३ के मातहत लिस्ट के आफिशिएल गजट में पबलिश होने की तारीख से तमाम एक्सैस लैंड गवर्नमेंट के नाम म्यूटेटड हो जाय और वह सबजैक्ट टु दी अदर प्राविजंस औफ दिस ऐक्ट गवर्नमेंट में वैस्ट करे ।

इस के अलावा मैं ने अपने दूसरे अमेंडमेंट में यह चाहा है कि अगर कोई शख्स आफिशिएल गजट में पबलिश्ड किसी इंटरी से एग्रीव्ड हो तो वह डक्लेरेशन आफ राइट्स और उस इंटरी के करेक्शन के लिए सिविल कोर्ट में सूट दायर करेगा । सिविल प्रोसीज्योर के प्राविजंस उस सूट को एप्लाई करेंगे और ऐसे सूट के बारे में राइट औफ अपील रिवीजन और फाइनल डिक्री सिविल कोर्ट की सब पार्टीज पर बाइंडिग होगी । बहुत सी स्टेट्स में अब भी ऐसा ही है । पंजाब में भी ऐसा है और इसलिए मैं चाहता हूं कि यह जो दफा ९ में डिप्टी कमिश्नर या किसी कौम्पीटेंट एथौरिटी का औबजेक्शंस पर फैसला फाइनल माना जा रहा है वह कुछ मुनासिब नहीं जंचता है और मेरा तो कहना है कि हर एक

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

आदमी को इस देश के अन्दर यह हक होना चाहिए कि वह अपने राइट्स का फैसला सिविल कोर्ट्स से करा ले और इसी मंशा को ले कर मैं ने यह तरमीम दी है और इस तरह की मौजूदा प्राविजंस में तबदीली चाही है ।

†श्री कालिका सिंह (आजगमगढ़) : मैं पंडित भार्गव के संशोधन संख्या २१ का समर्थन करता हूं । मैं इस उपखंड के मूलगत प्रयोजन का तो विरोध नहीं करता परन्तु उससे उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों का संकेत अवश्य कर देना चाहता हूं । उसमें 'फ्री ऑफ ऑल इनकम्बसेज' शब्द दो जगह आये हैं । उनका तात्पर्य केवल इतना ही नहीं है कि वह अतिरिक्त भूमि समस्त बन्धकों और प्रभारों से मुक्त रहेगी वरन् अनुभोग अधिकार भी नष्ट हो जायेंगे । इसलिये सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि जब वह कोई भूमि ले तो उसके अनुभोग अधिकार समाप्त न हों । इस संशोधन में यही चाहा गया है इसलिये उसे स्वीकार कर लिया जाना चाहिये ।

†श्री दातार : माननीय सदस्य दो संशोधन चाहते हैं । एक यह है कि ३० दिन की अवधि को बढ़ाकर ६० दिन कर दिया जाये । मैं यह बता देना चाहता हूं कि ऐसे मामलों में सामान्यतः आपत्तियां पेश करने की अवधि ३० दिन ही होती है । उद्देश्य यह है कि समस्त आपत्तियां यथाशीघ्र पेश की जा सके । हमने कठिन स्थिति के लिये यह उपबन्ध भी रखा है कि उपयुक्त ३० दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात भी आपत्ति को स्वीकार कर लेगा यदि उसे यह संतोष हो जाये कि किसी कठिनाई के कारण ही समय के अन्दर वैसा नहीं किया जा सका । इस प्रकार ३० दिन के बाद भी आपत्ति पेश की जा सकेगी । ऐसे मामलों में साधारणतः इसी प्रकार का उपबन्ध किया जाता है और मुझे विश्वास है कि इससे माननीय पंडित ठाकुर दास भार्गव की इच्छा पूरी हो सकेगी ।

जहां तक दूसरी बात का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि इस प्रकार के प्रश्न राजस्व अधिकारियों के समक्ष उठाये जा सकते हैं । यदि कोई उपभोग अधिकार का मामला है, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, तो वह उन्हीं अधिकारियों के समक्ष उठाया जा सकता है । यदि उसे दीवानी अदालतों के न्याय निर्णय पर छोड़ दिया जायेगा तो उसमें दस वर्ष से कम समय नहीं लगेगा क्योंकि वह मुंसिफ की अदालत से लेकर उच्चतम न्यायालय तक जायेगा । हम चाहते हैं कि उचित आपत्तिपयों के मामले में उचित अधिकारी --जो राजस्व अधिकारी है--जांच करें और किसी उच्चतर प्राधिकारी द्वारा सुनवाई हो सके । यही उपबन्ध इस मामले में किया गया है । इसलिये मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह ऐसे संशोधन के लिये आग्रह न करें जिससे इस अधिनियम के अन्तर्गत किया जाने वाला समस्त कार्य रुक जायेगा ।

†सभापति महोदय : अब मैं इन सशोधनों पर मतदान लूंगा ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या १९, २१ व २२ मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ९ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ९ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खण्ड १०

†श्री राधा रमण (चांदनी चौक) : में खड १० में दो संशोधन संख्या ५८ और ५९ प्रस्तुत करता हूं जो इस प्रकार है :—

पृष्ठ ६,—

पंक्ति २५ और २६ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये:—

"Compensation the amount of which shall be equal to twenty times the net income from such land."

["मुआवजे की राशि उस भूमि की शुद्ध आय के २० गुने के बराबर होगी ।"]

पृष्ठ ६,—

पंक्ति ३३ के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :—

"*Explanation* : For the purposes of sub-section (1), the net income from any land shall be deemed to be one-fifth of the value of the average yearly gross produce of the land, calculated in such manner as may be prescribed."

["व्याख्या :—उपधारा (१) के प्रयोजनों के लिये किसी भूमि की शुद्ध आय उस भूमि की औसत वार्षिक कुल उपज के मूल्य का $^1/_5$ समझी जायेगी जो उस ढंग से लगाई जायेगी जैसा निर्धारित किया जाये ।"]

इस प्रतिकर के मामले पर पहले भी विचार किया जा चुका है । मैं समझता हूं कि वर्तमान उपबन्ध सभा की इच्छा पूरी नहीं करते हैं। यह ठीक है कि प्रतिकर बाजार भाव के अनुसार दिया जाना चाहिये । परन्तु हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि किसी भी राज्य विधानमण्डल ने पूरे बाजार भाव को प्रतिकर का आधार स्वीकार नहीं किया है । दिल्ली में तो भूमि का भाव इतना चढ़ गया है कि सरकार के लिये बाजार भाव पर प्रतिकर का भुगतान करना कठिन है । संयुक्त समिति में इस विषय पर काफी चर्चा हुई थी और अन्त में यह स्वीकार किया गया कि प्रतिकर का भुगतान भूमि की शुद्ध वार्षिक आय के आधार पर किया जाये । हम समझते थे कि सरकार शुद्ध आय का ४० गुना देना स्वीकार कर लेगी परन्तु वैसा नहीं हो सका । इसलिये यह २० गुने का प्रस्ताव रखा गया है । मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इसे स्वीकार करेंगे । मैं यह भी चाहता हूं कि यह भुगतान तुरन्त और नकद रूप में ही किया जाये। चूंकि दिल्ली में उपलब्ध भूमि अधिक नहीं होगी इसलिये इस में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये ।

†श्री आचार (मंगलौर) : मैं अपना संशोधन संख्या ४९ प्रस्तुत करता हूं ।

खंड १० (क) में जो उपबन्ध है, उसका मैं विरोध करता हूं । मेरा कहना है कि मुआवजे का आधार भूमि का बाजार मूल्य होना चाहिये । भूमि अर्जन अधिनियम के अधीन हम जो मुआवजा दें, वह पर्याप्त व उचित होना चाहिये । ऐसा नहीं होना चाहिये कि १००० रु०

†मूल अंग्रेजी में

[श्री आचार]

की सम्पित्ति के बदले में २ रु० मुआवजा दें। निर्धारण के आधार पर मुआवजा देना उचित नहीं होगा। भूमि का मूल्य ही इसका आधार होना चाहिये। यदि पूरा मूल्य हम नहीं दे सकते, तो उसका ७० प्रतिशत या ८० प्रतिशत तो हमें देना ही चाहिये। पर मुआवजा निर्धारण के आधार पर न हो कर मूल्य के आधार पर ही होना चाहिये।

श्री राधा रमण ने कहा कि मुआवजा भूमि की आय के आधार पर होना चाहिये। यदि किसी भूमि से कुछ भी आय नहीं होती, तो क्या आप उसका कुछ भी मुआवजा नहीं देंगे? अतः आप मुआवजा चाहे, १०, १५ या २० प्रतिशत या जो कुछ भी दें पर वह भूमि के बाजार मूल्य के आधार पर होना चाहिये।

पण्डित ठाकुर दास भार्गव : मैं अपने संशोधन संख्या २३, ४७ और ४८ प्रस्तुत करता हूं।

जनाबेआला, अपनी इस एमेंडमेंट के बारे में मैं कुछ वजाहत से कहना चाहूंगा। मेरे लायक दोस्त जो मुझ से पहले बोले हैं उन्होंने एक प्रिंसिपल बयान किया है कि दरअसल यह जो तरीका है किसी जमीन या किसी चीज की कीमत को मालूम करने का, उसकी प्राड्यूस से या लैंड रेवेन्यू से यह कितना डिफेक्टिव है। जहां तक एसेसमेंट का ताल्लुक है, वह हर्गिज कभी वैलिड बेसिस मार्किट वैल्यू का नहीं हो सकता। जहां तक प्राड्यस का ताल्लुक है यह इससे भी ज्यादा खतरनाक है। इन सब चीजों को देखते हुए मैं ने अपनी एमेंडमेंट्स पेश की हैं। मेरे लायक दोस्त श्री राधा रमण जी ने अभी कहा है कि कोई एक कान्फ्रेंस हुई थी और उसमें इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया गया था। इसका हमें कुछ भी पता नहीं है और यह एक प्राइवेट मामला मालूम होता है। वह कहते हैं कि वह राजी नहीं थे लेकिन कम्प्रोमाइज कर लिया गया है। शायद प्राइवेटली किसी गोष्ठी में यह मामला तय किया गया है और जो लोग इस पर एतराज करते हैं, उनको मौका तक नहीं दिया गया है कि वे आनरेबल मिनिस्टर साहब की खिदमत में अपना प्वांइट आफ व्यू पेश करें। इस पर मुझे सख्त एतराज है। अगर उनकी तरह से आनरेबल मिनिस्टर साहब हमें भी समझा देते और उसी तरह से समझा देते जैसे उन्होंने उनको समझाया है तो अच्छा रहता। हमें क्यों वह अछूत समझते हैं? हम उनकी बात को इज्जत की निगाह से देखते हैं और उन्हें चाहिये था कि हमें भी उस एग्रीमेंट में शामिल करते।

जब राधा रमण जी तकरीर कर चुके तो मैं ने उनसे पूछा कि वह बतायें कि उनका क्या अन्दाजा है कि क्या नेट इनकम होगी, नेट प्रोड्यूस हमें बतायें जिससे हम देखें कि १/६ क्या होगा और १/५ देखने के बाद हम यह तय करें कि २० गुना क्या बैठता है। इसके जवाब में जो कुछ उन्होंने कहा वह वेग था। बड़ी मुश्किल से सोचने के बाद वह यही कह पाये कि दो सौ होगा, तीन सो होगा। यह प्रापर नहीं है कि बगैर किसी चीज को जाने हूए उसको मान लिया जाये। मैं मानता हूं कि राधा रमण जी इसको न मानते अगर उनको यह बात न जंचती कि यह पहले से इम्प्रूवमेंट है। हम मानते हैं कि हमारे आनरेबल मिनिस्टर साहब ने इसको पहले स जरूर आगे बढ़ाया है और इसी बेसिस पर हमारे राधा रमण जी राजी हुये हैं।

मैं समझता हूं कि आनरेबल मिनिस्टर साहब के दिल में यह बात आई है कि जो उनकी प्रोपोज़ल ४० टाइम्स की है, यह बिल्कुल गलत है, उसूलन गलत है और उन्होंने खयाल किया है कि मैं इंसाफ नहीं करूंगा अगर इसको नहीं बढ़ाऊंगा। मैं उनकी इस बात के लिए दाद देता हूं। उन्होंने किसी हद तक कबूल तो किया, माना तो कि जो कुछ वह पहले कहते थे वह मुनासिब नहीं था।

अब देखना यह है कि जो कुछ आनरेबल मिनिस्टर साहब देते हैं, वह कहां तक दुरुस्त है, कहां तक वाजिब है। मैं चाहूंगा कि आनरेबल मिनिस्टर साहब इसे भी वाज़ा कर दें कि वह क्या बैठेगा। लेकिन मुझे डर है कि आनरेबल मिनिस्टर साहब ने एक ऐसा काम किया है, इस बिल को एक ऐसी शक्ल दे दी है कि फिलवाका पार्लियामेंट के हकूक के ऊपर भी एक सीलिंग लग गई है। उन्होंने पार्लियामेंट को भी यह अख्तियार नहीं दिया कि वह बताये कि क्या मार्किट वैल्यू होनी चाहिए या क्या कम्पेंसेशन मिलना चाहिये।

जनाबेवाला आपको मालूम ही है कि जब दफा ३१ कांस्टीट्यूशन की हमने बनाई तो कितना झगड़ा हुआ था। कांस्टिट्यूएंट एसैम्बली में और उसके बाहर जितना झगड़ा हुआ वह आपको मालूम ही है। सारा कांस्टीट्यूशन बन कर तैयार हो गया और आखिरी रोज़ मजबूर हो कर हमें इस दफा ३१ को पास करना पड़ा। इस दफा ३१ की स्याही सूखने भी न पाई थी कि फर्स्ट एमेंडमेंट आफ दी कांस्टिट्यूशन हमारे सामने आ गई। उस वक्त जो मेम्बर साहिबान थे उनको मालूम ही है कि कितना झगड़ा हुआ असैम्बली में। मेरे लायक दोस्त अगर असैम्बली की रिपोर्ट को एक बार पढ़ लेंगे तो यह नहीं कहेंगे कि मैं आउट आफ कंटेक्सट कोटेशन हूं। उस वक्त जो सिलेक्ट कमेटी बनी उसके अन्दर पंजाब के मेम्बर भी थे, बम्बई के मेम्बर भी थे। जो लफ्ज़ "एस्टेट" की तारीफ रखी गई वह बम्बई के लोगों को सूट करती थी, पंजाब के लोगों को सूट नहीं करती थी। हमारे यहां "एस्टेट" की तारीफ पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत छोटी छोटी ज़मींदारियों, पैजेंट प्रोप्राइटर्स पर भी एप्लाई करती है। मैंने उस वक्त हुज्जत की और कहा कि यह नहीं हो सकता कि छोटे छोटे ज़मींदारों की ज़मीनें आप इस प्रिंसिपल पर ले लें कि आप उनको पूरा मुआवज़ा भी न दें। मेरे दोस्त चौधरी रणवीर सिंह ने उसके बारे में एक अमेंडमेंट पेश की और कहा कि इसको दुरुस्त कर दिया जाए। उस वक्त डा० अम्बेडकर जिन्दा थे और उन्होंने उसको मंजूर किया जो मैंने कहा। उन्होंने कहा था कि अगर पंजाब गवर्नमेंट कोई ऐसा कानून पास भी कर देगी तो भी जब वह प्रेज़ीडेंट साहब के पास मंजूरी के लिए आएगा, उसको नामंजूर कर दिया जाएगा। उन्होंने कह दिया कि अगर वह पेजेंट प्रोप्राइटर्स के बारे में होगा तो उसको मंजूरी नहीं दी जाएगी। उस वक्त मैंने कहा था कि जो एश्योरेंसस होते हैं, वे हमें इतने अपील नहीं करते हैं जितने कि उन चीजों के एक्ट में आ जाने से। मैं यह सब बातें आपको ठीक ठीक बता रहा हूं। यह मेरी स्पीच के अन्दर है। मैंने अर्ज़ किया कि पंडित नेहरू एश्योरेंस दें। पंडित नेहरू ने भी इसके बारे में एश्योरेंस दी और उस एश्यारेंस को आप दफ़ा ९,९१३ और ९,९२० पर देख सकते हैं। यह एश्योरेंस उन्होंने सन् १९५१ के फर्स्ट एमेंडमेंट एक्ट के वक्त दी और कहा कि यह रैयतवारी को एप्लाई नहीं करेगा। लेकिन इस पर इक्तथा नहीं हुआ। उसके बाद दूसरा जो अमेंडमेंट आया सन् १९५२ में वह बहुत जामय था, वह रूट आफ दि मैटर को जाता था। आप उस एमेंडमेंट को मुलाहजा फरमायें। सन् १९५५ का जो सेकेन्ड अमेंडमेंट था जिसमें पहली बार पेजेंट प्रोप्राइटर आता था, उसे वापस ले लिया पंत जी ने। पंत जी ने और पंडित नेहरू ने यकीन दिलाया, मैं तवज्जह दिलाऊंगा कि हाउस के अन्दर ऐश्योरेंश दिया गया क्योंकि मैंने एक अमेंडमेंट पेश कर दिया था, कि उन जायदादों पर जो कि अछूतों की होंगी, जिन पर एस्टेट ड्यूटी नहीं लगती, जिन पर इनकम टैक्स नहीं लगता, जो जायदादें ७५ एकड़ से कम हैं, यह प्रिंसिपल कम मुआवजा का लागू नहीं होगा और उनको पूरा मुआवजा मिलेगा। उनको फुल मार्केट

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

वैल्यू दी जायेगी। इस पर घंटों झगड़ा हुआ, उसके बाद पंडित नेहरू ने तकरीर की। उन्होंने फरमाया कि यह खयाल गलत है कि हम किसी जायदाद को बगैर जस्ट कम्पेन्सेशन के लेना चाहते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि यह तो हो ही नहीं सकता, सोशल इंजीनियरिंग में जब हम ऐबालिशन आफ जमींदारी करेंगे तो उसके अन्दर फुल वैल्यू देना मुश्किल है, लेकिन तो भी हम गरीब आदमियों को पूरा कम्पेन्सेशन देंगे। हर्गिज कम नहीं देंगे। हो सकता है कि किसी को १०० परसेंट न दिया जाय, जो कम्पेरेटिवली अच्छी हैसियत में हैं उनको ८० परसेंट दिया जाय। और अगर ८० परसेंट न भी हो सकेगा तो कम से कम ६० परसेंट तो होगा ही। इस ६० परसेंट से आगे वह नहीं गये। इसलिये मैंने अपने अमेंडमेंट में सिर्फ ६०परसेंट रखा है फिर उन्होंने बतलाया कि हमारा यह आब्जेक्ट नहीं है कि हम इस बिल को छोटे जमींदारों पर लागू करें। हम उन पर इसे लागू नहीं करेंगे। गवर्नमेंट ने यह आर्गूमेंट दिया था जो कि मैं हाउस के सामने अर्ज करना चाहता हूं। उन्होंने फरमाया था कि अब गवर्नमेंट का अख्त्यार नहीं है कम्पेन्सेशन रखने का। हमने कोर्ट्स से पावर ले ली तो गवर्नमेंट भी कम्पेन्सेशन मुकर्रर नहीं करेगी। लेजिस्लेचर कम्पेन्सेशन मुकर्रर करेगा। साथ में उन्होंने फरमाया कि मैं नहीं समझता कि यह लेजिस्लेचर जो खुद मिडिलमैन का होगा, जो छोटे आदमियों का होगा वह खुद ऐसी तजवीज पेश करेगा जिसके अन्दर छोटे आदमियों की ज़मीनों को ऐसे उसूलों पर ले लिया जाय जिसे लेजिस्लेचर ऐप्रूव न करे। क्या पार्लियामेंट के मेम्बर अपने भाइयों की तरफ नहीं देखेंगे, चाहे वह ए हो या बी हो? मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आज अगर आप ऐसा करेंगे तो देश के अन्दर कोहराम मच जायेगा। मैं सोच समझ कर बोलता हूं। मैं चाहता हूं कि पंडित नेहरू के उन अल्फाज को हाउस देखे और महसूस करे और इस उसूल को न माने जिसके मुताबिक पूरा मुआवजा लोगों को नहीं मिलेगा। उन्होंने जो रीजनिंग दी थी, मैं उसे पढ़ कर सुनाऊंगा और वही रीजनिंग यहां एप्लाई करती है। आज लेजिस्लेचर को जो अख्त्यार हैं उसके अन्दर क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है :

> "कि भूमि की शुद्ध आय उस भूमि की औसत वार्षिक कुल उपज के मूल्य का $^1/_4$ समझी जायेगी--जो उस ढंग से लगाई जायेगी, जैसा परिनियत किया जाये।"

कौन यह उसूल मुकर्रर करेगा कि कितनी ग्रास इनकम है? पता नहीं कौन करेगा। पता नहीं कि गवर्नमेंट इसके लिए क्या करेगी, लेकिन आज लेजिस्लेचर को जो अख्त्यार है, गवर्नमेंट उसको यूजर्प कर रही है। अगर गवर्नमेंट ऐसा करेगी तो आप इसे मंजूर करेंगे कि **यू विल बी यूजिंग दि पावर्स आफ दि लेजिस्लेचर**। क्या होगा? मान लीजिये कि एक जमीन के टुकड़े हो गये। एक टुकड़े के अन्दर प्रोड्यूस बहुत ज्यादा है। जमीनदार क्या करता है? एक जमीन के अन्दर फर्टिलाइजर ज्यादा दे दिया, उसमें पानी ज्यादा दे दिया, नतीजा यह हुआ कि उसमें खूब पैदावार हुई। बाकी जमीन ऐसी है जो अगले दो तीन फसलों के लिये छोड़ दी गई है। तो पर्टिकुलर लैंड की जो ग्रास प्रोड्यूस होगी उस से दूसरी लैंड में कम होगी। अब कैसे पता चलेगा कि उसमें कितना फर्टिलाइजर है, किस साल की ग्रास प्रोड्यूस ली जायेगी? वह बेस्ट इअर की होगी या वर्स्ट इअर की होगी। आखिर कैसे नेट प्रोड्यूस मालूम होगी, यह दर्ज नहीं है। नेट प्रोड्यूस का पांचवां हिस्सा और पांचवें हिस्से का २० टाइम्स रखा गया है। पता नहीं क्यों रक्खा गया है। जो आप दुनिया के अन्दर ऐक्सेप्टेड कायदा है, उस मार्केट वैल्यू पर ही आप कर दें। मार्केट वेल्यू ऐसी चीज़ है **व्हिच केन बी डिटर्मिंड, व्हिच इज नोन टु एन्ट्री बडी**। यह मैं मानने के लिये तैयार हूं कि दिल्ली के अन्दर मार्किट वैल्य बढ़ गई है। हमारे आनरेबल मिनिस्टर साहब का क्लेम बिल्कुल सही है कि यहां पर जो

मार्केट वैल्यू है वह १०,००० और १५,००० रु० एकड़ हो गई है। यह स्काई राकेटिंग है, जो कि मेरी समझ में नहीं आता लेकिन जैसा कि आनरेबल मेम्बर साहब ने अपनी तकरीर में कहा, कोई भी जमीन ढाई हजार रु० एकड़ से कम नहीं है। सब फरमाते हैं कि इससे कम कीमत पर कोई जमीन नहीं बिकती है।

सभापति महोदय : अब आपका समय हो गया।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जनाब वाला, यह बड़ा इम्पार्टेंट क्वेश्चन है। माफ करें। थोड़ा सा मुझको पढ़ कर भी सुनाना है। यह मामूली रेजोल्यूशन या कोई दूसरी चीज़ नहीं है। इसके ऊपर और भी घंटे बढ़ सकते हैं।

सभापति महोदय : तीन घंटे दिये गये अब सात घंटे हो गये हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : तब बेहतर यह होगा कि आप इसे गिलोटिन कर दें ताकि लोगों को मालूम हो सके कि पार्लियामेंट में लोग जो कुछ कहना चाहते थे वह नहीं कह सके और गिलोटिन हो गया। वर्ना यह क्लाज १० बड़े झगड़े का है। इस पर और टाइम दिया जा सकता है।

मैं यह अर्ज कर रहा था कि आखिर इसका नतीजा यह निकलेगा कि जो तरीका इसमें दिया हुआ है वह बिलकुल बेग है। यह पता नहीं लगता कि उसके मुताबिक क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा। यह सब जमीनों पर एकसां ऐप्लाई नहीं करेगा। यह फर्टाइल लैंड पर और तरह और नान फर्टाइल लैंड पर और तरह से ऐप्लाई करेगा, नहरी जमीन पर और तरह ऐप्लाई करेगा। इसलिये मेरी गुजारिश यह है कि यह जो फार्मूला है मैं उसका बेसिस नहीं समझा हूं। मैं इसके पोलिटिकल इम्प्लिकेशन्स नहीं समझा हूं, न हमारे सामने यह पिक्चर है यह एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं कबूल नहीं कर सकता। १ लाख, १० हजार रु० को अगर हम १७०० पर तकसीम करें तो ३$^{२}/_{५}$ परसेंट कीमत आती है, यानी किसी का ८० रु०, किसी का १०० रु०। अगर हर एक के लिये २०० रु० भी मान लें तो जैसा कि हमारे लायक दोस्त कहते हैं जिसका दाम २५०० रु० रहा है उसका आज १० या १५ हजार रु० एकड़ पड़ता है। लेकिन अगर आप ढाई या तीन हजार रु० भी मान लें तो कितने परसेंट मिला ? सारा मुआवजा कितना होगा ?

श्री राधारमण के हिसाब से ५ परसेंट से ज्यादा नहीं पड़ेगा मैंने अपने अमेंडमेंट में भी लो कहा है। मैं इस आर्गूमेंट से मुतासिर हूं कि गवर्नमेंट को फायदा नहीं पहुंचता। लेकिन इस आर्गूमेंट को तो देखने दीजिये कि किस गरीब को फायदा पहुंचता है। जहां तक दिल्ली का सवाल है, शायद ही कोई खुशकिस्मत आदमी हो जिस लैंडलेस को जमीन मिले। मैं डाउट करता हूं कि इस बिल के अन्दर ऐसे लूप होल्स हैं जिनसे सारी की सारी जमीन औरों को मिल जायेगी। इसके अन्दर कोई डेअरी होगी, कोई फार्म अच्छा सा हो जायेगा। और अगर पांच या सात मामूली आदमियों को मिली भी तो उनको क्या मिलेगा ? ५ एकड़। कीमत तो ५ एकड़ की बहुत बैठेगी लेकिन गुजारा ५ एकड़ से नहीं चलेगा। जो आपका यह माडेल बिल है उस में जमीन लैंडलेस को नही मिलेगी। फिर जिन लैंडलेस की जमीन ली जायेगी उसको उससे लेने के लिये क्या उसे जहर दिया जायेगा ? मैं इस उसूल को नहीं मानता।

सरकार कहती है, हमारे आनरेबल मिनिस्टर साहब फरमाते हैं कई दफा कि नैशनल कौंसिल ने सारा मामला तय कर दिया है, सरकार इसके अन्दर इन्वाल्व नहीं होगी। यह उनकी मेन ग्राउंड है। मैं श्री दातार को अच्छी तरह जानता हूं। उनके हाथ बंधे हुये हैं। मैं श्री दातार की तवज्जह दिलाऊंगा कि उनका दिल बंधा हुआ नहीं है, भले ही उनके हाथ बंधे हुये हों। नैशनल

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

कौंसिल नहीं कहती है कि सरकार अपने घर से लैंडलेस लेबरर्स को जमीन दे। आपका दिल नहीं बंधा हुआ है। मुझे इन्साफ से बतलाइये कि अगर आज एक डाकू किसी के घर जाता है और २००० रु० लाकर गरीबों को बांटे बिना अपना गुजारा चलाना चाहता है तो क्या वह नेक काम करता है? सरकार की तरफ से करोड़ों रुपया शेड्यूल्ड कास्ट्स को दिया जाय, तमाम रुपया दूसरे लोगों को दिया जाय, लेकिन यह कौनसा कायदा है कि ए या बी को देने के वास्ते गरीबों का गला घोंटा जाय और एग्रीकल्चरिस्ट ही एग्रीकल्चरिस्ट की इमदाद करे। आपके हाथ बंधे हैं, आप नैशनल कौंसिल के बखिलाफ नहीं जा सकते, लेकिन मैं अर्ज करता हूं कि नैशनल कौंसिल का फैसला कतई गलत है। मैं यह डंके की चोट पर कहता हूं, दिल से कहता हूं, जोर से कहता हूं कि यह बिल्कुल गलत है। लैंडलेस को जमीन देने के वास्ते अगर उन्हें इतना मुआवजा दिया जाय तो **इट बिल बी ए फ्राड आन दि कांस्टिट्यूशन**। यह अल्फाज मेरे नहीं हैं, यह अल्फाज डाक्टर अम्बेडकर के हैं कि **फ्राड आन दि कांस्टिट्यूशन** होगा। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। अगर यह **इल्यूसरी** और **इनसिग्निफिकेंट कम्पेन्सेशन** होगा तो यह दफा ३१ के मुताबिक **नो कम्पेन्सेशन** के बराबर होगा। एक और मौके पर हमारे आनरेबल मिनिस्टर साहब ने हाउस में वादा किया कि हम कम्पेन्सेशन बढ़ा देंगे। इस दिल्ली के अन्दर आपने कानून बना दिया रिफ्यूजीज के वास्ते कि सन १९३९ का मुआवजा दिया जायेगा। मामला हाईकोर्ट के अन्दर गया, हाईकोर्ट ने उसे रद्द कर दिया और कहा कि ज्यादा दिया जायेगा। इस हाउस के अन्दर हमारे पंत साहब ने खुद वादा किया कि कम्पेन्सेशन बढ़ायेंगे। तो मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि मुझे इस वजह से बन्द न कीजिए कि नेशनल कौंसिल ने फैसला कर दिया है कि गवर्नमेंट के पास पैसा कम है इसलिये गवर्नमेंट पैसा नहीं देगी। उनका तो कम्पेन्सेशन कम है। इसलिये उनको पूरा कम्पेन्सेशन मिलना चाहिये। हमारे कांस्टिट्यूशन की दफा ३१ में लिखा है कि प्रापर्टी का मुआवजा किस तरह देना चाहिये। यहां जो दिया जा रहा है वह तो अनजस्ट है। जब मिनिस्टर साहब बहस कर रहे थे तो मैंने कहा था यह तो राबिंग पीटर टू पे पाल होगा। उन्होंने इस वक्त फरमाया था कि ऐसा नहीं है। यह तो एक दूसरे एग्रीकल्चरिस्ट को उठाने का सवाल है इसलिये इसमें एग्रीकल्चरिस्ट्स को मदद करनी चाहिये। मैं कहता हूं कि वह लोग जिनको आप उठाना चाहते हैं क्या हमारे भाई नहीं हैं। मैं तो कहता हूं कि आप उनको जरूर उठाइये और उनको उठाने के लिये अरबन एरियाज में रहने वालों पर टैक्स लगाइये और उनको मुफ्त जमीन दीजिये। लेकिन यह ठीक नहीं है कि एक को देने के लिये आप दूसरे को कम मुआवजा देते हैं। यह आरग्यूमेंट मुझ को अपील नहीं करता।

मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि जब मैं पंडित जी की स्पीच कोट करना चाहता था तो कहा ४८४१ से तो मिनिस्टर साहब ने कहा था कि यह मिसकोट किया जा रहा है। पंडित जी ने कहा था :

> "अपने ही देश में जब हम जमीन या किसी अन्य वस्तु सम्बन्धी किसी बड़ी योजना पर विचार करते हैं, तो हमारे सामने बड़ी-बड़ी समस्यायें आती हैं।"

मैंने अपना अमेंडमेंट दिया था लेकिन जब पंडित जी की स्पीच सुनी तो हमको तसल्ली हो गयी और हमने अपना अमेंडमेंट वापस ले लिया। उन्होंने कहा था कि हम सारी भूमि का अर्जन एक साथ ही नहीं कर सकते। हमें धीरे धीरे यह काम करना होगा। जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में हमने गरीब जमींदारों को १०० प्रतिशत मुआवजा दिया। अन्य लोगों को ८०, ७० और ६० प्रतिशत दिया। यह तरीका बिल्कुल ठीक है।

तो जनाब वाला, यह जवाब पंडित जी ने दिया था क्योंकि बहस यह थी कि गरीब आदमियों को न छुआ जाय और उनको पूरा मुआवजा दिया जाए। यहां सवाल सिर्फ एग्रीकल्चरिस्ट्स का ही नहीं था, गरीब आदमियों का सवाल था। और हम जो गरीब आदमियों के रिप्रेजेंटेटिव हैं वह यह कैसे मंजूर कर सकते हैं कि उनको पूरा कम्पेन्सेशन न दिया जाए। क्योंकि आप कई बार घंटी बजा चुके हैं इसलिये मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। मैं मिनिस्टर साहब को उन सुफहों का नम्बर बतलाए देता हूं कि वहीं उनको पढ़ लें। वह नम्बर हैं। ५११६, ४८४०, ४८४१, ४८४२, ४८४३, ४८४४, ४८४६। मैं नहीं चाहता कि आप छोटे आदमियों को पूरा कम्पेन्सेशन न दें। इसमें जो कम्पेन्सेशन देना है वह छोटे आदमियों को लागू नहीं होगा।

मैंने कई अमेंडमेंट रखे हैं। हम ६४ साल से देख रहे हैं कि लैंड एक्वीजीशन एक्ट ठीक काम कर रहा है। उसी के मुताबिक मैंने अमेंडमेंट दिए हैं। इसी के मुताबिक मुआवजा तै होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट जज को मारकेट वैल्यू तै करना चाहिए।

जहां तक अमेंडमेंट नम्बर ४७ का सवाल है मैं समझता हूं कि मिनिस्टर साहब उसको मानेंगे। औरतों और बच्चों को अगर कम्पेन्सेशन देना है तो उनका हिस्सा उन्हीं को दिया जाए और उनके खाविन्द या बापों को न दे दिया जाए।

तीसरी चीज अमेंडमेंट ४८ में मैंने यह चाही है कि जो डिसएबिल्ड हैं उनको १०० परसेंट दिया जाए। क्या आप अपने आर्मी के आदमियों को जहर दे देंगे। जो जमीन उनके पास अपने बाप दादाओं के वक्त से चली आ रही है उसको खोस लेंगे। क्या आप उनको पूरा मुआवजा नहीं देंगे। इसी तरह से विडोज और डिसएबिल्ड परसन्स का सवाल है। जिनकी जमीन ३० एकड़ से ऊपर नहीं है उनको ८० परसेंट दीजिए और ३० एकड़ से ज्यादा है उनको ६० परसेंट दीजिए। लेकिन मुझे दुःख है कि इस मामले पर मुझे ज्यादा बोलने का वक्त नहीं दिया जा रहा है। इसको आप माडल बिल कहते हैं। यही पंजाब में जाएगा। मैं पंडित जी की स्पीच से कुछ हिस्सा और कोट करना चाहता था। लेकिन उसकी मुझे इजाजत नहीं दी जा रही है और आप बार बार घंटी बजा रहे हैं, इसलिए मैं बैठ जाता हूं।

†श्री त्यागी (देहरादून) : मुझे खेद है कि इस विधेयक द्वारा गरीब किसानों व गांव वालों के साथ अन्याय किया जा रहा है। भूमि का मुआवजा देने के सम्बन्ध में मुझे एक यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। सामाजिक हित के लिए आप भूमि अर्जित करें पर उसको मुआवजा भी तो मिलना चाहिए।

मैं अपना संशोधन संख्या ५४ प्रस्तुत करता हूं। मेरे संशोधन में कहा गया है कि उपखण्ड (५) निकाल दिया जाये।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उपखण्ड (५) में कहा गया है कि धार्मिक संस्थाओं की भूमि लेने के बाद सरकार उन्हें प्रति वर्ष के हिसाब से मुआवजा देती रहेगी। पर ऐसा होने पर कुछ वर्षों बाद सरकार की धर्मनिरपेक्षता पर लोग उंगली उठाने लगेंगे। अतः ऐसी संस्थाओं को जो भी मुआवजा देना हो—एक मुश्त ही दे दिया जाये—चाहे कुछ ज्यादा ही दे दिया जाये, पर सालाना किस्त पर देना ठीक नहीं होगा। अतः मेरा निवेदन है कि यह उपखण्ड निकाल दिया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्र० सिं० बोलता** : यह खण्ड बड़ा विवादग्रस्त है । मंत्री महोदय को छोड़ कर किसी भी सदस्य ने इसका समर्थन नहीं किया है। अतः इसे पारित करना संसद् की इच्छा की उपेक्षा करना होगा ।

मुआवजा बहुत कम दिया जा रहा है । यह कहा गया कि यह जमीन भूमिहीनों को दी जायेगी पर मुझे इसमें सन्देह है क्योंकि यह भूमि बहुत थोड़ी होगी और सरकार को अधिक भूमि अर्जित करने की आवश्यकता पड़ेगी ।

पिछली बार जब मैं बोल रहा था, तो मेरी बात का खण्डन करते हुये कहा गया था कि पंजाब में भी स्थिति ऐसी ही है। मेरे पास सभी राज्यों के कानून हैं। पंजाब में तो मुआवजा का सवाल ही नहीं है। पेप्सू में मुआवजा भूमि-राजस्व का ९० गुना या २०० रु० है। उड़ीसा में भूमि का बाजार मूल्य शतप्रतिशत दिया जाता है। बिहार में भूमि की किस्म के अनुसार १२०० ० प्रति एकड़ से ४०० ० प्रति एकड़ तक है। केरल में बाजार मूल्य का ६० प्रतिशत है। गुजरात व बम्बई में भू-राजस्व का १०० प्रतिशत है। पर दिल्ली में इस विधेयक के अनुसार छोटे-बड़े सभी जमींदारों को समान रखा गया है। मुआवजा भूमि राजस्व का केवल ४० गुना है। यह बहुत कम है । अतः मेरा निवेदन है कि आप मुआवजे की दर बढ़ायें, अन्यथा यह बड़ा अन्याय होगा ।

श्री दातार : सरकार संशोधन संख्या ५८ और ५९ को स्वीकार कर रही है । ये मेरे माननीय मित्र श्री राधारमण ने प्रस्तुत किये हैं । विधेयक को संयुक्त समिति के सुपुर्द करने से पूर्व अथवा उसके संयुक्त समिति से वापस आने तक तत्सम्बन्धी विवाद का जो रुख रहा है उसका कुछ संक्षेप से वर्णन करना चाहता हूं । आपको पता ही है कि संयुक्त समिति ने तो मुआवजे का आधार भूमि राजस्व का ४० गुना अधिक स्वीकार कर लिया था । इस प्रकार के निर्धारण में एकड़ों का कोई प्रश्न नहीं रहता । पहले यह उत्तरोत्तर बढ़ रहा था । अन्ततोगत्वा समिति ने यह सिद्धान्त स्वीकार कर लिया कि मुआवजे का आधार भूमि राजस्व का ४० गुना हो । परन्तु जब विधेयक यहां आया और उस पर चर्चा हुई तो पता चला कि इस दिशा में काफी असन्तोष पाया जाता है । अतः इस मामले पर पुनः विचार किया गया । यद्यपि सदन इस बात के पक्ष में नहीं था । इस बात को अच्छी प्रकार से समझ लेना चाहिए क्योंकि कई बार हम पर यह आरोप लगाया जाता है कि हम मनमानियां करते हैं । संयुक्त समिति के निर्णय के बावजूद भी हमने उचित शिकायतों को दूर करने का पूरा प्रयत्न किया है ।

मैं अपने माननीय मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव को यह बताना चाहता हूं कि यह श्री राधा रमण जी से हमारा कोई तय किया हुआ मामला नहीं । हमने यह सारा मामला दिल्ली क्षेत्र के लिए बने परामर्श बोर्ड के समक्ष भी रखी थी । और अब जो बात अन्तिम रूप में श्री राधा रमण जी के संशोधन में आ रही है, उसे इस बोर्ड ने भी एकमत से स्वीकार किया है । मुझे इस बात का हर्ष है कि कुछ सदस्यों को यह पता चला कि सरकार किस प्रकार लोगों की इच्छा का सम्मान करती है । यही कारण है कि भूमि राजस्व के स्थान पर हमने समुचित भाड़े को मुआवजे का आधार स्वीकार किया है ।

कुछ माननीय सदस्यों का सुझाव था कि मुआवजे का आधार बाजार दर होना चाहिए । बाजार दर के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि यह हालात पर होता है । कई बार कीमत बहुत ही अधिक बढ़ जाती है । सरकार को तो गरीब लोगों को देने के लिए ही भूमि अर्जन करनी पड़ती है,

---

†मूल अंग्रेजी में

अतः उसके लिए इतनी अधिक कीमत देना कई बार सम्भव नहीं होता। वैसे भी बढ़े हुए बाजार दरों को स्वीकार कर लेना भूमिहीन किसानों के हित की बात नहीं। हमें इस बात की पूरी जानकारी है कि दिल्ली के आस पास भूमि के दाम किस तेजी से बढ़े हैं। अतः बाजार दर को आधार मान कर चलना खतरनाक होगा।

मेरा कहना है कि समुचित किराये को मुआवजे का आधार रखना ही ठीक रहेगा। यह इस सदन के लिए कोई नयी बात नहीं है। दिल्ली विधान सभा ने जब भूमि सुधार अधिनियम पारित किया था तो इस सदन ने बाद में कुछ मामलों में उसका संशोधन किया था। इस अधिनियम की धारा ८८ के अन्तर्गत समुचित भाड़े के सम्बन्ध में सिद्धान्त निश्चित किया गया था। उत्पादन के मूल्य का पांचवा भाग मुनासिब भाड़ा समझा गया था। किसी आसामी से इससे अधिक भाड़ा नहीं लिया जाना चाहिए। अतः $^1/_5$ का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया गया।

†**श्री त्यागी** : क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि क्या $^1/_5$ विशुद्ध आय होती भी है? मेरा अनुभव तो यह है कि विशुद्ध आय $^1/_5$ से नहीं बढ़ती।

†**श्री दातार**: इस मामले पर योजना आयोग में विचार किया गया था। इससे सम्बद्ध निकाय द्वारा भी इस मामले पर विचार किया गया था। इस सब कुछ करने के पश्चात् ही राजस्व को हमने आधार मानने का निश्चय किया था। बाद में फिर बहुत से माननीय सदस्यों ने आपत्ति की। सरकार ने इस पर पुनः विचार किया परामर्श बोर्ड से सलाह ली और अन्ततोगत्वा भूमि की आय को ही आधार माना जाना स्वीकार कर लिया गया। विशुद्ध आय के पांचवें भाग को समुचित भाड़ा माना जायेगा और इसके आधार पर मुआवजे का निर्णय किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में जिन सिद्धान्तों पर भारत के कुछ भागों में अमल किया जाता है, उनका मैं कुछ उल्लेख करना चाहता हूं। पेप्सू के सम्बन्ध में विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य ने बार बार उल्लेख किया है, मैं उसके सम्बन्ध में जानकारी प्रस्तुत करूंगा। जहां तक आन्ध्र के तेलंगाना क्षेत्र का सम्बन्ध है उन्होंने सूखी भूमि के लिए २० गना व गीली भूमि के लिए १२ गना का सिद्धान्त अपनाया है पर हम ने यहां सब प्रकार की भूमि के लिए २० गुना का सिद्धान्त अपनाया है। आसाम में भूमि लगान का १५ गुना स्वीकार किया गया है। ुजरात में लगान को आधार माना गया है। इस प्रकार कुछ राज्यों में मुआवजा के लिए भू-राजस्व को आधार बनाया गया है।

पेप्सू में मुआवजा खण्ड प्रणाली के आधार पर दिया जाता है। वहां बंजर के अतिरिक्त अन्य भूमि का मुआवजा पहले २५ एकड़ पर उचित लगान का १२ ुना है। अधिक भूमि के अर्जन पर उचित लगान के आधार पर नहीं बल्कि भूमि-राजस्व के आधार पर मुआवजा दिया जाता है। इस प्रकार आप देखेंगे कि हमने जो कुछ किया है, वह उचित ही है।

भूमि सुधार संबंधी समिति के प्रतिवेदन में भी कहा गया है कि २० वर्ष का उचित मूल्य देने के बाद भूमि उसकी हो जायेगी। उसमें यह भी कहा गया है कि बाजार मूल्य के २५% से अधिक नहीं होना चाहिए। इन सभी स्थितियों को ध्यान में रख कर यदि आप देखेंगे, तो पता लगेगा कि हमने जो कुछ भी किया है वह उचित व न्यायपूर्ण है। इस प्रकार जो मुआवजा भूमि के मालिक को मिलेगा, वह भूमि राजस्व के ४० गुने से भी अधिक होगा। हमने इस संबंध में हिसाब लगाकर देख लिया है कि भूमि-राजस्व के ४० गुने के हिसाब से यह मुआवजा कम ही होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

माननीय मित्र के संशोधन के अनुसार भूमि के स्वामियों को मुआवजा मिलेगा उसका तीन-चार गुना मुआवजा हमारी योजना के अनुसार उन्हें मिलेगा।

इसके अतिरिक्त एक अन्य कारण के अनुसार भी हमें बाजार मूल्य को आधार बनाने का आग्रह नहीं करना चाहिए। इस मामले में हमारा उद्देश्य यह है कि हम अतिरिक्त भूमि लेकर भूमिहीन लोगों में बांटें। सरकार अपने काम के लिए तो अधिक भूमि का अर्जन कर नहीं रही है कि हम अर्जन अधिनियम के अधीन बाजार मूल्य के आधार पर मुआवजा दें। आप यह समझ लें कि सरकार जो कुछ देगी, वह उन व्यक्तियों से वसूल करेगी, जिनको भूमि दी जायेगी। अतः गरीब वर्ग का भी हित ध्यान में रखना है। मुआवजा निर्धारित करने का अधिकार विधान मंडल को है, अतः आप को सैद्धान्तिक आधार पर बाजार मूल्य को आधार बनाने की मांग नहीं करनी चाहिए। हम भूमिहीन लोगों को देने के लिए भूमि अर्जित कर रहे हैं। यदि हम मुआवजा ज्यादा देंगे, तो हम उसे उन लोगों से वसूल भी करेंगे। अतः बाजार मूल्य को आधार बनाने की मांग नहीं की जानी चाहिए इससे उन लोगों पर बड़ा बोझ पड़ जायेगा, जिन को यह अतिरिक्त भूमि दी जायेगी।

सरकार इसमें घाटे में नहीं रहना चाहती। इस सिद्धान्त को स्वीकार किया गया है। अतः सरकार को अधिक खर्चे में डाल कर गरीब वर्ग का बोझ बढ़ाने की मांग करना अनुचित होगा।

मैं मानता हूं कि माननीय सदस्य इससे संतुष्ट नहीं है। पर सरकार को दोनों पक्षों के हित को ध्यान में रखना है। हमने काफी मुआवजा रखा है, उससे आगे जाने से उन लोगों को बड़ा कष्ट होगा, जिन्हें यह भूमि दी जायेगी?

जहां तक धार्मिक व धर्मार्थ संस्थाओं की भूमि का संबंध है, हम उनकी भूमि ले लेंगे और उन्हें उनका समुचित व्यय देंगे। अन्य राज्यों के सामने भी यह प्रश्न आया था।

इन संस्थाओं को मुआवजा एक मुश्त न देकर वार्षिक आधार पर दिया जायेगा, ताकि वे बराबर अपना काम ठीक ढंग से चलाते रहें। एक मुश्त रकम देने पर ये संस्थायें धन को एक साथ ही खर्च कर देंगी। अतः धीरे धीरे किश्तों में मुआवजा देना उन संस्थाओं व समाज के हित में होगा।

†**अध्यक्ष महोदय:** सरकार संशोधन सख्या ५८ व ५९ को स्वीकार करने को तैयार है। मैं उनको सभा के सामने रखूंगा। संशोधन संख्या ५८।

प्रश्न यह है कि:

पृष्ठ ६,—

पंक्ति २५ और २६ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये—

"compensation, the amount of which shall be equal to twenty times the net income from such land."

["मुआवजे की राशि उस भूमि की शुद्ध आय के २० गुने के बराबर होगी।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†अध्यक्ष महोदय: संशोधन संख्या ५६ ।

प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ६—

पंक्ति ३३ के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :—

"**Explanation.** For the purposes of sub-section (1), the net income from any land shall be deemed to be one fifth of the value of the average yearly gross produce of the land, calculated in such manner as may be prescribed."

["व्याख्या—उपधारा (१) के प्रयोजनों के लिए किसी भूमि की शुद्ध आय उस भूमि की औसत वार्षिक कुल उपज के मूल्य का $^{1}/_{5}$ समझी जायेगी—जो उस ढंग से लगाई जायेगी जैसा निर्धारित किया जाये ।]"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष[महोदय द्वारा संशोधन संख्या २३, ४७ और ४८ मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुये ।

संशोधन संख्या ४६ और ५४ सभा की अनुमति से वापस लिये गये ।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १०, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १० संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

(इसके पश्चात् लोक-सभा, मंगलवार, २ अगस्त, १९६०/११ श्रावण, १८८२ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई) ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

(सोमवार, १ अगस्त, १९६०)

१०, श्रावण, १८८२ (शक)

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	१—२६
	तारांकित प्रश्न संख्या	
१	नेहरू-अयूब वार्ता	१—४
२	'पीकिंग रिव्यू'	४—६
३	बेरोजगारों की सहायता के लिये निधि . . .	६—८
४	पाकिस्तान द्वारा जम्मू तथा काश्मीर की सम्पत्ति की नीलामी .	८—९
५	प्रधान मंत्री की गाजा यात्रा	९—१०
६	कागज की कमी	१०—१२
७	पाकिस्तान को चाय का निर्यात	१२—१३
८	भारत में अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह . . .	१४
९	बम्बई में गैर-भारतीय गोआ निवासी . . .	१४—१५
१०	समुद्र सम्बन्धी विधियां	१५—१७
१२	कारखानों के कर्मचारियों की आय . . .	१७
१३	भारत में चाय उद्योग	१८
१४	स्नातकों के रोजगार के बारे में सर्वेक्षण . . .	१९—२१
१५	कच्चे पटसन का मूल्य	२१—२३
१६	सिक्किम और भूटान को भारतीय संसदीय शिष्ट मंडल .	२३—२५
१७	सरकारी क्षेत्र के उद्योग	२५—२६
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	२७—६८
	तारांकित प्रश्न संख्या	
११	तिब्बत में रोके गये भारतीय	२७
१८	योजना आयोग के सदस्यों की आचार्य विनोबा भावे से भेंट .	२७
१९	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी	२७—२८

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

२० मिकिर पहाड़ियों से शरणार्थियों का निकाला जाना . . २८–२९
२१ साइकिलों का उत्पादन २९
२२ काश्मीर २९
२३ हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड २९–३०
२४ दिल्ली दुकान तथा संस्थापन अधिनियम . . . ३०
२५ राजस्थान में पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति . . ३०–३१
२६ पुनर्वास मंत्रालय में छटनी ३१
२७ ग्रेफाइट ३१
२८ तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये मूल्य नीति . . . ३२
२९ हीराकुद का अल्युमीनियम गलाने का कारखाना . . ३२
३० कनाडा–भारत की आणविक भट्टी . . . ३३
३१ तीस्ता घाटी में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास . . ३३
३२ हीराकुद और राउरकेला के छटनी किये गये श्रमिक . . ३३–३४
३३ बम्बई में गैस की टंकी का विस्फोट . . . ३४
३४ जम्मू और काश्मीर में कागज का कारखाना . . . ३४–३५
३५ श्रमिकों द्वारा प्रबन्ध में भाग लिया जाना . . . ३५

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१ व्यापार प्रबन्ध में प्रशिक्षण ३५–३६
२ जापानी हस्तशिल्प विशेषज्ञ की रिपोर्ट . . . ३६
३ वियतनाम में पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय आयोग ३६–३७
४ कागज का आयात ३७
५ काफ़ी के काश्तकारों को ऋण ३७
६ छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये निगम . . . ३७
७ पंजाब में अम्बर चरखा केन्द्र ३८
८ भूटान के रास्ते से आने वाले तिब्बती शरणार्थी . . ३८
९ साइकिलों का निर्यात ३९
१० पंजाब में बेरोजगारी ३९–४०
११ तिब्बती शरणार्थी ४०–४१

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१२	अखबारी कागज का निर्माण	४१–४२
१३	कपूर	४२
१५	वस्त्र उद्योग	४२–४३
१६	पंजाब के ऐतिहासिक स्थानों के सम्बन्ध में प्रलेखीय चलचित्र	४३
१७	उत्तर प्रदेश में रोजगार	४३–४४
१८	उत्तर प्रदेश में लघु सहकारी हथकरघा उद्योग	४४
१९	राष्ट्रपति निलयम, हैदराबाद में सरकारी सम्पत्ति	४५
२०	महात्मा गांधी का संकलित साहित्य	४५
२१	हिन्दुस्तान समाचार सहकारी समिति	४५
२२	कार्यकुशलता संहिता	४६
२३	भविष्य निधि योजना	४६
२४	द्वितीय अखिल भारतीय कृषि श्रम जांच	४७
२५	लघु उद्यागों को सहायता	४७–४८
२६	अनिवार्य निर्यात योजना	४८
२७	औद्योगिक डिजाइन संस्था	४८
२८	बम्बई और कानपुर के लिये मजूरी नक्शे	४९
२९	तरल स्वर्ण का निर्माण	४९
३०	निर्यात में वृद्धि के लिये योजना	४९
३१	निर्यात गृह	५०
३२	दिली में काम दिलाऊ दफ्तर के लिये भवन	५०
३३	उदयपुर की जावर की खानों में श्रमिक करार	५०
३४	निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय में सतर्कता कार्य	५१
३५	सिगरेट का उत्पादन	५१
३६	सरकारी क्वार्टरों का दिया जाना	५१
३७	दलाई लामा और तिब्बती शरणार्थियों पर व्यय	५२
३८	पटसन मिलों का पुनर्नवीकरण	५२
३९	अन्तर्राष्ट्रीय उद्योग प्रदर्शनी	५२–५३
४०	अल्वाय में डी० डी० टी० कारखाना	५३
४१	भारतीय राजदूतों और उच्च आयुक्तों के रिक्त पद	५३

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
४२	हिमाचल प्रदेश में रेडियो का वितरण	५४
४३	हिमाचल प्रदेश में रेशम उद्योग	५४–५५
४४	नेपा मिल	५५
४५	पारपत्र और यात्रा सम्बन्धी कागजात	५५–५६
४६	घड़ियों का निर्माण	५६
४७	महात्मा गांधी के जीवन से सम्बन्धित घटनाओं के रिकार्ड तैयार करना	५६
४८	श्रमजीवी पत्रकार मजूरी समिति	५७
४९	सरकारी इमारतें	५७
५०	सरकारी क्वाटरों में सफाई	५७–५८
५१	ईरान में भूकम्प पीड़ितों को भारतीय सहायता	५८
५२	ग्रीष्मकालीन नाटक समारोह	५८
५३	काफी हाउसों का बन्द किया जाना	५८–५९
५४	चलचित्रों पर प्रतिबन्ध	५९
५५	अभ्रक निर्यात संवर्द्धन परिषद्	५९
५६	अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड	६०
५७	आन्ध्र प्रदेश में लघु उद्योग निगम	६०–६१
५८	राष्ट्रीय संग्रहालय के निकट दुर्घटना	६१
५९	आकाशवाणी, कटक की कार्यक्रम मंत्रणा समिति	६१
६०	भारत में पाकिस्तानी राष्ट्रजन	६१–६२
६१	साइकिलों का निर्माण	६२
६२	अल्प आय वर्ग गृह-निर्माण योजना	६२
६३	पंजाब का खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	६२
६४	चंडीगढ़ में रिलेइंग स्टेशन	६३
६५	पाकिस्तानियों का युद्ध-विराम रेखा के पार आना	६३
६६	चाय का निर्यात	६३–६४
६७	साइकिलों के पुर्जों का आयात	६४
६८	अखबारी कागज का उत्पादन	६५
६९	कोयला खान मजदूरों के लिये मकान	६५
७०	श्रीनिवासपुरी (दिल्ली) में बिजली	६५–६६

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

७१ सरकारी क्वाटरों को किराये पर उठाना . . . ६६
७२ सरकारी क्वार्टरों पर अप्राधिकृत कब्जा . . ६६
७३ किराया-खरीद योजना के अन्तर्गत चाय मशीनों का क्रय ६६-६७
७४ सिगरेट और सिगारों का उत्पादन . . . ६७
७५ पश्चिमी जर्मनी को निर्यात . . . ६७-६८
७६ भारत-पाकिस्तान सीमा घटनायें . . . ६८
७७ नेशनल न्यूजप्रिन्ट एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड . . . ६८

निधन संबंधी उल्लेख ६९

अध्यक्ष महोदय ने वर्तमान लोक-सभा के सदस्य चौधरी परागी लाल और श्री देवनपल्ली राजय्या, भूतपूर्व केन्द्रीय विधान सभा के सदस्य श्री पी० बी० गोले और श्रीमती राधा बाई सुब्बारायन, पहली लोक-सभा के सदस्य श्री सी० पी० मात्तन और भारत की संविधान सभा के सदस्य श्री ए० धर्मदास के निधन का उल्लेख किया।

इस के बाद सदस्य दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ देर मौन खड़े रहे।

स्थगन प्रस्ताव . . . . . ६९—८१

अध्यक्ष महोदय ने निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों को, जिन की सूचना उन के सामने बताये गये सदस्यों ने दी थी, प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी :—

(१) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हाल की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति — सूचनायें सर्व श्री स० मो० बनर्जी, त्रिदिब कुमार चौधरी, अटल बिहारी बाजपेयी, राजेन्द्र सिंह, तंगामणि, प्रभातकार, अ० क० गोपालन और ब्रज राज सिंह द्वारा दी गई।

(२) असम में हाल के उपद्रव — सूचनायें सर्वश्री त्रिदिब कुमार चौधरी, अटल बिहारी बाजपेयी, फ्रैंक एन्थनी स० मो० बनर्जी, विभूते भूषण दास गुप्त, अरविन्द घोषाल, प्रमथ नाथ बनर्जी, हीरेन्द्र नाथ मुकर्जी, वासुदेवन नायर, कुह्नन, ब्रज राज सिंह, बा० चं० कामले और साधन चन्द्र गुप्त तथा श्रीमती रेणु चक्रवर्ती द्वारा दी गई।

स्थगन प्रस्ताव—(क्रमशः) विषय पृष्ठ

(३) दिनांक २७ अप्रैल, १९६० की अधिसूचना सूचना श्री फ्रैंक एन्थनी द्वारा दी गई। जिस में राज-भाषा के संबंध में राष्ट्रपति के निदेश दिये हुए हैं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ८१—८५

(१) संविधान के अनुच्छेद १२३(२) (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा ८ जुलाई, १९६० को प्रस्थापित अत्यावश्यक सेवाएं संधारण अध्यादेश, १९६० (१९६० की संख्या १) की एक प्रति।

(२) "तीसरी पंचवर्षीय योजना—रूप रेखा का प्रारूप" की एक प्रति।

(३) अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, १९५२ की धारा २२ की उपधारा (३) के अन्तर्गत अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण और अर्जन नियम, १९५३ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :—

(क) दिनांक २६ मार्च, १९६० को जी० एस० आर० ३५९।

(ख) दिनांक २१ मई, १९६० की जी० एस० आर० ६९३।

(४) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति:—

(क) समवाय अधिनियम १९५६ की धारा ६३९ की उपधारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९५८-६५९ के लिये हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ख) उक्त फैक्टरी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(५) चाय अधिनियम १९५३ की धारा ४९ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत चाय नियम, १९५४ में और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :—

(क) दिनांक ७ मई, १९६० की जी० एस० आर० ५१८।

(ख) दिनांक, २५ जून, १९६० की जी० एस० आर० ७१३।

(६) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत दिनांक २१ मई, १९६० की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १३३८ में प्रकाशित सूती वस्त्र (हथकरघे द्वारा उत्पादन) नियंत्रण संशोधन आदेश, १९६० की एक प्रति, व्याख्यात्मक टिप्पण सहित।

सभा पटल पर रखे गये पत्र—(क्रमशः)

विषय पृष्ठ

(७) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६४२ की उपधारा (३) के अन्तर्गत समवाय (केन्द्रीय सरकार की) सामान्य नियम तथा प्रपत्र, १९५६ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २८ मई, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५९५ की एक प्रति ।

(८) रबड़ अधिनियम, १९४७ की धारा २५ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत रबड़ नियम, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १८ जून, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६७२ की एक प्रति ।

(९) काफ़ी अधिनियम, १९४२ की धारा ४८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत कहवा नियम, १९५५ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २८ मई, १९६० की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १९३५ की एक प्रति ।

(१०) एसीटेट धागे के संशोधित मूल्य बताने वाले दिनांक २८ मई, १९६० के संकल्प संख्या २६ (१०५) टैक्स–डी / ५७ की एक प्रति ।

(११) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ की धारा ३० की उपधारा (४) के अन्तर्गत विकास परिषदें (प्रक्रिया संबंधी) नियम, १९५२ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २३ जुलाई, १९६० की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १८०८ की एक प्रति ।

(१२) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, १९५६ की धारा ३ की उपधारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :--

(क) दिनांक २० अप्रैल, १९६० की एस० ओ० संख्या १०३१ ।

(ख) दिनांक २८ मई, १९६० की एस० ओ० संख्या १३४२ ।

(१३) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, १९५६ की धारा २६ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत खादी तथा ग्रामोद्योग नियम, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २ जुलाई, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७४१ की एक प्रति ।

(१४) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, १९४८ की धारा १३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत केन्द्रीय रेशम बोर्ड नियम, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २१ मई, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५५७ की एक प्रति ।

(१५) नमक उद्योग के विकास संबंधी कुछ विषयों पर विचार करने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त समिति के प्रतिवेदन (१०५८) की एक प्रति ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र—(क्रमशः)

विषय पृष्ठ

(१६) ब्लीचिंग पाउडर का मूल्य निर्धारित करने के संबंध में, दिनांक १ जून १९६० के संकल्प संख्या सी० एच-३१ (४४)/५९ की [एक प्रति ।

(१७) कर्मचारी भविष्य [निधि]अधिनियम [१९५२ की धारा ४ की उपधारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक ४ जून, १९६० की जी० एस० आर० संख्या ६३२ ।

(ख) दिनांक १८ जून, १९६० की जी० एस० आर० संख्या ६८३ ।

(१८) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम १९५२ की धारा ७ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि योजना, १९५२ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २ जुलाई, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७४८ की एक प्रति ।

(१९) (क) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा जून, १९५९ के अपने तैंतालीसवें अधिवेशन में स्वीकृत सिफारिशों की एक प्रति ।

(ख) उपरोक्त प्रथाओं और सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई अथवा की जाने वाली कार्यवाही बताने वाले विवरण की एक प्रति ।

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ८५

(एक) सचिव ने गत सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा २९ अप्रैल, १९६० को लोक-सभा में दी गई अन्तिम सूचना के बाद राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित विधेयक सभा-पटल पर रखे :-

(१) वित्त विधेयक, १९६०

(२) भारत का रिर्जव बैंक (संशोधन) विधेयक, १९६०

(३) विनियोग (रेलवे) संख्या ३ विधेयक, १९६०

(४) सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक, १९६०

(५) उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, १९६०

(६) भारतीय बायलर्स, (संशोधन) विधेयक, १९६०

(७) हिन्दू विवाह (कार्यवाही का मान्यीकरण) विधेयक, १९६० ।

(दो) सचिव ने गत सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा २९ अप्रैल, १९६० को लोक-सभा में दी गई अन्तिम सूचना के बाद, राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित विधेयकों की प्रतियां, राज्य सभा के सचिव द्वारा विधिवत्त प्रमाणित रूप में, सभा पर रखीं ।

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति—(क्रमशः) विषय पृष्ठ

(१) बम्बई पुनर्गठन विधेयक, १९६०

(२) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, १९६० ।

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य . . . . . ८५—९१

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने नागा पहाड़ियां तथा तुएनसांग क्षेत्र के बारे में एक वक्तव्य दिया ।

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य : ९१–९२

(१) संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) ने श्री पु० र० पटेल के महेन्द्र प्रताप सिंह जायदाद (निरसन) विधेयक, १९५८ के बारे में एक वक्तव्य दिया ।

(२) रेलवे उप मंत्री (श्री शाहनवाज खां) ने दूसरी लोक-सभा के दसवें सत्र की समाप्ति के बाद हुई बड़ी रेलवे दुर्घटनाओं के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा ।

समितियों के लिए निर्वाचन ९२–९३

(१) प्रतिरक्षा मंत्री के सभा सचिव (श्री फतहसिंह राव) ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि लोक-सभा के सदस्य राष्ट्रीय सेना छात्र दल की केन्द्रीय मंत्रणा समिति के लिये अपने में से सदस्य चुने । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(२) उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि लोक सभा के सदस्य नारियल जटा बोर्ड के लिये अपने में से सदस्य चुने । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पुरःस्थापित ९३

रबड़ (संशोधन) विधेयक

विधेयक विचाराधीन ९३–१२१

दिल्ली जोत (अधिकतम सीमा) विधेयक पर संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में खण्डवार चर्चा आरम्भ हुई । खण्ड २ से १० स्वीकृत हुए । खण्डवार चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

मंगलवार, २ अगस्त, १९६०/११ श्रावण, १८८२ (शक) के लिए कार्यावलि—

दिल्ली जोत (अधिकतम सीमा) विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में मनीपुर भू-राजस्व तथा भूमि-सुधार विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, तथा त्रिपुरा भू-राजस्व तथा भूमि-सुधार विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, पर चर्चा तथा इनको पारित करना ।

GMGI PND—LS III—659 (Ai) —(JC No. 12023) 60–61—30–8–60—135